आईटीआई लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

71वीं वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

विश्वव्यापी संचार के लिए संपूर्ण समाधान

अध्यक्षीय संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

आईटीआई लिमिटेड की 71वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपका हार्दिक स्वागत है । बैठक के आयोजन की सूचना, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक लेखें, कम्पनी के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां आपको उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं और मैं समझता हूं कि आपने इन्हें पढ़ लिया है । इसी के साथ-साथ, मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कम्पनी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों से संबधित कॉर्पोरेट दिशानिर्देशों का अनुसरण किया गया है । मैं, वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति आपके सम्मुख आईटीआई एवं इसके निदेशक मंडल की ओर से कर रहा हूं, इस प्रस्तुति के साथ-साथ, मुझे आपके सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी मिला जो मेरे लिए गौरव का विषय है ।

वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भी कम्पनी के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 अदभूत सफलताओं का वर्ष रहा है । आपकी कम्पनी ने लगातार चौथे वर्ष लाभ अर्जित किया है तथा पिछले 11 वर्षों में अब तक के सर्वाधिक 11 करोड़ रुपए के कर पश्चात लाभ के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2578 करोड़ रुपए की टर्नओवर का वित्तीय निष्पादन एक शानदार उपलब्धि है । वैश्विक महामारी के कारण व्याप्त ढेरों समस्याओं, जिनसे सामग्री की आपूर्ति प्रभावित हुई, जनशक्ति की कमी एवं परिवहन के उत्पन्न हुए थे, के बावजूद भी कम्पनी ने 7% का विकास हासिल किया । सबसे बड़ी उपलब्धि कम्पनी की निवल सम्पति है, जो अब 2420 करोड़ रुपए है । मुझे यह घोषित करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कम्पनी निविदाएं प्राप्त करने एवं देश के दूरसंचार क्षेत्र के बाजार में सुदृढ़ कम्पनी होने का अपना दर्जा वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धी बनने के निरंतर प्रयास कर रही है । हमारी विद्यमान आर्डर बुक का मूल्य लगभग 9820 करोड़ रुपए है । ऊपर बताए गए सभी मापदंड कम्पनी की निवल सम्पति सकारात्मक होने एवं विकास के सुस्पष्ट सूचक हैं। कम्पनी ने पिछले 4 वर्षों से लगातार मुनाफा कमाने का एक विरल मापदंड स्थापित किया है। यह कम्पनी के लिए गेम चेंजर होना चाहिए और ऐसा माना जा सकता है कि इससे कम्पनी का सम्पूर्ण कायाकल्प हो सकेगा ।

प्रिय शेयरधारकों, वित्तीय वर्ष से जुड़ी समस्याओं के चलते भी कम्पनी को कुछ गौरवमयी आर्डर प्राप्त करने में सफलता मिली है । आईटीआई ने रक्षा मंत्रालय के साथ 7796 करोड़ रुपए मूल्य की एस्कॉन चरण IV परियोजना का निष्पादन करने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं । यह कम्पनी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि कम्पनी के इतिहास मे यह अब तक का सबसे बड़ा आर्डर है । आप जानते ही हैं कि कम्पनी ने इस परियोजना के पहले 3 चरणों का निष्पादन सफलता पूर्वक कर लिया है । परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए इसके अवधारणा प्रमाण की कड़ी निगरानी की जा रही है । हमने भारतीय वायु सेना के साथ भी उनकी सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं के उन्नयन के लिए एएमसी सहित 414 करोड़ रुपए मूल्य के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हम इस परियोजना को 10 माह में पूरा करना चाहते हैं । हमारे पास अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ऑप्टिकल ब्राडबैंड नेटवर्क उपलब्ध करवाने के लिए बीबीएनएल से प्राप्त 37 करोड़ रुपए मूल्य की एक और भारतनेट परियोजना भी है ।

हमने टीएएनएफआईएनईटी परियोजना के एक पैकेज के लिए लगभग 498.52 करोड़ रुपए मूल्य का एक अग्रिम क्रयादेश भी हासिल किया है तथा इसका क्रयादेश शीघ्र ही हमें मिल जाएगा । कम्पनी के इतिहास में पहली बार एफटीटीएच रोलआउट के लिए एक निजी परिचालक से 55 करोड़ रुपए मूल्य का एक आर्डर प्राप्त हुआ । हम 5जी प्रौद्योगिकी नेटवर्क के कार्यान्वयन से संबंधित रक्षा बलों की निविदाओं में पूर्ण तत्परता से प्रतिभागिता कर रहे हैं तथा हमने 5जी टेस्ट निविदा की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव अनुरोध (आरपीएफ) के प्रति अपनी प्रतिक्रिया भी दी है ।

आईटीआई की तीन विशाल परियोजनाएं पूर्णता के चरण में हैं । गुजनेट परियोजना का निष्पादन लगभग पूरा हो गया है । एनएफएस परियोजना को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने की योजना है । महानेट परियोजना को भी शीघ्र पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं । यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि हम अपनी अद्यतन 9820 करोड़ रुपए मूल्य की आर्डर बुक को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भावी निविदाओं में पूरी तत्परता से भाग ले रहे हैं ।

पूंजी व्यय निधियों से जिस अवसंरचना का उन्नयन किया गया था उसकी क्षमता का उपयोग करने की योजना बना ली गई है । हमें अत्यंत गर्व है कि जिन उत्पादों के लिए अवसंरचना की स्थापना की गई थी उन उत्पादों का उपयोग आत्मनिर्भरता की मिसाल के साथ आईटीआई द्वारा निष्पादित परियोजनाओं के लिए किया गया है । कम्पनी द्वारा निष्पादन की जा रही भारतनेट परियोजना के लिए हम हमारे संयंत्रों में निर्माण की गई 10433 किलोमीटर एचडीपीई डक्ट की आपूर्ति कर चुके हैं । हमने एस्कॉन चरण IV परियोजना के लिए भी लगभग 9,000 किलोमीटर एचडीपीई का निर्माण किया है जिसकी जांच ग्राहक द्वारा की जा रही है । इसके अलावा, हमने महा आईटी परियोजना के लिए 20,000 सौर पैनलों का निर्माण भी किया है। एस्कॉन चरण IV परियोजना के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति भी आंतरिक निर्माण के माध्यम से किए जाने की योजना है । हम और अधिक व्यवसाय सूत्रों का अंवेषण करके एचडीपीई, ओएफसी, सौर पैनलों, वाई-फाई एस्सेस प्वांइटों की निर्माण सुविधाओं को 24x7 आधार पर परिचालनात्मक करने की योजना बना रहे हैं । माइक्रो पीसी, स्मार्ट बैंकिंग कार्ड्स, एसपीडीसी (स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम), यूवीडीएस (अल्ट्रा वॉयलेट डिसइमेक्शन सिस्टम्स), डिजीटल मोबाइल रेडियो (डीएमआर), एंटी ड्रोन सिस्टम्स, आईआरएनएसएस रिसीवर्स, ई/वी बैंड रेडियो, ईवीएम इत्यादि जैसे आईटीआई उत्पादों के विपणन के प्रयासों पर भी हम अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं । आईटीआई एवं संचार मंत्रालय के सी-डॉट, डाक विभाग जैसे अन्य संगठनों के साथ भी तारतम्यता के प्रयास किए जा रहे हैं तथा नए प्रकार के उत्पादों की योजना बनाई जा रही है ।

नव प्रौद्योगिकी प्रचलनों के प्रति कम्पनी की अनुरूपता के लिए कम्पनी 4जी / 5जी, साइबर सिक्योरिटी, एआई, स्मार्ट डिवाइसेस, क्लाउड सेवाओं इत्यादि के क्षेत्रों में अंवेषण कर रही है। कम्पनी ने बीएसएनएल की 4जी निविदा के लिए टीसीएस के साथ गठबंधन किया है । हम अवधारणा प्रमाण (पीओसी) की रूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) में प्रतिभागिता कर चुके हैं तथा इसका निवर्हन अम्बाला, हरियाणा में किया जा रहा है । हम 4जी रेडियो का निर्माण करने जा रहे हैं और इसके लिए अवसंरचना स्थापित हो गई है । हम अपने डेटा सेन्टर में सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी) की स्थापना करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं । इसके लिए साझेदारों का अंतिमकरण किया जा रहा है । हमने अतिरिक्त क्षमता के साथ संवर्धित किए गए अपने डेटा सेन्टर से क्लाउड सेवाएं प्रदान करने की योजना भी बनाई है । हमने कोविड सहित संक्रामक रोगों के परीक्षण के लिए एआई आधारित समाधान एवं इलैक्ट्रानिक चिकित्सा रिकार्ड के लिए ब्लॉक चेन आधारित समाधान के उद्देश्य से एक स्टार्ट-अप के साथ गठबंधन किया है।

हम भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के आवर्धन के लिए ये समाधान प्रस्तुत करना चाहते हैं । भारतीय कम्पनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से कम्पनी दूरसंचार उपकरणों की आयात पर निर्भरता कम करना चाहती है और साथ ही रक्षा संचार सहित स्वदेशी रणनीतिक प्लेटफॉर्म का निर्माण भी करना चाहती है । भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के प्रयास के प्रति आईटीआई की प्रतिबद्धता की झलक सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम की निजी क्षेत्र की कम्पनियों के साथ की जा रही सहकार्यता से स्पष्ट देखी जा सकती है ।

कम्पनी ने आईटीआई बेंगलूरू संयंत्र में 120 सीटर स्टार्ट-अप हब की स्थापना की है जिसे आगे 1000 सीटर क्षमता के साथ संवर्धित किए जाने की योजना है । आईओटी डिवाइसेस, मेडिकल इलैक्ट्रानिक्स, होम ऑटोमेशन, एयरोनॉटिक्स के क्षेत्रों में कार्यरत अनेक स्टार्ट-अप इस हब से अपने परिचालन कर रहे हैं । टीईसी के साथ सहकार्यता करके स्थापित की गई ईएमआई /ईएमसी प्रयोगशालाएं कार्यशील हैं । इसके अलावा, सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की भी योजना बनाई गई है । आईटीआई ने कौशल भारत अभियान के प्रोत्साहन के लिए श्रीनगर संयंत्र में स्मार्ट कौशल विकास केन्द्र सहित आईटीआई के सभी संयंत्रों में छ: प्रशिक्षण केन्द्र (टीसी) निर्मित किए हैं । आईटीआई का विस्तारित डेटा केन्द्र क्लाउड आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है तथा इससे अनेक कम्पनियों को अपना डेटा सुरक्षित रखने में मदद मिल सकेगी । आपकी कम्पनी ने निर्माण, विपणन एवं परियोजनाओं के प्रबंधन की अपनी रणनीति को उन्नत व्यापार संभावनाओं के साथ परिवर्तित करने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं ।

प्रिय शेयरधारकों, निश्चित ही आप भी मेरी इस अवधारणा से सहमत होगें कि किसी भी कम्पनी की आधारशिला उसके अपने मानव संसाधन होते हैं । प्रोत्साहन के विचार से हमनें अनेकों कर्मचारी कल्याण उपाय प्रारंभ किए हैं। वैयक्तिक विकास एवं प्रोत्साहन के दृष्टिकोण से पीआरसी में बेहतर बदलाव करके कम्पनी के इतिहास में इसे पहली बार 3 चरण की प्रक्रिया का स्वरूप दिया गया । इस पूरी प्रक्रिया से पदोन्नति की प्रक्रिया में अब और अधिक योग्य उम्मीदवारों को लाभ प्राप्त हो सकेगा । हमें आशा है कि ऐसे प्रोत्साहनों से हमारा प्रत्येक कर्मचारी प्रोत्साहित होगा और वह कम्पनी के विकास की दिशा में और अधिक मूल्यों का संवर्धन करने में अपना योगदान देगा ।

यहां तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी कम्पनी का व्यापार अनवरत जारी रहा । आपदा की इस स्थिति के दौरान, कम्पनी ने 2 मिलियन से भी अधिक फेस शील्डों का निर्माण करके अनेक संगठनों को आपूर्ति की है । डीआरडीओ के साथ सहकार्यता के माध्यम से कम्पनी ने अस्पतालों एवं कार्यालय परिसरों के लिए उपयोगी अल्ट्रा वॉयलेट डिसइंफेक्शन सिस्टम (यूवीडीएस) का भी विकास एवं निर्माण किया है । लॉकडाउन की अवधि के दौरान, कम्पनी ने 2000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को किराना किट (ग्रोसरी किट) का वितरण भी किया ।

तथापि, पिछले चार वर्षों से हम लाभ कमा रहे हैं, फिर भी हमारी वित्तीय समस्याएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है । हमारी सभी परियोजनाओं और उत्पादों का निचले सिरे से संवर्धन यदि हमनें नहीं किया तो आगे आने वाला समय हमारे अवलम्बन के लिए कष्टदायक हो सकता है । हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा, यथोचित रणनीतियों का चयन करना होगा और व्यापार की इस दौड़ में टिके रहने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा ।

प्रिय शेयरधारकों, हमारी आर्डर बुक की सुदृढ़ता के विचार से विद्यमान परिदृश्य एवं आईटीआई की भावी योजनाएं अत्यधिक उज्ज्वल हैं । हमारे कुछ आर्डर अभी पाइपलाइन में भी हैं। इस प्रकार हमारी आगामी दो से तीन वर्षों की आर्डर बुक की यह स्थिति हमें यह प्रेरणा देती है कि कम्पनी को अब बस आगे बढ़ते ही रहना होगा। पिछले 4 वर्षों में हमने अपनी कम्पनी की स्थिति को काफी सुदृढ़ कर लिया है । दूरसंचार के क्षेत्र में हम नव नेतृत्व के साथ उभर रहे हैं। हमारी आशा एवं हमारे संकल्पित प्रयास निश्चित ही आपकी कम्पनी का सम्पूर्ण कायाकल्प का स्वरूप प्रदान के लक्ष्य की ओर ले जाएंगे । इसी के साथ, मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि आपकी कम्पनी विकास एवं निरंतरता के पथ पर आगे बढ़ते रहने के अपने उत्तम प्रयास कभी धीमे नहीं होने देंगी और यह सुनिश्चय करेगी कि कम्पनी के स्टेकधारकों को भी सदैव इससे लाभ मिलते रहें । दूरसंचार विभाग एवं भारत सरकार के सहयोग से हम कम्पनी को बाजार में प्रभुत्व की स्थिति एवं वित्तीय संवहनीयता प्रदान करने के अपने प्रयास करते रहेंगे ।

मैं, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार आयोग, भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बीबीएनएल, रक्षा, टीसीआईएल, भारतीय रेल, केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों तथा अपने अन्य सभी मूल्यवान ग्राहकों, जमाकर्ताओं, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विदेशी सहयोगियों, लेखापरीक्षकों, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति सीओपीयू, सूचना प्रौद्योगिकी स्थाई समिति एवं लोक उद्यम स्थाई समिति एससीओपीई द्वारा प्रदत्त अनवरत सहयोग एवं सहायता के लिए अत्यंत आभारी हूं । इस अवसर पर, मैं अपना धन्यवाद अपने सभी कर्मचारियों एवं स्टेकधारकों के प्रति भी, उनके द्वारा दिए गए सहयोग एवं अनुकूलता के लिए व्यक्त करना चाहता हूं ।

धन्यवाद

आर. एम. अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरू

नोट: ध्यान दें, यह 71वीं वार्षिक सामान्य बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड नहीं है ।

संकल्पना, ध्येय और आदर्श

संकल्पना

भारत का नेतृत्व दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी उत्पाद और सेवा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हुए जीवन को बेहतर बनाने का समाधान देना ।

ध्येय

हमारा ध्येय आंतरिक रुप से विकसित अभिसरण समाधान, उत्पाद और सेवाएं दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा प्रणाली, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्मार्ट कनेक्टेड प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ग्राहकों के लिए प्रदान करना ।

आदर्श

हमारी महत्वकांक्षा नवोन्मेष, सतत सुधार और रणनीतिक सहयोगी उद्यमों (साझेदार /गठबंधन) के साथ करते हुए पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की हैं ।

नवोन्मेष :

विकास को अग्रसित करने हेतू नवोत्थान के लिए सुविधा, संसाधन प्रावधान, प्रोत्साहन और मान्यता एक निरंतर आवश्यकता है।

निरंतर सुधार :

हम निरंतर सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक परिष्कृत और समग्र रूप से बेहतर आर्थिक प्रतिस्पर्धी उत्पाद एवंम सेवायें लाते हैं ।

रणनीतिक साझेदारी:

हम सिर्फ व्यवसाय ही नहीं लाते हैं, बल्कि हम ग्राहकों और अन्य हितधारकों के लिए हमसे जुड़े लोगों के जीवन परिवर्तन में मदद करते हैं।

पारदर्शिता :

हम अपने आचरण में निष्पक्ष, ईमानदार और नैतिक हैं, हम जो भी करते हैं वह जाँच की कसौटी पर खरा उतरता है ।

जिम्मेदार प्रणाली:

हम अपने व्यवसाय में पर्यावरण और सामाजिक सिद्धांतों को एकीकृत करते हुये यह सुनिश्चित करते हैं कि हम जो भी उत्पादन करते हैं वह हितधारकों को वापस प्राप्त हो ।

वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
निदेशक मंडल	06
प्रबंधन	06
सूचना	07
दस वर्ष के संक्षिप्त आँकड़े	15
आँकड़े एक झलक	17
निदेशक की रिपोर्ट	19
एकल वित्तीय विवरण	
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	81
तुलन पत्र	88
लाभ और हानि का विवरण	91
नकद प्रवाह विवरण	92
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी	93
लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट	129
समेकित वित्तीय विवरण	
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	143
तुलन पत्र	150
लाभ और हानि का विवरण	153
नकद प्रवाह विवरण	154
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी	155
लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट	191
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	**197**

निदेशक मंडल*

श्री राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री डी वेंकटेश्वरलू
निदेशक–उत्पादन

श्री राजीव श्रीवास्तव
निदेशक–वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री राकेश चंद्र तिवारी
निदेशक–विपणन

लेफ्टिनेंट जनरल मिलिंद एन भुरके,
एवीएसएम, वीएसएम, सिग्नल ऑफिसर–इन–चीफ
सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. राजेश शर्मा
उप महानिदेशक (एसयू), दूरसंचार विभाग
सरकार द्वारा नामित निदेशक

कंपनी सचिव
श्रीमती एस. शनमुगा प्रिया

सांविधिक लेखापरीक्षक
मेसर्स जीआरएसएम एण्ड एसोसिएटस, बेंगलूरु

शाखा लेखापरीक्षक
मेसर्स आर.के चरी एण्ड कं, लखनऊ (रायबरेली)
मेसर्स जी.के अरोरा एण्ड एसोसिएटस, इलहाबाद (नैनी)
मेसर्स पीएनजी एण्ड कं, फैजाबाद (मनकापुर)
मेसर्स एआरजीईई एण्ड कं, पालक्काड (पालक्काड)
मेसर्स अमिर जैन एण्ड एसोसिएटस, श्रीनगर (श्रीनगर)

लागत लेखापरीक्षक
मेसर्स जीएनवी एसोसिएटस, बेंगलूरू
मेसर्स अमन मालवीय एवं एसोसिएटस, लखनऊ

सचिवीय लेखापरीक्षक
श्री डी. वेंकटेश्वरलू, बेंगलूरू

बैंकर
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन बैंक

*07.10.2021 तक

प्रबंधन*

निगमित कार्यालय

श्री राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री डी वेंकटेश्वरलू
निदेशक–उत्पादन

श्री राजीव श्रीवास्तव
निदेशक–वित्त एंव मुख्य वित्त अधिकारी

श्री राकेश चंद्र तिवारी
निदेशक–विपणन

श्री बी. काशीविश्वंनाथन
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती ईला बहादुर
कार्यकारी निदेशक–परियोजना एवं प्रौधोगिकी और संचालन

श्री अखिल कुमार
महाप्रबंधक–निगमित वित्त

श्री विमल किशोर शर्मा
महाप्रबंधक–सतर्कता

श्री मुरली धर द्विवेदी
महाप्रबंधक–मा.सं. एवं जनसंपर्क

श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल
महाप्रबंधक–आंतरिक लेखापरीक्षा

श्रीमती एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

यूनिट
नेटवर्क सिस्टम्स यूनिट
श्री प्रकाश चंद्र जैन
कार्यकारी निदेशक

मनकापुर प्लांट
श्री दिलीप कुमार शर्मा
महाप्रबंधक

बेंगलुरु प्लांट और अनुसंधान एवं विकास
ब्रिगेडियर भूप चंद शर्मा (सेवानिवृत)
महाप्रबंधक

रायबरेली प्लांट
श्री संजय कुमार गुप्ता
महाप्रबंधक

पालक्काड प्लांट
श्री राजीव सक्सेना
महाप्रबंधक

नैनी प्लांट
श्री नितिश कुमार बोकाडे
अपर महाप्रबंधक

श्रीनगर प्लांट
श्री इदरिश असलम खान
उप महाप्रबंधक

निगमित विपणन
श्री गौरवधर
महाप्रबंधक

आईटीआई लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन : एल32202केए1950जीओआई000640
पंजीकृत कार्यालय : आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर, बेंगलूरु 560016
दूरभाष संख्या : + 91(080) 25614466 फैक्स सं. : + 91(080) 25617525 ई-मेल : cosecy_crpiti@ltd.co.in वेबसाइट : www.itiltd.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आईटीआई लिमिटेड की एकत्तरवीं (71वीं) वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का आयोजन वीडियो काफ्रेंसिंग(वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम' (ओएवीएम) से बुधवार, 10 नवंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे किया जाएगा । वार्षिक सामान्य बैठक की कार्यवाही पंजीकृत कार्यालय : आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर, बेंगलुरु में संचालित की जाएगी ।

I. **सामान्य कार्य :**

1. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

   यह संकल्प किया गया कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण सहित लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरण और उनके साथ उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ, एतद्द्वारा उन पर विचार किया गया और अपनाया गया ।

2. निम्न लिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

   यह संकल्प किया गया कि श्री दुव्वुरी वेंकटेश्वरलू (डीआईएन:08605954), जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र हैं, को कँम्पनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है।

3. निम्न लिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

   यह संकल्प किया गया कि कंपोनियों की धारा 142 से आईटीआई लिमिटेड के निदेशक मंडल अधिनियम 2013 के तहत बनाए गए नियमों के साथ नियुक्त किए गए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के यात्रा खर्च की वापसी और जेब खर्च सहित पारिश्रमिक और अन्य नियमों और शर्तों को ठीक करने के लिए अधिकृत किया गया है । भारत के नियंत्रक और सामान्य लेखा परीक्षक और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा ।

II. **विशेष कार्य :**

4. निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

   संकल्प किया गया है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 149, 152 के अन्य लागू प्रावधान कोई है तो, सेबी (सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम 2015 और संचार मंत्रालय के आदेश सं. एफ.सं.ई.14-6/2019-पीएसए दिनांक 2 नवंबर, 2020 के संदर्भ में, श्री राकेश चंद्र तिवारी (डीआईएन:08953397) को भारत सरकार द्वारा अनुबंधित किए गए निबंधन एवं शर्तानुसार 7 जनवरी, 2021 से 30 नवंबर, 2023 की अवधी के लिए कंपनी के निदेशक विपणन के रुप में नियुक्त किया गया है जो सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है ।

5. निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, समान्यि संकल्प के रूप में पारित करना :

   संकल्प किया गया है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 149, 152 के अन्य लागू प्रावधान कोई है तो, सेबी (सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम 2015 और संचार मंत्रालय के आदेश सं. एफ.सं.ई.5-1/2016-पीएसए दिनांक 18 जनवरी, 2021 के संदर्भ में, लेफटिनेंट जनरल मिलिंद बुकरे, एवीएसएम, वीएसएम, सिंगनल ऑफिसर-इन-चीफ (डीआईएन:09168118) को भारत सरकार द्वारा अनुबंधित किए गए निबंधन एवं शर्तानुसार 3 वर्ष की अवधी के लिए कंपनी के सरकारी निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया है जो सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है ।

6. निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, समान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

   संकल्प किया गया है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 149, 152 के अन्य लागू प्रावधान कोई है तो, सेबी (सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनिय' 2015 और संचार मंत्रालय के आदेश सं. एफ.सं.ई.5-2/2021-पीएसए दिनांक 6 जुलाई, 2021 के संदर्भ में, डॉ. राजेश शर्मा (डीआईएन:08200125) को भारत सरकार द्वारा अनुबंधित किए गए निबंधन एवं शर्तानुसार 1 अगस्तु, 2021 से 3 वर्ष की अवधी के लिए कंपनी के सरकारी निदेशक के रुप में पुन: नियुक्त किया गया है जो सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।

7. निम्नतलिखित पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, समान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

   संकल्प किया गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 148 के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार एवं उस आधार पर पारिश्रमिक 3.16 लाख रु. (साथ ही लागू कर) और कंपनी के वर्ष 2021-22 के सभी इकाइयों के लागत अभिलेखों की और वास्तविक जेब खर्च और वाहन का खर्च सहित के लिए लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति तय की गई है एवं एतद्द्वारा अनुसमर्थित है।

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर,

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 07-10-2021

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते आईटीआई लिमिटेड

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

टिप्पूणी :

1. कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए) ने अपने सामान्य परिपत्र दिनांक 13 जनवरी, 2021 जिसे सामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 (जिन्हें सम्मिलित रूप से यहाँ परिपत्र कहा गया है) और सेबी के परिपत्र सं. सेबी /एच.ओ./सी.एफ.डी./ सी.एम.डी.2/परिपत्र/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 के साथ पढ़ा जाना है, में एक सामान्य स्थान में सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी.) या अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों (ओ.ए.वी.एम.) के माध्यम से आयोजित करना अनुमत किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 (एक्ट), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सूचीकरण के विनियम) और एम.सी.ए. के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की ए.जी.एम. वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आयोजित की जा रही है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार प्रासंगिक व्याख्यात्मक कथन, जो वार्षिक आम बैठक में विशेष व्यवसाय से संबंधित विवरण का वर्णन करता है, को इसके साथ सूचना के अंश बननेवाले अनुबंध क में दिया जाता है।
3. सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 नियमन के उपबंध 26 (4) एवं 36 (4) और भारत के कॅम्पनी सचिव के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक के अनुसार, निदेशक, जो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं का संक्षिप्त विवरण/रूपरेखा या पूरी जानकारी हेतु मद सं.2 और 4, देखें जो अनुबंध-ख के रूप में संलग्न है।
4. चूँकि यह ए.जी.एम. एम.सी.ए. के परिपत्रों के अनुसरण में वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आयोजित की जा रही है, सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी नियुक्त करने की सुविधा इस ए.जी.एम. में उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए, परोक्षी फार्म और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं ।
5. संयुक्त धारकों के मामले में, ऐसे सदस्य जिनके नाम कंपनी के सदस्यों की पंजी के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में दर्शित होते हैं, वे इस बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।
6. अधिनियम की धारा 142 के साथ पठित धारा 139 के अनुसार, कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है । तथापि, लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में निर्धारित किया जाएगा । वर्ष 2021-22 के लिए सदस्य बोर्ड के लेखा परीक्षकों के देय यदि कोई हो, उपयुक्त पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं । सांविधिक आवश्यकताओं/कार्य की मात्रा/मुद्रास्मीति सूचकांक आदि को ध्यान में रखते हुए यदि कोई हो, असाइनमेंट के दायरे में परिवर्तन किया जा सकता है ।
7. श्री डी वेंकटेश्वरुलु (सी.पी. सं. 7773), पेशेवर कंपनी सचिव, बेंगलूरु को ए.जी.एम. के दौरान मतदान की जाँच-पड़ताल करने और सुदूर ई-मतदान उचित और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।
8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के अनुसार वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का आशय रखने वाले कार्पोरेट सदस्य / एम.आई.आई. / वित्तीय संस्थानों से अनुरोध है कि वे मंडल के संकल्प / अन्य दस्तावेज जिनमें बैठक में उनकी ओर से शामिल होने और मतदान करने हेतु उनके प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) को अधिकृत किया गया है, की प्रमाणित प्रति, उनके नमूने के हस्ताक्षरों के साथ पर ईमेल dvenkatacs@gmail.com और helpdesk.evoting@cdslindia.com द्वारा कंपनी को भेजें।
9. वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के प्रयोजनार्थ की जाएगी ।
10. कंपनी के सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बहियाँ वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) के प्रयोजनार्थ गुरुवार, 4 नवंबर, 2021 से बुधवार, 10 नवंबर, 2021 (दोनों दिनों सहित) बंद रखी जाएगी ।
11. एम.सी.ए. के सामान्य परिपत्र के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ-साथ इस ए.जी.एम. की सूचना केवल ऐसे सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ई-मेल एड्रेस कंपनी / डिपोज़िटरों के पास दर्ज हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के पूर्ण संस्करण के साथ 71वीं ए.जी.एम. आहूत करने की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.itiltd.in पर 'निवेशक सूचना' खंड में अपलोड की गई है जिसे स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है। इस ए.जी.एम. की सूचना सी.डी.एस.एल. (सुदूर ई-मतदान और ए.जी.एम. के दौरान ई-मतदान प्रणाली की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रसारित की गई है।
12. सदस्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 और कंपनी (शेयर पूँजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 के नियम 19(1) के तहत वर्णितानुसार, फार्म एस.एच.-13 भरकर कंपनी से नामांकन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं ।
13. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी) ने कंपनी के सदस्य द्वारा स्थाई लेखा संख्या, बैंक खाता का विवरण और ई-मेल आईडी प्रस्तुत करना आवश्यक कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, इसलिए वे अपने डीमैट खातों को बनाए रखने के साथ जिसे डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को उनके पैन प्रस्तुत करने का अनुरोध कर रहे हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य आरटीए/कंपनी को अपना स्थाई लेखा संख्याा का विवरण, बैंक खाता का विवरण और ई-मेल आई डी प्रस्तुत करे।
14. सदस्यों से अनुरोध है कि उनके पते, ई-मेल आईडी, बैंक खाता विवरण और नामांकन आदि में कोई परिवर्तन हो तो तुरंत अपने पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री प्रा. लिमिटेड, 30 रमण रेजिडेसी, चौथा क्रास, संपिगे रोड़, मल्लेश्वरम्, बेंगलूरु-560 003 दूरभाष : 080-23460815-818, ई-मेल : irg@integratedindia.in और अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों को सूचित करें।
15. **हरित पहल** का समर्थन करने के लिए, ऐसे सदस्य जिन्होंने अब तक अपना ईमेल एड्रेस पंजीकृत नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित करने के मामले में अपने डी.पी. के पास और शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने के मामले में कंपनी के पास दर्ज करा लें।
16. सूचीकरण विनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में, दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से लागू करते हुए, शेयरों के सभी अंतरण अप्रत्यक्षीकृत रूप में किए जाएँगे।

शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लि. से पर संपर्क करें और अंतरण करने के लिए अपने शेयरों को अप्रत्यक्षीकृत करा लें ।

17. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 जिसे उसके तहत बनाए गए संगत नियमों, सूचीकरण विनियमों के विनियम 44, एम.सी.ए. के परिपत्र और सेबी के परिपत्र के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, कंपनी ए.जी.एम. के दौरान सुदूर ई-मतदान और ई-मतदान द्वारा सूचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने और वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में शामिल होने की सुविधा अपने सदस्यों को सहर्ष प्रदान करती है। इस संबंध में सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) के साथ मिलकर कंपनी ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ की है। ए.जी.एम. के दौरान सुदूर ई-मतदान और ई-मतदान और वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में शामिल होने के अनुदेश इस सूचना के **अनुलग्नम-ग** में दिए गए हैं।

18. सदस्य **अनुलग्नक-ग** में उल्लिखित अनुदेशों का पालन करते हुए बैठक के प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले और बैठक शुरु होने के निर्धारित समय के 15 मिनट के भीतर वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में शामिल हो सकते हैं। सदस्य सी.डी.एस.एल. की ई-मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगिन कर बैठक की कार्यवाही देख सकते हैं। वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (जिनका शेयरधारण 2% या उससे अधिक हो), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा पणधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ, पहले पाओ आधार पर की सीमा के बिना ए.जी.एम. में शामिल होने की अनुमति होगी।

19. सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 और 189 के तहत रखी गई सांविधिक पंजियाँ ए.जी.एम. के दौरान इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी । ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य cosecy_crp@itiltd.co.in पर ई-मेल भेज सकते हैं ।

20. सदस्यों द्वारा लेखे की जानकारी अपेक्षित होने की दशा में, अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम-से-कम 15 दिन पूर्व कंपनी को लिखें ताकि वांछित सूचना तैयार रखी जा सके ।

21. सदस्य कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट देख सकते हैं ।

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर,

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते आईटीआई लिमिटेड

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 07-10-2021

अनुबंध-क

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4 से 6:

कंपनी के संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को समय समय पर कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति करने एवं ऐसे निदेशकों के कार्यकाल का निर्धारण करने की शक्तियां प्राप्त हैं। तदनुसार, आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल के लिए वर्ष के दौरान भारत के राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसरण में निम्नलिखित नियुक्तियां की गई हैं :-

श्री राकेश चन्द्र तिवारी

श्री राकेश चन्द्र तिवारी (डीआईएन:08953397) संचार मंत्रालय के दिनांक 2 नवम्बर, 2020 के आदेश संख्या इ-14-6/2019-पीएसए के अनुसरण में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि अर्थात 7 जनवरी, 2021 से दिनांक 30 नवम्बर, 2023 अर्थात उनकी अधिवार्षिता की तिथि अथवा आगामी आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, अपर निदेशक (निदेशक विपणन) के पद पर निदेशक मंडल में शामिल हुए थे। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के उपबंधों के अनुसार श्री राकेश चन्द्र तिवारी इस पद का धारण अगली वार्षिक आम सभा की तिथि (एजीएम) तक करेंगे।

लैफ्टीनेंट जनरल मिलिंद एन भुर्के, एवीएस, वीएसएम, मुख्य सिग्नल अधिकारी, रक्षा मंत्रालय

संचार मंत्रालय के दिनांक 18 जनवरी, 2021 के आदेश संख्या ई-5-1/2016-पीएसए के अनुसर में लैफ्टीनेंट जनरल मिलिंद एन भुर्के, एवीएसएम, वीएसएम, मुख्य सिग्नल अधिकारी, रक्षा मंत्रालय (डीआईएन: 09168118) को आदेश जारी किए जाने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा उनकी अधिवार्षिता की तिथि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तथापि, लैफ्टीनेंट जनरल मिलिंद एन भुर्के, एवीएसएम, वीएसएम, मुख्य सिग्नल अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 7 मई, 2021 अर्थात उनके द्वारा निदेशक पहचान संख्या प्राप्त करने की तिथि से प्रभावी हुई है।

डा. राजेश शर्मा, डीडीजी - एसयू

डा. राजेश शर्मा, डीडीजी-एसयू को, निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के पद पर, दिनांक 13 अगस्त, 2018 से तीन वर्ष की अवधि अथवा उनकी अधिवार्षिता की तिथि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, शामिल किया गया है। संचार मंत्रालय द्वारा डा. राजेश शर्मा, डीडीजी-एसयू (डीआईएन:08200125) की पुनर्नियुक्ति सरकारी निदेशक के पद 1 अगस्त, 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए, अथवा उनकी अधिवार्षिता की तिथि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, की गई है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में श्री राकेश चन्द्र तिवारी, लैफ्टीनेंट जनरल मिलिंद एन भुर्के की नियुक्ति तथा डा. राजेश शर्मा की पुनर्नियुक्ति कम्पनी के निदेशक के पद पर करने की अनुशंसा की गई थी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कम्पनी की आम सभा में की जानी अपेक्षित है। तदनुसार, वार्षिक आम सभा में सदस्यों से अनुमोदन प्राप्ति के लिए अपेक्षित संकल्प उनके सम्मुख प्रस्तुत किए गए थे।

श्री राकेश चन्द्र तिवारी, लैफ्टीनेंट जनरल मिलिंद एन भुर्के तथा डा. राजेश शर्मा के

संबंध में ऐसा माना गया है कि वे निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित संकल्प के प्रति इच्छुक हैं।

नोटिस की मद संख्या 4 से 6 में प्रस्तुत संकल्प के प्रति कम्पनी का कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके संबंधी संबंधित अथवा हितबद्ध नहीं है।

श्री राकेश चन्द्र तिवारी, लैफ्टीनेंट जनरल मिलिंद एन भुर्के तथा डा. राजेश शर्मा के पास न तो वैयक्तिक क्षमता में अथवा किसी अन्य व्यक्ति के प्रति हितधारक आधार पर कम्पनी के किसी अंश का धारण नहीं है।

आपके निदेशक, अनुमोदन प्राप्ति के नोटिस में की गई प्रस्तावना के अनुसार श्री राकेश चन्द्र तिवारी, लैफ्टीनेंट जनरल मिलिंद एन भुर्के की नियुक्ति तथा डा. राजेश शर्मा की पुनर्नियुक्ति निदेशक के पद पर साधारण संकल्पों के माध्यम से किए जाने की अनुशंसा करते हैं।

श्री राकेश चन्द्र तिवारी, लैफ्टीनेंट जनरल मिलिंद एन भुर्के तथा डा. राजेश शर्मा का संक्षिप्त प्रोफाइल इस नोटिस के **अनुलग्नक-ख** में दिया गया है।

मद संख्या 6

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की विभिन्न यूनिटों के लागत रिकार्डों की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करने का अनुमोदन प्रदान किया है :

क्र.सं.	लागत लेखापरीक्षक का नाम	जीएसटी सहित लेखापरीक्षा शुल्क (रुपए में)
1.	जीएनवी एंड एसोसिएट्स, बेंगलूरु	2,36,000
2.	अमन मालवीय एंड एसोसिएट्स, लखनऊ	80,000
	योग	3,16,000

कम्पनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 की अपेक्षा के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के अंतर्गत नियुक्त कम्पनी के लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक के निर्धारण का अनुमोदन सदस्यों द्वारा दिया जाना अपेक्षित है।

तदनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए नियुक्त लागत लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक 3.16 लाख रुपए (सम्बद्ध करों सहित) तथा वास्तविक व्यय के अनुसार तुरंत देय व्यय एवं यात्रा व्यय निर्धारित करने के लिए अपेक्षित संकल्प सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत संकल्प के प्रति कम्पनी का कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके संबंधी संबंधित अथवा हितबद्ध नहीं है।

आपके निदेशक नोटिस में की गई प्रस्तावना के अनुसार साधारण संकल्प पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन दिए जाने की अनुशंसा करते हैं।

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर,

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते आईटीआई लिमिटेड

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 07-10-2021

अनुबंध-ख

नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

मद संख्या 2

श्री दुव्वुरी वेंकटेश्वरलु, निदेशक-उत्पादन

श्री दुव्वुरी वेंकटेश्वरलु द्वारा आईटीआई लिमिटेड में निदेशक-उत्पादन के पद का कार्यभार 7 नवम्बर, 2019 से ग्रहण किया । कम्पनी में वे वर्ष 1985 में सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए थे तथा उसके पश्चात उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया । उन्हें स्विचिंग, ट्रांसमिशन, एक्सेस उत्पाद एवं रक्षा उत्पाद जैसे दूरसंचार उपकरणों की समग्र रेंज के उत्पादों के संचालन का तीन दशक से भी अधिक काल का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। कम्पनी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बेंगलूरू संयंत्र की उत्पादन यूनिट का 5 वर्ष तक नेतृत्व किया तथा उसके पश्चात उनकी पदोन्नति पालक्काड संयंत्र में महाप्रबंधक एवं यूनिट प्रमुख के पद पर हो गई ।

श्री वेंकटेश्वलु ने पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत पीसीबी संयंत्र, एसएमटी, मशीन शॉप, इंजेक्शन माड्यूल, 3डी प्रिंटिंग के क्षेत्रों का सफल उन्नयन करने में प्रमुख भूमिका निभाई है जो आईटीआई के लिए रक्षा, ईईसीएल, बीएचईएल, आरएसओ, सी-डॉट इत्यादि जैसे विख्यात संगठनों से आर्डर प्राप्त करने में सहायक हुई है ।

वे आंध्र विश्वविद्यालय से बी.टैक (रसायन) तथा एम.टैक (पेट्रोलियम रिफाइनरी) हैं ।

- वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में प्रतिभागिता : 8
- 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कम्पनियों में निदेशक पद का धारण : शून्य
- 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अन्य कम्पनियों की समितियों में सदस्य / अध्यक्ष पद का धारण : शून्य
- वर्तमान तिथि के अनुसार धारित कम्पनी के शेयरों की संख्या : शून्य
- निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ परस्पर संबद्धता का प्रकटीकरण : शून्य

मद संख्या 4

श्री राकेश चन्द्र तिवारी, निदेशक विपणन :

श्री राकेश चन्द्र तिवारी (डीआईएन: 08953397) आईटीआई लिमिटेड में 7 जनवरी, 2021 से निदेशक (विपणन) के पद पर नियुक्त हुए हैं। भारतीय दूरसंचार सेवा के अंतर्गत वर्ष 1985 के अधिकारी श्री राकेश चन्द्र तिवारी को दूरसंचार

प्रबंधन, स्विच संस्थापन, गुणवत्ता आश्वासन, नेटवर्क योजना एवं परिचालन, परियोजना कार्यान्वयन, उद्यम व्यवसाय विकास, फिक्स्ड लाइन सेवाओं के विपणन इत्यादि के क्षेत्रों में 3 दशकों तक कार्य करने का समृद्ध अनुभव प्राप्त है।

आईटीआई लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने बीएसएनएल, कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में प्रधान महाप्रबंधक के पद पर कार्य किया । बीएसएनएल में वे उद्यम व्यवसाय पोर्टफोलियो का कार्य देख रहे थे । बीएसएनएल में उन्होंने नेटवर्क फार स्पैक्ट्रम (एन.एम.एस.) तथा भारतनेट जैसी विख्यात परियोजनाओं के संचालन में सहायता प्रदान की । अहमदाबाद एवं जलगांव में आप ने अनेक सेमिनारों और कौशल विकास के पाठ्यक्रमों का व्यवस्थापन किया । दूरसंचार विभाग /बीएसएनएल को प्रदान की गई आपकी अमूल्य सेवाओं के लिए आपको संचार सारथी का सम्मान प्राप्त हुआ है ।

आप आरईसी कुरूक्षेत्र से इलैक्ट्रानिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में स्नातक तथा राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम (एनएमपी) सहित एमडीआई गुड़गांव से पीजीडीएम हैं । इसके पश्चात आपने आईआईएम अहमदाबाद से सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ पीजीपी-पीएमपी का अध्ययन पूरा किया । मणिपाल सिक्किम यूनिवर्सिटी से आपने मानव संसाधन विषय में एमबीए की डिग्री भी प्राप्त की ।

- वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में प्रतिभागिता : 2
- 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कम्पनियों में निदेशक पद का धारण : शून्य
- 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अन्य कम्पनियों की समितियों में सदस्य / अध्यक्ष पद का धारण : शून्य
- वर्तमान तिथि के अनुसार धारित कम्पनी के शेयरों की संख्या : शून्य
- निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ परस्पर संबद्धता का प्रकटीकरण : शून्य

मद संख्या 5

लैफ्टीनेंट जनरल मिलिंद एन भुर्के, एवीएस, वीएसएम, सरकारी निदेशक :

लैफ्टीनेंट जनरल मिलिंद एन भुर्के (डीआईएन:09168118) नेशनल डिफेंस अकादमी से हैं, 24 इंनफैन्ट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट में आपको 12 जून, 1982 में जनरल ऑफिसर प्रदान किया गया जो एक नया उत्थापन था ।

आपने सभी सैन्य पाठ्यक्रमों में उत्कृष्टता प्राप्त की है । आईआईटी खड़गपुर से आपने डिग्री इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रस्तावित सभी 3 ट्राफियों की प्राप्ति के साथ सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया तथा श्रेष्ठता के साथ कम्प्यूटर विज्ञान में एम.टेक की डिग्री प्राप्त किया । आपको आर्मी वार कॉलेज में आयोजित जूनियर कमांड एवं सीनियर कमांड पाठ्यक्रमों, दोनों, में अनुदेशक ग्रेडिंग प्रदान की गई । आपने डिफेंस सर्विसेस स्टाफ पाठ्यक्रम, हायर एयर कमांड एवं नेशनल डिफेंस पाठ्यक्रम जैसे सभी प्रमुख पाठ्यक्रम को भी पूरा किया ।

व्यवसायिक फ्रंट पर जनरल ऑफिसर ने स्ट्राक कोर में ग्रेड। स्टाफ अधिकारी, एक पायवट कोर में कर्नल क्यू (वर्क्स), सेना सचिवालय शाखा में उप सैन्य सचिव तथा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सूचना प्रणाली एवं प्रशिक्षण) में उप महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण) के महत्वपूर्ण स्टाफ एवं तकनीकी पदों पर कार्य किया है । वे वॉरडेक में ग्रेड 2 के अधिकारी भी थे तथा उन्हें डा.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, तात्कालिक अध्यक्ष, डीआरडीओ के साथ कार्य करने का विशिष्ट अवसर भी प्राप्त हुआ । आपने ऑपरेशन पराक्रम के दौरान इंफेन्ट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट को कमांड किया और एक स्ट्राइक कोर में मुख्य सिग्नल अधिकारी, एक कमांड के मुख्य सिग्नल अधिकारी तथा सिग्नल्स महानिदेशालय के जनरल टैक्टीक्ल में अपर निदेशक रह चुके हैं । अपने 38 वर्ष के गौरवमयी सेवा अवधि के दौरान आपको अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोमेन्डेशन कार्ड तथा आर्मी कमांडर कामेन्डेशन कार्ड से भी सम्मानित किया गया ।

1 जनवरी, 2021 से सिग्नल ऑफिसर इन चीफ का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व जनरल ऑफिसर मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, म्होव में 1 अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2022 के दौरान कमान्डेंट थे । उनका चयन 1 अगस्त, 2018 से 64वें कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ सिग्नल्स के लिए भी किया गया था ।

- वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में प्रतिभागिता : लागू नहीं
- 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कम्पनियों में निदेशक पद का धारण : शून्य
- 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अन्य कम्पनियों की समितियों में सदस्य / अध्यक्ष पद का धारण : शून्य
- वर्तमान तिथि के अनुसार धारित कम्पनी के शेयरों की संख्या : शून्य
- निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ परस्पर संबद्धता का प्रकटीकरण : शून्य

मद संख्या 6

डा. राजेश शर्मा, डीडीजी-एसयू, सरकारी निदेशक

डा. राजेश शर्मा भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) के 1988 बैच से है तथा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार में वर्तमान में उप महानिदेशक (सेवा यूनिट), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार में कार्यरत हैं । डा. शर्मा को दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के परिचालन, योजना तथा वायरलैस, वायरलाइन रोल आउट एवं दूरसंचार विभाग तथा भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्राडबैंड प्रौद्योगिकियों के कार्य में 30 से भी अधिक वर्षों का अनुभव प्राप्त है ।

डा. शर्मा ने इससे पूर्व प्रतिनियुक्ति आधार पर इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अध्याधीन नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन में निदेशक (क्षमता निर्माण) के पद पर कार्य किया जहां वे ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण एवं केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों में विभिन्न स्तरों का प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्य को संभालते थे ।

सूचना प्रणाली क्षेत्र (पीएचडी के समकक्ष) में भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के एक साथी, डॉ शर्मा ने एमडीआई गुड़गांव से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएम) और इंदौर विश्वविद्यालय से बीई (इलेक्ट्रॉनिक्स) की डिग्री भी प्राप्त की है।

डा. शर्मा के अनेक प्रकाशन है जिनमें विशेष उल्लेखनीय उनके अनुसंधान प्रपत्र, मामला अध्ययन एवं पुस्तक समीक्षाएं हैं जिनकी प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं में हुआ है। उनकी रूचि के क्षेत्र पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी स्वीकृति, अंतरसंक्रियता, हरित सूचना प्रौद्योगिकी, संस्तुति प्रणालियां, ज्ञान प्रबंधन, संवहनीयता एवं व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्निर्माण हैं।

- वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में प्रतिभागिता : 9
- 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कम्पनियों में निदेशक पद का धारण : 1
- 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अन्य कम्पनियों की समितियों में सदस्य / अध्यक्ष पद का धारण : टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड में ऑडिट कमेटी और सीएसआर कमेटी के सदस्य ।
- वर्तमान तिथि के अनुसार धारित कम्पनी के शेयरों की संख्या : शून्य
- निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ परस्पर संबद्धता का प्रकटीकरण : शून्य

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर,

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते आईटीआई लिमिटेड

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 07-10-2021

अनुबंध-ग

रिमोट ई-वोटिंग के उद्देश्य से शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नलिखित है

1. वोटिंग की अवधि दिनांक 6 नवंबर को पूर्वाह्न 10 बजे प्रारंभ होगी तथा दिनांक 9 नवंबर को अपराह्न 5 बजे समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान कटऑफ तिथि (रिकार्ड तिथि) दिनांक 4 नवंबर, 2021 के अनुसार कम्पनी के शेयरों का भौतिक अथवा डीमेट स्वरूप में धारण करने वाले शेयरधारक इलैक्ट्रानिक विधि से अपना वोट दे सकेंगे । इसके पश्चात मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा ।
2. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले ही अपना वोट दे चुके शेयरधारक बैठक स्थल पर वोट देने के पात्र नहीं होंगे ।
3. **सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफ डी/सीएमडी/सीआईआर/पी/ 2020/242 दिनांक 9.12.2020** के अनुसरण में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार सूचीबद्ध इकाईयों से अपने शेयरधारकों को, सभी शेयरधारक संकल्पों के लिए, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा दिए जाने की अपेक्षा की गई है। तथापि, ऐसा देखने में आया है कि पब्लिक गैर-संस्थानिक शेयरधारकों / रिटेल शेयरधारकों की उपस्थिति का स्तर नगण्य होता है।

   वर्तमान में, अनेकों ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता (ईएसपी) हैं जो भारत में सूचीबद्ध कम्पनियों को ई-वोटिंग की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए शेयरधारकों से ईएसपी के पास पंजीकरण करवाने एवं मल्टीप्ल यूजर आईडी एवं पासवर्ड तैयार करना अपेक्षित होता है।

   वोटिंग प्रक्रिया में सुगमता को और बढ़ाने के लिए, एक जन परामर्श के अनुसरण में, सभी डीमेट खाता धारकों को उनके डीमेट खाते / डिपोजिटरियों/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स की वेबसाइट के माध्यम से एकल लॉगिन विवरण ई-वोटिंग के उद्देश्य से प्रभावी करने का निर्णय लिया गया है। डीमेट खाता धारक अब अपना वोट ईएसपी के पास फिर से पंजीकरण किए जाने की आवश्यकता के बिना कर सकते हैं, जिससे, सत्यापन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से सम्पन्न हो सकेगी अपितु इससे ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेना भी सुगम हो सकेगा।
4. **सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफ डी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसम्बर, 2020** के उपबंधों के अनुसार डमैट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक अपना वोट डिपोजिटरी एवं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अनुरक्षित अपने डीमेट खाते के माध्यम से कर सकते हैं। शेयरधारकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नम्बर तथा ईमेल आईडी अपने डीमेट खाते में अपडेट करवा लें ।
5. सेबी के उपर्युक्त परिपत्र के अनुसरण में सीडीएसएल / एनएसडीएल के डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग एवं आभासी बैठक में भाग लेने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:-

   I. **सीडीएसएल के साथ डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक :**

      क. जिन उपयोक्ताओं ने सीडीएसएल इजी / इजियेस्ट सुविधा के विकल्प का चयन किया है वे अपने विद्यमान यूज़र आईडी एवं पासवर्ड के उपयोग से लॉगिन कर सकते हैं। आगे किसी अतिरिक्त सत्यापन के बिना ई-वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। इजी / इजियेस्ट के माध्यम से लॉगिन के लिए उपयोक्ता यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login है अथवा www.cdslindia.com पर विजिट करें तथा लॉगिन आइकॉन को क्लिक करके नए सिस्टम Myeasi का चयन करें।

      ख. इजी / इजियेस्ट में सफल लॉगिन करने के पश्चात उपयोक्ताओं के सम्मुख उन पात्र कम्पनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प प्रस्तुत होगा जहां कम्पनी से प्राप्त सूचना के अनुसार ई-वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात उपयोक्ता को ई-सेवा प्रदात्ता के लिए रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने अथवा आभासी बैठक में भाग लेने तथा बैठक के दौरान वोटिंग करने का ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। इसके अलावा, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ताओं यथा सीडीएसएल / एनएसडीएल / कार्वी / लिंकइनटाइम के सिस्टम को एस्सेस करने के लिए लिंक उपलब्ध है जिनके उपयोग से उपयोक्ता ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता की वेबसाइट पर सीधे पहुंच सकते हैं।

      ग. यदि उपयोक्त इजी / इजियेस्ट सुविधा के विकल्प के लिए पंजीकृत नहीं है तो यह पंजीकरण https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर किया जा सकता है ।

      घ. इसके विकल्प के तौर पर उपयोक्ता सीधे अपना डीमेट खाता नम्बर और पैन नम्बर देकर www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध अथवा https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin पर क्लिक करके ई-वोटिंग पेज सीधे एस्सेस कर सकते हैं। सिस्टम' से पंजीकृत मोबाइल नम्बर डीमेट में रिकार्ड ईमेल पते पर ओटीपी भेजकर सत्यापन किया जाएगा। सफल सत्यापन के पश्चात, उपयोक्ता को ई-वोटिंग विकल्प उपलब्ध होगा जहां ई-वोटिंग की प्रक्रिया जारी है तथा वे सिस्टम पर सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ताओं को सीधे एस्सेस कर सकेंगे।

   II. **एनएसडीएल के साथ डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक**

      क. यदि आप एनएसडीएल की आइडिया सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेस पर विजिट करें। इस यूआरएल : https://eservices.nsdl.com को अपने पर्सनल कम्प्यूटर अथवा मोबाइल पर टाइप करके वेब ब्राउजर ओपन करें। होम पेज पर ई-सर्विसेस लांच होने के पश्चात ''आइडिया'' सेक्शन में ''लॉगिन'' के अंतर्गत दिए गए ''बेनिफिशयल ओनर'' पर क्लिक करें । एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भरना होगा। सफल सत्यापन के पश्चात, आप ई-वोटिंग सेवाएं देख सकेंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत ''एस्सेस टू ई-वोटिंग'' पर क्लिक करें, आपको ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। कम्पनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता के नाम पर क्लिक करने के पश्चात आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता की वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने अथवा आभासी बैठक में भाग लेने अथवा बैठक के दौरान वोट डालने के लिए रि-डायरेक्ट किया जाएगा।

      ख. यदि उपयोक्ता आइडिया सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com. पर उपलब्ध है। ''आइडिया के लिए आनलाइन पंजीकरण'' अथवा https://eservices/nsdl.com@SecureWeb/ideasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।

      ग. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें। इस यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ को अपने पर्सनल कम्प्यूटर अथवा मोबाइल पर टाइप करें। सिस्टम में ई-वोटिंग होमपेज लांच होने के पश्चात ''लॉगिन'' आइकन पर क्लिक करें जो ''शेयरधारक/सदस्य'' खंड के अंतर्गत दिया गया है। एक नई स्क्रीन ओपन होगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ आपका 16 अंकों का डीमेट खाता नम्बर), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दिया गया सत्यापन कोड भरना होगा। सफल सत्यापन के पश्चात आपको एनएसडीएल डिपोजिटरी की साइट पर रि-डायरेक्ट किया जायेगा जहां आपको ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। कम्पनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता के नाम

पर क्लिक करें, आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता की वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने अथवा आभासी बैठक में भाग लेने अथवा बैठक के दौरान वोट डालने के लिए रि-डायरेक्ट किया जाएगा।

III. **वैयक्तिक शेयरधारक (डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले) डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से लॉगिन**

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमेट खाते के लॉगिन विवरण का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के पश्चात आपको ई-वोटिंग पृष्ठ दिखाई देगा। ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपको सफल सत्यापन करने पर एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपोजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट किया जाएगा जहां ई-वोटिंग के लिए फीचर्स आपको उपलब्ध होंगे। कम्पनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता के नाम पर क्लिक करने के पश्चात आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता की वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने अथवा आभासी बैठक में भाग लेने अथवा बैठक के दौरान वोट डालने के लिए रि-डायरेक्ट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य अपना यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें ऊपर उल्लिखित वेबसाइटों पर फॉरगेट यूजर आईडी एवं फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करना चाहिए।

डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपोजिटरी अर्थात सीडीएसएल एवं एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन करने से संबंधित किसी तकनीकी समस्या के लिए हैल्पडेस्क

i. **सीडीएसएल के साथ डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले शेयरधारक**

लॉगिन से संबंधित किसी तकनीकी समस्या की सहायता के लिए सदस्य अपना अनुरोध helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेज सकते हैं अथवा 022-23058738 एवं 022-23058542-43 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ii. **एनएसडीएल के साथ डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले शेयरधारक**

सीडीएसएल के साथ डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले शेयरधारक लॉगिन से संबंधित किसी तकनीकी समस्या की सहायता के लिए सदस्य अपना अनुरोध evotingnsdl.co.in पर भेज सकते हैं अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 1020 990 तथा 1800 224430 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

IV **डीमैट फॉर्म में व्यक्तिगत होल्डिंग के अलावा भौतिक शेयरधारकों और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि ।**

क) शेयरधारक www.evotingindia.com पर सी.डी.एस.एल. की ई-मतदान वेबसाइट में लॉग ऑन करें

ख) शेयरहोल्डर्स टैब पर क्लिक करें।

ग) अपने यूजर आई डी को प्रविष्ट कीजिए।

(अ) सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों का लाभार्थी आईडी,

(ब) एनडीएसएल के लिए: 8 संप्रतीक का डीपी आईडी तथा 8 अंक का ग्राहक आईडी,

(स) शेयरों को वास्तिक रूप में धारित करने वाले शेयरधारक कंपनी में दर्ज फोलियो संख्या दर्ज करें।

घ) अब प्रदर्शित छाप सत्यापन प्रविष्ट करें तथा लॉगिन पर क्लिक करें ।

ड़) यदि आपका शेयर डीमैट रूप में है और www.evotingindia.com पर लॉग ऑन हैं तथा किसी कंपनी में पहले ही वोट दिये हैं तो अपना वर्तमान पासवर्ड इस्तेमाल करें ।

च) यदि आप प्रथम बार के प्रयोक्ता हैं तो निम्न चरणों का अनुगमन करें :

भौतिक शेयरधारकों और डीमैट में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य के लिए :

पैन - आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंक का अल्फा-न्यूमरिक पैन डालें (डीमैट तथा प्रत्यक्ष दोनों शेयरधारकों के लिए लागू)

जिन शेयरधारकों ने कॅम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए या संपर्क कंपनी/आरटीए द्वारा भेजी गई अनुक्रम संख्या का उपयोग करें

लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी) - लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) दर्ज करें ।

यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास दर्ज नहीं हैं, तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो नंबर दर्ज करें ।

6. इन विवरणों को समुचित रूप से भरने के उपरांत SUBMIT टैब पर क्लिक करें ।

7. अब, प्रत्यक्ष रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारक कंपनी चयन स्क्रीन पर सीधे पहुंच जाएंगे । तथापि, डीमैट रूप में शेयरधारक अब Password Creation मेनू में पहुंच जाएंगे, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड नये पासवर्ड क्षेत्र में डालें । कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के संकल्प प्रस्ताव के लिए वोट हेतु, जिसके लिए वे वोट देने के पात्र हैं, इसी पासवर्ड का प्रयोग किया जाना है बशर्ते वह कंपनी सीडीएसएल प्लेट फार्म के माध्यम से ई-वोट का चयन करे । इसकी सख्त सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें ।

8. प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, सूचना में निहित संकल्प प्रस्ताव पर ई-वोट के लिए ही विवरण का प्रयोग करें ।

9. जिसे आपने वोट करने के लिए चुना हैं, आईटीआई लिमिटेड हेतु ईवीएसएन पर क्लिक करें ।

10. वोट पृष्ठ पर आप RESOLUTION DESCRIPTION देखेंगे और इसके सापेक्ष वोट देने के लिए YES/NO विकल्प होगा । अपनी इच्छानुसार YES अथवा NO विकल्प का चयन करें । YES विकल्प इंगित करता है कि आप प्रस्ताव से सहमत हैं तथा NO विकल्प इंगित करता है कि आप प्रस्ताव से असहमत हैं ।

11. यदि आप पूरा प्रस्ताव विवरण देखना चाहते हैं तो RESOLUTIONS FILE LINK पर क्लिक करें ।

12. अपने द्वारा निर्णीत प्रस्ताव के चयन के उपरांत SUBMIT पर क्लिक करें । एक संपुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा । यदि आप अपने वोट को संपुष्ट करना चाहते हैं तो OK, पर क्लिक करें अन्यथा अपने वोट को बदलने के लिए CANCEL पर क्लिक कर तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें ।

13. एक बार आप प्रस्ताव पर अपने वोट को CONFIRM कर लेते हैं तो पुन: इसके संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

14. आप वोट पृष्ठ पर Click here to print विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा दिये गये वोट का प्रिन्ट ले सकते हैं ।

15. यदि डीमैट खाताधारक अपना लॉगइन पासवर्ड भूल जाते हैं तो यूजर आईडी तथा प्रतिबिंब सत्यापन कोड में प्रवेश कर, Forgot Password पर क्लिक करें तथा सिस्टम द्वारा मांगे गये विवरण को भरें ।

16. शेयरधारक सीडीएसएल के मोबाइल ऐप M-वोटिंग का उपयोग करके भी अपना वोट डाल सकते हैं। M- वोटिंग ऐप को संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अपने मोबाइल पर मतदान करते समय कृपया मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें।

ऐसे शेयरधारक, जिनके ईमेल एड्रेस इस सूचना में प्रस्तावित संकल्पों के लिए ई-मतदान करने हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए डिपोज़िटरियों के पास दर्ज नहीं हैं, के लिए प्रक्रिया -

1. वास्तविक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए कृपया

आर.टी.ए. / कंपनी की ईमेल आईडी में फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रणामित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रणामित स्कैन की गई प्रति) जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करें।

2. अप्रत्यक्षीकृत रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए – कृपया आर.टी.ए. / कंपनी की ईमेल आईडी में डीमैट खाते के विवरण (सी.डी.एस.एल.-16 अंकों का हितलाभी आई.डी. या एन.एस.डी.एल.-16 अंकों की डीपी आईडी + सीएल आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रणामित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) की प्रति के विवरण प्रदान करें।

वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. द्वारा ए.जी.एम. में शामिल होने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश इस प्रकार हैं -

1. शेयरधारकों को सी.डी.एस.एल. की ई-सुदूर प्रणाली द्वारा वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में शामिल होने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक सुदूर ई-मतदान के विवरण का उपयोग करते हुए शेयरधारकों / सदस्यों के लॉगिन के तहत https://www.evotingindia.com में इस सुविधा को देख सकते हैं। वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. का लिंक शेयरधारक / सदस्य के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी का ई.वी.एस.एन. प्रदर्शित होता है।
2. वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में शामिल होने की सुविधा ए.जी.एम. के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले शुरु की जाएगी जो सदस्यो के लिए पहले आओ, पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगी।
3. शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप / आई पैड द्वारा बैठक में शामिल हों।
4. इसके अलावा, शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए कैमेरा और अच्छी स्पीड के इंटरनेट का उपयोग करना होगा।
5. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए कनेक्ट होने वाले लैपटॉप से जुड़ने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो में बाधा हो सकती है। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि वे स्थिर वाइ-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें ताकि इस तरह का व्यवधान कम हो।
6. जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार रखना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उल्लेख करते हुए बैठक से 7 दिन पहले अग्रिम रूप से अपना अनुरोध cosecy_crpitiltd.co.in में भेजते हुए स्वयं को स्पीकर के रूप में दर्ज कराएँ।
7. जो शेयरधारक ए.जी.एम. के दौरान कुछ बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन कुछ पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उल्लेख करते हुए बैठक से 7 दिन पहले अग्रिम रूप से अपना अनुरोध cosecy@crpitiltd.co.in में भेजें। उनके प्रश्नों के उत्तर कंपनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से दिए जाएँगे।
8. ऐसे शेयरधारक जिन्होंने स्पीकर के रूप में स्वयं को दर्ज कराया है, केवल उन्हें बैठक के दौरान अपने विचार / प्रश्न रखने की अनुमति होगी। कंपनी ए.जी.एम. में समय की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए स्पीकरों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

ए.जी.एम. के दौरान ई-मतदान के लिए शेयरधारकों को अनुदेश इस प्रकार हैं -

1. ए.जी.एम. के दिन ई-मतदान की प्रक्रिया सुदूर ई-मतदान के लिए ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के समान होगी।
2. केवल ऐसे शेयरधारक जो वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. की सुविधा द्वारा ए.जी.एम. में उपस्थित होंगे और जिन्होंने सुदूर ई-मतदान द्वारा संकल्पों पर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है और जो अन्यथा ऐसा करने के लिए बाधित नहीं किए गए हैं, ए.जी.एम. के दौरान उपलब्ध ई-मतदान सुविधा के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
3. यदि ए.जी.एम. के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई मतदान किया जाता है और ऐसे शेयरधारकों ने वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. सुविधा द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा किए गए मतदान को अवैध माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल ऐसे शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगी जो बैठक में शामिल हुए हैं।
4. जिन शेयरधारकों ने सुदूर ई-मतदान द्वारा मतदान किया है, वे ए.जी.एम. में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। बहरहाल, वे ए.जी.एम. में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
5. **गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए टिप्पणी**
   - गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (जैसे व्यक्ति, एच.यू.एफ., एन.आर.आई. आदि के अलावा) और अभिरक्षकों को www.evoting@india.com में लॉग ऑन करना होगा और स्वयं को कार्पोरेट मॉड्यूल में दर्ज कराना होगा।
   - पंजीकरण फॉर्म की स्कैन की गई प्रति जिसमें निकाय की मोहर और हस्ताक्षर होंगे, को ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com में भेजी जाएगी।
   - लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद, एडमिन के लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कमप्लायंस यूज़र बनाया जाएगा। कमप्लायंस यूज़र उस खाते / उन खातों को लिंक करेंगे जिनके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।
   - लॉगिन से जुड़े खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com में मेल की जाएगी और खातों को अनुमोदित किए जाने पर वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
   - मंडल के संकल्प और मुख्तारनामे (पी.ओ.ए.) जिसे उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन की गई प्रति सत्यापन करने के लिए सिस्टम में पीडीएफ फार्मेट में संवीक्षक के लिए अपलोड की जाएगी।
   - वैकल्पिक रूप से, गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी, जो मतदान करने के लिए प्राधिकृत हैं, की अनुप्रमाणित नमूने के हस्ताक्षर के साथ मंडल के संबंधित संकल्प / प्राधिकरण पत्र संवीक्षक और कंपनी को इमेल एड्रेस cosecy_crp@itiltd.co.in पर भेजना होगा, यदि उन्होंने वैयक्तिक टैब से मतदान किया है और उसका सत्यापन कराने के लिए संवीक्षक हेतु सी.डी.एस.एल. की ई-मतदान प्रणाली में अपलोड नहीं किया है ।
6. यदि आप ई-मतदान के संबंध ममें कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो www.evotingindia.com में सहायता खंड में उपलब्ध फ्रीक्वेंटी आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफ.ए.क्यू.) और ई-मतदान मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल भेज सकते हैं या 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं।
7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदन करने की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें या जिन सदस्यों को ए.जी.एम. से पहले या उसके दौरान किसी तकनीकी सहायता की ज़रूरत हो, वे श्री राकेश दलवी, प्रबंधक (सी.डी.एस.एल.), सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 215वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मतलाब मिल कँमाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 से संपर्क कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं या 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं।

अन्य अनुदेश

1. संवीक्षक ए.जी.एम. में मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद, सबसे पहले ए.जी.एम. में किए गए मतदान की गणना करेंगे और उसके बाद सुदूर ई-मतदान द्वारा किए गए मतों को खोलेंगे और ए.जी.एम. समाप्त होने के अधिकतम 48 घंटों के भीतर पक्ष और विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट अध्यक्ष को या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति, जो रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे, को पेश करेंगे।
2. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.itiltd.in पर और सी.डी.एस.एल. की वेबसाइट ww.evotingindia.com पर तुरंत डाले जाएँगे। इसके साथ ही कंपनी परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बी.एस.ई. लिमिटेड, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को अग्रेषित करेगी।

दस वर्ष के संक्षिप्त आंकड़े

करोड़ रु. में

परिचालन परिणाम	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
सेवाओं सहित बिक्री	2578	2403	1894	1703	1611	1253	620	770	921	993
स्टॉक में अभिवृद्धि / (ह्रास)	9	40	11	(12)	18	0	(2)	(2)	(11)	3
उत्पादन मूल्य	2586	2444	1905	1691	1629	1253	618	768	910	996
अन्य आय**	161	184	336	381	542	598	86	40	33	34
प्रत्यक्ष सामग्री	446	508	605	545	605	670	185	137	235	315
संस्थापन एवं अनुरक्षण पर प्रभार	1,472	1114	784	526	642	318	214	382	409	422
कर्मचारी लागत **	290	231	204	226	301	332	321	337	393	402
मूल्याह्रास	42	42	37	25	17	13	15	17	18	21
वित्तपोषण व्यंय	160	141	106	153	153	157	157	122	85	85
स्थापना और रखरखाव को छोड़कर अन्य आय पर कम शुल्क	327	445	412	367	187	124	110	159	163	154
लाभ	11	147	93	230	266	238	(298)	(346)	(360)	(369)
पूर्व अवधि समायोजन	-	-	-	-	-	-	1	2	48	(1)
असाधारण मद	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-
कराधन के पहले लाभ	11	147	93	230	266	238	(297)	(344)	(182)	(370)
कर / आस्थगित कर / एम आरबी के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े : पिछले वर्षों हेतु प्रस्ता वित कर अधिक समय के लिए आवश्य क नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कराधन के बाद लाभ	11	147	93	230	266	238	(297)	(344)	(182)	(370)
अन्य व्यापक आय	20	4	18	5	39	17	-	-	-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (व्यापक लाभ/ (हानि)										
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय)	31	151	111	235	305	255	-	-	-	-

वित्तीय स्थिति	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
इक्विटी	934	925	897	760	560	288	288	288	288	288
अधिमान शेयर *	-	-	-	-	-	-	300	300	300	300
अधिमान शेयर आवेदन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पैसा प्राप्त आबंटन लंबित	-	-	55	137	-	192	192	-	-	-
आरक्षित निधि तथा अधिशेष	5731	5613	2847	2824	2814	2769	2735	2718	2709	2700
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	0	0	2335	2339	2348	2354	2360	2374	2390	2406
बट्टे खाते में डाले गए विविध व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभ और हानि लेखा (नामे)	4244	4255	4340	4432	4663	4929	5166	4869	4527	4345
निवल मूल्य निधि पुनर्मूल्यांतकन आरक्षित के साथ बट्टे खाते में डाले गए डीआरई पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	2420	2282	1794	1628	1059	674	713	819	1172	1413
निवल मूल्य निधि सहायता अनुदान	2420	2282	(541)	(711)	(1289)	(1680)	(1647)	(1555)	(1218)	(993)
	-	-	-	-	-	-	4	8	12	64
बांड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य उधार और ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
सकल ब्लाक नं.	1164	1036	959	926	879	839	921	876	606	483
मूल्य ह्रास	2864	2814	2775	2663	2524	3737	3690	3696	3695	3691
निवल ब्लॉक	163	121	80	43	18	1279	1267	1243	1210	1175
पूँजीगत चालू वर्ष	2700	2693	2695	2620	2506	2458	2423	2453	2485	2516
परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम: (चालू और गैर-चालू)	169	189	165	149	102	92	33	21	1	2
मालसूची	194	173	149	156	142	104	93	96	105	113
देनदार	2905	3120	2659	3086	2196	2743	2219	2152	4067	4268
अन्य	2907	1508	1292	996	566	436	572	366	348	333
कुल	6006	4801	4100	4238	2904	3283	2884	2614	4520	4714

वर्ष 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13 और 2011-12 के उत्पाद शुल्क और सेवाएं कर, कुल बिक्री और उत्पादन मूल्य, के साथ सम्मिलित है, जबकि शेष वर्षों के लिए केवल उत्पाद शुल्क सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए उत्पादन का कुल बिक्री और मूल्य में केवल जीएसटी शामिल है।

* 2012-13 के कुछ आंकड़ों को संशोधित अनुसूची-III के अनुसार पुर्नवर्गीकृत किया गया है ।

** भारत सरकार से प्राप्त वित्त पोषित वीआरएस के खाते में वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 66.75 करोड़ रुपये, 4.39 करोड़ रुपये, 2.86 करोड़ रुपये और 33.72 करोड़ रुपये कर्मचारियों की लागत और अन्य आय शामिल हैं।

*आईएनडी एएस कार्यान्वयन के कारण 01.04.2016 से, खातों की किताबों में समेकित लागत के रूप में शुद्ध वाहक मूल्य लिया गया है ।

**वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार संशोधित आंकड़े।

? in Crores

वित्तीय स्थिति	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
देयता और प्रावधान (चालू और गैर-चालू)	4991	4185	3907	4153	3274	4021	3406	3393	5227	5335
कार्यशील पूँजी	(329)	(456)	(498)	(642)	(1054)	(1478)	(1311)	(1501)	(1259)	(621)
प्रयुक्त पूँजी (निवल स्थाायी परिसंपत्तियाँ + कार्यशील पूँजी)	2372	2237	2197	1978	1452	980	1112	952	1226	1895
निधियों के स्रोत :										
शेयरधारकों का निधि	2420	2282	1794	1628	1059	674	713	819	1172	1413
उधार	1464	1216	1259	1226	1179	1139	1223	876	608	485
निवल गैर चालू देयताएं	(178)	(36)	268	199	195	98	131	155	57	-
आस्थगित कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	3706	3462	3321	3053	2433	1911	2067	1850	1837	1898
निधि का विनियोग										
निवल स्थाई परिसंपत्तियाँ	2700	2693	2695	2620	2506	2458	2423	2453	2485	2516
कार्यशील पूँजी (नकदी ऋण के अलावा)	836	579	460	283	(176)	(640)	(390)	(625)	(650)	(621)
पूँजीगत चालू कार्य	169	189	165	149	102	92	33	21	1	2
निवेश	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
कुल	3706	3462	3321	3053	2433	1911	2067	1850	1837	1898

वित्तीय अनुपात	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
कार्यशील पूँजी अनुपात										
चालू अनुपात	0.95:1	0.91:1	0.89:1	0.87:1	0.73:1	0.69:1	0.66:1	0.62:1	0.75:1	0.88:1
उत्पादन मूल्य के माह की सं. में कार्यशील पूँजी	**लागू नहीं**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्पादन मूल्य के माह की सं. में कार्यशील	0.90	0.85	0.94	1.11	1.05	1.00	1.81	1.50	1.38	1.36
विक्रय और सेवाओं के माह में देनदार (अग्रिम का निवल)	8.38	12.26	12.85	16.31	14.13	18.28	38.76	30.22	30.18	30.89
कार्यशील पूँजी से कुल परिसंपत्तियाँ। (%)	**लागू नहीं**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्रत्यक्ष सामग्री की लागत से उत्पादन मूल्य उत्पाद शुल्क सहित (%)	17.24	20.78	31.76	32.23	37.14	53.47	29.94	17.84	25.82	31.63
प्रत्यक्ष सामग्री की लागत एवं संस्थापन प्रभार से उत्पादन मूल्य उत्पाद शुल्क सहित (%)	74.16	66.34	72.91	63.34	76.55	78.85	64.56	67.58	70.77	74.00
शेयरपूंजी अनुपात को ऋण	0.61	0.60	2.88	3.30	-	-	-	-	-	-
इक्विटी (आरओई)/ शुद्ध मूल्य अनुपात पर वापसी	0.005	0.03	(0.17)	(0.14)	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ मार्जिन (%)	0.47%	7.16%	5.55%	6.82%	-	-	-	-	-	-
देनदारी/ प्राप्य कुलबिक्री अनुपात	0.78	0.71	0.58	0.54	-	-	-	-	-	-
इन्वेंट्री कुल बिक्री अनुपात	12.53	11.82	11.90	9.48	-	-	-	-	-	-
ब्याज कवरेज/ऋण सेवा कवरेज अनुपात	1.08	1.49	1.01	1.01	-	-	-	-	-	-
परिचालन लाभ मार्जिन(%)	2.67%	7.82%	1.00%	-3.25%	-	-	-	-	-	

वित्तीय अनुपात	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
संवृद्धि अनुपात :										
उत्पादन मूल्य में वार्षिक संवृद्धि (%)	5.84	28.28	12.66	3.81	30.01	102.75	(19.53)	(15.60)	(8.63)	(51.46)
सकल निरुद्ध पूँजी में वार्षिक संवृद्धि पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर (%)	1.77	539.55	35.80	84.09	(87.27)	3.98	(0.58)	0.10	0.39	0.68

अन्य आंकड़े	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
कुल विक्रय संघटन										
बीएसएनएल / एमटीएनएल और अन्य संस्थान	237	309	974	1188	1083	592	239	260	181	206
अन्य	2341	2094	920	515	528	661	381	510	740	787
कुल	2578	2403	1894	1703	1611	1253	620	770	921	993
मूल्य वृद्धि	437	463	276	324	283	177	153	164	166	164
31 मार्च तक कार्मिकों की संख्या	2876	3498	3520	3576	4052	5229	6177	7311	8516	9512
प्रति कार्मिक मूल्य वृद्धि (₹)	1372735	1319464	777903	849502	609848	310363	226868	207241	184158	162957
प्रति कार्मिक उत्पाकदन वृद्धि (₹)	?)8115593	6964213	5369222	4433665	3510398	2197089	916370	970493	1009541	989666

$ 1. सरकारी अनुदान का अनुचित हिस्सा (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अनुसार) को अन्य इक्विटी से अलग वर्गीकृत किया जाता है और गैर-मौजूदा देनदारियों के रूप में दिखाया जाता है।

2. चूंकि वरीयता शेयर गैर परिवर्तनीय और अतिदेय हैं, वही शेयर पूंजी से हटा दिया गया है और वर्तमान वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। (कोष्ठक में प्रस्तुत आंकड़े ऋणात्मक आंकड़े है)

आँकड़े एक झलक

करोड़ रु. में

तुलन पत्र	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
(क) कंपनी स्वामित्व की संपत्तियाँ				
स्थाई परिसंपत्तियाँ		2863		2814
घटाएं : मूल्यह्रास		163		121
निवल ब्लाक		2700		2693
पूँजीगत चालू कार्य		169		189
निवेश				
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	5653		4441	
घटाएं : चालू देयताएं	5970	(317)	4898	(457)
जोड़े: गैर-चालू परिसंपत्तियाँ,		353		359
		2905		2784
(ख) घटाएं कंपनी की देनदारियाँ				
गैर चालू देयताएं		485		502
(ग)शेयरधारकों की निधि (क)-(ख)		2420		2282
निम्नालिखित द्वारा अधिशेष :				
शेयर पूँजी		934		925
आरक्षित निधि तथा अधिशेष	3275		3176	
पुनर्मूल्यां कन आरक्षित				
अनुदान सहायता			0	
घटाएं : लाभ और हानि खाता (डेबिट)	1789		1819	
		1,486		1,357
		2,420		2,282

लाभ और हानि लेखा	31 मार्च, 2021 को समाप्तल वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्तल वर्ष के लिए
(क) कंपनी अर्जन		
सेवाओं सहित विक्रय (जीएसटी सहित)	2,578	2,403
अन्य आय*	161	184
प्रक्रियाधीन कार्य भंडार माल		
और विनिर्मित घटक में वृद्धि / (ह्रास)	9	40
	2,748	2,627
(ख) कंपनी का व्यय		
सामग्री	1,918	1,621
कर्मचारी लागत*	290	231
मूल्याह्रास	42	42
वित्तपोषण व्यय	160	141
अन्यत व्यय (जीएसटी सहित)	327	445
	2,737	2,480
(ग) कर (क-ख) पूर्व लाभ/(हानि)	11	147
(घ) घटाएं : कराधान का प्रावधान	0	0
(ङ) कर के बाद लाभ**	11	147
(च) अन्य व्यापक आय	20	4
(छ) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (व्यापक लाभ/(हानि) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय)	31	151

* कर्मचारियों की लागत और अन्य आय में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 66.75 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 4.39 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्तव वित्त पोषित अन्य आय शामिल हैं ।

**11 करोड़ रुपए का लाभ और 147 करोड़ रुपए लाभ क्रमश: शून्य करोड़ रुपए और अनुदान में 85.40 रुपए की सहायता के बिना है।

करोड़ रु. में

निधियों के स्रोत और उपयोग	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
निधियों के स्रोत		
1. मूल्यह्रास	42	42
2. उधार में वृद्धि	129	77
3. कार्यशील पूँजी में कटौती	0	0
4. प्राप्त राजस्व अनुदान सहायता	67	0
5. प्राप्त पूँजीगत अनुदान सहायता	105	414
6. गैर-चालू देयताओं में वृद्धि	0	0
7. गैर मौजूदा परिसंपत्ति में कमी	7	0
8. क) कर पूर्व लाभ*	11	147
ख) अन्य व्यापक आय	20	4
	314	684
निधियों के उपयोग		
1. करोपरांत हानि	0	0
2. उधार में कमी	0	0
3. कार्यशील पूँजी में वृद्धि	267	118
4. स्थाई परिसंपत्तियाँ	31	71
5. प्रयुक्त पूँजीगत सहायता अनुदान	0	69
6. प्रयुक्त राजस्व सहायता अनुदान	0	0
7. गैर चालू देयताओं में कमी	16	68
8. गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों में वृद्धि	0	358
	314	684

नोट :

*11 करोड़ रुपए का लाभ और 147 करोड़ रुपए लाभ क्रमश: शून्य करोड़ रुपए और अनुदान में 85.40 रुपए की सहायता के बिना है।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपका निदेशक मंडल आपके सम्मुख 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कम्पनी व्यवसाय परिचालनों के संबंध के संबंध में 71वीं निदेशक रिपोर्ट की सहर्ष प्रस्तुति कर रहा है।

आईटीआई लिमिटेड के लिए फरवरी 2014 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित 4156.79 करोड़ रुपए (अनुदान के रूप में 1892.79 करोड़ रुपए और इक्विटी के लिए कैपेक्स निधि के रूप में 2264 करोड़ रुपए) का पुनरुद्धार पैकेज, कंपनी के कायाकल्प में काफी सहायक हुआ है। समस्त सहायता अनुदान प्राप्त हो गया है। आईटीआई को वित्तीय वर्ष 2020-21 तक केपेक्स निधि के 874 करोड़ रुपए किश्तों में प्राप्त हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 105 करोड़ रुपएकी कैपेक्स निधि प्राप्त हुई थी। कैपेक्स निधि के 80 करोड़ रुपए के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में किए गए हैं।

कैपेक्स निधि का निवेश दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी उत्पादों, सेवाओं और समाधानों के क्षेत्र की उदयीमान प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से आईटीआई की विभिन्न यूनिटों में विनिर्माण अवसंरचना उन्नयन के लिए किया गया है। पुनरुद्धार पैकेज निधि के अंतर्गत स्थापित अत्याधुनिक अवसंरचना से भारत सरकार के मेक इन इंडिया मिशन की अनुरूपता के अनुसार घरेलू बाजार की मांग की पूर्ति के लिए विनिर्माण क्षमता में संवर्धन हुआ है। ये परियोजनाएं आईटीआई लिमिटेड के लिए अपनी विनिर्माण शक्ति को पुन: प्राप्त करने में सहायक बनी हैं।

कंपनी का निष्पादन निरंतर सुधर रहा है और वित्तीय वर्ष 2017-18 से किसी भी सरकारी अनुदान के बिना लाभ की घोषणा की जा रही है। वर्ष 2019-20 से कंपनी की निवल सम्पति सकारात्मक हो गई है।

वित्तीय निष्पादन

पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी का निष्पादन (एकल आधार) निम्नलिखित है:

रुपए करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	2020-21	2019-20
1	सेवाओं सहित बिक्री	2578	2403
2	उत्पादन मूल्य	2586	2443
3	कर पूर्व (लाभ)/हानि	11	147
4	कर पूर्व (हानि)/लाभ	11	147
5	अन्य व्यापक आय	20	4
6	योग व्यापक आय	31	151
7	वित्तीय व्यय	160	141
8	मूल्यह्रास	42	42
9	नियोजित पूंजी (निवल स्थिर परिसम्पतियां + कार्यशील पूंजी)	2372	2236
10	अनुसंधान एवं विकास व्यय	11	14

समेकित निष्पादन

परिचालनों से समेकित राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 14.73% बढ़कर 2362.18 करोड़ रुपए हो गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कर पश्चात लाभ पिछले वर्ष के 147.48 करोड़ रुपए की तुलना में 11.20 करोड़ रुपए था।

परिचालन निष्पादन

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त 2403 करोड़ रुपए की टर्नओवर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2578 करोड़ रुपए (कर सहित) की टर्नओवर प्राप्त की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह टर्नओवर पिछले ग्यारह वर्षों में प्राप्त सर्वोच्च टर्नओवर है।

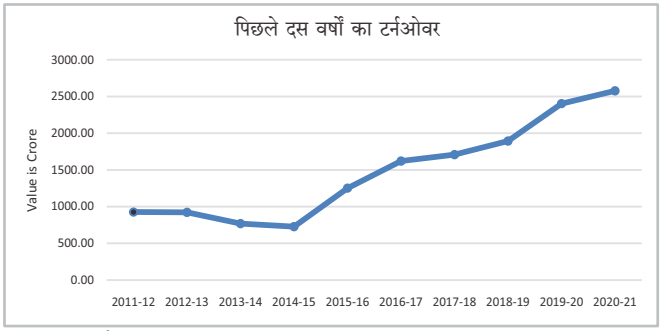

मुख्य आकर्षण :

- वित्तीय वर्ष 2020-21 की टर्नओवर मुख्यत: निम्नलिखित के निष्पादन से प्राप्त हुई है :
  - I. टर्नकी परियोजनाएं अर्थात भारतनेट चरण II परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, संघशासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह ब्राडबैंड सम्पर्कता उपलब्ध करवाना, रक्षा के लिए एस्कॉन चरण-IV परियोजना एवं नेटवर्क फार स्पैक्ट्रम परियोजना।
  - II. एचडीपीई (उच्च घनत्व वाली पॉलिथिलिन) डक्ट्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), मल्टी कैपेसिटी एनक्रिप्शन यूनिटें (एमसीईयू) का निर्माण एवं आपूर्ति, आईपी एनक्रिप्टर्स की आपूर्ति, मिनी पीसी की आपूर्ति, सौर संयंत्रों का निर्माण, सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स इत्यादि की आपूर्ति।
  - III. सेवा क्षेत्र अर्थात एएससीओएन (एस्कॉन)उपकरणों के लिए एएमसी, रक्षा उपकरणों की एएमसी, बीएसएनएल एवं एमटीएनएल से एमएलएलएन उपकरणों की एएमसी के लिए व्यवसाय, दक्षिण क्षेत्र में नियोजित एनजीएन,ओसीबी, जीएसएम उपकरण, वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना और कमीशनिंग, डेटा सेंटर से व्यवसाय, ई-गवर्नेंस और आधार आधारित सेवाएं, 3 डी प्रिंटिंग सेवाएं, कम्पोनेंट स्क्रीनिंग, वीएसएससी के लिए मॉड्यूल असेंबली और परीक्षण सेवाएं, भारतनेट चरण II परियोजनाओं के लिए उड़ीसा, झारखंड और पूर्वोत्तर सहित विभिन्न अन्य राज्यों में तृतीय पक्षकार ऑडिट (टीपीए) शामिल है। टर्नओवर में कॉर्पोरेट विपणन एवं विपणन सेवाओं तथा परियोजनाओं (एमएसपी) से उत्पन्न व्यवसाय भी शामिल है।
- कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एएससीओएन) चरण IV परियोजना के मेगा ऑर्डर के निष्पादन के लिए 7,796.39 करोड़ रुपए (कैपेक्स एवं ओपेक्स) के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें विभिन्न साइटों पर संपूर्ण अवसंरचना के निर्माण और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क रोल आउट के लिए दूरसंचार उपकरण, एनएमएस, मोबाइल नोड्स का संस्थापन, कमीशनिंग और अनुरक्षण तथा सिविल कार्य किया जाना शामिल है। इस परियोजना में उत्तरी, पूर्वोत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तारित माइक्रोवेव रेडियो एवं सेटेलाइट के साथ आईपी एमपीएलएस आधारित संचार नेटवर्क शामिल है। परियोजना का कार्यान्वयन तीन वर्ष में पूरा किया जाना है और उसके पश्चात इसे दो साल की वारंटी सहित दस साल तक इसका रखरखाव करना है।

- इसरो के नेतृत्व में देश के अंतरिक्ष मिशन से जुड़ना आईटीआई लिमिटेड के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। इसरो द्वारा 17 दिसंबर 2020 को पीएसएलवी सी-50 और 28 फरवरी 2021 को पीएसएलवी सी-51 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जिसमें आईटीआई लिमिटेड, पालाक्काड संयंत्र द्वारा असेम्बल एवं परीक्षण किए गए 110 उड़ान पैकेज थे।
- आईटीआई लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास की प्रमुख / विशिष्ट शक्ति एनक्रिप्टर उत्पाद हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न रक्षा एवं सरकारी क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के एनक्रिप्टरों अर्थात मल्टी-कैपेसिटी एनक्रिप्टर यूनिट (एमसीईयू), आईपी एनक्रिप्टर, टर्मिनल एंड गोपनीय डिवाइस (टीएसईडी), सिक्योर फैक्स इत्यादि के डिजाइन, विकास, निर्माण एवं आपूर्ति के कार्य सम्पन्न किए हैं।
- आईटीआई लिमिटेड को तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टैनफिनेट) से पैकेज - डी के अंतर्गत तमिलनाडु में भारतनेट चरण- II के लिए योजना, सर्वेक्षण, आपूर्ति, संस्थापन, कमीशनिंग, परीक्षण, एंड टू एंड इंटीग्रेशन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (ओएफएन) और इलेक्ट्रॉनिक्स के परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए कार्य अवार्ड पत्र (एलओए) प्राप्त हुआ है। कार्य अवार्ड पत्र का मूल्य लगभग 432.96 करोड़ रुपए है।
- आईटीआई डाटा सेंटर पिछले 12 वर्षों से कार्यात्मक है और इसके द्वारा तेल क्षेत्र, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी ग्रामीण बैंकों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और आईटी उद्यमों के 50+ ग्राहकों को 75,000 वर्ग फुट रैक फॉर्म क्षेत्र में 350 रैक के साथ अपनी सेवाएं प्रदान की गई हैं। आईटीआई ने एक दशक से भी अधिक समय तक डेटा सेंटर के अपने 90% ग्राहकों को सफलतापूर्वक अपने जोड़े रखा है।
- आईटीआई अपने डेटा सेंटर का विस्तार 1000 रैक क्षमता के साथ कर रहा है जिसमें से 343 रैक के प्रावधान के साथ पहले से ही प्रचालनात्मक हैं।

  आईटीआई डाटा सेंटर इलैक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ पैनलबद्ध क्लाउड सेवा प्रदाता है और इसका ऑडिट सरकारी कम्युनिटी क्लाउड- (जीसीसी) (कैज्ड सेवाओं), सार्वजनिक क्लाउड और निजी क्लाउड सहित मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) द्वारा किया गया है।
- पीएम वानी (वाई-फाई एस्सेस नेटवर्क इंटरफेस) पहल में अपने योगदान के रूप में कंपनी ने सी-डॉट के सहकार्यता करके 1000 मिनी पीडीओ (पब्लिक डेटा ऑफिस) का निर्माण किया है और निकट भविष्य में और अधिक रोल आउट किए जाने की संभावना है।
- स्मार्ट कार्ड निर्माण सुविधा में प्रति घंटे 4000 कार्ड निर्माण की क्षमता है और वर्तमान में इसकी वार्षिक क्षमता 15 मिलियन कार्ड है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर बढाई जा सकती है। आईटीआई एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा रुपे कार्ड के लिए प्रमाणित है। कंपनी पहले ही भारतीय स्टेट बैंक को 2 लाख स्मार्ट बैंकिंग रुपे कार्ड की आपूर्ति कर चुकी है। आईटीआई नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स (एनसीएमसी) की नई सरकारी पहल की आवश्यकताओं की लिए भी तत्पर है।
- पालक्काड संयंत्र ने डाक विभाग के लिए एक अभिनव उत्पाद - स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम (एसपीडीएस) का विकास किया है जिससे पार्सल डिलीवरी की समस्याओं का निवारण करके अंतिम छोर डिलीवरी की प्रक्रिया के कौशल में सुधार लाया जा सकता है। आईटीआई ने जीपीओ, बेंगलुरू के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर आठ सिस्टम स्थापित किए हैं।
- कोविड19 महामारी से बचाव के लिए, कंपनी ने फेस शील्ड, फेसमास्क वेंडिंग मशीन, फेस मास्क डिस्पोजल मशीन, स्वचालित और मैनुअल हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसर का विकास और उत्पादन किया है।
- यूवी डिसइफेक्शन सिस्टम (यूवीडीएस), एक मोबाइल यूवी टॉवर है जिसका निर्माण बार-बार छूने और एक्सपोज्ड सतहों को तीव्र गति से और रासायनिक प्रक्रिया के बिना संक्रमण मुक्त करने के लिए डीआरडीओ प्रयोगशाला से प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ विकसित करके मनकापुर संयंत्र में किया गया है। यूवीडीएस का परीक्षण और मूल्यांकन डीआरडीओ द्वारा किया गया है और इसका प्रमाणन सीएसआईआर-सीएसआईओ (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन) द्वारा भी किया गया है।
- कंपनी ने स्तर 2 (प्रबंधित) पर पीसीएमएम (पीपल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल) और पीएमएमएम (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल) का कार्यान्वयन कर लिया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त टर्नओवर का विवरण

रुपए करोड़ में

क्र.सं.	परियोजना / उत्पादन	2020-21 (एसडी, एसटी एवं जीएसटी सहित)	2019-20 (एसडी, एसटी एवं जीएसटी सहित)
1	महानेट	1367.46	619.05
2	एएससीओएन (एस्कॉन) चरण IV	328.40	0.00
3	कॉर्पोरेट विपणन एवं एमएसपी	270.56	217.73
4	रक्षा व्यवसाय एवं एएमसी / एस्कॉन एएमसी	165.37	97.24
5	गुजनेट	114.58	1056.68
6	एसएमएस परियोजना	108.95	214.37
7	एचडीपीई डक्ट निर्माण	35.54	26.00
8	जीएसएम एसजैड एएमसी	34.38	36.02
9	अंडमान एवं निकोबार - भारतनेट	23.86	0.00
10	3डी प्रिंटिंग, आधार आधारित व्यवसाय/मिनी पीसी/ कॉम्पोनेंट स्क्रीनिंग / ई-गवर्नेंस परियोजनाएं / विविध सेवाएं	22.25	18.29
11	एमएलएलएन / एसएसटीपी के लिए एएमसी	22.03	28.00
12	डेटा सेंटर	17.98	17.59
13	ओएफसी / ट्रेडिंग / अन्य	17.41	27.31
14	सौर पैनल / सौर स्ट्रीट लाइट	12.29	2.39
15	झारखंड, उड़ीसा में भारतनेट परियोजना के लिए टीपीए एवं सेटेलाइट	11.24	9.75
16	ओबीसी एएमसी व्यवसाय	8.65	13.93
17	एसएमपीएस	7.80	5.41
18	एनजीएन एएमसी / वाई-फाई हॉटस्पाट संस्थापन तथा कमीशनिंग	4.46	7.79
19	जीपीओएन (ओएनटी,ओएलटी,एसपीवी एवं संस्थापन तथा कमीशनिंग	1.81	1.43
20	जीएसएम फ्रेंचाइज	1.66	2.63
21	बैंकिंग उत्पाद / कॉर्ड निर्माण/ सेनेटरी वेंडिंग मशीन	1.23	1.84
	योग	2577.90	2403.45

शेयर पूंजी

वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल ने 09 फरवरी 2021 को आयोजित अपनी बैठक में, बीआईएफआर के आदेश के अनुसरण में, 84,03,361 इक्विटी शेयर, (अंकित मूल्य 10/- रुपए प्रत्येक) भारत सरकार से प्राप्त 105 करोड़ रुपए के कैपेक्स अनुदान के प्रति भारत के राष्ट्रपति को अधिमान आधार पर 124.95 रुपए (114.95 रुपए के प्रीमियम पर) पर आवंटित किए हैं। तदनुसार, 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 9,25,11,95,080 रुपए से बढ़ाकर 9,33,52,28,690 रुपएहो गई है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने स्टॉक ऑप्शंस अथवा डिफरेंशियल राइट्स के साथ इक्विटी शेयर अथवा स्वेट इक्विटी शेयर नहीं किए हैं। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी के किसी भी निदेशक के पास कंपनी का कोई शेयर नहीं है।

कंपनी निधियों की उत्पति के विकल्पों के साथ साथ सेबी की न्यूनतम 25% सार्वजनिक शेयरधारिता अपेक्षाओं को पूरा करने का अंवेषण कर रही है।

लाभांश

कंपनी अभी भी संचित घाटे का वहन कर रही है, इसलिए निदेशक वर्ष 2020-21 के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं कर सकते हैं।

रिजर्व

कंपनी अभी भी संचित घाटे का वहन कर रही है, इसलिए सामान्य रिजर्व में किसी राशि का अंतरण नहीं किया गया है।

उत्पादन संयंत्रों और सेवा यूनिटों का परिचालन निष्पादन

बेंगलूरू संयंत्र

I. **निष्पादन**

वित्तीय वर्ष 2020-21 में, बेंगलूरू संयंत्र ने 1527 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के 711 करोड़ रुपए के टर्नओवर से अधिक है। टर्नओवर में मुख्य रूप से विनिर्माण, विभिन्न सेवाएं और परियोजनाओं से प्राप्त योगदान शामिल हैं।

II. **उत्पादन और विनिर्माण हाइलाइट्स**

अनुसंधान एवं विकास द्वारा रक्षा संचार नेटवर्क अन्य मंत्रालयों के लिए गोपनीय उत्पादों का निर्माण, आपूर्ति एवं अनुरक्षण काफी समय से आईटीआई द्वारा किया जा रहा है। आईटीआई इस क्षेत्र में अग्रणी बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों से ये उत्पाद डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी के विकास के अनुरूप विकसित हुए हैं। रक्षा को अपने एनएफएस नेटवर्क, एस्कॉन नेटवर्क आदि के लिए एन्क्रिप्शन उत्पादों की प्रमुख अपेक्षाएं होती हैं।

I. बेंगलूरू संयंत्र द्वारा रक्षा की एनएम एस परियोजना के लिए 714 मल्टी-कैपेसिटी एनक्रिप्टर यूनिट (एमसीईयू) का डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति की गई है। इक्विपमेंट, आई एंड सी सर्विस का कुल मूल्य 68.61 करोड़ रुपए और 7 साल के लिए एएमसी का मूल्य 21.07 करोड़ रुपए है।

ii. बेंगलूरू संयंत्र ने गृह मंत्रालय के अध्याधीन आसूचना ब्यूरो के लिए 860 आईपी एनक्रिप्टर्स का डिज़ाइन, निर्माण और आपूर्ति भी की है। इक्विपमेंट और आई एंड सी सेवाओं का कुल मूल्य 20.43 करोड़ रुपए और 5 साल के लिए एएमसी का मूल्य 5.06 करोड़ रुपए है।

iii. बेंगलूरू संयंत्र ने मुख्यालय-एकीकृत रक्षा स्टाफ (आईडीएस), नई दिल्ली के लिए लगभग 42.19 लाख रुपए मूल्य की थोक एन्क्रिप्शन यूनिटों (बीईयू) का डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति की है।

iv. बेंगलूरू संयंत्र ने विभिन्न सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी ग्राहकों को लगभग 1.1 मिलियन फेस शील्ड के निर्माण और आपूर्ति भी करके कोविड -19 महामारी की स्थिति के दौरान योगदान दिया है।

v. बेंगलूरू संयंत्र ने भारतीय नौसेना, पोर्ट ब्लेयर को लगभग 14.32 लाख रुपए के 93 फील्ड टेलीफोन (5सी) की आपूर्ति की है।

vi. बेंगलूरू संयंत्र से आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एस्कॉन)-फेज IV परियोजना के लिए इन-हाउस फैब्रिकेटेड कम्युनिकेशन रैक की पहली खेप की आपूर्ति की गई है। ये रैक पूरी तरह से आईटीआई-बेंगलूरू संयंत्र में आरओएचएस (खतरनाक पदार्थों और प्रक्रियाओं के उपयोग में कमी) एप्रोच का अनुपालन करके डिजाइन और निर्मित किए गए हैं।

vii. पीएम-वाणी (वाई-फाई एस्सेस नेटवर्क इंटरफेस)

दूरसंचार विभाग द्वारा घोषित पीएम-वाणी योजना का उद्देश्य सार्वजनिक एस्सेस बिंदुओं की विकेन्द्रीकृत प्रणाली को लागू करके देश भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी संवर्धन करना है। यह विचार किया गया है कि पूरे देश में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क का प्रसार करने से सस्ते दामों पर इंटरनेट की प्राप्ति में बढ़ोतरी हो सकेगी। बेंगलूरू संयंत्र ने पीएम-वाणी योजना के अंतर्गत सी-डॉट द्वारा डिजाइन किए गए 1000 मिनी पीडीओ का निर्माण किया है। एस्सेस प्वाइंट आईईईई 802.11 एसी मानक के अनुरूप है और आईईईई 802.11 ए/बी/जी/एन मानकों की बैकवर्ड अनुरूपता के अनुसार है।

viii. पीएलबी एचडीपीई डक्ट निर्माण

आईटीआई बेंगलूरू संयंत्र में दो पीएलबी एचडीपीई टेलीकॉम डक्ट निर्माण लाइनें स्थापित एवं प्रारंभ की गई हैं। पायलट उत्पादन पूरा कर लिया गया है। बीएसएनएल से टीएसईसी अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। संयंत्र की क्षमता 8000 किमी/वर्ष है।

III. **सेवा हाइलाइट्स**

I. **डाटा सेंटर**

आईटीआई डाटा सेंटर पिछले 12 वर्षों से कार्यात्मक है और इसके द्वारा तेल क्षेत्र, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी ग्रामीण बैंकों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और आईटी उद्यमों के 50+ ग्राहकों को 75,000 वर्ग फु ट रैक फॉर्म क्षेत्र में 350 रैक के साथ अपनी सेवाएं प्रदान की गई हैं। आईटीआई ने एक दशक से भी अधिक समय तक डेटा सेंटर के अपने 90% ग्राहकों को सफलतापूर्वक अपने जोड़े रखा है।

डेटा प्रबंधन और सुरक्षा की बढ़ती मांग के आधार पर, आईटीआई ने 1000 और रैक समायोजित करने के लिए अपनी क्षमता को 2,00,000 वर्ग फुट तक बढ़ा दिया है, जिसमें से 343 रैक स्पेस ऑनबोर्डिंग के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है और शेष रैक स्पेस जल्द ही तैयार हो जाएगा। आईटीआई डाटा सेंटर को सीएमएमआई स्तर 3 और टीआईए 942 सर्टिफिकेट (टियर 3) प्राप्त हुआ है।

आईटीआई डाटा सेंटर इलैक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ पैनलबद्ध क्लाउड सेवा प्रदाता है और इसका ऑडिट सरकारी कम्युनिटी क्लाउड- (जीसीसी) (कैज्ड सेवाओं), सार्वजनिक क्लाउड और निजी क्लाउड सहित मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) द्वारा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व उत्पति 17.98 करोड़ रुपए है।

ii. **दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला**

दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार उपकरण (एमटीसीटीई) के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी दूरसंचार उपकरणों के संबंध में भारत में उपयोग के लिए बिक्री, भारत में उपयोग के लिए आयात से पूर्व अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अपेक्षित है। आईटीआई ने दूरसंचार विभाग और टीईसी के साथ सहकार्यता करके आईटीआई बेंगलूरू संयंत्र में ईएमआई/ईएमसी और सेफ्टी एलएबी जैसी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं।

यह परीक्षण प्रयोगशाला आंतरिक और साथ ही बाह्य ग्राहकों को परीक्षण सेवाएं प्रदान कर रही है एवं राजस्व की उत्पति कर रही है। एनएबीएल (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज) से ईएमआई/ईएमसी प्रयोगशाला के लिए प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

iii. **स्टार्टअप हब**

आईटीआई सदैव से ही राष्ट्र निर्माण और भारत सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में अग्रणी रहा है। भारत सरकार के स्टार्ट-अप इंडिया मिशन में योगदान प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ आईटीआई देश में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए आईटीआई बेंगलूरू संयंत्र में चरणबद्ध तरीके से 1000 सीटर स्टार्ट-अप हब स्थापित करने की प्रक्रिया कर रहा है। स्टार्ट-अप हब के लिए आईटीआई का विजन रैपिड प्रोटो-टाइपिंग सुविधाओं के माध्यम से एक स्थान पर स्टार्ट-अप्स को उनके नवोपाय युक्त पायलट उत्पादों का तीव्रगति से विकास करने में सहायता प्रदान

करना है। हमारा उद्देश्य सफल उत्पादों का आंतरिक निर्माण करना और उनका विपणन करना है। समर्पित कॉर्पोरेट हब, मीटिंग रूम, डेमो रूम, अत्यधिक सुरक्षित वाई-फाई कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं के साथ 125 सीटर स्टार्ट-अप हब कार्यात्मक है। स्टार्ट-अप आईओटी, एयरोनॉटिक्स, होम ऑटामेशन उत्पादों, स्मार्ट वोटिंग समाधान और रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। स्टार्ट-अप बेंगलूरू संयंत्रमें रैपिड प्रोटोटाइप सुविधाओं और परीक्षण सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। आईटीआई की ओर से सुविधा का लाभ उठाने और स्थान प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्टार्ट-अप के साथ समन्वय किया जा रहा है।

iv. **रक्षा एएमसी**

बेंगलूरू संयंत्र द्वारा सम्पूर्ण भारत में रक्षा ग्राहकों को आपूर्ति किए गए आनंद बीईयू एमके II, ईडीयू, एसटीएम 1 और एसटीएम 4 गोपनीय उपकरणों के लिए एएमसी का निष्पादन भी किया जा रहा है। एएमसी ऑर्डर का कुल मूल्य 10.31 करोड़ रुपए है।

v. **जीएसएम एसजेड एएमसी**

आईटीआई बेंगलूरू संयंत्र द्वारा बीएसएनएल दक्षिण क्षेत्र में 9 एमएल जीएसएम उपकरणों की एएमसी के लिए 34.38 करोड़ रुपए के ऑर्डर का निष्पादन भी किया गया है। इसके अलावा, आईटीआई को वर्ष 2021-22 के लिए 70 करोड़ रुपए का एएमसी ऑर्डर प्राप्त हुआ है।

vi. **3 डी प्रिंटिग**

3डी प्रिंटिंग आंतरिक और बाह्य ग्राहकों को प्रोटोटाइप सेवाएं प्रदान राजस्व अर्जित कर रहा है। आईटीआई को प्रोटोटाइप विकास एवं सेवाओं के लिए एडीए (वैमानिकी विकास एजेंसी) और आईआईटी-कानपुर से ऑर्डर प्राप्त हुआ है।

vii. **एसएएएस सेवाएं**

क) आधार आधारित केवाईसी का ऑफ लाइन सत्यापन: -

आईटीआई लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित स्वरूप में ऑफ लाइन ईकेवाईसी समाधान प्रदान किए गए है:

1. वेब सेवाएं
2. वेबएपीआई (वेबपेज)

इस समाधान के अंतर्गत ऑफ लाइन एक्सएमएल ज़िप, ई-आधार पीडीएम और फ्रंट/बैक क्यूआर कोड (ई-आधार पीडीएम में ैजूद) के रूप में इनपुट लिया जाता है जिसे यूआईडीएआई वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस समाधान से रेजिडेंट द्वारा प्रदान किया गया इनपुट डेटा मान्य होता है।

ख) आधार मास्किंग

पीएमएलए अधिसूचना को विचार में लेकर मध्यस्थों को यह परामर्श दिया गया है कि वे आधार नंबर के पहले 8 अंकों को अपने पोर्टल पर अपलोड करने से पहले आधार की प्रति पर ब्लैकआउट कर दें। वित्तीय संस्थानों को अब स्टोर की जाने वाली प्रत्येक ग्राहक इमेज पर आधार नंबर को मॉस्क करना होगा।

आईटीआई स्वचालित आधार मास्किंग सुविधा प्रदान कर रहा है जिससे रियल टाइम इमेज पर आधार नम्बर को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मॉस्क किया जा सकता है।

ग) वीडियो केवाईसी

विनियमित यूनिटयां वीडियो आधारित सीआईपी - ग्राहक पहचान प्रक्रिया का उपयोग कर सकती हैं। आईटी कंपनियों, स्वास्थ्य क्षेत्रों, बीमा कंपनियों के ग्राहकों को सेवा दी जा रही है। वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है।

viii. **कौशल विकास केंद्र**

आईटीआई लिमिटेड द्वारा कौशल विकास केंद्र का प्रारंभ छात्रों को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, जिससे वे उद्योग की आवश्यकता के अनुसार रोजगार योग्य बन सकें और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (चडऊए), भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं पीएमकेवीवाई, डीडीयूजीकेवाई, डीडीयूएसकेवीवाई इत्यादि के अनुरूप औद्योगिक उत्पादकता के संवर्धन में योगदान दे सकें। ।

आईटीआई कौशल विकास केंद्र एनएसडीसी के साथ एक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत है और इसी के अध्याधीन बेंगलुरु संयंत्र सहित अन्य सभी आईटीआई इकाइयां एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में पंजीकृत हैं।

आईटीआई बेंगलुरु संयंत्र भी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक सहयोगी सदस्य के रूप में टीएसएससी के साथ पंजीकृत है। इस संयंत्र से स्कूल/कॉलेज के छात्रों को संयंत्र में /परियोजना प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

IV. **परियोजना हाइलाइट्स**

I. **महानेट**

पृष्ठभूमि

इस परियोजना का कार्यान्वयन बीबीएनएल द्वारा सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को 100 एमबीपीएस कनेक्टिविटी के साथ महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने और ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थकेयर, ई-शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूर गांवों में वाईफाई, एफटीटीएक्स कनेक्टिविटी। परियोजना महा नेट- I को 3 पैकेजों में विभाजित किया गया है और आईटीआई को 18 जिलों, 118 तालुका और 8904 ग्राम पंचायतों की कवरिंग के साथ 2 पैकेज, पैकेज ए एवं सी प्राप्त हुए हैं। परियोजना का कुल मूल्य 3111.66 करोड़ रुपए है।

कार्यक्षेत्र

इसके कार्यक्षेत्र में 19,351 किलोमीटर भूमिगत (यूजी) और 20,259 किलोमीटर एरियल (ओएच) ओएफसी बिछाना, आईपीएमपीएलएस (आईपी मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग) राउटर, स्विच, सौर उपकरण, माइक्रोवेव रेडियो, वाई-फाई हॉटस्पॉट और नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (एनओसी)से युक्त नेटवर्क की स्थापना, कमीशनिंग और अनुरक्षणकार्य शामिल है।

अब तक प्राप्त प्रगति

क) ओएफसी (यूजी और ओएच) बिछाना - 22,743 किमी

ख) लाभ प्राप्त ग्राम पंचायतों की संख्या - 1440

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त टर्न ओवर 1367.46 करोड़ रुपए है।

V. **अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) - बेंगलूरू संयंत्र**

कंपनी की अनुसंधान और विकास अवधारणा अपने रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य चयनित क्षेत्रों के उत्पादों / सेवाओं में अपने पूर्व-श्रेष्ठता का संवर्धन करना है। कंपनी का अनुसंधान एवं विकास अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मॉड्यूल के साथ निर्मित नए उत्पादों के विकास के लिए प्रयासरत है। ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ कंपनी द्वारा विकसित उत्पाद अत्याधुनिक,

प्रतिस्पर्धी और कॉर्पोरेट उच्चतम गुणवत्ता सम्पन्न हैं।

बेंगलूरू संयंत्र में स्थित अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए संचार उपकरणों का डिजाइन और विकास कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के प्रति सदैव सचेत रहता है। अनुसंधान एवं विकास की प्रमुख शक्तिसंचार नेटवकों को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन सिस्टम के डिजाइन और विकास ट्रांसमिशन और टर्मिनल उत्पादों के क्षेत्र में सम्बद्ध उत्पादों का निर्माण करना है।

अनुसंधान एवं विकास की शक्ति का स्रोत इसकी कुशल डिजाइन टीम है जिसे हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के विकास में विशेषज्ञता प्राप्त है। डिजाइन और विकास में सहायता के लिए आवश्यक अवसंरचना परीक्षण उपकरण, सॉफ्टवेयर डिजाइन उपकरण, सीएडी डिजाइन उपकरण, विश्वसनीय प्रयोगशाला, ईएमआई/ ईएमसी और सुरक्षा प्रयोगशालाओं के रूप में उपलब्ध है।

निम्न लिखित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास उत्पाद विकसित किए गए हैं:

1. रक्षा के लिए एन्क्रिप्शन सिस्टम
2. संचार नेटवर्क के लिए नेटवर्क समाधान
3. बिजली आपूर्ति मॉड्यूल
4. एकीकृत चयन प्रणाली (ईवीएम)
5. रेडियो सिस्टम
6. नेविगेशनल सेटेलाइट सिस्टम
7. पोर्टेबल वेंटीलेटर - सिंगल आउटलेट ओटोमटेड रिससिटेटर (एसओएआर)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में सफलतापूर्वक विकसित सफल निम्नलिखित हैं:

1. एकीकृत चयन प्रणाली
2. 1जीई आईपीई (एनटीआरओ के लिए कवच और आसूचना ब्यूरो-गृह मंत्रालय के लिए चाणक्य)
3. रक्षा नेटवर्क के लिए बहु-क्षमता एनक्रिप्टर यूनिट (एमसीईयू) उपकरण
4. सुरक्षित फैक्स

नैनी संयंत्र

I. **निष्पादन**

वित्तीय वर्ष 2020-21 में नैनी संयंत्र को 12.38 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त हुआ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में अधिक है। टर्नओवर में मुख्यत: विनिर्माण, विभिन्न सेवाएं और परियोजनाएं शामिल हैं।

II. **उत्पादन और विनिर्माण हाइलाइट्स**

(क) सौर पैनल विनिर्माण

i. आईटीआई नैनी को महानेट परियोजना के लिए 60 वाट एसपीवी पैनल के 20000 नग की आपूर्ति के लिए 6.82 करोड़ रुपए मूल्य का क्रयादेश प्राप्त हुआ है। नैनी यूनिट द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2500 पैनलों और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एसपीवी पैनल के 7000 नगों की आपूर्ति की है। शेष 9500 सौर पैनल का निर्माण कर लिया गया है और प्रेषण के लिए तैयार हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में टर्नओवर 3.46 करोड़ रुपए है।

ii. आईटीआई नैनी यूनिट ने बिजली बिल में 30% की बचत करने के लिए रायबरेली (1.5 मेगावाट क्षमता), नैनी (300 किलोवाट), एमएसपी - लखनऊ (100 किलोवाट), पालाक्काड (1.2 मेगावाट),बेंगलूरू (1.2 मेगावाट), मनकापुर (1.5 मेगावाट) और कॉर्पोरेट कार्यालय (100 किलोवाट) में स्थित आईटीआई यूनिटों में कैप्टिव उपयोग के उद्देश्य से सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना की स्थापना के लिए 325 डब्ल्यूपी के एसपीवी मॉड्यूल का निर्माण किया है।

प्रमाणन

आईटीआई नैनी को भारतीय मानक ब्यूरो से एसपीवी मॉड्यूल (40डब्ल्यूपीसे 325डब्ल्यूपी तक) के लिए प्रमाणन प्राप्त हुआ है जो 26 जुलाई, 2022 तक मान्य है।

आईएस 14286: 2010/आईईसी 61215: 2005 (क्रिस्टलीय सिलिकॉन टेरेस्ट्रियल फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल-डिजाइन योग्यता और प्रकार अनुमोदन), आईएस/आईईसी 61730: 2004 (फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल सुरक्षा योग्यता भाग I निर्माण अपेक्षाओं के लिए) तथा आईएस/आईईसी 61730: 2004 (फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल सुरक्षा योग्यता भाग 2 परीक्षण के लिए अपेक्षाएं) नामक मानकों के प्रति परीक्षण किए गए थे।

(ख) अजय चरण - II कार्यक्रम के अंतर्गत यूआरईडीए / ईएसएसएल परियोजना के लिए सौर स्ट्रीट लाइट प्रणाली

आईटीआई नैनी को उत्तराखंड राज्य में 19665 सौर स्ट्रीट लाइट सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए मैसर्स ईएसएसएल से यूआरईडीए (उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंटेट एजेंसी) से 37.79 करोड़ रुपए मूल्य का आशय पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें से 2300 नग की आपूर्तिवित्तीय वर्ष 2019-2020 में की गई है और 6500 नग की आपूर्तिवित्तीय वर्ष 2020- 2021 में की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान टर्नओवर 8.10 करोड़ रुपए है।

रायबरेली संयंत्र

I. **निष्पादन**

वित्तीय वर्ष 2020-21 में रायबरेली संयंत्र ने 105.01 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। टर्नओवर में मुख्यत: विनिर्माण, विभिन्न सेवाएं और परियोजनाएं शामिल हैं।

II. **उत्पादन और विनिर्माण हाइलाइट्स**

(क) पीएलबी-एचडीपीई और ओएफसी

रायबरेली संयंत्र एचडीपीई डक्ट्स और ओएफसी केबल्स के उत्पादन के लिए विश्व श्रेणी की निर्माण अवसंरचना से सुसज्जित है। एचडीपीई डक्ट की वार्षिक क्षमता 28000 किलोमीटर है जिसमें तीन एक्सट्रूडर नामत: ऑटोमेटिक होप्पर लोडर एवं ड्रायर से युक्त मेन एक्सट्रूडर, ऑटो होप्पर लोडर एवं ड्रायर के साथ इनर लेयर के लिए एक्सट्रूडरतथा एचडीपीई की चार लाइन मार्किंग के लिए एक्सट्रूडर शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान रायबरेली यूनिट ने 10,827.5 किलोमीटर एचडीपीई डक्ट्स का निर्माण किया है।

इसी तरह, ओएफसी के निर्माण के लिए, रायबरेली संयंत्र जीआर/निविदा के प्रति नीचे दिए गए विवरण के अनुसार टीएसईसी प्रमाणपत्रों से सुसज्जित है ।

1. पावर लाइन एलाइनमेंट टाइप-आईबी (आइस लोडिंग के साथ वैट कोर) के साथ बिछाने के लिए 24

एफ एडीएसएस ऑप्टिकल फाइबर केबल।

2. 24एफ नॉन जीरो डिस्प्रेशन शिफ्टिड (एनजैडीएस) सिंगल मोड मेटल फ्री ऑप्टिकल फाइबर केबल टाइप 1 (जी.655सी)।
3. डबल एचडीपीई शीथ (जी.652डी फाइबर) के साथ 48एफ मेटल फ्री रिबन ऑप्टिकल फाइबर केबल ।
4. डबल एचडीपीई शीथ (जी.652डी फाइबर) के साथ 96एफ मेटल फ्री रिबन ऑप्टिकल फाइबर केबल ।
5. डबल एचडीपीई शीथ (जी.652डी फाइबर) के साथ 24एफ मेटल फ्री ऑप्टिकल फाइबर केबल।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, रायबरेली को एमटीएनएल (दिल्ली और मुंबई) से 5.06 करोड़ रुपए के 24एफ /48एफ /96एफ मैटल फ्री ओएफसी के निर्माण और आपूर्ति के लिए एक ऑर्डर मिला है।

(I) गीगाबिट पेसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपीओएन)

रायबरेली संयंत्र में सी-डॉट प्रौद्योगिकी पर आधारित जीपीओएन की अत्याधुनिक निर्माण प्रणालियां हैं। आईटीआई - सी-डॉट जीपीओएन सिस्टम में ओएलटी, सीओ यूनिट और ओएनटी-11 टर्मिनल यूनिट के रूप में होते हैं। प्रत्येक ओएलटी एक पेसिव स्प्लिटर का उपयोग करके ओएनटी के एक सेट से जुड़ी होती है, इस प्रकार इससे 2.488 जीबीपीएस की डीएस दर और 1.244 जीबीपीएस की यूएस दर प्राप्त होती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान रायबरेली यूनिट ने 1.28 करोड़ रुपए मूल्य के जीपीओएन उपकरण प्रेषित किए हैं। इसके अलावा, यूनिट ने नए जीआर 2017 के प्रति जीपीओएन उपकरणों का टीएसईसी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

उपरोक्त के अलावा, आरबी यूनिट ने नए प्रकार के लाइन कार्ड (8 पोर्ट) और ओएनटी 17ए और ओएनटी 24 का निर्माण किया है।

(ग) स्विच मोड बिजली आपूर्ति (एसएमपीएस)

रायबरेली संयंत्र को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मल्टी कॉन्फिगरेशन एसएमपीएस पावर संयंत्रों की आपूर्ति के लिए भारत में स्थापित बीएसएनएल के विभिन्न सर्किलों से ऑर्डर मिले हैं और इसके द्वारा वार्षिक टर्नओवर 7.80 करोड़ रिकार्ड की गई है।

यूनिट ने नए डिजाइनों के साथ 100ए और 50ए प्रणालियों के टीएसईसी और बीपीसी को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके अलावा, यूनिट ने उपलब्ध संसाधनों के साथ 50 मॉड्यूल (50ए) से 90 मॉड्यूल तक बर्न इन क्षमता को बढ़ाकर एसएमपीएस के उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

III. परियोजना और सेवा हाइलाइट्स

I. स्पेक्ट्रम के लिए एनएफएस-नेटवर्क

आईटीआई रायबरेली द्वारा निष्पादित रक्षा नेटवर्क के लिए टर्नकी आधार पर विशिष्ट ऑप्टिकल एनएलडी बैकबोन और ऑप्टिकल एस्सेस रूट के निर्माण के लिए पैकेज जी की प्रतिष्ठित एनएफएस परियोजना का निष्पादन किया जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 71.21 करोड़ रुपएकी टर्नओवर प्राप्त की है।

पालक्काड संयंत्र

I. **निष्पादन**

वित्तीय वर्ष 2020-21 में पालक्काड संयंत्र द्वारा 71.27 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 से अधिक है। टर्नओवर में मुख्यत: विनिर्माण, विभिन्न सेवाएं और परियोजनाएं शामिल हैं।

II. उत्पादन और विनिर्माण हाइलाइट्स

I. **पीएलबी एचडीपीई डक्ट निर्माण**

आईटीआई पालाक्काड में निर्माण की गई पीएलबी एचडीपीई टेलीकॉम डक्ट को मार्च 2019 में टीईसी से टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र (टीएसी) प्राप्त हुआ है, जो 8 भिन्न रंग (नारंगी, लाल, हरा, भूरा, नीला, बैंगनी, ग्रे और पीला) के उत्पादों के निर्माण के लिए दिसंबर 2020 में बीएसएनएल से प्राप्त टीएसईसी एवं आईए प्रमाणपत्र का पूरक है। वाणिज्यिक उत्पादन दिसंबर 2019 में शुरू हुआ है और अब तक अंडमान एवं निकोबार के लिए महानेट और भारतनेटकी अपेक्षाओं के अनुसार आपूर्ति की गई है। एस्कॉन परि योजना के लिए 2000 किलोमीटर डक्ट का निर्माण भी किया गया है। एक अतिरिक्त लाइन की स्थापना और कमीशनिंग के साथ संयंत्र की वार्षिक क्षमता को बढ़ाकर 8000 किमी कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, संयंत्र द्वारा अंडमान एवं निकोबार की महानेट एवं भारतनेट परियोजना के लिए 2296.5 किलोमीटर डक्ट का निर्माण किया गया है।

ii. **स्मैश (एसएएएसएच) पीसी**

आईटीआई पालक्काड ने स्मैश के ब्रांड नाम से माइक्रो पीसी की असेंबलिंग और विपणन के कार्य प्रारंभ कर दिए हैं, जो पारम्परिक डेस्कटॉप का एक प्रकार से प्रतिस्थापन है। यह उत्पाद अब जीईएमपोर्टल पर माइक्रो पीसी के रूप में पंजीकृत है। इसका ट्रेड मार्क पंजीकृत है और इसके लिए बीआईएस, सीई, एफसीसी, आरओएचएस, और एनर्जी स्टार प्रमाणन प्राप्त कर लिए गए हैं। उत्पाद को ग्रिड और सौर के रूप में दोहरी पावर इनपुट के साथ स्मार्ट पावर स्टेशन और 3 घंटे का बैकअप, भौतिक सुरक्षा के लिए स्मार्ट लॉक आदि जैसे ऐड ऑन फीचर्स के साथ भी अनुकूलित किया गया है ।

अनेकों ग्राहकों ने इस उत्पाद की सराहना की है और संयंत्र ने 2020-21 के दौरान ई-हैल्ड परियोजना के लिए केएसईडीसी, एअर इंडिया, वन विभाग, मिधानी एवं मैसर्स वेहांत इत्यादि जैसे विभिन्न ग्राहकों के लिए 8.58 करोड़ रुपए के ऑर्डर की आपूर्ति की गई हैं। आईटीआई केरल में विश्वविद्यालयों के विभिन्न कॉलेजों को स्मैश कनेक्ट के रूप में ब्रांडेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोडेक की भी आपूर्ति की है।

लक्षित बाजार केंद्र / राज्य सरकार के विभाग, विश्वविद्यालय, अस्पताल, अनुसंधान संगठन, सार्वजनिक / निजी निगम, बैंक, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि हैं। संयंत्र ने केरल विश्वविद्यालयके साथ परीक्षा प्रबंधन सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर समाधान की प्रस्तुति, कन्नूर विश्वविद्यालय के लिए वेबसाइट का डिजाइन और विकास, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की अवसंरचना की स्थापना इत्यादि जैसे कार्य करके आईटी व्यवसाय में भी प्रवेश किया है

iii. **स्मार्ट कार्ड का निर्माण**

आईटीआई का पालक्काड संयंत्र भुगतान कार्ड उद्योग (पीसीआई) के लिए अपेक्षित तकनीकी विशिष्टताओं की अनुरूपता के अनुसार अत्याधुनिक अवसंरचना से सुसज्जित है। सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों में केवल आईटीआई को ही भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से रूपे चिप कार्ड का वैयक्तिकीकरण करने के लिए

मान्यता प्राप्त है। अवसंरचना में स्मार्ट कार्ड असेंबली एवं मिलिंग और एम्बेडिंग, वैयक्तिकरण आदि के लिए आधुनिक विनिर्माण उपकरण शामिल हैं। आईटीआई पालाक्काड ने 2 लाख रुपे कार्ड की आपूर्ति के लिए भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त पायलट ऑर्डर का निष्पादन किया है। आईटीआई अधिक ऑर्डर प्राप्त करने के लिए अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों और अन्य ग्राहकों के साथ भी अनुसरण कर रहा है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड सम्पूर्ण देश में किए जाने वाले कैशलेस लेनदेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स (एनसीएमसी) की नई सरकारी पहल की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भी आईटीआई तत्पर है।

iv. **डाक विभाग के लिए स्मार्ट पार्सल वितरण प्रणाली**

पालाक्काड संयंत्र ने डाक विभाग के लिए एक अभिनव उत्पाद – स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम (एसपीडीएस) का विकास किया है जिससे पार्सल डिलीवरी की समस्याओं का निवारण करके अंतिम छोर डिलीवरी की प्रक्रिया के कौशल में सुधार लाया जा सकता है। एसपीडीएस एक स्मार्ट, इलेक्ट्रॉनिक, स्वचालित, सुरक्षित लॉकर सिस्टम है जो समय पर सामान की डिलीवरी करने और पिकअप करने के लिए है। इस पार्सल से प्राप्तकर्ताओं को उनकी सुविधा के अनुसार 24/7 अपने ऑर्डर प्राप्त करने की सुविधा मिलती है और इसे डाकघरों, निर्देशित सामुदायिक केंद्रों, शॉपिंग मॉल, किराने की दुकानों, और रेलवे स्टेशनों, अपार्टमेंट आदि सहित सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है। एसपीडीएस प्रणाली का उपयोग मोबाइल एप्लीकेशन से सुरक्षित एस्सेस प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जा सकता है। ई-कॉमर्स क्षेत्र में डाक विभाग के प्रवेश के विचार से एसपीडीएस पार्सल वितरण के लिए एक कुशल और नवीन तकनीक है। आईटीआई ने जीपीओ बैंगलोर के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर आठ प्रणालियां स्थापित की हैं और इन प्रणालियों को अब वस्तुओं की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक द्वारा नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है। इस उत्पाद को भारतीय डाक के अध्याधीन अन्य सर्किलों में प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

v. **कंपोनेंट स्क्रीनिंग परियोजना**

कंपोनेंट स्क्रीनिंग वीएसएससी (इसरो) की एक परियोजना है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और असेंबली के स्क्रीनिंग परीक्षणों की उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए है, क्योंकि वीएसएससी को अपने सभी अंतरिक्ष मिशनों के लिए नियमित रूप से कंपोनेंट्स और असेंबली के स्क्रीनिंग परीक्षणों के लिए इनकी आवश्यकता होती है। अब यह केंद्र इसरो से सभी लॉन्च वाहनों यथा; एसएमडी और मैनुअल असेंबली, रिफ्लो सोल्डरिंग, कंफर्मल कोटिंग, कार्ड लेवल टेस्टिंग, क्यूसी, इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कंपोनेंट्स की स्क्रीनिंग, असेंबलियों और मल्टी स्टैक्स का स्क्रीनिंग टेस्ट एवं मूल्यांकन (टी एंड ई) में इलेक्ट्रॉनिक असेंबली की प्राप्ति से जुड़े प्रत्येक प्रथम स्तर के क्रियाकलाप के लिए अनुमोदित है।

कंपोनेंट स्क्रीनिंग और परीक्षण सुविधा के संबंध में वीएसएससी, त्रिवेंद्रम द्वारा प्रत्येक प्रकार के एवियोनिक्स उड़ान पैकेजों के साथ-साथ स्क्रीनिंग परीक्षणों के लिए 70 से अधिक प्रकार के उपकरणों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। इस केंद्र से 70000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स/असेंबलियों की जांच की जाती है और साथ ही आईटीआई द्वारा निर्मित 2500 से अधिक उड़ान पैकेजों को प्रतिष्ठित चंद्रयान मिशन सहित इसरो के विभिन्न लॉन्च वाहनों- जीएसएलवी, पीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क-III- में सफलता पूर्वक उपयोग में लाया गया है। हाल ही में, इसरो की गगनयान परियोजना की स्क्रीनिंग आवश्यकताओं के लिए कॅम्पोनेंट स्क्रीनिंग सुविधा योग्य पाई गई है, जिसके लिए पायलट मात्राओं की स्क्रीनिंग करके सफलतापूर्वक डिलीवरी की जाती है। अधिक उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाओं का विकास करके कार्यक्रम के दायरे का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल मान्य आर्डर 7.49 करोड़ रुपएके है। ऑटोमेशन बॉयो-मेडिकल उद्योगों जैसे गैर-इसरो ग्राहक आधार से कंपोनेंट स्क्रीनिंग और टेस्टिंग सुविधा के उपयोग के लिए व्यावसायिक अवसरों का अंवेषण भी किया जा रहा है। मैसर्स बॉश्च, मैसर्स टाटा एलेक्सी, मैसर्स बीपीएल और मैसर्स सौरियाउ कनेक्टर्स से कुछ छोटे पायलट ऑर्डर प्राप्त हुए थे और उनका सफलतापूर्वक निष्पादन कर दिया गया है। गैर-इसरो क्षेत्रों से व्यावसायिक अवसरों के दोहन के लिए अनिवार्य एनएबीएल प्रमाणन प्रक्रियाएं की जा रही हैं।

vi. **व्यवस्थित लीज लाइन नेटवर्क (एमएलएलएन) उपकरण**

आईटीआई,वर्ष 2002-03 से बीएसएनएल को नेटवर्क उपकरण की आपूर्ति, संस्थापन, एकीकरण, कमीशनिंग, परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए टर्नकी समाधान सहित एमएलएलएन उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति में अग्रणी है। विद्यमान एमएलएलएन नेटवर्क अब तक आईटीआई द्वारा संस्थापित है और इसका अनुरक्षण किया जा रहा है। आईटीआई पालाक्काड ने वर्ष 2020-21 के दौरान बीएसएनएल / एमटीएनएल से प्राप्त 22.03 करोड़ रुपए के एएमसी ऑर्डर पूरे किए हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए एमएलएलएन परियोजनाओं को आईटीआई द्वारा 24 x 7 तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

vii. **अंडमान और निकोबार परियोजना**

परियोजना का कार्यक्षेत्र भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 7 ब्लॉक और 66 ग्राम पंचायतों को कवर करने वाले 3 जिलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन करना है। पीओ के अनुसार, 24 एफ ऑप्टिकल फाइबर 400 किमी बिछाई जानी है और 10 ओएलटी और 73 ओएनटी को संस्थापित करके चालू किया जाना है। पालाक्काड कोवित्तीय वर्ष 2020-21 में इस परियोजना से 21.07 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त हुआ है।

viii. **मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स - स्वचालित**

टच फ्री सैनिटाइज़र डिस्पेंसर के लिए पहल

संकट के इस काल के दौरान, आईटीआई पालाक्काड ने एक अल्ट्रासोनिक सेंसिंग तकनीक से युक्त स्वचालित टच फ्री हैंड सैनेटाइजर डिस्पेंसर यूनिट का विकास करके कोरोना वायरस के निवारण में अपना योगदान दिया है। इसे दो डिस्पेंसिंग टाइप- ड्रॉपलेट टाइप और स्प्रेयर टाइप के साथ विकसित किया गया है। विभिन्न ग्राहकों को 160 से अधिक यूनिटों की आपूर्ति की गई है और आगे के लिए विपणन प्रयास जारी हैं।

मनकापुर संयंत्र

I. **निष्पादन**

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनकापुर संयंत्र को 50.21 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त हुआ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 से अधिक है। टर्नओवर में मुख्य रूप से विनिर्माण, विभिन्न सेवाएं और परियोजनाएं शामिल हैं।

II. **उत्पादन और विनिर्माण हाइलाइट्स**

i. **गीगाबिट पेसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपीओएन)**

मनकापुर संयंत्र ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ओएनटी 11 उपकरण के 691 नग का निर्माण और आपूर्ति की है। यह आपूर्ति रायबरेली यूनिटों के माध्यम से जीएफजीएनएल (गुजनेट) परियोजना को की गई है। इसके अलावा भारत नेट चरण- I के अंतर्गतओएनटी 11 उपकरण के 260 नग की आपूर्ति की गई है।

ii. अल्ट्रावायलट डिसइपेक्शन सिस्टम (यूवीडीएस)

मनकापुर संयंत्र ने मैसर्स लेजर साइंस एवं टैक्नोलॉजी सेंटर (एलएएसटीईसी), डीआरडीओ के साथ ''यूवी डिसइंफेक्शन सिस्टम'' जिसे यूवीडीएस - गरूड़ (अल्ट्रा वायलट डिसइफेक्शन सिस्टम) का नाम दिया गया है, के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। संयंत्र दूरसंचार विभाग और सी-डॉट को इनका निर्माण करके आपूर्ति कर चुका है। दूरसंचार विभाग से उत्पाद के लिए प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है। संयंत्र को मैसर्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से 4 नग, आईआईएम लखनऊ से2 नग और ईसीजीसी (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन) से 1 नग की आपूर्ति के लिए ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड आदि से ऑर्डर प्राप्त होने की संभावना है।

iii. **कोविड रोधी उत्पाद**

मनकापुर यूनिट ने पैडल चालित हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर (ऑल क्लीन), ऑटामैटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर (रक्षक) जैसे कोरोनावायरस के प्रसार की रोकथाम में सहायक एंटी कोविड उत्पादों का विकास, निर्माण और आपूर्ति की है।

iv. एफडीएमएस (फाइबर वितरण प्रबंधन प्रणाली)

आईटीआई मनकापुर ने महानेट और एएससीओएन (एस्कॉन) चरण IV परियोजनाओं के लिए अपेक्षित एफडीएमएस का विकास किया है। पीओसी के उद्देश्य से एस्कॉनचरण IV परियोजना के लिए नमूना आपूर्ति कर दी गई है।

v. **एचडीपीई डक्ट**

मनकापुर ने एचडीपीई डक्ट मैन्युफैक्चरिंग के निर्माण के लिए एचडीपीई मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा की 3 लाइनें स्थापित की हैं। टीएसईसी परीक्षण किए जा रहे है। विनिर्माण क्षमता 12000 किमी/प्रतिवर्ष है।

vi. **विविध उत्पाद**

आईटीआई मनकापुर विविध उत्पादों में भी व्यवसाय कर रहा है। एसएनवीएम-फ्लोरा (सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन), एसएनडीएम-फौना (सेनेटरी नैपकिन डिस्पोजल मशीन), एफएमवीएम-कवच (फेस मास्क वेंडिंग मशीन), और एफएमडीएम-कोना (फेस मास्क डिस्पोजल मशीन) इन-हाउस उत्पादों का विकास और निर्माण किया जा रहा है।

III. **परियोजना और सेवा हाइलाइट्स**

I. स्पेक्ट्रम के लिए एनएफएस-नेटवर्क

आईटीआई मनकापुर को रक्षा नेटवर्क के लिए टर्नकी आधार पर विशिष्ट ऑप्टिकल एनएलडी बैकबोन एवं ऑप्टिकल एस्सेस मार्ग के निर्माण के लिए प्रदान की गई पैकेज एफ की प्रतिष्ठित एनएफएस परियोजना के संबंध में 37.74 करोड़ रुपए (जीएसटी सहित) की सामग्री, सेवा कार्य और केबल बिछाने के कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूरे कर लिए गए हैं।

ii. **टीपीए - तृतीय पक्षकार ऑडिट**

आईटीआई मनकापुर ने झारखंड (जेसीएनएल), उड़ीसा (ओपीटीसीएल) और मणिपुर और त्रिपुरा में टीपीए-वीसैट में भारत नेट चरण- II के कार्यान्वयन के लिए तृतीय पक्षकार ऑडिट (टीपीए) प्रारंभ कर दिए हैं। इस परियोजना से 11.24 करोड़ रुपए के राजस्व की उत्पति हुई है।

कौशल विकास

कर्मचारी विकास केंद्र (ईडीसी) ने आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) के छात्रों के लिए कार्यक्षम प्रशिक्षण (ओजेटी) कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कर्मचारी विकास केंद्र एनआईईएलआईटी, गोरखपुर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर कंम्पयूटर अवधारणा से संबंधित पाठ्यक्रम (सीसीसी) के लिए परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रियाएं भी की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में, राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क पर कौशल विकास प्रशिक्षण के दो बैच - एनएसक्यूएम पाठ्यक्रम बिजली आपूर्ति, इन्वर्टर और यूपीएस की मरम्मत और अनुरक्षण और फोटोकॉपियर और प्रिंटर का संस्थापन एवं अनुरक्षण आयोजित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021- 22 के लिए विभिन्न कौशल विकास एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रमों के लिए 300 और सीटें आवंटित की गई हैं।

श्रीनगर संयंत्र

I. **निष्पादन**

वित्तीय वर्ष 2020-21 में श्रीनगर संयंत्र ने 7 लाख रुपए का टर्नओवर किया है।

II. **हाइलाइट्स**

आईटीआई लिमिटेड, श्रीनगर संयंत्र को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए कार्यान्वयन की गई सीखो और कमाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए 22.14 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है।

नेटवर्क सिस्टम यूनिट (एनएसयू)

I. **निष्पादन**

नेटवर्क सिस्टम यूनिट (एनएसयू) का मुख्यालय बेंगलुरू में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय सम्पूर्ण भारत में विस्तारित हैं, और यह एनएसयू द्वारा संचालित परियोजनाओं/सेवाओं का निष्पादन विश्वसनीय रूप से और समय पर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोविड -19 महामारी के चुनौतीपूर्ण काल के दौरान एनएसयू ने 524.44 करोड़ रुपए का अच्छा टर्नओवर किया है।

एनएसयू को परियोजना प्रबंधन, टर्नकी परियोजना कार्यान्वयन और अनुरक्षण सेवाओं में दक्षता प्राप्त है, वित्तीय वर्ष 2020-2021 में एनएसयू द्वारा परियोजनाओं और सेवाओं के शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित टर्नओवर प्राप्त की गई थी:

परियोजना शीर्ष के अंतर्गत

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त आर्डर के प्रति यूनिट 328.4 करोड़ रुपए मूल्य की एस्कॉन-खत परियोजना का निष्पादन किया है; गुजरात राज्य में ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी के लिए जीएफजीएनएल से प्राप्त आर्डर के प्रति 114.58 करोड़ रुपए की गुजरातनेट परियोजना; अंडमान और निकोबार में 2.79 करोड़ रुपए मूल्य की भारतनेट चरण- I परियोजना ।

सेवा शीर्ष के अंतर्गत

यूनिट ने रक्षा क्षेत्र के लिए 68.94 करोड़ रुपए के एस्कॉन-एएमसी ऑर्डर निष्पादित किए हैं;

बीएसएनएल और एमटीएनएल को आपूर्ति किए गए ओसीबी उपकरणों के लिए 8.65 करोड़ रुपए मूल्य के एएमसी ऑर्डर; बीएसएनएल/एमटीएनएल को आपूर्ति किए गए 0.56 करोड़ रुपए मूल्य के जीपॉन उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग; कोलकाता में रेलवे को 0.52 करोड़ रुपए की टर्नकी सेवा

प्रदान की गई है।

II. वित्तीयवर्ष 2020-2021 के दौरान निष्पादित परियोजनाएं

आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एस्कॉन) चरण- IV

आईटीआई को 1 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय महत्व (एस्कॉन-IV) की एक बहुत ही प्रतिष्ठित परियोजना प्राप्त हुई है, जिसकी ग्राहक भारतीय थलसेना है। इस परियोजना में सीमाओं (भारत के उत्तरी, पूर्वोत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तारित) की उन्मुखता के साथ पूर्ण सुरक्षित रणनीतिक अत्याधुनिक संचार नेटवर्क का विकास किया जाना शामिल है । परियोजना के कार्य क्षेत्र में ओएफसी बिछाना, आईपी एमपीएलएस नेटवर्क, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, मोबाइल नोड्स की स्थापना करना और भवनों एवं टावरों का निर्माण किया जाना शामिल है। इसके साथ ही, इस परियोजना के कार्य क्षेत्र में इस संचार नेटवर्क का एकीकरण थल सेना नेटवर्क के भावी एवं पारंपरिक नेटवर्क अर्थात नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस), आर्मी डब्ल्यूएएन, एस्कॉन चरण III, इत्यादि के साथ किया जाना है।

इस परियोजना की प्राप्ति के बाद, ग्राहक को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) की सफल प्रस्तुति, सर्वेक्षण, अनुमोदन और विक्रेता निर्धारण प्रक्रियाएं पूरी कर ली की गई है। एनएसयू ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान इस परियोजना से 328.40 करोड़ रुपए का टर्न ओवर प्राप्त किया है।

गुजरात में भारतनेट चरण- II (गुजनेट)

आईटीआई को गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड (जीएफजीएनएल) से भारत नेट चरण II परियोजना के अंतर्गत गुजरात राज्य की ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड डेटा कनेक्टिविटी के लिए टर्नकी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1417.71 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। इस परियोजना में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (ओएफसी) बिछाना, डीडब्ल्यूडीएफ उपकरण की आपूर्ति, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन और एस्सेस उपकरण एवं अन्य संबंधित उत्पादों के साथ-साथ अनुरक्षण सेवाएं शामिल हैं। एनएसयू को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान इस परियोजना से 114.58 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त हुआ है।

एस्कॉन के लिए एएमसी

आईटीआई ने एस्कॉन परियोजना के प्रथम 3 चरणों का निष्पादन सफलतापूर्वक किया था। अब एस्कॉन परिसम्पतियों के अनुरक्षण के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस परियोजना के अंतर्गत सेवा कार्य के दायरे में गोपनीय कार्डों की मरम्मत और अनुरक्षण, ओएफसी मार्गों का अनुरक्षण इत्यादि कार्य शामिल है। एनएसयू को वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस परियोजना से 68.94 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त हुआ है।

अंडमान और निकोबार में भारतनेट चरण-II

इस परियोजना के कार्यक्षेत्र में बीबीएनएल की भारतनेट चरण- II परियोजना के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्राम पंचायतों के लिए डेटा कनेक्टिविटी के लिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का नेटवर्क डिजाइन एवं योजना, आपूर्ति, नियोजन और कमीशनिंग के कार्य किए जाने हैं। एनएसयू को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान इस परियोजना से 2.79 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त हुआ है।

एयरटेल परियोजना

आईटीआई लिमिटेड को भारत के दूसरे सबसे बड़े सेवा प्रदाता, भारती एयरटेल ने 28 अगस्त 2020 को ओएफसी कार्य दिए गए हैं। आईटीआई लिमिटेड अपनी प्रभावन क्षमता बढ़ाने एवं व्यवसाय के सभी आयामों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए निजी दूरसंचार कंपनियों के साथ काम कर रहा है। एनएलडी कार्य में उड़ीसा राज्य में छह मार्गों में बासठ नोड्स को जोड़ने वाली इंटरसिटी बैक बोन ट्रांसपोर्ट लेयर फाइबर के लिए लगभग 500 किलोमीटर भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का निर्माण किया जाना है और एफटीटीएच कार्य के अंतर्गत फाइबर टू होम सम्पर्कता के लिए लगभग 380 किलोमीटर एरियल एवं भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का निर्माण किया जाना है जिससे भारत के 7 प्रमुख नगरों में 37000 से अधिक होम कनेक्शन कवर होंगे।

ओसीबी-एएमसी

आईटीआई बीएसएनएल और एमटीएनएल को फिक्स्ड लाइन स्विचों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता था। वर्तमान में, आईटीआई ओसीबी एक्सचेंजों के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल को अनुरक्षण सेवाएं प्रदान कर रहा है। एनएसयू ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस परियोजना से 8.65 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया है।

जीपॉन

एनएसयू ने बीएसएनएल और बीबीएनएल से आर्डर प्राप्त करके सम्पूर्ण भारत में जीपॉन उपकरणों का संस्थापन एवं कमीशनिंग की है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में एनएसयू को इस परियोजना से 0.56 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त हुआ है।

एनएसयू ने कोलकाता में रेलवे के लिए एक टर्नकी परियोजना का कार्य भी किया है, और वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस परियोजना से 0.52 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल किया है।

III. वर्ष 2020-2021 के लिए एनएसयू के प्रमुख आकर्षण

* गुजनेट परियोजना आइसलैंड 1 का परियोजना निष्पादन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और इसकी एएमसी प्रारंभ हो गई है।

विपणन सेवाएं और परियोजनाएं (एमएसपी)

वर्ष 2020-21 के लिए एमएसपी से प्राप्त कुल टर्नओवर 287.84 करोड़ रुपए था।

एमएसपी दिल्ली

* दिल्ली एमएसपी ने अयोध्या (राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र) में लगभग 18.10 करोड़ रुपए की राशि की सुरक्षा निगरानी और पीए सिस्टम परियोजना का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
* दिल्ली एमएसपी ने उत्तराखंड में वैश्विक महामारी के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में राशन किट के वितरण से संबंधित यूकेबीओसीडब्ल्यू की एक परियोजना का निष्पादन सफलतापूर्वक कर लिया है। इस परियोजना का मूल्य लगभग 44 करोड़ रुपए था।

एमएसपी लखनऊ

* भारतीय बाजार में आईटीआई के 3डी प्रिंटर्स लॉंच किया है। इसके ग्राहक - बीएसएफ, आईआईआईटी प्रयागराज, आईआईआईटी श्रीसिटी, इत्यादि हैं।
* आईटीआई लिमिटेड का पहला हरित ऊर्जा भवन 'आईटीआई भवन, लखनऊ' बनने जा रहा है।
* आईटीआई भवन में आईटीआई उत्पाद गैलरी सेटअप

एमएसपी हैदराबाद

* उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (यूएससीबी) के अध्याधीन 670 प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पीएसीएस) का लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि से कम्प्यूटरीकरण किया गया।

एमएसपी भुवनेश्वर

* ओएमसी (ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन) से गंधमर्दन माइन्स का माइन ऑटोमेशन करने के लिए 25.3 करोड़ रुपए (लगभग) के ऑर्डर मूल्य के साथ क्रयादेश प्राप्त किया गया है।

  यह आर्डर यातायात अवसंरचना सुधार उपाय, एकीकृत यातायात प्रबंधन

प्रणाली, यातायात उल्लंघन पहचान प्रणाली, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, स्वचालित बूम बैरियर, पार्किंग प्रबंधन प्रणाली, तोल सेतु को कवर करने वाली स्टॉकयार्ड प्रबंधन प्रणाली इत्यादि की आपूर्ति, संस्थापन एवं परिचालन तथा प्रबंधन के लिए है।

आईटीआई की साख से भिन्न यह अपनी तरह की एक विशिष्ट परियोजना है और इससे भविष्य में खान व्यवसाय अपार संभावनाएं प्राप्त हो सकती हैं।

एमएसपी कोलकाता

* कोलकाता एमएसपी ने राज्य सरकार के वित्त विभाग के लिए मिजोरम आईएफएमआईएस समाधान के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और परिचालन और अनुरक्षण, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की आपूर्ति, और कंप्यूटर अवसंरचना के निर्माण और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने से संबंधित एक परियोजना प्राप्त की है। इस आर्डर का मूल्य 36.27 करोड़ रुपए था।

एमएसपी मुंबई

* एमएसपी मुंबई को बीओसीडब्ल्यू (महाराष्ट्र श्रम बोर्ड) से बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए एक पोर्टल का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन करने का एक आर्डर प्राप्त हुआ है। यह आर्डर कोविड-19 की स्थिति के दौरान पूरा कर लिया गया है तथा इसका मूल्य लगभग 12 करोड़ रुपए था।
* डीआईजी दमन को बख्तरबंद वाहनों की आपूर्ति का एक आर्डर अल्पतम अवधि में पूरा किया गया है जिससे डीआईजी गोवा से और अधिक आर्डर प्राप्त होने की संभावनाएं प्रबल हुई हैं।

समझौता ज्ञापन रेटिंग

वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की रेटिंग 60.59 के समग्र स्कोर के साथ अच्छी आंकी गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए समझौता ज्ञापन रेटिंग के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अंतिम निर्धारण अभी नहीं किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन मूल्यांकन भी अभी नहीं किया गया है।

भविष्य के प्रति दृष्टिकोण

कंपनी ने अपनी टर्नओवर में संवर्धन करने और पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के लिए अनेक प्रयास / परियोजनाएं निष्पादित की हैं।

ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर

आईटीआई ने पोर्टेबल मेडिकल ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर (श्वास के नाम से ज्ञात) के निर्माण के लिए वीएसएससी / इसरो त्रिवेंद्रम के साथ प्रौद्योगिकी अंतरण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वीएसएससी / इसरो त्रिवेंद्रम के साथ किया गया यह प्रौद्योगिकी अंतरण अनुबंध लागत मुक्त है। इस दिशा में आगे की कार्रवाई के लिए 5 नग का प्रायोगिक उत्पादन किया जा रहा है।

ऑप्टिकल फाइबर केबल निर्माण

रायबरेली संयंत्र में प्रति वर्ष 15000 किमी लूज ट्यूब ओएफसी और 5000 किमी रिबन टाइप ओएफसी प्रति वर्ष निर्माण की क्षमता के साथ ओएफसी की एक विनिर्माण लाइन परिचालन कर रही है। संयंत्र ने एमटीएनएल को आपूर्ति किए जाने वाले के आर्डरों के प्रति 24एफ एडीएसएस ओएफसी, 24एफ एनजैडीएस ओएफसी एवं 48/95एफ रिबन टाइप ओएफसी के लिए टीएसईसी प्राप्त कर लिया है। आईटीआई ने अपनी क्षमता 30,000 किमी लूज ट्यूब और 10,000 किमी रिबन टाइप प्रति वर्ष तक बढ़ाने की योजना बनाई है।

रक्षा के लिए गोपनीय उत्पाद

अनुसंधान एवं विकास द्वारा रक्षा संचार नेटवर्क के लिए गोपनीय उत्पादों का निर्माण, आपूर्ति एवं अनुरक्षण काफी समय से आईटीआई द्वारा किया जा रहा है। आईटीआई इस क्षेत्र में अग्रणी बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों से ये उत्पाद डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी के विकास के अनुरूप विकसित हुए हैं। कम्पनी रक्षा की निविदाओं में प्रतिभागिता कर रही है तथा कुछ और व्यवसाय प्राप्त होने की संभावना है।

स्मार्ट ऊर्जा मीटरों का निर्माण

विविधीकरण की अपनी रणनीति के अंतर्गत आईटीआई ने स्मार्ट एनर्जी मीटर निर्माण के कार्य प्रारंभ किए हैं, जिसके अंतर्गत पुराने ऊर्जा मीटरों के स्थान पर स्मार्ट ऊर्जा मीटर प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। ये मीटर ऊर्जा खपत का रिकार्ड रखते हैं तथा इनमें डेटा के भंडारण एवं आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करने की सुविधा है। फीटर और केंद्रीय प्रणाली के बीच ये फीटर दो-तरफा संचार स्थापित करते हैं। आईटीआई लिमिटेड को आईएस 16444 तकनीकी विशिष्टताओं की अनुरूपता के साथ जीपीआरएस आधारित स्मार्ट ऊर्जा मीटरों के निर्माण, आपूर्ति और अनुरक्षण के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) से लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) से सम्मानित किया गया है। आईटीआई पालाक्काड को दो प्रौद्योगिकियों के लिए आईएस 16444 तकनीकी विनिर्देशों की अनुरूपता वाले सिंगल फेज स्मार्ट एनर्जी मीटर के लिए टाइप अनुमोदन और बीआईएस प्रमाणन प्राप्त हो गया है। स्मार्ट ऊर्जा मीटरों के थोक निर्माण, केलिब्रेशन, परीक्षण और आपूर्ति के लिए यूनिट में सुविधाएं और अवसंरचना स्थापित की गई है। स्मार्ट एनर्जी मीटर की कैलिब्रेशन प्रयोगशाला को आईएसओ 17025: 2017 मानकों के अनुसार एनएबीएल मान्यता प्राप्त हुई है। आईटीआई ने स्मार्ट एनर्जी मीटर के 91000 नग की आपूर्ति उत्तर प्रदेश और हरियाणा में डिस्कॉम्स को की है। आईटीआई टोटल एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई सॉल्यूशंस) के सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में उद्यम करने और स्मार्ट एनर्जी मीटर सॉल्यूशंस के लिए विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों के साथ व्यवसाय करने के प्रयास कर रहा है।

स्मैश लैपटॉप

आईटीआई लिमिटेड पालक्काड ने लैपटॉप के निर्माण और विपणन के क्षेत्र में उद्यम किए है और जीईएम पोर्टल पर आईटीआईबी 14 एलआइ 5/आईटीआईबी 15 एलआई 5 नाम से दो मॉडल प्रस्तुत किए है। ये दोनों मॉडल बीआईएस, आरओएचएस, सीई और एफसीसी से विधिवत प्रमाणन प्राप्त हैं।

स्मार्ट कार्ड का निर्माण

आईटीआई का पालक्काड संयंत्र भुगतान कार्ड उद्योग (पीसीआई) के लिए अपेक्षित तकनीकी विशिष्टताओं की अनुरूपता के अनुसार अत्याधुनिक अवसंरचना से सुसज्जित है। सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों में केवल आईटीआई को ही भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से रूपे चिप कार्ड का वैयक्तिकीकरण करने के लिए मान्यता प्राप्त है। अवसंरचना में स्मार्ट कार्ड असेंबली एवं मिलिंग और एम्बेडिंग, वैयक्तिकरण आदि के लिए आधुनिक विनिर्माण उपकरण शामिल हैं। आईटीआई पालक्काड ने 2 लाख रुपे कार्ड की आपूर्ति के लिए भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त पायलट ऑर्डर का निष्पादन किया है। आईटीआई अधिक ऑर्डर प्राप्त करने के लिए अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों और अन्य ग्राहकों के साथ भी अनुसरण कर रहा है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड सम्पूर्ण देश में प्रत्येक क्षेत्र में किए जाने वाले कैशलेस लेनदेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसकी मांग में भारी वृद्धि होगी।

पल्स प्लेथिस्मोग्राफ

इंटेसिव केयर यूनिटों (आईसीयू) में रोगियों के लिए रक्त नाड़ी, हृदय गति और ऑक्सीजन सेच्युरेशन की मॉनीटरिंग करना अत्यावश्यक होता है। अस्पतालों में रक्त प्रवाह एवं ऑक्सीजन सेच्युरेशन स्तर की मॉनीटरिंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पल्स प्लेथिस्फोग्राफ (क्लिनिकल पल्स ऑक्सीमीटर) मंहगा (आयातित के लिए 80,000 रुपए से अधिक तथा स्वदेशी के लिए 50,000 रुपए, सेंसर प्रोब सहित) होता है।

विद्यमान कोविड स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऑक्सीमीटर प्रत्येक अस्पताल की एक प्रारंभिक आवश्यकता है और इसलिए एक मानक पल्स प्लेथिस्फोग्राफ के निष्पादन और विशेषताओं में किसी प्रकार के बदलाव के बिना इसके कम लागत वाले स्वरूप का निर्माण अब अत्यावश्यक हो गया है।

आईटीआई पालक्काड से डिजाइन समर्थन के साथ एक कम लागत वाले पल्स प्लेथिस्फोग्राफ का विकास सफलतापूर्वक किया गया है जिसमें रक्त में सैच्यर्ड

ऑक्सिजन स्तर का प्रतिशत, बीपीएम (बीट्स प्रति मिनट) में हृदय गति, प्लेथ वेवफार्म (जो डाक्टरों द्वारा रोगी की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है), क्रिटिकल मॉनीटरिंग के लिए अलार्म सेटिंग, जिसे यूजर की पैड के उपयोग से सैट कर सकते हैं, इत्यादि जैसे फीचर्स हैं। यूनिट का फील्ड परीक्षण पूरा कर लिया गया है। थोक उत्पादन के लिए डिवाइस की अनुमानित लागत लगभग 10,000 रुपए - 12,000 रुपए है। महामारी की विद्यमान स्थिति में एक आपातकालीन सहायता के रूप में केरल सरकार के अनुरोध के आधार पर अब 50 यूनिटों का निर्माण किया जा रहा है। चिकित्सा अधिकारियों से आवश्यक सुरक्षा प्रमाणन के बाद आगे थोक निर्माण किया जा सकेगा।

डाटा सेंटर और आईटी व्यवसाय

350 रैक क्षमता के साथ डाटा सेंटर पिछले 12 वर्षों से कार्यशील है। इसके अलावा, अतिरिक्त 1000 रैक क्षमता के साथ डाटा सेंटर का विस्तार किया जा रहा है।

पहले चरण में, क्लाउड सक्षम सेवाओं, प्रबंधित सेवाओं, कॉलोकेशन सेवाओं आदि जैसी ग्राहक सेवाओं की होस्टिंग के लिए डेटा सेंटर के 343 रैक स्पेस पूरा किया गया है। आईटीआई को सीएमएफआई स्तर 3 और टीआईए 942 प्रमाणपत्र (टियर 3) प्राप्त है। आईटीआई डाटा सेंटर को इलैक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए पैनलबद्ध क्लाउड सेवा प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो सरकारी निविदाओं की पूर्ति के लिए अनिवार्य है।

वाई-फाई उत्पाद

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की स्थापना में भी वाई-फाई उत्पादों का योगदान महत्वपूर्ण है। आईटीआई विभिन्न ग्राहकों के लिए वाई-फाई समाधान प्रदान करके व्यापार के अवसरों का दोहन कर रहा है। ग्रामीण भारत में वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। बीबीएनएल भारतनेट भी पीएच II परियोजना के अंतर्गत पूरे भारत में वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाने की भी योजना बना रहा है। अपेक्षित मांग को ध्यान में रख कर देश के ब्रॉडबैंड नेटवर्क की अवसंरचना में योगदान देने के विचार से, आईटीआई ने वाई-फाई एस्सेस प्वाइंट के निर्माण के लिए प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी भागीदार के साथ प्रौद्योगिकी अंतरण सहकार्यता की है। आईटीआई ने एसकेडी निर्माण के लिए उत्पादन लाइन स्थापित कर ली है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों / अनुबंध निर्माण के साथ व्यापार

आईटीआई द्वारा बीईएल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं सी-डॉट, सीडैक जैसी सरकारी फार्मों और मैसर्स लिब्रे वायरलैस, मैसर्स गाला, मैसर्स हनीवैल, मैसर्स कोरिल टैक्नोलॉजिस, मैसर्स स्माइल टैक्नोलॉजिस, मैसर्स पेनिनसला इलैक्ट्रानिक्स एवं मैसर्स यूनिसेम, मैसर्स एनेक्सटैक इलैक्ट्रानिक्स इत्यादि के लिए जॉब कार्यों का निष्पादन पहले से किया जा रहा है। आईटीआई में अवसंरचना का और उन्नयन होने सेअनुबंध निर्माण के क्षेत्र में नया व्यवसाय प्राप्त करने की गुंजाइश काफी बढ़ गई है तथा इसे और बढ़ाया जा रहा है।

आईओटी और स्मार्ट सिटी

आईटीआई द्वारा "आईओटी" के नाम से ज्ञात इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिससे विश्वभर में आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन में बड़े बदलाव संभव हो रहे हैं, के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किए हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास को सक्षम करके आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। स्मार्ट समाधानों की उपयोज्यता से नगरों में अवसंरचना और सेवाओं की उन्नत प्रौद्योगिकी, सूचना और डेटा का उपयोग करना सुगम हो जाएगा। आईटीआई ने अनेक ऐसे स्टार्ट-अप्स के साथ मिलकर टीमिंग अनुबंध किए हैं जिन्होंने स्मार्ट समाधान विकसित कर लिए हैं और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र का अभिन्न अंग हैं। आईटीआई स्मार्ट शिक्षा, स्मार्ट स्वास्थ्य, स्मार्ट पर्यावरण, स्मार्ट परिवहन आदि के लिए समाधान प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है। आईटीआई व्यवसाय को सुरक्षित करने के लिए स्मार्ट सिटी निविदाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

नए व्यावसायिक क्षेत्र

कंपनी नए उत्पादों का निर्माण प्रारंभ करने और भविष्य के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करने के लिए संभावित भागीदारों के साथ सहकार्यता कर रही है, जैसे कि 4 जी रेडियो यूनिट्स, सुरक्षा संचालन केंद्र, राउटर, बैकहॉल के लिए प्वाइंट टू प्वाइंट रेडियो, इत्यादि। आईटीआई ने नए व्यावसायिक क्षेत्रों में विविधता लाने के लिए एस्सेस प्वांइटर के निर्माण हेतु कैम्बियम के साथ टीसीए पर, बीएसएनएल 4जी परियोजना के लिए टीसीएस के साथ कंर्सोटियम पर, तथा एसएसी-इसरो के साथ भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस) रिसीवर के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में आईटीआई का अनुसंधान एवं विकास सुरक्षा फीचर्स जैसे मूल्य संवर्धन के साथ आईआरएनएसएस-आरएस रिसीवर के फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे (एफपीजीए) स्वरूप के प्रोटोटाइप मॉड्यूल के विकास की प्रक्रिया कर रहा है।

राजकोष में योगदान

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने शुल्कों एवं करों के रूप में राजकोष में 233.01 करोड़ रुपए का योगदान दिया है।

सार्वजनिक जमा

कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं। 0.23 करोड़ रुपए की जमा राशि भुगतान के लिए परिपक्व हो गई थी, लेकिन नियत तारीखों पर इनके प्रति दावा नहीं किया गया था।

क्रेडिट रेटिंग

कंपनी के विभिन्न ऋण प्रपत्रों के लिए रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट रेटिंग का विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

संयुक्त उद्यम

इंडिया सैटकॉम लिमिटेड (आईएसएल)

आईएसएल का निगमन वर्ष 1987 ममें किया गया था और आईएसएल में आईटीआई की वर्तमान शेयरधारिता इसकी शेयर पूंजी का 49% है और क्रिस टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में धारिता इसकी शेयर पूंजी का 51% है।

वर्तमान में, आईएसएल ने सभी बैंक ऋणों का निपटान कर लिया है और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक दशक पुराने वन विभाग के मामले में निर्णय इसके पक्ष में दिया गया है।

पुनरुद्धार के अंतर्गत आईएसएल ने अपनी अचल संपत्ति को सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के रूप में विकसित करने के लिए एक संयुक्त विकास समझौते का निष्पादन किया था। प्रस्तावित परियोजना का मास्टर डिजाइन आईजीबीसी कोर और शैल गोल्ड प्रमाणन की रेटिंग प्राप्त करने के उद्देश्य से विनिर्देश के साथ पूरा किया गया है, एक ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग जिससे पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए अनेक संवहनीय व्यवहार और समाधान एक साथ प्रस्तुत होते हैं।

इस परियोजना से लगभग 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। आईएसएल ने क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन इलेक्ट्रॉनिक क्यूआर टिकटिंग सिस्टम नामक एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित किया है, जो ऑपरेटरों को डिजिटल टिकट जारी करने और कोविड -19 का प्रतिकार करने के लिए कैशलेस संपर्क रहित मोड में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान प्राप्त करने में सहायक है।

विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी की कोई किसी सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कम्पनी नहीं बनी है और न ही कोई बंद हुई है।

संयुक्त उद्यम कंपनी की मुख्य विशेषताएं एओसी-1 में प्रस्तुत की गई हैं जो इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक 1** के रूप में संलग्न है।

गुणवत्ता

आईटीआई की गुणवत्ता नीति स्थिर और अनुभवी कार्यबल के साथ गुणवत्ता-केंद्रित संस्कृति की सुसज्जा एवं निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रण के साथ पूंजी नियोजन

पर लाभप्रदत्ता एवं प्रतिफल के प्रति संवहनीय विकास प्रदान करते हुए अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट उत्पादों की आपूर्ति एवं सेवाएं प्रदान करना है। व्यवसाय प्रणाली में सुधार के प्रमुख तत्वों में ग्राहक की आवश्यकताओं को समझने के लिए कड़ी प्रक्रियाओं और मेहनत से प्रबंधित निरीक्षण प्रक्रियाएं शामिल हैं।

हमारा उद्देश्य एक ग्राहक केंद्रित नवोपाय करने वाली ऐसी दूरसंचार कंपनी बनना है जो अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं से भी बढ़कर निरंतर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति करती है ।

बेंगलुरु, पालक्काड, मनकापुर, रायबरेली और नैनी में स्थित हमारे पांच विनिर्माण संयंत्रों की विनिर्माण सुविधाएं आईएसओ 9001-2015 की अनुरूपता के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की अनुरूपता के अनुसार आईएसओ 14001-2015 के लिए मान्यता प्राप्त है। रायबरेली संयंत्र को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ: 10002: 2018 और टीएल 9000: आर 6.2 एवं आर 5.6 की अनुरूपता के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन - ग्राहक संतुष्टि की मान्यता प्रदान की गई है।

नैनी यूनिट की सौर मॉड्यूल निर्माण सुविधा को भी ओएचएसएएस 18001 के लिए प्रमाणित किया गया है और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों आईएसओ 45001:2018 के अनुरूप उन्नयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। आवधिक निगरानी ऑडिट और पुन: प्रमाणन ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

आईटीआई लिमिटेड की विभिन्न विनिर्माण सुविधाओं में निर्मित विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को मान्यता प्राप्त निकायों से निम्नानुसार अनुमोदन / प्रमाणन प्राप्त है:
टीएसईएस (तकनीकी विशिष्टता मूल्यांकन प्रमाणपत्र) क्यूए त था

बीएसएनएल के निरीक्षण सर्कल द्वारा निम्नलिखित के लिए जारी:

- गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपीओएन) - ओएनटी एवं ओएलटी
- आईएसएम बैंड में रेडियो मोडेम (टाइप ए एवं टाइप बी),
- बेस स्टेशन पैनल एंटीना,
- सीएलआईपी एवंटू-वे स्पीकर फीचर से युक्त इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट (टाइप-I)
- स्थायी रूप से लुब्रिकेटेड एचडीपीई टेलीकॉम डक्ट्स
- एक्जीक्यूटिव टेलीफोन सिस्टम (ईटीएस-04),
- ऑप्टिकल फाइबर केबल (विभिन्न प्रकार)
- एसएमपीएस पावर प्लांट (आउटडोर और इंडोर)
- 2 एमबीपीएस पीसीएम मल्टीप्लेक्सिंग उपकरण
- 256 पी आरएक्स पर आधारित सी-डॉट एक्सेस नेटवर्क के कंट्रोलर (एआरसी-एस02) और इंटरफेस (एआरआई) कार्ड
- हाइब्रिड सौर फोटो वोल्टाइक (एसपीवी) विद्युत आपूर्ति प्रणाली।
- जीएसएम ट्विन टीआरएक्स बीटीएस
- फाइबर वितरण प्रबंधन प्रणाली (प्रगति पर)

बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणन के लिए

- स्मार्ट एनर्जी फीटर
- क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल
- माइक्रो पीसी।

सौर पीवी मॉड्यूल के लिए आईईसी (इंटरनेशनल इलेक्ट्रो-टैक्नीकल कमीशन) प्रमाण पत्र

स्थायी रूप से लुब्रिकेटेड एचडीपीई टेलीकॉम डक्ट्स के लिए टीईसी (टेलीकम्यूनिकेश इंजीनियरिंग सेंटर) टाइप अनुमोदन प्रमाण पत्र।

सीएसआईआर- सीएसआईओ (केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन), चेन्नई यूवी डिसइंमेक्शन सिस्टम के लिए प्रमाणित - गरुड़

पालक्काड प्लांट में स्मार्ट कार्ड विनिर्माण अवसंरचना के संबंध में रुपे कार्ड विनिर्माण और वैयक्तिकिकरण के लिए एनपीसीआई प्रमाणन।

आईटीआई पालक्काड संयंत्र में स्मार्ट एनर्जी मीटर कैलिब्रेशन प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल प्रमाणन।

वीएसएससी (विक्रम साराबाई अंतरिक्ष केंद्र, त्रिवेंद्रम) कंपोनेंट स्क्रीनिंग, परीक्षण और मूल्यांकन, असेंबली और उड़ान पैकेज के परीक्षण के लिए प्रमाणन।

जनशक्ति

कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने में अपने मानव संसाधन के महत्व और उनके योगदान का सम्मान करती है। कंपनी ने सदैव अपनी उत्पादकता में सुधार के लिए अपने कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं के उन्नयन पर जोर दिया है। कंपनी नए और रणनीतिक क्षेत्र में प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित कर रही है, जिससे कि कर्मचारी आने वाले वर्षों में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकें। मानव संसाधन के प्रयास टीम भाव का विकास करने, कर्मचारियों के सशक्तिकरण और विभिन्न सुधार क्रियाकलापों में उनकी सहभागिता पर केंद्रित है। मानव संसाधन का प्रत्येक प्रयास व्यावसायिक प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी के लिए सुगम पारगमन के उद्देश्य से हैं।

कर्मचारी जनशक्ति

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 2876 थी जिसमें से 479 महिला कर्मचारी थीं।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के 489 कर्मचारी, अनुसूचित जनजाति के 66 और अन्य पिछड़े वर्ग के 647 कर्मचारी कार्यरत थे।

वर्ष 2020-2021 के दौरान कार्यकाल आधार पर 184 अधिकारियों, 7 परामर्शदाताओं, 10 परियोजना समन्वयक / परियोजना सहायकों की भर्ती की गई है।

दिव्यांगजन कर्मचारियों की संख्या 27 थी और वित्तीय वर्ष के अंत में भूतपूर्व सैनिक वर्ग में 18 कर्मचारी कंपनी की वेतन सूची में थे।

औद्योगिक संबंध

आईटीआई में अनुकूल कर्मचारी-नियोक्ता संबंध वातावरण बनाने और बनाए रखने की गौरवशाली परंपरा है। कंपनी में औद्योगिक संबंध परिदृश्य पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण रहा है। कर्मचारी संघ और अधिकारी संघ ने सुचारू कार्य प्रवाह सुनिश्चित करने में अपना सहयोग और समर्थन दिया है और कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता दी है।

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम

महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अध्याधीन निर्मित नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी ने अपनी सभी यूनिटों में लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं। वर्ष के दौरान अधिनियम के अंतर्गत कोई मामला/शिकायत प्रस्तुत नहीं हुई है।

कर्मचारियों की क्षमताओं और दक्षताओं का विकास

आपकी कंपनी का मानना है कि चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए कर्मचारियों का विकास और उन्हें कल के लिए तैयार करना महत्वपूर्ण है।

(i) **प्रशिक्षण एवं विकास**

आज के वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के युग में, कौशल वृद्धि और क्षमता निर्माण उत्पादकता और आर्थिक विकास में सुधार के लिए कर्मियों की प्रभावकारिता और गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौशल निर्माण/उन्नयन व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक स्वीकृति में सुधार करने और वर्तमान चुनौतियों का सामना करने और

उनका सामना करने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। कौशल एवं ज्ञान प्रत्येक संगठन के विकास एवं उत्तरजीविता के आवश्यक तत्व हैं। कम्पनी में कौशल प्राप्त जनशक्ति की कमी, जो योग्य एवं अनुभवी कार्मिकों के संघर्षण के कारण है, वर्तमान में एक बड़ी चुनौती है। कौशल में आई न्यूनता की भरपाई सावधानी पूर्वक एवं योजना बनाकर प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण एवं विकास प्रयासों के माध्यम से की जा रही है। आईटीआई लिमिटेड द्वारा ऐसी रणनीति को अंगीकार किया गया है जो कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवस्थित एवं आवश्यकता आधारित योजना प्रक्रियाएं तैयार करके प्रशिक्षण की आवश्यकताों, अभिकल्प एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुकूलन इत्यादि करती है।

कम्पनी, दूरसंचार प्रौद्योगिकी के नवीनतम / उदयीमान रूझानों को अंगीकार करने, कम्पनी के व्यावसायिक उद्देश्यों को दृष्टिगत रखकर मानव संसाधन अध्ययन मध्यवर्तनों एवं विकास क्रियाकलपों, कर्मचारी केन्द्रित प्रौद्योगिकियों एवं प्रबंधकीय कौशल विकास, ग्राहक संबंध एवं गुणवत्ता को अंगीकार करने के प्रति प्रतिबद्ध रही है। मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा जैसे नए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ कर्मचारियों को अनुभव प्रदान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या का विवरण; प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या; प्रशिक्षण मानव दिवस इत्यादि का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	प्रशिक्षण			योग
	आंतरिक (आईएच)	बाह्य (ईएन)	प्रीमियर संस्थान (आईएच)	
कार्यक्रमों की संख्या	78	26	2	106
प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	2859	161	110	3130
प्राप्त श्रम दिन प्रशिक्षण	3206	158	862	4226
प्रशिक्षित पुरूष कर्मचारी	2185	126	85	2396
प्रशिक्षित महिला कर्मचारी	674	35	25	734
प्रशिक्षित अजा / अजजा कर्मचारी	486	21	33	540

टिप्पणी :आईएच -आंतरिक,ईएन:बाह्य नामांकन

प्रतिभा विकास

जैसे-जैसे हम अधिक अनुभव प्राप्त करते हैं वैसे-वैसे ज्ञान का संवर्धन होता है। कौशल, कुछ अच्छा करने की क्षमता है। अच्छी तरह से विकसित कौशल किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्तिगत विशेषज्ञता का निर्माण कर सकता है। कौशल सीखा भी जा सकता है। अपने कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारी के निष्पादन में सुधार आता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर कर्मचारी अपने कौशल को शक्ति प्रदान कर सकता है। विकास कार्यक्रम में प्रतिभागिता से कर्मचारी अपने करियर के उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण कर्मचारियों की कार्य स्थिति की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जब भी नई तकनीक, प्रक्रियाएं या सिस्टम प्रभावी होते हैं, तो कौशल प्रशिक्षण का उपयोग कर्मचारियों को फिर से शिक्षित करने और फिर से प्रशिक्षित करने के लिए भी किया जा सकता है।

कॉर्पोरेट एचआरईडी द्वारा आईटीआई के कार्यपालकों को आईआईटी और एनआईटी जैसे विभिन्न प्रीमियर संस्थानों बैचों में प्रशिक्षण दिलावाया है। आईआईटी धारवाड़ में मशीन लर्निंग का अभ्यास तथा एनआईटीडब्ल्यू (वारांगल) में साइबर सुरक्षा, जैसे प्रशिक्षण कम्पनी में सावधानी पूर्वक चयन किए गए 110 अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं।

उपरोक्त के अलावा, सरकारी एजेंसियों एवं निजी संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के लिए 161 अधिकारियों को अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं संगठन की सफलता के लिए अनिवार्य विकास के क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करने, ज्ञान एवं नवीन प्रौद्योगिकियों से अभिमुखता के लिए नामित किया गया है। इन मध्यवर्तनों से उनका विकास; बदलावों को व्यवस्थित करने की क्षमता, नवोपायों युक्त विचारों का उपयोग एवं अभिमुखता; समालोचनात्मक विचारधारा, उच्च निष्पादक कार्य संस्कृति के निर्माण के लिए सकारात्मक व्यवहार का संवर्धन हो सकेगा।

(ii) **कौशल विकास और क्षमता निर्माण**

किसी भी विद्यार्थी /उम्मीदवार के समग्र विकास में कौशल विकास महत्वपूर्ण है। वैयक्तिक विकास और सीखने के कौशल से न केवल अवसरों की उत्पति होती है बल्कि व्यक्ति सशक्त बनता है। संचार जैसे कौशल छात्रों/प्रशिक्षुओं के समग्र विकास में सहायक हो सकते हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कैरियर के विकास के अवसरों में वृद्धि, व्यक्तिगत विकास, स्थानीय उद्योग के ज्ञान और समझ में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं।

कंपनी न केवल संयंत्रों में स्थित अपने मानव संसाधन-कर्मचारी विकास केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करके अपने कर्मचारियों के कौशल सेट विकसित करती है अपितु ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण/इंटर्नशिप परियोजनाओं इत्यादि के माध्यम से व्यावसायिक व्यवसायों में युवा मस्तिष्कों को प्रशिक्षित और शिक्षित भी करती है। कंपनी ने संस्थान-उद्योग कौशल अंतराल की पूर्ति के लिए इंजीनियरिंग, प्रबंधन के छात्रों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किए हैं। कंपनी के संयंत्रों में फिनिशिंग स्कूल प्रशिक्षण देश में छात्रों को उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर रहा है।

कंपनी विभिन्न श्रेणियों के छात्रों के लिए टेलीकॉम स्किल सेक्टर काउंसिल (टीएसएससी)/इलेक्ट्रॉनिक स्किल सेक्टर काउंसिल ऑफ इंडिया (ईएसएससीआई) जॉब रोल्स और आईटीआई मॉड्यूल के विभिन्न मॉड्यूल में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। 'कौशल भारत' फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत, आईटीआई ने युवाओं/प्रशिक्षुओं/छात्रों को आईटीआई के विभिन्न संयंत्रों में कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करने की शुरूआत की है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई और उनके रोजगार के अवसर और उद्यमिता में वृद्धि हुई है।

आईटीआई को मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में सूचीबद्ध किया है और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की सीखो और कमाओ' योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए 500 प्रशिक्षुओं का प्रारंभिक आवंटन / लक्ष्य प्राप्त किया है।

निम्नलिखित कुछ कार्य भूमिकाएँ ऐसी हैं जिनमें आईटीआई ने बिजली आपूर्ति, इंवर्टर एवं यूपीएस (एनएसक्यूएफ) की मरम्मत और अनुरक्षण, फोटोकॉपियर और प्रिंटर का संस्थापन एवं अनुरक्षण (एनएसक्यूएफ),

मेडिकल लैब तकनीशियन (एचसीएसएससी) इत्यादि जैसे कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किए हैं। उपरोक्त के अलावा, आईटीआई प्रशिक्षु अधिनियम/ राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों के लिए स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा (तकनीशियनों) और ट्रेड अपरेंटिस को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। इसके अलावा, क्षमता निर्माण के लिए कंपनी इंजीनियरिंग / प्रबंधन के छात्रों को उनकी इंटर्नशिप और परियोजना को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किए गए प्रतिभागियों की पाठ्यक्रम-वार संख्या निम्नानुसार है :

क्र.सं.	कौशल विकास योजना का नाम	प्रतिभागियों की संख्या
1	पावर सप्लाई, इंवर्टर एवं यूपीएस की मरम्मत एवं अनुरक्षण (एनएसक्यूएफ)	26
2	फोटोकॉपियर एवं प्रिंटर का संस्थापन एवं अनुरक्षण (एनएसक्यूएफ)	21
3	चिकित्सा लैब तकनीशियन (एचसीएसएससी)	120
4	आईटीआई व्यवसाय अप्रेंटिस (एनएसी)	125
5	डिप्लोमा तकनीशियन अप्रेंटिस	13
6	स्नातक इंजीनियर अप्रेंटिस	22
7	संयंत्र में/इंटर्नशिप प्रशिक्षण(आईटीआईएल माड्यूल)	276
8	परियोजना प्रशिक्षण (आईटीआईएल माड्यूल)	32
9	विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण (आईटीआईएल माड्यूल)	126
	योग	761

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अनुपालन

राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी यूनिटों/विपणन सेवाओं और परियोजनाओं (एमएसपी) ने अपने विभागों में जांच बिन्दू स्थापित किए हैं। प्रत्येक यूनिट/एमएसपी में गठित संबंधित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) द्वारा इनकी निगरानी की जा रही है।

कॉर्पोरेट कार्यालय सहित सभी अधीनस्थ यूनिटों/एमएसपी में राजभाषा के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा कॉर्पोरेट कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा समय-समय पर जाती है।

अस्सी प्रतिशत (80%) से अधिक कार्यरत कर्मचारियों द्वारा हिन्दी का ज्ञान प्राप्त किए जाने के पश्चात नैनी, रायबरेली, मनकापुर, नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में स्थित यूनिटों / एमएसपी कार्यालयों और निगमित कार्यालय को भारत सरकार के राजपत्र में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(2) और (4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

आईटीआई लिमिटेड, निगमित कार्यालय, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली एवं उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूरू को नियमित रूप से तिमाही प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति कर रहा है। पिछले एक वर्ष से हमारी तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के पश्चात उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूरू से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिल रही है।

हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान में संवर्धन के उद्देश्य से कर्मचारियों के लिए आंतरिक/बाह्य संकायों के सहयोग से आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों को हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके लिए योग्य कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था भी है।

वर्ष 2020-21 में सभी यूनिटों में हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया और पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। निगमित कार्यालय में स्थित राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी माह/पखवाड़ा 2020-21 के दौरान संयुक्त रूप से आईटीआई लिमिटेड की सभी यूनिटों और कर्मियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से हिंदी प्रतियोगिता चित्रकथा और आशुभाषण का आयोजन किया गया ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरू द्वारा आयोजित संयुक्त हिंदी माह प्रतियोगिताओं में यूनिटों/एमएसपी के कर्मचारियों ने भी भाग लिया और लगभग 07 पुरस्कार प्राप्त किए। कंपनी की द्विभाषी (अर्थात अंग्रेजी और हिंदी) वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है।

सतर्कता

सतर्कता विभाग संगठन के लिए उच्चतम नैतिक मानकों को कायम रखकर सत्यनिष्ठा, दक्षता और पारदर्शी स्वरूप में कार्य करने के वातावरण के निर्माण के कार्य कर रहा है जिससे कार्य का निर्वाह सुविधाजनक रूप में किया जा सके। वर्ष 2020-21 के दौरान संगठन में और अधिक पारदर्शिता और दक्षता के संचार के लिए निवारक सतर्कता क्रियाकलापों एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों और सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया था।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, कॉर्पोरेट सतर्कता ने प्रबंधन को समय-समय पर 100% ई-भुगतान, जीईएमपोर्टल के माध्यम से ई-खरीद, ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से बोली प्राप्त करने के लिए सम्मिलित कार्रवाई, यूनिटों में चोरी रोकने के लिए निवारक उपाय, सुधार की सलाह दी। एनआईटी के निर्माण और प्रकाशन से संबंधित, आईटीआई की सभी यूनिटों और कार्यालयों में पूर्ण ईआरपी कार्यान्वयन, संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों का रोटेशनल स्थानांतरण, सत्यनिष्ठा संधि का कार्यान्वयन, कर्मचारियों के मध्य सत्यनिष्ठा और प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने के लिए मासिक समीक्षा के लिए निदेश जारी हैं। निवारक सतर्कता के अंतर्गत एक अभ्यास के रूप में यूनिटों के विभिन्न विभागों को मामला-वार आधार पर अनेक प्रक्रियात्मक सुधार उपाय भी सुझाए गए हैं।

सतर्कता के लिए एक इंट्रानेट पोर्टल विकसित किया गया था और जागरूकता और बेहतर दक्षता के लिए सभी यूनिटों के संबंधित अधिकारियों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता का सुनिश्चित करते हुए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के उद्देश्य से कंपनी ने पहले ही ऑनलाइन वार्षिक संपत्ति रिटर्न एपीआर जमा करने की प्रणाली, ऑनलाइन सतर्कता क्लीयरेंस प्रणाली ओवीसीएस, आन वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन एपीएआर, आनलाइन फाइल ट्रेकिंग प्रणाली के लिए ऑनलाइन कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया है। सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता, इक्विटी और प्रतिस्पर्धात्मकता के सुनिश्चय के लिए कंपनी ने उच्चतम सीमा के साथ इसमें सत्यनिष्ठा संधि का समावेश किया है। कंपनी ने एक नया स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम) नियुक्त किया है, जिसका चयन केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इच्छुक निविदाकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए किया गया है।

कंपनी की सभी विनिर्माण यूनिटों, विपणन कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, एनएस यूनिट, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कॉर्पोरेट कार्यालय में 27 अक्टूबर 2020 से 2 नवंबर 2020 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया था।

कोविड के कारण व्याप्त स्थितियों के विचार से बाह्य क्रियाकलाप आयोजित नहीं किए जा सके थे। इसके स्थान पर, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अनुशंसा के अनुसार वीएडब्ल्यू-2020 परिपत्र के अनुलग्नक-ए में सुझाए गए क्रियाकलाप आयोजित किए गए थे। आंतरिक क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों / कार्यों के संबंध में कार्रवाई की गई थी :

भूमि रिकार्डों का डिजिटलीकरण, भूमि का मौद्रिकरण, ईआरपी प्रणाली में सम्पूर्ण डेटा को अद्यतन करना। आई.टी.आई. में आवास आवंटन नीति एवं आवास आवंटन नीति के अनुसार किया गया आवास आवंटन, समस्त यूनिटों में भूमि, क्वार्टर, दुकान आदि के अतिक्रमण से संबंधित कार्य योजना।

निविदा के आधार पर सेवाओं की आउटसोर्सिंग। बैंक खाते के माध्यम से आउटसोर्स सेवाओं के लिए वेतन/मजदूरी का भुगतान के सुनिश्चय के लिए ठेकेदार/विक्रेता आईटीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन कर रहे हैं। अनुपयोगी परिसंपत्तियों (संयंत्र एवं मशीनरी, कार्यालय उपकरण, वाहन, विविध मदें इत्यादि) का निपटान कम्पनी के नियमों (कम्पनी के अपशिष्ट सामग्री निपटान दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से नीलामी) के अनुसार किया जा रहा है। कुछ यूनिटों में आईटीआई प्रबंधन द्वारा विद्यालयों एवं अस्पतालों को भी चलाए रहे हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020 के समापन के दिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शपथ ग्रहण, निबंध/प्रश्नोत्तरी/स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन, सतर्कता जागरूता सप्ताह के समापन वक्तव्य की प्रस्तुति की गई थी।

31 मई, 2021 की स्थिति के अनुसार वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करने का कार्यान्वयन कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए कर लिया गया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 24 शिकायतें डाक एवं ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुईं थी। इनमें से 23 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है। 14 शिकायतें गुमनाम/छद्म नाम से थीं, इसलिए उन्हें फाइल कर दिया गया है तथा कुछ शिकायतों के लिए निवारक जांच की गई है। सतर्कता कार्यालय में 10 शिकायतें दर्ज की गईं। 10 में से 3 शिकायतें प्रशासनिक कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दी गई थीं तथा 6 शिकायतों की जांच करके किसी प्रकार सतर्कता तथ्य न होने के कारण बंद कर दिया गया था।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अंतर्गत अनुपालन

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 296 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें पिछले वर्षों के अग्रेषित किए 9 आरटीआई आवेदन शामिल हैं। 241 आरटीआई आवेदनों के अंतर्गत मांगी गई जानकारी दे दी गई। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा आवेदकों की सुविधा के लिए जानकारी की प्राप्ति के उद्देश्य से ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध दाखिल करने के लिए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित किया गया है। दिए गए 241 उत्तरों में से 111 मामलों की सूचना ऑनलाइन प्रदान की गई थी। आवेदकों द्वारा द्वितीय अपील के रूप में सीआईसी को संदर्भित सभी मामलों का सफलतापूर्वक समाधान एवं अनुपालन किया गया है। त्रैमासिक ऑनलाइन आरटीआई विवरण सीआईसी पोर्टल पर अपलोड किए गए थे और समान जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर भी जारी की गई थी।

लेखापरीक्षा

- **सांविधिक लेखापरीक्षक**

  आपकी कंपनी के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा की जाती है। मैसर्स जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, बेंगलुरु को बेंगलुरू संयंत्र, एनएस यूनिट, कॉर्पोरेट ऑफिस, 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए और लेखों के समेकन के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

  सांविधिक लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षा शुल्क, प्रमाणन और अन्य सेवाओं के लिए कुल 9,85,000 रुपए के पारिश्रमिक और जीएसटी का भुगतान किया गया है। उपरोक्त शुल्क यात्रा और ऊपरी खर्चों की प्रतिपूर्ति के अलावा हैं।

- **लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**

  वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत लेखों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के उत्तर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किए गए हैं।

  वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कोई जालसाजी की घटना घटित नहीं हुई है।

- **शाखा लेखापरीक्षक**

  भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के विभिन्न संयंत्रों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की निम्नलिखित फर्मों को शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

क्र.सं.	यूनिट	फर्म का नाम
1.	रायबरेली	मैसर्स आर.के.चारी एंड कम्पनी, लखनऊ
2.	नैनी	मैसर्स जी.के. अरोड़ा एंड एसोसिएट्स, इलाहाबाद
3	मनकापुर	मैसर्स पी.एन.जी. एंड कम्पनी, फैजाबाद
4.	पालाक्काड	मैसर्स आर्गी एंड कम्पनी, पालाक्काड
5	श्रीनगर	मैसर्स अमीरजान एंड एसोसिएट्स, श्रीनगर

रायबरेली के लिए शाखा लेखापरीक्षक को 1,00,000 रुपये, नैनी के लिए 80,000 रुपये, पालाक्काडके लिए 80,000 रुपये, मनकापुर के लिए 70,000 रुपए तथा श्रीनगर के लिए 20,000 रुपए का भुगतान लेखापरीक्षा, प्रमाणन एवं अन्य सेवाओं के प्रति किया गया है। उपरोक्त शुल्क लागू सेवा कर / जीएसटी और यात्रा और जेब से बाहर के खर्चों की प्रतिपूर्ति के अलावा हैं।

- लागत लेखा परीक्षक

मैसर्स जीएनवी एंड एसोसिएट्स, बेंगलुरु की सेवाएं वर्ष 2020-21 के लिए बेंगलुरू और पालक्काड में स्थित यूनिटों की लागत लेखा परीक्षा के लिए और समग्र रूप से कंपनी की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समेकन के लिए लीड लागत लेखापरीक्षक के लिए प्राप्त की गई थी।

मैसर्स अमन मालवीय एंड एसोसिएट्स, लखनऊ की सेवाएं नैनी, रायबरेली, मनकापुर और श्रीनगर में स्थित यूनिटों की लागत लेखा परीक्षा के लिए शाखा लेखा परीक्षक के रूप प्राप्त की गई थी।

लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा की गई थी और 04 दिसंबर

2020 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा 3,16,000 रुपए(जीएसटी सहित) के पारिश्रमिक की पुष्टि की गई थी। वर्ष 2019-20 की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई थी।

सम्बद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा की गई निर्दिष्टि के अनुसार लागत रिकॉर्ड का अनुरक्षण कम्पनी द्वारा किया गया है।

- सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षा करने के उद्देश्य से श्री डी वेंकटेश्वरलु, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की सेवाएं प्राप्त की हैं। वर्ष 2020-21 की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-2 में संलग्न है। सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट में संलग्न है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता के अनपुरू प्रणाली स्थापित है। अपनी परिसम्पतियों यथा सामग्री प्रबंधन मैनुअल, मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाएं, लेखांकन नीतियों, वित्तीय और परिचालन कार्यों के लिए शक्तियों के उप - प्रत्यायोजन की सुरक्षा के लिए प्रलेखित नीतियां एवं प्रक्रियाएं विधिवत स्थापित की गई हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय एवं यूनिटों के व्यावसायिक कार्मिकों की अगुवाई में कम्पनी की आंतरिक लेखापरीक्षा टीम आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रक्रियाएं करती है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन की स्थिति को दर्शाने वाली रिपोर्टों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। लेखा परीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए शाखा लेखा परीक्षकों सहित आंतरिक और सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ समय-समय पर अन्योन्य क्रियाएं भी करती है।

कंपनी द्वारा किए गए अनुपालन के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विश्लेषण और लेखा परीक्षा की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट तैयार की गई है और इसे स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी में प्रत्येक सामग्रीगत स्वरूप में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता स्थापित हैं तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के संबंध में जारी दिशानिर्देशों में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को विचार में लेकर, कम्पनी द्वारा वित्तीय विवरणों के लिए स्थापित मापदंडों के अनुरूप हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

आपकी कंपनी, एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, समावेशी विकास के लिए परिचालन क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विकास कार्य कर रही है। आपकी कंपनी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का पूर्ण एहतियात के साथ पालन करती है और इस प्रयास में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 73.45 लाख रुपए व्यय किए गए हैं।

सम्बद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों की रिपोर्ट **अनुलग्नक - 3** में संलग्न है।

सीएसआर समिति की संरचना का विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in पर देखी जा सकती है।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

आईटीआई लिमिटेड के संबंध में एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक नीति लागू नहीं होती है और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के अंतर्गत उनके निष्पादन के मूल्यांकन के प्रति छूट दी गई है।

12 अगस्त 2021 तक, कंपनी के निदेशक मंडल में आठ निदेशक हैं, जिनमें से चार पूर्णकालिक निदेशक (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित), दो सरकारी निदेशक और दो गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं।

स्वतंत्र निदेशक

रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी के निदेशक मंडल पदत्याग किया है:

1. श्रीमती आशा कुमारी जसवाल कार्यकाल पूरा होने पर 05 अप्रैल 2020 से प्रभावी
2. डॉ अखिलेश दुबे कार्यकाल पूरा होने पर 07 अगस्त 2021 से प्रभावी
3. श्री राजेन विद्यार्थी कार्यकाल पूरा होने पर 07 अगस्त 2021 से प्रभावी
4. श्री मयंक गुप्ता कार्यकाल पूरा होने पर 12 अगस्त 2021 से प्रभावी
5. डॉ. के.आर. शन्मुगाम पूरा होने पर 29 अगस्त 2021 से प्रभावी

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कम्पनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत की जाती हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

विचाराधीन वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने की घोषणा कर दी है और उन्होंने स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक में अपना नाम पंजीकृत किया है।

विचाराधीन वर्ष के दौरान 23 मार्च 2021 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

सरकारी निदेशक

सरकारी निदेशकों के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

1. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सभरवाल, एवीएसएम, वीएसएम, सरकारी निदेशक, अधिवार्षिता की आयु पूरी होने के कारण 31 दिसंबर 2020 से निदेशक नहीं हैं।
2. लेफ्टिनेंट जनरल मिलिंद एन भुर्के, एवीएसएम, वीएसएम, सिग्नल ऑफिसर - इन चीफ को लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सभरवाल के स्थान पर डीआईएन प्राप्त करने पर 07 मई 2021 से सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
3. डॉ राजेश शर्मा को फिर से 01 अगस्त 2021 से सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है

कार्यात्मक निदेशक

रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, कार्यात्मक निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

1. श्री चित्तरंजन प्रधान को 23 मार्च 2018 से निदेशक वित्त के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। नियमित पदधारी की नियुक्ति के परिणाम श्री चित्तरंजन प्रधान 15 अक्टूबर 2020 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।
2. श्री राजीव श्रीवास्तव को 15 अक्टूबर 2020 से निदेशक वित्त नियुक्त किया गया है।
3. श्री राकेश मोहन अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दिनांक 14 अक्टूबर 2019 से 7 जनवरी 2021 तक निदेशक विपणन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
4. श्री राकेश चंद्र तिवारी को 7 जनवरी 2021 से निदेशक विपणन नियुक्त किया गया है।
5. श्री शशि प्रकाश गुप्ता अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात 30.06.2021 से निदेशक मानव संसाधन नहीं हैं।
6. श्री राकेश मोहन अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को 02 जुलाई 2021 से निदेशक मानव संसाधन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

निदेशक मंडल उन निदेशकों द्वारा प्रदान किए गए सराहनीय योगदान और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता है, जिनका कार्यकाल वर्ष के दौरान समाप्त हो गया था।

श्री डी वेंकटेश्वरलू, निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के प्रभाव से उन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कार्यात्मक निदेशकों के अलावा, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के पद पर बने हुए हैं। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री राजीव श्रीवास्तव को 15 अक्टूबर 2020 से निदेशक वित्त के रूप में नियुक्त किया गया है।

निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण

विचाराधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की 9 (नौ) बैठकें आयोजित की गईं थी, जिनका विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना

रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में 3 (तीन) सदस्य शामिल थे, जिनमें से 2 (दो) स्वतंत्र निदेशक थे और 1 (एक) एक कार्यात्मक निदेशक थे। वर्ष 2020-21 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 07 (सात) बैठकें आयोजित की गईं थी, जिनका विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

वर्ष के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसके अनुसार निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं किया गया हो।

निदेशक मंडल, इसकी समितियों एवं वैयक्तिक निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन एवं निदेशकों का चयन एवं नियुक्ति की तथा उनका पारिश्रमिक

आईटीआई लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जिसके कारण निदेशक, इसकी समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन के मूल्यांकन के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। इसके अलावा, नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में भारत सरकार द्वारा मापदंडों के निर्धारण के लिए स्वयं अपनी प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है तथा निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन उनकी नियुक्ति / पुन: नियुक्ति के समय किया जाता है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति के लिए मापदंड तैयार करने के संबंध में यह प्रस्तुत है कि एक सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति के मापदंड भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी में जोखिम प्रबंधन योजना के निर्माण,कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति ('आरएमसी') है। समिति ने उचित और निरंतर जोखिम पहचान और प्रबंधन प्रक्रिया का सुनिश्चय करने के उद्देश से अपने उद्यम जोखिम प्रबंधन मैनुअल – नीति और रूपरेखा में सुधार किए हैं । कंपनी की सभी यूनिटों में जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया की जा रही है और व्यवसाय से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान करके उनके निवारण के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं। जोखिम प्राथमिकता के अलावा, सभी उप समितियों (निदेशक मंडल स्तर से नीचे) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

निदेशक मंडल समिति का विवरण और अन्य विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में जोखिम प्रबंधन के बारे में एक विस्तृत नोट दिया गया है।

सचेतक नीति / चौकसी तंत्रव्यवस्था

चौकसी तंत्रव्यवस्था का विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है जो प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने अतरंग व्यापार नियमों से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए सचेतक नीति में संशोधन किए हैं।

कर्मचारियों का विवरण

सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। इसलिए, इससे संबंधित विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट तथा व्यावसायिक उत्तरदेयता रिपोर्ट

सूचीबद्धता विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट में ''प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट'' तथा व्यवसाय उत्तरदेयता रिपोर्ट के लिए भिन्न खंड क्रमश: अनुलग्नक 4 तथा 5 के रूप में शामिल किए गए हैं तथा ये निदेशक रिपोर्ट का भाग हैं।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

सूचीबद्धता विनियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन शर्तों के अनुपालन पर कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट का भाग है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन की उक्त शर्तों का अनुपालन करने का प्रमाण पत्र भी निदेशक रिपोर्ट का भाग है।

वार्षिक विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, वार्षिक विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/investor@information पर उपलब्ध है।

संबंधित पक्षकार संव्यवहार

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रविष्टि किए गए सभी सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे और आर्म लैंथ के आधार पर किए गए हैं।

कंपनी द्वारा सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार के संबंध में एक नीति का निर्माण किया है जो कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/investor@information पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत आवश्यक सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार का प्रकटीकरण की प्रस्तुति फार्म एओसी2 में करने की अपेक्षा कंपनी के लिए लागू नहीं है। सदस्य वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 32 से संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं जिसमें इंडएएस 24 के अनुसरण में सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार के प्रकटीकरण दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि और रिपोर्ट की तिथि के अंतराल के दौरान वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले सामग्रीगत परिवर्तन

वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि और इस रिपोर्ट की तिथि के अंतराल में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई सामग्रीगत परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं। कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया है।

कोविड-19 महामारी का प्रभाव

कोविड -19 महामारी से अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व अनिश्चितता उत्पन्न हुई है और सामान्य रूप से व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का प्रवाह बाधित हुआ है। आवश्यक कर्मचारियों के अलावा, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 22 मार्च 2020 से सभी यूनिटों में विनिर्माण क्रियाकलाप और परियोजना निष्पादन से संबंधित कार्य रोक दिए गए थे। इसके पश्चात 20 अप्रैल 2020 से सभी यूनिटों और कॉर्पोरेट कार्यालयों में चरणबद्ध विधि से परिचालन धीरे-धीरे फिर से प्रारंभ किए गए थे। कॅम्पोनेंट्स/कच्चे माल की प्राप्ति, आर्डरों में देरी, कार्यशील पूंजी की कमी के कारण उत्पादन और परियोजना निष्पादन प्रभावित हुए थे, जिसका आगे प्रभाव कंपनी के परिचालन पर हुआ। तथापि, मजबूत ऑर्डर बुक के साथ, कंपनी उत्पादन अंतराल की पूर्ति के लिए सक्षम बनी हुई थी।

विनियामक अथवा न्यायालय आदेश

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, किसी भी न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल अथवा विनियामक प्राधिकरण का कोई आदेश या निर्देश ऐसा नहीं था जिससे कंपनी की गोइंग कंसर्न स्थिति अुवा कंपनी के व्यवसाय प्रचालनों पर किसी प्रकार महत्वपूर्ण हुआ हो।

निदेशकों का उत्तरदेयता विवरण

निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि

(क) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के निर्माण के लिए लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, का समावेश किया गया है ।

(ख) वित्ती य वर्ष के अंत में कम्पंनी के क्रियाकलापों की सत्य एवं स्पष्ट, रूपरेखा तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी की लाभदेयता को प्रस्तुंत करने के उद्देश्या से ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है तथा उनका सुसंगत प्रयोग किया गया है जो निर्धारण एवं अनु'ानों के लिए औचित्ययपरक एवं विवेक सम्मत हैं ।

(ग) कम्प नी की परिसम्पत्तियों के संरक्षण तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं उनके अंवेषण के लिए कम्पनी अधिनियम, 1913 के प्रावधानों के अंतर्गत लेखांकन के उपयुक्त रिकार्ड का अनुरक्षण उचित एवं पर्याप्त सावधानी के साथ किया है ।

(घ) वार्षिक लेखों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर किया है;

(ङ) यथोचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा ऐसे वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से कार्यशील थे ; त था

(च) सभी लागू विधानों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उस उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है जो प्रक्रिया यथोचित एवं कार्यकुशल स्वरूप में कार्य कर रही थी ।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए गए ऋण, गारंटी और निवेश से संबंधित कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अनुपालन की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान,दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 9 के अंतर्गत एमडी डिजिट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2021 को आईटीआई लिमिटेड के विरूद्ध एक आवेदन माननीय एनसीएलटी, बेंगलुरु के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान स्थिति के अनुसार यह मामला दिनांक 31 मार्च, 2021 को आगे की कार्रवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत अन्य कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था अथवा कोई कार्रवाई वित्तीय वर्ष के दौरान लंबित नहीं थी।

एकमुश्त निपटान के तौर पर किए गए मूल्यांकन तथा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूल्यांकन के मध्य का विवरण तथा उससे संबंधित कारण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एकमुश्त निपटान का कोई मामला नहीं है।

मनोरंजन व्यय और विदेश यात्रा

मनोरंजन पर रु.0.56 लाख रुपए व्यय किए गए थे। वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों द्वारा आधिकारिक विदेश दौरे पर किया गया व्यय शून्य था।

नागरिक चार्टर

कंपनी ने नागरिक चार्टर का रखरखाव किया है, जिसमें ग्राहकों, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत ग्राहकों का विवरण, शिकायत निवारण की विभिन्न प्रणाली इत्यादि का उल्लेख है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरणअनुलग्नक 6 में प्रस्तुत है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से संबंधित प्रापण नीति आदेश 2012

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में सम्बद्ध संशोधनों के साथ पठित प्रापण नीति आदेश 2012 का अनुपालन कॅम्पनी की सभी यूनिटों द्वारा किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में एमएसएमई खरीद के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 25% है। कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान पूरे वर्ष प्रापण प्रक्रियाएं बाधित होने पर भी कम्पनी द्वारा अपने वार्षिक प्रापण में से 13.50% प्रापण एमएसएमई विक्रेताओं से करने का अच्छा लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से संबंधित प्रापण नीति आदेश 2012

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में सम्बद्ध संशोधनों के साथ पठित प्रापण नीति आदेश 2012 का अनुपालन कंपनी की सभी यूनिटों द्वारा किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में एमएसएमई खरीद के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 25% है। कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान पूरे वर्ष प्रापण प्रक्रियाएं बाधित होने पर भी कम्पनी द्वारा अपने वार्षिक प्रापण में से 13.50% प्रापण एमएसएमई विक्रेताओं से करने का अच्छा लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

आभारोक्ति

आपका निदेशक मंडल अपने सभी ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों, बैंकों द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान किए गए सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेषत: संचार मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय और साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों, विनियामकों एवं सांविधिक प्राधिकरणों का भी प्रदान किए गए सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हैं और यह आशा व्यक्त करता है कि यह समर्थन भविष्य में भी इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा।

निदेशक मंडल अपने सभी स्टेकधारकों और साथ ही बैंकों, निवेशकों, सदस्यों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों इत्यादि को भी प्रस्तुत सहयोग के लिए आभारी है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप दिवंगत हुए व्यक्तियों के लिए शोक की अभिव्यक्ति करने के साथ साथ निदेशक मंडल उस प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख नतमस्तक होकर अपना सम्मान व्यक्त करता है जिन्होंने अपने जीवन और अपेक्षित सुरक्षा के जोखिम इस वैश्विक महामारी के साथ संघर्ष किया है। निदेशक मंडल अपने प्रत्येक कर्मचारी की सराहना के साथ उनके द्वारा प्रदत्त अमूल्य योगदान को महत्वपूर्ण मान रहा है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

स्थान : बेंगलुरू
तिथि : 7 अक्टूबर, 2021

राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए प्रेक्षणों के संबंध में कम्पनी के उत्तर

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कम्पनी की टिप्पणियां
प्रमाणीकरण योग्य अर्हता		
1.	कम्पनी द्वारा 5,847.90 लाख रुपए की राशि का वहन 31.3.2011 को समाप्त अवधि तक पट्टे पर दिए गए परिसरों के प्रति सी-डॉट से किराए केरूप में प्राप्य के रूप में किया जा रहा है। कम्पनी ने इस राशि की क्रेडिट हानि, जिसकी वसूली संदेहास्पद है, के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए हैं। वसूली केप्रति अनिश्चितता के कारण कम्पनी ने आगे की अवधि के देय किरायों के संबंध में भी कोई स्वीकृति नहीं दी है।	सी-डॉट से किराए के रूप में प्राप्य इस लंबित मामले के स'धान के लिए कम्पनी सी-डॉट के साथ समाधान के लिए निरंतर अनुसरण कर रही है। इसके संबंध में, दूरसंचार विभाग द्वारा विषयक मामले को आईटीआई के निदेशक मंडल के सम्मुख आगे की कार्रवाई का निर्धारण करने के लिए प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया है। कम्पनी का यह मानना है कि इस स्थिति में 5847.90 लाख रुपए के लिए मामले का निपटान होने तक प्रावधान किए जाने अपेक्षित नहीं हैं।
2.	कम्पनी ने चालू वित्तीय परिसम्पतियां - ऋण के अंतर्गत शामिल की गई निम्नलिखित मदों से संबंधित क्रेडिट हानियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किए हैं जिनकी प्राप्ति संदेहास्पद है : (I) आईटीआई, एचसीएल एवं एल्काटेल के मध्य किए गएअनुबंध के आधार पर कम्पनी की मानकपुर यूनिट की ओर से व्यय की गई अतिरिक्त राशि केप्रति एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड से प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्य 1690.20 लाख रुपए की राशि।	बीएसएनएल की जीएसएम परियोजना 2 एम, 3 एम तथा 9 एम एवं एमटीएनएल की परियोजना 1 एम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2006 में मास्टर अनुबंध (एमओयू) किए गए थे तथा बाद में उसमें परिशिष्ट जोड़े गए थे। एलडी, भुगतान एवं कुछ कार्यों को बीच में बंद किए जाने के कारण पक्षकारों के बीच विवाद बढ़ गया था जिसके लिए एचसीएल द्वारा सिविल मामले की पैंडेंसी के दौरान दिसम्बर, 2017 में विवाचन के खंड का उपयोग किया गया है। इस मामले में, आईटीआई लिमिटेड ने एक संशोधित प्रतिकार दावा दायर किया है। आरडब्ल्यू 1 के लिए जिरह जारी है। मामले को अंतिम बार आरडब्ल्यू 1 की आगे की जिरह दिनांक 10.4.2021 से 13.4.2021 को करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। तथापि, वैश्विक महामारी की स्थिति के कारण यह नहीं हो पाई है। विवाचक द्वारा वैश्विक महामारी एवं लॉकडाउन की स्थिति के कारण सुनवाई के लिए अगली तिथि नहीं दी गई है। हमें यह आशा है कि इसका निर्णय कम्पनी के पक्ष में होगा, अत: ऐसी स्थिति में प्रावधान किए जाने संभव नहीं हैं।
	(ii) निर्णित हर्जाने केरूप में हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड से प्राप्य 1049.41 लाख रुपए।	आईटीआई लिमिटेड एवं मैसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) के बीच एकीकृत फिक्स्ड वायरलैस टेलीफोन (आईएफडब्ल्यूटी) सेट्स की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया गया था तथा दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के चलते मैसर्स एचएफसीएल द्वारा विवाचन खंड का उपयोग किया गया है। इसका निर्णय एचएफसीएल के पक्ष मे पारित हुआ है। तथापि, एचएफसीएल ने अवार्ड में संवर्धन के लिए प्रस्तुत मामले को दायर किया है। यह मामला दिनांक 28.1.2020 को सूचीबद्ध किया गया था। हमें इस मामले का निर्णय कम्पनी के पक्ष में लिए जाने पूरी उम्मीद है, अत: ऐसी स्थिति में प्रावधान किए जाने संभव नहीं हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा किए गए प्रेक्षण के उत्तर

सचिवीय लेखापरीक्षक का प्रेक्षण	कम्पनी का उत्तर / स्पष्टीकरण
क) कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत किए गए प्रेक्षण / अन्यथा अनुपालन / प्रतिकूल टिप्पणियां / अर्हता निम्नानुसार है : * कम्पनी ने निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होने से संबंधित अधिनियम की धारा 149(1) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है।	आईटीआई लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक केन्द्रीय उपक्रम है तथा यह निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों (''लोक उद्यम विभाग दिशानिर्देशों'') के अंतर्गत शासित है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों एवं कम्पनी के संगम अनुच्छेद में निदेशकों की नियुक्ति दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाने की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। महिला निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है।
ख) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत प्रेक्षण / अन्यथा अनुपालन / प्रतिकूल टिप्पणियां / अर्हता निम्नानुसार है : * कम्पनी ने निदेशक मंडल के गठन के संबंध में एलओडीआर के विनियम 17(1) के प्रावधानों महिला निदेशक न होने तथा स्वतंत्र निदेशकों का उचित अनुपात न होने का अनुपालन नहीं किया है।	

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त
राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलुरू
तिथि : 7 अक्टूबर, 2021

अनुलग्नक - 1

निदेशक रिपोर्ट का अनुलग्नक

फार्म एओसी - 1

संयुक्त उद्यमों भाग ''क'' : सहायक कम्पनियों - लागू नहीं, भाग ''ख'' : सम्बद्ध कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों के प्रमुख आकर्षणों की प्रस्तुति करने वाले विवरण

संयुक्त उद्यम से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के उपबंधों के अनुसार विवरण

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	इंडिया सेटकॉम लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	31.03.2021
2	वर्ष के अंत में कम्पनी द्वारा संयुक्त उद्यम कम्पनी में धारित अंशभाग	16,21,800इक्विटी शेयर 10/- रुपए प्रत्येक
a	संयुक्त उद्यम कम्पनी में किए गए निवेश की राशि	40.55 लाख रुपए
b	धारिता का %	49%
3	वर्णन करें कि महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है	पूर्ण चुकता पूंजी के 49% तक इक्विटी में निवेश
4	संयुक्त उद्यम कम्पनी का समेकन न किए जाने के कारण	लागू नहीं
5	पुनर्मुल्यांकन रिजर्व के बिना अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता से सम्बद्ध निवल सम्पति	(1,652.17) लाख रुपए
6	वर्ष के दौरान लाभ / हानि	(351.37) लाख रुपए
i)	समेकन के लिए विचार में लिया गया	जी, हां।
ii)	समेकन के लिए विचार में नहीं लिया गया	लागू नहीं

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000863एस

गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार एम सं. 208063

स्थान : बेंगलुरू
दिनांक : 07.10.2021

कृते एवं निदेशक मडल के निमित्त

एस. शनमुगा प्रिया
कम्पनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त / मुख्य वित्त अधिकारी

राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक - 2

निदेशकों की रिपोर्ट

फार्म सं. एमआर-3

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी) प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक (नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में
सदस्य
आईटीआई लिमिटेड
(सीआईएन: एल32202केए1950जीओआई000640)
आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर,
बेंगलूरु - 560016

मैंने लागू सांविधिक उपबंधों के अनुपालन तथा आईटीआई लिमिटेड(सीआईएन:एल32202केए1950जीओआई000640) (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा पालन की गई अच्छी कार्पोरेट प्रक्रिया में सचिवालयीन लेखा परीक्षा संचालित की है। सचिवालयीन लेखा परीक्षा इस ढंग से संचालित की गई कि कॉर्पोरेट आचरण/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन हेतु मुझे एक युक्तियुक्त आधार मिला और उसके अनुसार मैंने विचार व्यक्त किया ।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों एवं रिटर्न का मेरे द्वारा किए गए सत्यापन और कंपनी द्वारा बनाकर रखे गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं, हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं व्याख्यात्मक विवरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई छूटों पर विचार करते हुए कोविड-19 वैश्विक महामारी के मैलाव के कारण, मैं एतद द्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान आमतौर पर यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करती रही है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड हैं – प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र सुव्यवस्थित रूप में है, उसके तरीके और उसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन निम्नानुसार है:

मैंने बही, कागजात, कार्यवृत्त बही, फाइल किये गये फार्म एवं वापसी तथा आईटीआई द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों पर 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की जांच निम्न उपबंधों के अनुसार की है :

1 कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंदर बनाये गये नियम,

2 सुरक्षा संविदा (विनियम) अधिनियम,1956 (एससीआरए) तथा उसके अंदर बनाये गये नियम,

3 जमा राशि अधिनियम, 1996 तथा उसके अंदर बनाये गये विनियम और उपनियम,

4 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 तथा उसके अंदर सीधे विदेश निवेश, समुद्र पारीय सीधे निवेश की सीमा तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारी ।

5 कंपनी के लिए लागू सीमा तक भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड के अंतर्गत निम्न विनियम एवं मार्गदर्शन निर्धारित किए गये:

क. भारत का प्रति भूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर का वास्तविक अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम,2011 ;

ख. भारत का प्रति भूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 ;

ग. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना तथा आवश्यकता प्रकटीकरण) विनियम, 2018;

घ. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) मार्गदर्शी, 1999/भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी लाभ पर आधारित शेयर) विनियम, 2014 – लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं ।

ङ. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना एवं सूची बनाना) विनियम, 2008– (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं) ।

च. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी मामले तथा शेयर हस्तांतरण एजेण्टों के पंजीयक) विनियम, 1993 कॅम्पनी अधिनियम 2013 तथा ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में।

छ. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर को सूची से हटाना) विनियम, 2009; – (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं) । तथा

ज. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम, 2018; – वर्ष के दौरान सूची से कोई वापसी खरीद नहीं की गई।

मैंने निम्नलिखितों को लागू खंडों के अनुरूप अनुपालन के लिए भी जांच की है:

I) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 (एलओडीआर)।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के बाद, विभागों के प्रमुखों द्वारा बनाए गए अनुपालन प्रमाणपत्र और उन्हें कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए गए, परीक्षण-जांच के आधार पर, कंपनी ने विशेष रूप से कंपनी के साथ लागू निम्नलिखित कानूनों /दिशानिर्देशों / नियमों का अनुपालन किया है :

I) लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देश

ii) संचार मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश

iii) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997

iv) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

v) ई-कचरा/अपशिष्ट(प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2016

vi) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश / विनियम

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि, लागू वित्तीय कानूनों का कंपनी द्वारा अनुपालन जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून और वित्तीय अभिलेखों और खातों पुस्तकों के रखरखाव की समीक्षा, इस लेखा परीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक वित्तीय लेखा परीक्षकों, कर लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

क) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के संबंध में टिप्पणियां/गैर-अनुपालन/प्रतिकूल टिप्पणियां/योग्यताएं निम्नानुसार हैं:

❊ कंपनी ने अधिनियम की धारा 149(1) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है जिसमें बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए ।

ख) सेबी के अनुपालन के संबंध में टिप्पणियां/गैर-अनुपालन/प्रतिकूल टिप्पणियां/योग्यताएं (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (एलओडीआर) विनियम, 2015 इस प्रकार हैं:

❊ कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में एलओडीआर के विनियम 17 (1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है

महिला निदेशक का न होना और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के लिए

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि:

अ. कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में बदलाव किए गए हैं। हालांकि, कंपनी ऊपर उल्लिखित एलओडीआर के विनियमन 17 के प्रावधानों के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या को नियुक्त करने में सक्षम नहीं हो पाई है।

आ. बोर्ड की बैठक के आयोजन हेतु सभी निदेशकों को कार्य सूची तथा कार्य सूची पर व्याख्यात्मक टिप्पणी की समुचित सूचना कम से कम सात दिन पहले दी गई तथा बैठक के पहले कार्य सूची मदों पर और सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने के साथ ही साथ बैठक में सार्थक सह भागिता के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

इ. बोर्ड की बैठक में सभी निर्णयों को अपेक्षित बहुमत से किया जाता है जैसा कि निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत में दर्ज की जाती है जैसा कि मामला हो।

ई. मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि जैसा कंपनी ने प्रस्तुत किया और मैं विश्वस्त हुआ, कंपनी में इसके आकार एवं प्रक्रिया के साथ, लागू कानून, नियम, विनियम तथा मार्गदर्शनों के अनुश्रवण एवं इसे सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली एवं प्रक्रिया विद्यमान है।

उ. मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के अनुपालन में कॅम्पनी के मामलों पर प्रमुख से प्रभाव डालनेवाली घटनाएं/क्रियाएं निम्नलिखित हैं :

I) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 के प्रावधान और कंपनी (सूचीपत्र और प्रतिभूति का आबंटन) नियम 2014 का नियम 14, कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं क्योंकि 84,03,361इक्विटी शेयर के अधिमान्य मुद्दे के रूप में 10 रूपये/ - 114.95/-की एक प्रीमियम पर प्रत्येक - भारत के राष्ट्रपति के लिए आवंटित बीमार औद्योगिक कंपनियों के पुनर्वास योजना (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण (बीआईएफआर) बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों के तहत 9 फरवरी2021को किया गया है।

ii) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के पास सेबी के विनियमन 38 (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के साथ 03 अगस्त 2018 को संशोधित अधिसूचना के साथ पढ़ें, के अनुसार पच्चीस (25%) की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की आवश्यकता के अनुपालन के लिए 02 अगस्त 2021 तक का समय है।

डी वेंकटेश्वरलू
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस सं 8554 : सीपी सं. 7773
यूडीआईएन :एफ008554: सी 000684702

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 26जुलाई, 2021

इस रिपोर्ट को मेरे इसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुबंध ए के रूप में संलग्न है तथा फार्म इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है ।

"अनुबंध - क"

सेवा में,
सदस्यगण
मेसर्स आईटीआई लिमिटेड
(सीआईएन: एल32202केए1950जीओआई000640)
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर
बेंगलूरु 560 016

समदिनांकित तिथि से मेरा यह रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ा हुआ समझे ।

1. सचिवीय रिकार्ड के रखरखाव की जिम्मेसदारी कंपनी के प्रबंधन की है । मेरी जिम्मेदारी, ऑडिट के आधार पर किए गए इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करने की है।

2. सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए जहाँ तक उपयुक्त थे, मैंने ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है । सही तथ्य सचिवीय रिकार्ड में परिलक्षित हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन के आधार पर परीक्षण किया गया । हम प्रक्रियाओं और प्रथाओं में विश्वास रखते हैं, हम अपनी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं ।

3. मैं, वित्तीय रिकार्ड और कंपनी के खातों की पुस्तयक की सत्यता और औचित्य को सत्यातपित नहीं किया है ।

4. जहाँ कहीं आवश्यक हो, मैं कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन के बारे में और घटनाओं आदि से संबंधित, प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है ।

5. निगमित और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालना, प्रबंधन की जिम्मेदारी है । मेरी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन के लिए सीमित था।

6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के रूप में एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता जिसके साथ कंपनी के मामलों का आयोजन प्रबंधन के साथ किया गया है ।

डी वेंकटेश्वरलू
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस सं 8554 : सीपीस 7773
यूडीआईएन :एफ008554: सी 000684702

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 26जुलाई, 2021

अनुलग्नक - 3

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों की रिपोर्ट

1. कम्पनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति का सार संक्षेप

आईटीआई लिमिटेड, दूरसंचार, इलैक्ट्रानिक्स एवं आईसीटी उत्पादों, सेवाओं एवं समाधानों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अपने विजन को साकार करने की दिशा में इस प्रकार कार्य कर रही है कि इससे लोगों के जीवन में बदलाव स्थापित हो एवं समाज की आर्थिक स्थिति, पर्यावरण तथा समृद्धि की समस्याओं का समाधान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रयासों से किया जा सके।

आईटीआई सहभाजित मूल्य अभिमुखता को अंगीकार करके अपने सभी स्टेकधारकों के हितों को संज्ञान में लेकर सीएसआर परियोजनाओं के अपने परिचालन सामाजिक के प्रति उत्तरदेयी एवं संवहनीय स्वरूप में कर रही है।

क्षमता निर्माण, जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम संगठन में विभिन्न स्तरों पर प्रेरणा के माध्यम से सीएसआर एवं संवहनीयता की अवधारणा दीर्घस्थायी है।

संगठन में सीएसआर एवं संवहनीयता के प्रवाह के लिए पर्याप्त संसाधनों के निर्धारण एवं यथोचित संगठनात्मक संरचना का निर्माण करना एवं वार्षिक आधार पर निष्पादन की रिपोर्ट की प्रस्तुति के प्रति प्रतिबद्धता है।

सीएसआर परियोजनाओं के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(क) सीएसआर गतिविधियों का निर्वाह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से ऐसी संवहनीय विधि से करना जो जो पारदर्शी और नीतिपरक हो।

(ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संवहनीयता के तत्वविचार का एकीकरण कंपनी के मूल मूल्यों के साथ करना।

(ग) कर्मचारियों में सभी स्तरों पर सीएसआर और संवहनीयता के भाव का समावेश करना और कंपनी के सभी क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं, परिचालनों और संव्यवहारों में इसे शामिल करना।

(घ) कंपनी और कंपनी के अन्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा उपयुक्त पाए गए अथवा निर्धारित किए गए किसी अन्य मामले पर प्रक्रिया करना।

2. **कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संरचना**

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर की बैठकें में प्रतिभागिता
1	श्री राकेश मोहन अग्रवाल	अध्यक्ष	1	1
2	श्री शशि प्रकाश गुप्ता	सदस्य	1	1
3	श्री डी. वेंकटेश्वरलू	सदस्य	1	-
4	डा. अखिलेश दुबे	सदस्य	1	1

3. **कम्पनी में सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति एवं सीएसआर परियोजनाओं का विवरण वेबसाइट :** http//www.itiltd.in **पर दिया गया है।**

4. **सीएसआर परियोजनाओं के सबंध में किए गए प्रभाव मूल्यांकन का विवरण :** लागू नहीं

5. **कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि तथा वित्तीय वर्ष में समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, का विवरण**

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वर्षों में समंजन के लिए उपलब्ध राशि (रुपए लाख में)	वित्तीय वर्ष में समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, (रुपए लाख में)
1	201920	33.10	33.10
2	201819	64.12	64.12
3	201718	00.00	00.00
	योग	**97.22**	**97.22**

6. **धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत निवल लाभ :** 8,520 लाख रुपए

7. (क) **धारा 135(5) के अंतर्गत निवल लाभ के औसत का दो प्रतिशत :** 170 लाख रुपए

(ख) **पूर्व वित्तीय वर्षों में सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अतिरेक :** शून्य

(ग) **वित्तीय वर्ष के दौरान समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो:** 97.22 लाख रुपए

(घ) **वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग):** 170 लाख रुपए - 97.22 लाख रुपए = 72.78 लाख रुपए

8. **(क) वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया व्यय अथवा अव्यतित व्यय**

वित्तीय वर्ष **2020 - 21** के दौरान व्यय की गई कुल राशि (रुपए लाख में)	अव्यतित राशि (रुपए में))				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्यतित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के परंतुक के अनुसार अनुसूची **VII** के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण कीतिथि
73.45	-	-	-	-	-

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान आनगोइंग परियोजनाओं के प्रति व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण : शून्य

(ग) आनगोइंग के अलावा वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य परियोजनाओं के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध क्रियाकलाप की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि	कार्यान्वयन का माध्यम डायरेक्ट (हां / नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	कोविड-19 के दौरान जरूरतमंदों को किराना किट का वितरण	भूख उन्मूलन (अनुसूची VII की मद संख्या I)	जी, हां।	कर्नाटक	बेंगलूरू	8,00,156	जी, हां।	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	"ñZhmb¶ H$m" {def à~YZ ~ƒm H$ {bE आईटीआई स्कूल बौद्धिक)दिव्यांग(	शिक्षा (अनुसूची VII की मद संख्या ii)	जी, हां।	कर्नाटक	बेंगलूरू	27,16,760	जी, हां।	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	पीएम केयर्स निधि में योगदान	पीएम केयर्स निधि	नहीं	सम्पूर्ण भारत	सम्पूर्ण भारत	1,35,895	जी, हां।	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	सामान्य जनता के उपयोग के लिए आईटीआई टाउनशिप में सामान्य पार्कों का रखरखाव,	पर्यावरण अनुसूची) VII की मद संख्या iv)	जी, हां।	कर्नाटक	बेंगलूरू	8,99,705.03	जी, हां।	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	कोविड 19 के दौरान जरूरतमंद प्रशिक्षुओं और अन्य आकस्मिकों के लिए आईटीआई जनरल कैंटीन में तैयार भोजन की आपूर्ति	भूख उन्मूलन)अनुसूची VII की मद संख्या I)	जी, हां।	कर्नाटक	बेंगलूरू	5,00,000	जी, हां।	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	पर्यावरण की बेहतरी के लिए टाउनशिप में रिक्त एवं चयनित क्षेत्र में विभिन्न किस्मों के 500 पौधे रोपना	पर्यावरण अनुसूची) VII की मद संख्या iv)	जी, हां।	कर्नाटक	बेंगलूरू	50,513.24	जी, हां।	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	निकटस्थ बोवी कॉलोनी के निवासियों के लिए मुफ्त जल की आपूर्ति	सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना (अनुसूचीVII की मद संख्या I)	जी, हां।	कर्नाटक	बेंगलूरू	3,00,150	जी, हां।	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	बे क्षेत्र एवं बैकयार्ड की फेस लिफ्टिंग	पर्यावरण (अनुसूचीVII की मद संख्याiv)	जी, हां।	कर्नाटक	बेंगलूरू	3,99,326.21	जी, हां।	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	ऑटोमैटिक सेनिटाइजर 8.5 लीटर, फेसशील्ड 1000, सेनिटाइजर 1 कैन 5 लीटर	स्वास्थ्य देखभाल स्वच्छता को बढ़ावा देना(अनुसूचीVII की मद संख्याi)	जी, हां।	केरल	पालाक्काड	56,000	जी, हां।	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	1 सेनिटाइजर यूनिट तथा सेनिटाइजर	स्वास्थ्य देखभाल स्वच्छता को बढ़ावा देना)अनुसूचीVII की मद संख्याi)	जी, हां।	केरल	पालाक्काड	5,000	जी, हां।	लागू नहीं	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध क्रियाकलाप की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि	कार्यान्वयन का माध्यम डायरेक्ट (हां / नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
11.	लॉकडाउन के दौरान आसपास के गांवों के जरूरतमंद लोगों को राशन के पैकेट का वितरण	भूख उन्मूलन (अनुसूची VII की मद संख्या I)	जी, हां।	उत्तर प्रदेश	मनकापुर	1,00,000	जी, हां।	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	संकटग्रस्त समुदायों को खाद्य आपूर्ति, आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को मास्क, हैंड वॉश, सैनिटाइज़रका वितरण	भूख उन्मूलन)अनुसूची VII की मद संख्या I)	जी, हां।	उत्तर प्रदेश	नैनी	27,000	जी, हां।	लागू नहीं	लागू नहीं
13.	सशस्त्र सेना बल के लिए ध्वज दिवस में योगदान (एएफएफडीएफ)	सेवानिवृत सशस्त्र सेना बल के कल्याणार्थ (अनुसूची VII की मद संख्या VI)	जी, हां।	कर्नाटक	बेंगलूरू	5,00,000	जी, हां।	लागू नहीं	लागू नहीं
14.	स्वचालित सेनीटाइजर डिस्पेंसर 4.5 लीटर, 2नग का दान	स्वास्थ्य देखभाल स्वच्छता को बढ़ावा देना(अनुसूची VII की मद संख्या i)	जी, हां।	केरल	पालाक्काड	5,000	जी, हां।	लागू नहीं	लागू नहीं
15.	आईटीआई एस्टेस एवं आसपास के क्षेत्रों में आवधिक रूप से स्वच्छता क्रियाकलाप	स्वास्थ्य देखभाल स्वच्छता को बढ़ावा देना(अनुसूची VII की मद संख्या i)	जी, हां।	कर्नाटक	बेंगलूरू	8,50,150	जी, हां।	लागू नहीं	लागू नहीं
	योग					73,45,655.48			

(घ) प्रशासनिक ओवरहैड के लिए व्यय की गई राशि : शून्य

(ड.) प्रभाव मूल्यांकन, यदि लागू है, के लिए व्यय की गई राशि : शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ड.) : 73.45 लाख रुपए

(छ) समंजन के लिए अतिरेक राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपए लाख में)
(i)	धारा 135(5) के अंतर्गत औसत निवल लाभ के औसत का दो प्रतिशत	170.00
(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय	72.78
(iii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई अतिरेक राशि [(ii)-(i)]	-97.22
(iv)	पूर्व वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अतिरेक, यदि कोई हों	-0-
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समंजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-97.22

9. **(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय न की गई सीएसआर राशि का विवरण : शून्य**

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए आनगोइंग परियोजना में व्यय की गई राशि का विवरण : शून्य

10. **यदि पूंजी परिसम्पतियों का निर्माण अथवा अधिग्रहण किया गया है तो वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय से निर्मित अथवा अधिग्रहित परिसम्पति का विवरण दें (परिसम्पति वार विवरण)**

क. पूंजी परिसम्पति (परिसम्पतियों) का निर्माण अथवा अधिग्रहण करने की तिथि -लागू नहीं-

ख. पूंजी परिसम्पति के निर्माण अथवा अधिग्रहण पर व्यय की गई सीएसआर राशि -लागू नहीं-

इकाई अथवा सार्वजनिक प्राधिकारी अथवा लाभग्राही का विवरण जिसके नाम पर उक्त पूंजी परिसम्पति पंजीकृत है तथा उनका पता इत्यादि - लागू नहीं-

ग. निर्माण अथवा अधिग्रहण की गई पूंजी परिसम्पति (परिसम्पतियों) का विवरण प्रस्तुत करें (पूंजी परिसम्पति के पूरे पते एवं स्थल सहित) -लागू नहीं-

11. **यदि कम्पनी ने धारा 135 (5) के अंतर्गत औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय नहीं किया है तो कारण स्पष्ट करें।** -लागू नहीं-

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त
राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और कंपनी के अध्यक्ष

स्थान : बेंगलुरू
तिथि : 7 अक्टूबर, 2021

अनुलग्नक-4

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खंड क: कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना

1.	कम्पनी का कार्पोरेट पहचान संख्या (CIN)	L32202KA1950GoI000640
2.	कम्पनी का नाम :	आईटीआई लिमिटेड
3.	पंजीकृत पता :	आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलूरू-560016
4.	वेबसाइट :	www.itiltd.in
5.	इमेल आईडी :	cosecy_crp@itiltd.co.in
6.	रिपोर्टिंग का वित्तीय वर्ष :	2020-21
7.	कम्पनी के कार्य क्षेत्र (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड-वार) :	दूरसंचार प्रौद्योगिकी; रक्षा उत्पाद; टर्नकी परियोजनाओं का निष्पादन; संचार प्रणाली एवं उत्पादों का निर्माण एवं आपूर्ति; बैंकिंग उत्पाद एवं आईटी सेवाएं
8.	कम्पनी के निर्माण /दी जा रही सेवा के प्रमुख उत्पाद/सेवाओं की सूची (तुलन पत्र के अनुसार) :	1) भारतीय रक्षा, गृह मंत्रालय इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के एनक्रिप्शन उपकरणों के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति एवं अनुरक्षण इत्यादि के कार्य 2) देश में सुरक्षित संचार के रणनीतिक नेटवर्क के नियोजन के लिए एस्कॉन (एएससीओएन) चरण IV परियोजना का निष्पादन तथा अगले 10 वर्षों के लिए अनुरक्षण। इस परियोजना में रक्षा बलों के लिए सम्पूर्ण भारत में संचार नेटवर्क का नियोजन एवं अनुरक्षण के कार्य किए जाने हैं। इसमें अवसंरचना एवं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए सिविल निर्माण कार्य, संस्थापन, कमीशनिंग एवं आईपीएमपीएलएस राउटरों, माइक्रोवेव रेडियो, सेटेलाइट टर्मिनल्स, एनएमएस एवं टेस्टिंग टूलों जैसे उपकरणों का अनुरक्षण करने के कार्य शामिल हैं।

		3) टर्नकी परियोजना का निष्पादन यथा ग्राम पंचायत तक संचार नेटवर्क बिछाने के लिए भारतनेट चरण ॥ परियोजना की ''परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए)'', परियोजना कार्यान्वयन के लिए एचडीपीई डक्ट, ओएफसी, जीपीओएन उपकरण, एफडीएमएस, सौर पैनल, वाई-फाई उपकरणों का विभिन्न उत्पाद यूनिट में निर्माण।
9.	स्थलों की कुल संख्या जहां कम्पनी द्वारा अपने व्यापार क्रियाकलाप किए जाते हैं: (क) अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की संख्या (क) राष्ट्रीय स्थलों की संख्या	शून्य **निर्माण यूनिटें:** बेंगलूरू (कर्नाटक), पालाक्काड (केरल), रायबरेली (उत्तर प्रदेश), मनकापुर (उत्तर प्रदेश), नैनी (उत्तर प्रदेश), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) **नेटवर्क सिस्टम यूनिट (संस्थापन एव अनुरक्षण सेवाएं):** बेंगलूरू **विपणन सेवा परियोजना:** बेंगलूरू, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, लखनऊ, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, रांची, दीमापुर, रायपुर, गुवाहाटी, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, पटना, देहरादून, मेरठ और जम्मू।
10.	कम्पनी किस बाजार में कार्य कर ही है-स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय

खंड ख: कम्पनी का वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी	933.52 करोड़ रुपए
2.	कुल टर्नओवर	2578 करोड़ रुपए
3.	करों के पश्चात् कुल लाभ	11 करोड़ रुपए
4.	कर पश्चापत लाभ का कितना % व्यय कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वा पर किया गया:	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी ने औसत निवल लाभ के 2% का व्यय किया है। कृपया अनुलग्नक 3 देखें।
5.	उन क्रियाकलापों की सूची जिनपर उपर्युक्त में 4 में व्यय किए गए हैं:-	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों की रिपोर्ट अनुलग्नक 3 में दी गई है।

खंड ग : अन्य विवरण

1.	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनीयां हैं?	नहीं
2.	क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी के व्यापार उत्तदायित्व (बीआर) प्रयासों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कम्पनियों की संख्या इंगित करें।	लागू नहीं
3.	क्या कोई अन्य इकाई/संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कि कम्पनी के साथ व्यापार करते हैं वे कम्पनी की व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां, तो ऐसी इकाई /संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें ? 30%, 30-60% से कम, 60% से अधिक)	नहीं। कम्पनी ने आपूर्तिकताओं एवं साझेदारों के साथ व्यापार उत्तरदायित्व प्रयासों में प्रतिभागिता की अनिवार्यता नहीं की है। तथापि, कम्पनी के व्यवसाय साझेदार व्यापार उत्तरदायित्वप्रयासों / अनिवार्यताओं के कुल क्रियाकलापों का अनुसरण अपेक्षित है।

खंड घ : व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) सूचना

1. व्यवसाय उत्तरदायित्व के उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरण:

(a)	व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदेयी निदेशक/निदेशकों का विवरण	
1.	डीआईएन	07333145
2.	नाम	श्री राकेश मोहन अग्रवाल
3.	पदनाम	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(b)	व्यवसाय उत्तरदेयता प्रमुख का विवरण डीआईएन	निदेशक मंडल द्वारा किसी निदेशक विशेष के लिए व्यवसाय उत्तरदेयता प्रमुख के दायित्व निर्धारित नहीं किए गए हैं।
	नाम	
	पदनाम	
	टेलीफोन नम्बर	
	ईमेल पता	

2. सिद्धांत (एनवीजी के अनुसार) वार-व्यापार उत्तरदायित्व नीतिनीतियां/ 9 सिद्धांतों के आधार पर निम्नानुसार राष्ट्रीय ऐच्छिक दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं :-

सिद्धांत 1	व्यापार का व्यवहार एवं संचलन नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदेयता के साथ स्वयं किया जाना चाहिए।
सिद्धांत 2	व्यापार के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि करवाई जानी चाहिए जो सुरक्षित हों तथा जिनसे उनके उपयोज्यता क्रम में संवहनीयता को योगदान प्राप्त होता हो।
सिद्धांत 3	व्यापार में सभी कर्मचारियों के कल्यानण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
सिद्धांत 4	व्यापार में प्रत्येक के हितों का सम्मोन होना चाहिए तथा यह प्रत्येतक स्टेकधारक, विशेषत: वे जो सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हैं, के प्रति प्रतिक्रियात्मतक होना चाहिए।
सिद्धांत 5	व्यापार के अंतर्गत मानवाधिकारों को सम्मांन दिया जाना चाहिए और इसे प्रोत्सहित किया जाना चाहिए।
सिद्धांत 6	व्यापार के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुन: बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए।
सिद्धांत 7	व्यापार के अंतर्गत जन सम्पणर्क कार्य एवं विनियाक का निर्वाह उत्तरदायी स्वरूप में किया जाना चाहिए।
सिद्धांत 8	व्यापार के अंतर्गत समावेशी विकास एवं न्याोचित विकास का समर्थन होना चाहिए।
सिद्धांत 9	व्यापार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं महत्वक देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7*	पी8	पी9
1	क्या आपके पास .....के लिए कोई नीति / नीतियां हैं	√	√	√	√	√	√	-	√	√
2	क्या नीति का निर्माण संबद्ध स्टेकधारकों के परामर्श से किया गया है?	√	√	√	√	√	√	-	√	√
		नीतियों का कार्यात्मक प्रमुखों के प्रमार्श से तैयार किया गया है।								
3	क्या नीति किन्हीं राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो ब्यौरा दें?	√	√	√	√	√	√	-	√	√
		विभिन्न नीतियां भारत सरकार / लोक उद्यम विभाग एवं अन्य विनियामक प्राधिकरणां द्वारा जारी विभिन्न लागू आदेशों / दिशानिर्देशों / नियमों के अनुरूप हैं तथा इन्हें समय समय पर उद्योग व्यवहार, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विचार में रखकर नीतियों के निर्माण के दौरान अद्यतन किया जाता है।								
4	क्या नीति निदेशक मंडल से अनुमोदित है? यदि हां तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक /स्वामी/ मु.का.अधिकारी/सक्षम निदेशक मंडल के हस्तानक्षर हैं?	√	√	√	√	√	√	-	√	√
		शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार विभिन्न नीतियों का अनुमोदन निदेशक मंडल / सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।								
5	क्या कम्पनी में निदेशक मंडल / निदेशक / नीति कार्यान्वयन की देखरेख करने वाले अधिकारी की कोई विशिष्ट समिति है?	वार्षिक रिपोर्ट के अभिन्न अंग कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट मे दिए गए विस्तृत विवरण के अनुसार अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से निदेशक मंडल द्वारा नीतियों के अनुपालन एवं कार्यान्वयन की निगरानी की								
6	कृपया नीति को आनलाइन देखने के लिए लिंक दें ?	नीतियां कम्पनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in./investor information पर उपलब्ध हैं।								
7	क्या नीति का औपचारिक सम्प्रेषण प्रत्येक सम्बद्ध आंतरिक एवं बाह्य स्टेकधारक को किया गया है?	जी, हां। कम्पनी की ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर अपलोड करके नीतियों की जानकारी स्टेकधारकों को दी गई है।								
8	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कम्पनी में आंतरिक संरचना स्थापित है?	जी, हां								
9	क्याा कम्पनी में नीति/नीतियों के संबंध में स्टेकधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र व्यावस्थापक स्थापित है?	जी, हां								
10	क्याा कम्पनी द्वारा इस नीति की कार्यशैली के स्वतंत्र ऑडिट/ मूल्यांकन के कार्य किसी आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी से करवाए गए हैं?	कम्पनी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा, लागत लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, सचिवीय लेखापरीक्षा, ऊर्जा ऑडिट, सुरक्षा ऑडिट, गुणवत्ता ऑडिट, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली ऑडिट इत्यादि जैसी विभिन्न लेखापरीक्षाओं के अध्याधीन है। इन ऑडिटों से विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य नीतियों के अनुपालन का सुनिश्चय होता हैं।								

आईटीआई सार्वजनिक एवं विनियामक नीतियों पर अपने लाभ के लिए प्रभाव डालने की पक्षधर नहीं है, इसलिए कोई नीति प्रस्तावित नहीं है।

3. व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) से संबंधित गवर्नेंस (शासन):

क. निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति अथवा मु.का.अधि. द्वारा कम्पनी के व्यापार उत्तरदेयता निष्पादन के मूल्यांकन की आवृत्ति क्या है। 3 माह, 3-6 माह, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक अवधि में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा व्यापार उत्तरदायित्व निष्पादन का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

ख. क्या कम्पनी व्यापार उत्तरदेयता अथवा संवहनीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्याप है? इसके प्रकाशन की आवृत्ति क्या है?

जी, हां। कम्पनी द्वारा व्यापार उत्तरदेयता रिपोर्ट का प्रकाशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में किया जाता है। इसे http://www.itiltd.co.in/investorsinformation पर देखा जा सकता है।

खंड ङः सिद्धांत-वार कार्य निष्पादन

सिद्धांत 1: व्यापार का व्यवहार एवं संचलन नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदेयता के साथ स्वयं किया जाना चाहिए।

1. क्या नैतिकता, रिश्व तखोरी एवं भ्रष्टाचार को कम्पनी की नीति में शामिल किया गया है?

जी, हां। नीति में इसे शामिल किया गया है। कम्पनी ने सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) का कार्यान्वयन किया है। सत्यनिष्ठा संधि से सम्बद्ध मानक परिचालन प्रक्रिया का अनुसरण मुख्यत: भ्रष्टाचार के निवारण के उद्देश्य से सार्वजनिक प्रापण के लिए नैतिकता एवं पारदर्शिता का अनुसरण करके किया जा रहा है। सत्यनिष्ठा संधि पर निविदाकर्ता हस्ताक्षर करते हैं जिससे वे आईटीआई के साथ प्रौद्योगिकी अंतरण की भागीदारी अथवा समय समय पर जारी की जाने वाली 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य की निविदाओं से सम्बद्ध किसी मामले के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।.

2. क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यम कम्पनियों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ एनजीओ / अन्यों के लिए किया गया है?

जी, नहीं ।

3. **पिछले वित्तीय वर्ष में स्टेकधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं तथा प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोष जनक समाधान किया गया है?**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी को सेबी स्कोर्स प्लेट फार्म एनएसई, बीएसई तथा रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से कोई निवेशक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सतर्कता विभाग के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान 24 शिकायतें डाक एवं ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इनमें से 23 शिकायतों का समाधान कर लिया गया है।

14 शिकायतें गुमनाम / छद्म नाम से प्राप्त हुई थी अत: इन्हें फाइल किया गया है एवं कुछ शिकायतों की निवारक जांच की गई है। कुल 10 शिकायतों में से 3 प्रशासनिक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई हैं तथा 6 शिकायतों की जांच की गई थी जिनमें किसी प्रकार का सतर्कता तत्व न होने के कारण बंद कर दिया गया था।.

सिद्धांत 2: व्यापार के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि करवाई जानी चाहिए जो सुरक्षित हों तथा जिनसे उनके उपयोज्यता क्रम में संवहनीयता को योगदान प्राप्त होता हो।

1. **अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची प्रस्तुत करें जिन्हें सामाजिक, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, जोखिम तथा अथवा अवसरों को ध्याईन में रखकर तैयार किया गया है।**

i. भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत स्मार्ट पावर स्टेशन के साथ माइक्रो पीसी का उत्पादन करके आईटीआई ने भारत में हरित कंप्यूटिंग पहल की है।

ii. आईटीआई यूवीडीएस (अल्ट्रावायलेट डिसइंमेक्शन सिस्टम) का निर्माण कर रहा है जो कोविड-19 से बचाव के लिए एक रासायन मुक्त संक्रमण रोधक है।

iii. आईटीआई ने अपने नैनी संयंत्र में देश में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के उपकरणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 18 मेगावाट सौर पैनल निर्माण की सुविधा स्थापित की है। सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है और संस्थापन के पश्चात यह ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करती है।

2. **प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संसाधन उपयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें (ऊर्जा, जल, कच्चा माल, इत्यादि) प्रति यूनिट उपयोग**

क. पिछले वर्ष से सम्पूर्ण चेन में सोर्सिंग/उत्पादन /संवितरण के दौरान कितनी कमी आई है।

ख. उपभोक्ताओं द्वारा पिछले वर्ष के पश्चात से कितनी कमी (ऊर्जा, जल) आई है?

i. नवोपाय युक्त हरित कंप्यूटिंग समाधान से ऊर्जा की 80% बचत संभव हो सकेगी तथा इससे कार्बन फुटप्रिंट भी काफी सीमा तक कम हो सकते हैं। सोलर पैनल के साथ सिंगल स्मैश पीसी का संस्थापन करने से प्रति वर्ष 267 किलोग्राम कार्बन उत्पादन समाप्त हो सकता है। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के सेवन से अपशिष्ट उत्पादन भी कम हो सकता है। इस समाधान से संगठन ने स्वयं को पर्यावरण के प्रति उत्तरदेयी व्यवसाय करने एवं ऊर्जा लागतों को करने तथा सौर - ऑनलाइन यूपीएस के संयुक्त संस्थापन के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण करने में अपना योगदान देने वाले संगठन के रूप में परिवर्तित किया है।

ii. अल्ट्रावायलेट-सी (यूवी-सी) प्रकाश में प्रकाश की एक छोटी लेकिन ऊर्जावान वेवलैंथ होती है। यह विशेषत: कोविड-19 में व्याप्त आनुवंशिक सामग्री को नष्ट करने के लिए उत्तम है। रेडिएशन आरएनए की संरचना को विकृत करता है जिससे वायरल के कण अपनी और प्रतियां नहीं बना पाते हैं। यूवी-सी रोगाणुओं का खात्मा तेजी से करता है। यूवी-सी प्रकाश के उपयोग से वस्तुओं सेनिटाइज किया जा सकता है तथा इससे संक्रमण रोधन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायनों के हानिकारक प्रभावों से बचा जाता है। ये पर्यावरण के अनुकूल हैं और संपर्क मुक्त प्रभावी सेनिटाइजेशन की विधि है।

iii. सौर बिजली दहन की गर्मी को जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित करती है, जिससे सीओ2 उत्सर्जन कम हो जाता है। 25 वर्ष के उपयोज्यता काल वाले इस पैनल का उपयोग ग्राहक सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं जिससे वे ऊर्जा उत्पति के लिए पर्यावरण अनुकूल वातावरण के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आईटीआई मापनयोग्य सौर समाधानों और प्रणालियों को डिजाइन करने की दिशा में अंवेषण कर रहा है जिससे पर्यावरण में सीओ2 उत्सर्जन के प्रभाव को कुशलतापूर्वक और लागत प्रभावी ढंग से कैप्चर करके सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित किया जा सकेगा।

3. **क्या कम्पनी में संधारणीय स्रोत (परिवहन सहित) के लिए कोई प्रक्रिया विद्यमान है? यदि हां, तो आपके इनपुट में से कितना प्रतिशत धारणीयता से लिए स्रोत किया जाता है?**

जी, हां, कम्पनी में संवहनीय स्रोतों की प्रक्रियाएं स्थापित हैं। कम्पनी विक्रेता के आईएसओ प्रमाण पत्र का सत्यापन, अनुमोदन विनियामक निकायों, विभिन्न प्राधिकृत / मूल उपकरण निर्माताओं / डीलर प्रमाण पत्र से करती है।

कम्पनी द्वारा भंडार एवं उत्पादन के लिए सामग्री की प्राप्ति स्वीकार करने से पूर्व विभिन्न चरणों से जांच एवं परीक्षण किए जाते हैं। कम्पनी विक्रेता मूल्यांकन एवं विक्रेता रेटिंग का अनुरक्षण भी करती है।

i. **क्या कम्पनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और सक्षमताओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?**

जी, हां।

आईटीआई के पास अपनी समर्पित विक्रेता विकास विभाग टीम है जो आईटीआई लिमिटेड और इसकी निर्माण इकाइयों के आसपास के छोटे उत्पादकों और विक्रेताओं के साथ अन्योन्य क्रियाएं उनके कार्य स्थलों पर नियमित रूप से जाती है और उन्हें हमारी अपेक्षित गुणवत्ता एवं प्रमात्रा की जानकारी देकर उन्हें हमारी सहायता के लिए अपनी क्षमता में विस्तार करने एवं आईटीआई की विशिष्टताओं एवं विनिर्देशों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

हमारी वार्षिक खरीद में स्थानीय विक्रेताओं को वरीयता दी जाएगी। कँम्नी अपनी अधिकतम खरीद जीईएम पोर्टल के माध्यम से कर रही है। कंपनी सार्वजनिक प्रापण नीति का भी अनुपालन कर रही है।

ii. **क्या कम्पनी में उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइकल करने की कोई तंत्र व्यवस्था विद्यमान है? यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइकल का प्रतिशत क्या् है? (5%,5-10%,10% के अनुसार अलग अलग)?**

कंपनी के कुछ उत्पादों की प्रकृति और उत्पन्न कचरे के कारण

रिसाइकलिंग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। एकीकरण और परीक्षण सुविधा से किसी भी खतरनाक अपशिष्ट की उत्पति नहीं होती है। तथापि, एचडीपीई डक्ट, हैवी ड्यूटी स्क्रैप ग्राइंडर का उपयोग उत्पादन के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में स्क्रैप के पुन: उपयोग के लिए किया जाता है।

मुद्रित सर्किट बोर्डों के उत्पादन के मामले में, कंपनी के पास उपयोगी उपचार संयंत्र हैं जिससे अपशिष्ट तरल को बाहर निकालने से पहले रसायनों के साथ प्रदूषित तरल का उपचार प्रदूषण नियंत्रण निदेशालय के विनिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

इसी तरह, सभी आईटीआई संयंत्रों में कारखाने और टाउनशिप आदि से निकलने वाले अपशिष्ट जल के लिए उपचार संयंत्र हैं।

सिद्धांत 3: व्यापार में सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

1. कर्मचारियों की कुल संख्या :2109(स्थाई कर्मचारी)
2. अस्थाई / संविदागत आधार पर सेवा में लिए गए कुल कर्मचारी : 766
3. स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या :276
4. स्थाई दिव्यांगजन कर्मचारियों की संख्या :26
5. क्या आपके कार्यालय में प्रबंधन से मान्यताप्राप्त कोई कर्मचारी संघ है ?:जी, हां।
6. आपके स्थाई कर्मचारियों में कितने प्रतिशत इस मान्यताप्राप्त संघ के सदस्य हैं ?:100%
7. पिछले वित्तीय वर्ष बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या

क्र.सं.	वर्ग	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रम / बलात श्रम / अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2.	लागक उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3.	राजगार क लिए पक्षपात	शून्य	शून्य

8. आपके द्वारा उल्लिखित कर्मचारियों में से कितनों को पिछले वर्ष सुरक्षा एवं कौशल उन्नीयन का प्रशिक्षण दिया गया है?

स्थाई कर्मचारी : 44%

स्थाई महिला कर्मचारी : 55%

आकस्मिक/अस्थाई/संविदागत कर्मचारी : 31%

दिव्यांगजन कर्मचारी : 19%

सिद्धांत 4: व्यापार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक स्टेकधारक, विशेषत: वेजो सुविधा हीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हैं, के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए।

1. क्या कम्पनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य स्टेकधारकों का निर्धारण किया है?

   जी, हां।

2. **उपर्युक्त में से क्या कम्पनी ने सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित स्टेक धारकों का निर्धारण किया है ?**

   जी, हां। कम्पनी अ.जा/अ.ज.जा कर्मचारियों, दिव्यांगजन कर्मचारियों को सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित स्टेकधारकों के रूप में रोजगार के उद्देश्य से संज्ञान में लिया है।

3. सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित स्टेकधारकों की सेवाओं के लिए कम्पनी द्वारा कोई विशेष उपाय किए गए हैं। यदि हां तो 50 अथवा अधिक शब्दों में विवरण प्रस्तुत करें।

   कम्पनी द्वारा नियुक्ति एवं पदोन्नति के समय अ.जा/अ.ज.जा से संबंधित आरक्षण नीति का अनुसरण किया जाता है। कम्पनी ने अ.जा/अ.ज.जा कल्याण संघ कार्यालयों के लिए भवन /अवसंरचना का उपलब्ध करवाई है। अ.जा/अ.ज.जा कर्मचारियों के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। अ.जा/अ.ज.जा कर्मचारियों को सरकारी की विभिन्न योजनाओं / सुविधाओं के बारे में जागरूक करने के लिए कम्पनी के मानव संसाधन विभाग केन्द्र कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

सिद्धांत 5: व्यापार के अंतर्गत मानवाधिकारों को सम्मान दिया जाना चाहिए और इसे प्रोत्सांहित किया जाना चाहिए।

1. **क्या सिद्धांत से संबंधित नीति में केवल कम्पनी को ही कवर किया गया है अथवा यह समूह / संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / एनजीओ / अन्यों पर भी लागू होती है?**

   कम्पनी की मानव संसाधन नीतियों में अपने कर्मचारियों के मानवाधिकारों के सभी घटकों का समावेश है। मानवाधिकारों के संबंध में पिछले वित्तीय वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कम्पनी में बाल श्रमिक नियोजित नहीं किए जाते हैं तथा न ही बलात अथवा बाध्यकारी श्रम होता है।

2. **पिछले वित्तीकय वर्ष के दौरान कितने स्टेकधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का समाधान संतोषजनक रूप में किया गया है?**

   वर्ष के दौरान मानवाधिकारों के संबंध में किसी स्टेकधारक से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 6: व्यापार के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुन: बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए।

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति में केवल कम्पपनी को ही कवर किया गया है अथवा यह समूह / संयुक्ता उपक्रम / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / एनजीओ/ अन्यों पर भी लागू होती है?

सिद्धांत 6 से संबंधित नीति में केवल कम्पनी ''आईटीआई लिमिटेड' को ही शामिल किया गया है।

2. क्या कम्पनी में वैश्विक पर्यावरणीय विषय जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि के समाधान की रणनीतियां/उपक्रम स्थापित हैं। यदि हां, तो कृपया वेब पृष्ठ इत्यादि का हाइपरलिंक प्रस्तुत करें।

   जी, हां,

   आईटीआई लिमिटेड द्वारा पूर्ण महत्व एवं उल्लास के साथ पर्यावरण की सुरक्षा में मानव द्वारा किए गए प्रयासों के समर्थन की अभिव्यक्ति के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है तथा इस अवसर पर पौधों का वितरण भी किया जाता है।

   कम्पनी की पर्यावरण नीति कम्पनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/doc/Enivronmental%20policy%20Eng1.pdf पर देखी जा सकती है।

3. क्या कम्पनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन कर रही है? हां/नहीं

   जी, हां।

   आईटीआई लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 14001:2015 के अनुसार संभावित पर्यावरणीय जोखिमों को संज्ञान में लेने और उनका

आकलन करने की प्रक्रियाएं की गई हैं।

उद्देश्य– आईटीआई लिमिटेड के सभी कार्यों, उत्पादों और सेवाओं में संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान करना जिससे उनसे पर्यावरण पर होने वाले महत्वपूर्ण या गैर महत्वपूर्ण प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और जोखिम को दूर करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए समय पर कार्रवाई करना है।

4. क्या कम्पनी में कोई परियोजना स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित है? यदि हां तो 50 या अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें। इसके अलावा, क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट, यदि कोई हो, भी फाइल की गई है।

आईटीआई ने अपने नैनी संयंत्र में देश में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के उपकरणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 18 मेगावाट सौर पैनल नि'र्माण की सुविधा स्थापित की है। सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है और संस्थापन के पश्चात यह ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करती है।

5. क्या कम्पनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि पर कोई अन्य पहल की है? हां / नहीं। यदि हां, तो कृपया वेब पृष्ठ का हाइपर लिंक दें।

जी, हां। कंपनी ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए उपाय किए हैं। रायबरेली (1.5 मेगावाट क्षमता), नैनी (300 किलोवाट), एमएसपी – लखनऊ (100 किलोवाट), पालाक्काड (1.2 मेगावाट), बेंगलूरू (1.2 मेगावाट), मनकापुर (1.5 मेगावाट) और कॉर्पोरेट कार्यालय (100 किलोवाट) में आईटीआई की यूनिटों में कैप्टिव उपयोग के उद्देश्य से सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना की स्थापना के लिए पूंजी निवेश किया जा रहा है। एमएसपी लखनऊ में सौर ऊर्जा संयंत्र पहले से ही स्थापित है और अगस्त 2021 के पहले सप्ताह से चालू हुआ है।

6. क्या वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमति सीमा के दायरे में हैं?

जी, हां। निर्माण संयंत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्रमाणन प्राप्त हैं।

7. वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीएसबी/एसपीसीबी बोर्ड से प्राप्ति कतने कारण बताओ नोटिस / कानूनी नोटिस लम्बित हैं (अर्थात जिनका संतोष जनक स्तर पर समाधान नहीं हो पाया)।

शून्य

सिद्धांत 7: व्यापार के अंतर्गत जन सम्पर्क कार्य एवं विनियमक नीतियों का निर्वाह उत्तरदायी स्वरूप में किया जाना चाहिए।

1. क्या आपकी कम्पनी किसी ट्रेड तथा चेम्बर या किसी संघ की सदस्यक है? यदि हां, तो केवल प्रमुख के नाम बताएं जिनके साथ आपके व्यवसायिक संबंध हैं।

क. स्टैंडिंग कॉन्फ्रेस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (एससीओपीई),

ख. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)

ग. एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एएसएसओसीएचएएम)

घ. इलैक्ट्रानिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ईएससीआईएनए)

ङ. फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चेम्बर्स ऑम कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफकेसीसीआई)

च. टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (टीईपीसी)

छ. इंडिया इलैक्ट्रानिक्स एंड सेमी कॅंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए)

ज. ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम

2. क्या आपने कभी सार्वजनिक कल्याण की प्रगति और सुधार के लिए उपर्युक्त संघों से चर्चा की है / सहयोग प्राप्त किया है। हां/नहीं यदि हां तो व्यापक स्तर पर क्षेत्रों का उल्लेख करें। (ड्राप बॉक्स : शासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, संवहनीय व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)

आईटीआई इन संघों के साथ अपनी व्यवसाय संभावनाओं के संवर्धन के लिए सहक्रियाएं करती है तथा उनके कार्यक्रमों में प्रतिभागिता करती है जो अप्रत्यक्ष रूप में सार्वजनिक कल्याण के उत्थान एवं सुधार के लिए होते हैं।

सिद्धांत 8: व्यापार के अंतर्गत समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास का समर्थन होना चाहिए।

1. क्या कम्पनी का सिद्धांत–8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कोई विशिष्ट कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें।

कम्पनी ने समाज कल्याण के लिए सीएसआर नीति को अंगीकार किया है। इसमें उल्लिखित परियोजनाएं कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII से संरेखित हैं तथा समावेशी विकास एवं समान विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2. क्या कार्यक्रमों / परियोजनों का निष्पादन आंतरिक दलों / अपनी फाउंडेशन / बाह्य एनजीओ / सरकारी संरचनाओं / किसी अन्य संगठन के माध्यम से किया जाता है?

कम्पनी सीएसआर परियोजना के कार्य अपनी आंतरिक टीमों के माध्यम से करती है।

3. क्या आपने अपने प्रयासों का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?

जी, हां। किए गए क्रियाकलाप के लिए प्रभाव मूल्यांकन किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आईटीआई अपनी अधिकांश परियोजनाओं के संबंध में परियोजना के एक कार्य के रूप में प्रभाव मूल्यांकन करती है।

4. सामुदायिक विकास की परियोजनाओं में कम्पनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है? परियोजनाओं का विवरण तथा भारतीय रूपए में किए गए व्यय का विवरण दें।

कम्पनी अपने व्यवसाय क्रियाकलापों के अंतर्गत सामुदायिक विकास की परियोजनाओं के कार्य नहीं कर रही है। तथापि, परियोजनाओं की योजना सीएसआर क्रियाकलापों के अंतर्गत बनाई जाती है।

5. क्या आपने सामुदायिक विकास प्रयासों को समाज द्वारा सफलतापूर्वक अंगीकार किए जाने का सुनिश्चय करने के प्रयास किए हैं? कृपया 50 अथवा अधिक शब्दों में स्पष्टीकरण दें।

सिद्धांत 8 के अंतर्गत ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी से सीएसआर क्रियाकलापों के अंतर्गत सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर व्यय करने की अपेक्षा नहीं की गई है। तथापि, सीएसआर क्रियाकलापों के अंतर्गत समुदायों की संलिप्तता किसी भी सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण होती है। हम योजना स्तर पर समुदायों का संलिप्तता का सुनिश्चय करते हैं तथा कार्यान्वयन स्तर पर उनका समावेश करते हैं। ऐसा करने से न केवल चालित कार्यक्रम के प्रति स्वीकृति का सुनिश्चय हो पाता है अपितु इसकी संवहनीयता एवं निरंतरता भी बनी रहती है।

सिद्धांत 9: व्यापार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों / उपभोक्ताव मामलों के कितने प्रतिशत मामले लम्बित हैं?

2. **क्या कम्पनी अपने उत्पाादों के लेबल में उत्पादों की सूचना प्रदर्शित करती है जो कि स्थाानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य हैं? हां/नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त सूचना)**

   जी, हां।

   उत्पाद की लाइन में उत्पाद लेबल के साथ साथ तकनीकी विशिष्टताएं मुद्रित होती हैं।

3. **क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनैतिक व्यापार व्यवहार, गैर जिम्मेदार विज्ञापन तथा/अथवा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के संबंध में किसी स्टेकधारक द्वारा कम्पनी के विरूद्ध कोई मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा 50 या अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।**

   शून्य

4. क्या आपकी कम्पनी किसी प्रकार का ग्राहक सर्वेक्षण / ग्राहक संतुष्टि रूझान करती है?

   जी, हां।

   कम्पनी द्वारा ग्राहक संतुष्टि मापन एवं सीएसआई रूझान चार्ट की प्रक्रियाएं की हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

स्थान : बेंगलुरू
तिथि : 7 अक्टूबर, 2021

राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

I. दूरसंचार उद्योग संरचना

पिछले दो दशकों में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में व्यापक बदलाव हुए हैं। मुख्यत, ये उत्पाद डोमेन (प्रौद्योगिकियों, फार्मेट और डिजाइन में), खुदरा वातावरण के विकास (पारंपरिक से बड़े फार्मेट वाले विशिष्ट स्टोर और ई-कॉमर्स) और एक विकसित नियामक परिदृश्य में हुए हैं। उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों की आवश्यकताएं विकसित हुई हैं, जिससे नए नए उत्पादों की मांग और बढ़ रही है। बदलते मांग पैटर्न से तालमेल के लिए उद्योग के पारिस्थितिकी तंत्र में भारी बदलाव आया है। आपूर्ति चेन अब कहीं अधिक जटिल, विविध और नई उद्योग संरचना की पूर्ति के लिए अनुकूलित हुई हैं। वर्तमान में, भारतीय मांग का एक महत्वपूर्ण भाग आयात से पूरा किया जा रहा है। तथापि, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जिसमें भारत सरकार से प्राप्त विनियामक समर्थन और उत्पादों को प्रोत्साहित किए जाने से अनेक कंपोनेंट्स का निर्माण देश में ही होने लगेगा।

दूरसंचार उद्योग में भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है जिसका ग्राहक आधार 1.19 बिलियन है और पिछले दश में इस बाजार ने मजबूत वृद्धि दर्ज की है। भारत विश्व में डेटा का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ट्राई के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020 में प्रति वायरलेस डेटा ग्राहक औसत वायरलेस डेटा उपयोग 11 जीबी प्रति माह था। वर्ष 2024 तक अब यह 18 जीबी तक पहुंचने की संभावना आंकी गई है। कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। फरवरी 2021 में इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या बढ़कर 765.09 मिलियन हो गई है। दिसम्बर 2020 में 1,153.77 मिलियन की तुलना में कुल वायरलैस अथवा मोबाइल टेलीफोन ग्राहक आधार बढ़कर 1,167.71 मिलियन हो गया है। जीएसएम एसोसिएशन (जीएसएमए) द्वारा बोस्टन कॅंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) के सहयोग से तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसारभारतीय मोबाइल अर्थव्यवस्था बदलाव की ओर तीव्र गति से बढ़ रही है और यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्वपूर्ण योगदान देगी। सरकार ने दूरसंचार उपकरणों के लिए आसान बाजार पहुंच और एक निष्पक्ष और अग्रसक्रिय विनियामक संरचना प्रभावी की है जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती की'तों पर दूरसंचार सेवाओं की प्राप्ति का सुनिश्चय हुआ है।

क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-2024 के दौरान दूरसंचार सेवा उद्योगों का विकास 12-14% की दर से होने की संभावना है। दूरसंचार उद्योग तेज गति से बढ़कर एक महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग बन गया है, जो भविष्य की संभावनाओं और निरंतर विकास के लिए अच्छा है। हाई-स्पीड मोबाइल सेवाओं में निरंतर प्रगति और उपकरणों के बीच इंटरनेट कनेक्टिविटी इस क्षेत्र में नवोपायों और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है। अधिकांश उद्योग का ध्यान तेज गति वाली डेटा सेवाएं, विशेषकर उच्च-रिज़ॉल्यूशन वीडियो के क्षेत्र में, प्रदान करने की ओर है। 4जी और ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवाओं के लॉन्च होने और स्मार्ट फोन, लैपटॉप एवं अनेक प्रकार की डिजिटल सामग्रियां बढ़ने के साथप्रति उपयोगकर्ता औसत डेटा खपत भी बढ़ रही है। 5ऋसेवाओं के लॉन्च से डेटा वृद्धि 5-7 गुना बढ़ जाएगी, जिससे उच्च गति की अपेक्षा के साथ विभिन्न प्रकार के उपयोग बढ़ जाएंगे। इंटरनेशनल मोबाइल टेली कम्युनिकेशंस -2020 (आईएमटी) के अनुसार 5जी से 20 जीबीपीएस की पीक डेटा दर मिलने की संभावना है। इस प्रौद्योगिकी से लेटेंसी कम होगी जिससे उपयोगकर्ताओं को आवाजाही के दौरान भी समान प्रकार की डेटा दर मिल सकेगी। 5ऋसेवाओं के लॉन्च से डेटा वॉल्यूम में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और इससे उच्च गति वाले डेटा की अपेक्षा वाले विभिन्न उपयोग सम्मुख उत्पन्न होंगे।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स की राष्ट्रीय नीति (एनपीई 2019) में वर्ष 2025 तक घरेलू विनिर्माण, समग्र वैल्यु चेन के लिए कल्स्टर स्थापित होने तथा 32 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लए 10 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष से इसमें नियोजित करने से 400 बिलियन की टर्नओवर का लक्ष्य रखा गया है।वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर आंका गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान भारत का उत्पादन लगभग 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में घरेलू खपत करीब 86.4 बिलियन डॉलर थी, जबकि निर्यात करीब 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के मुख्य मूलभूत उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कॅम्प्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल फोन, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॅम्पोनेंट्स, प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) और ऑटोमोटिव और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं।

सरकार ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्देश्य से देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) शुरू की है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक कॅम्पोनेंट्स और असेंबली, परीक्षण, विपणन एवं पैकेजिंग (एटीएमपी) यूनिटों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि में 40,951 करोड़ रुपये तक के उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन जारी किए जाएंगे। निश्चित ही ऐसा करने से एक ऐसे स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा जिसमें स्थानीय कंपनियों को डिजाइन बनाने, अनुसंधान एवं विकास में सहायता और सहयोग के माध्यम से विश्व स्तरीय उत्पादों के निर्माण का लाभ होगा।

II. अवसर और आशंकाएं

अवसर:

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, औद्योगिक, आईटी और बीए और ऑटोमोबाइल जैसे विद्यमान सेक्टरों के साथ, इलेक्ट्रिक वाहन, 5 जी, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, रक्षा और अंतरिक्ष जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियों का आगमन, एवं अन्य अनेक ऐसे बाजार सेगमेंट्स है जिनमें और अधिक एवं तीव्र गति से नवोपाय किए जा सकते हैं। वैश्विक कंपनियों के लिए भारत एक नवोपाय-चालित अनुसंधान एवं विकास गंतव्य बन रहा है। सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग जगत और उद्योग संघों को मिलकर और समन्वित प्रयास करके उद्योग को उसकी क्षमता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना आवश्यक हो गया है।

भारत ने स्वयं को विश्व के डिजाइन हब के रूप में स्थापित किया है। डिजाइन क्षेत्र में विकास के अगले चरण के अभिलक्षण स्वदेशी डिजाइन कंपनियों द्वारा पूर्ववर्ती आउटर्सोस की गई कैप्टिव डिजाइन सेवा कंपनियों की तुलना में स्वयं अपने आपीआर का निर्माण करके प्राप्त किए गए विकास से दिखाई दे रहे है। बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए हमारा ध्यान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के स्थान पर डिजाइन निर्माण और डिजाइन के स्वामित्व पर होना चाहिए। ईएमएस बाजार में वृद्धि के साथयह डिजाइन-आधारित विनिर्माण के लिए एक अवसर है।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 में डिजिटल संचार प्रौद्योगिकियों में निर्दिष्ट उत्पाद सेगमेंट के लिए स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और इसके विनिर्माण कार्यक्रम का चरणबद्ध स्वरूप में कार्यान्वयन प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है। आईटीआई के नए प्रयासों को,

स्टार्ट-अप के साथ सहकार्यता से, अब इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार क्षेत्रों में भारतीय आईपीआर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करके एनडीसीपी के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अपनी 2018 की अधिसूचना में इलेक्ट्रॉनिक और संचार से संबंधित उत्पादों और सेवाओं की खरीद में सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) का पालन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इस नीति और दिशानिर्देशों से अवसरों के अनेक द्वारा खुलेंगे और दूरसंचार उत्पाद और सेवा क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

4जी एलटीई संचार, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा के सामान और चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार के अनेक अवसर व्याप्त हैं। विविध प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार उपकरणों का उत्पादन करने के लिए, आईटीआई ने अनेक स्टार्ट-अप और प्रतिष्ठित तकनीकी भागीदारों के साथ सहकार्यता की है। हाल के वर्षों में क्लाउड-आधारित स्टोरेज और प्लेट फार्मों की लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी हुई है, अमेज़न वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर जैसी कंपनियों ने भारत में आक्रामक रूप से अपनी बाजार हिस्सेदारी और उत्पाद अंगीकरण को बढ़ा रही है। डेटा सेंटर क्लाउड आधारित सेवाओं में व्याप्त अनेक संभावनाओं को दृष्टिगत रखकर आईटीआई भविष्य में इन सेवाओं और समाधानों का वितरण करने की योजना बना रहा है । डिजिटल माध्यमों के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए, केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर ई-गवर्नेंस समाधान और सेवाएं प्रदान करने की ढेरों संभावनाएं हैं।

इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीक्कैंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए) और फ्रॉस्ट एंड सुलिवन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, रोबोटिक्स, वर्चुअलाइजेशन, एनालिटिक्स, क्लाउड कैंप्यूटिंग, 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स / सेंसर, ड्रोन, ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) और वर्चुअल रियलिटी (वीआर), कृत्रिम बौद्धिक (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), गेमिंग और एंटरटेनमेंट सहित अन्य बाजार को नवोपायों के लिए तैयार कर रहे हैं। भारत में स्थानीय मांग और स्थानीय आपूर्ति के बीच भारी असमानता, जो देश में आयात पर भारी निर्भरता के कारण बनी है, को इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवीजनों में विनिर्माण सूचकांक को बढ़ावा देने की क्षमता माना गया है।

आशंकाएं:

वर्तमान में, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का चित्रण कम मूल्य वर्धित औद्योगिक क्रियाकलाप वाले उद्योग के रूप में है। भारत की वृद्धिशील अर्थव्यवस्था बड़े एशियाई देशों के साथ कम लागत वाले उत्पादन और सुदृढ़ आपूर्ति नेटवर्क के साथ प्रतिस्पर्धा के साथ संघर्षरत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्माण की चालक है।

कंपनी ने बदलते कारोबारी माहौल में निम्नलिखित आशंकाओं को संज्ञान में लिया है:

1. दूरसंचार उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है।
2. तीव्र गति से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी और उत्पाद
3. देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र अविकसित है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण कैंप्पोनेंट्स के लिए आयात की निर्भरता कामी अधिक है।
4. कार्यशील पूंजी के लिए उच्च वित्तपोषण लागत।

III. **शक्तियां एवं न्यूनताएं :**

शक्तियां

1. दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की पूरी रेंज के निर्माण के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना।
2. रक्षा के लिए एन्क्रिप्शन उत्पादों, डिजीटल एस्सेस उत्पादों, उपभोक्ता परिसर उपकरण, बिजली आपूर्ति माड्यूल, स्टाइल इंजीनियिरंग एवं एनए'एस के विकास के लिए आंतरिक अनुसंधान एवं विकास क्षमता।
3. दूरसंचार उपकरण परीक्षण के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त दूरसचार परीक्षण प्रयोगशालाएं
4. राष्ट्रीय नेटवर्क के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण और दूरसंचार टर्नकी समाधान प्रदान करने में सात दशकों का समृद्ध अनुभव।
5. सम्पूर्ण भारत में उपस्थिति (बेंगलुरू, पालक्काड, रायबरेली, मनकापुर, नैनी और श्रीनगर में 6 विनिर्माण संयंत्र) के साथ-साथ बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और भुवनेश्वर एवं अन्य अनेक सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालयों में देशव्यापी 8 एमएसपी कार्यालयों के माध्यम से सुदृढ़ विपणन उपस्थिति।
6. रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए दूरसंचार नेटवर्क की अवसंरचना के प्रावधान और अनुरक्षण का अनुभव।
7. अद्यतन उत्पादों के निर्माण के लिए उन्नत इलैक्ट्रानिक असेम्बली अवसंरचना
8. महत्वाकांक्षी विस्तार योजना एवं क्षमता संवर्धन के लिए भारत में ईएमएस क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण नीति
9. आईटीआई अग्रणी संचार उपकरण निर्माता में से एक है।
10. कम्पनी ने एचडीपीई डक्ट्स, ओएफसी केबल, सौर पैनल, स्मार्ट एनर्जी मीटर, वाई-फाई उत्पाद, स्मार्ट कार्ड/भुगतान कार्ड और कैंप्पोनेंट स्क्रीनिंग सेवाओं जैसे वीएसएससी, इसरो के लिए नए उत्पादों के निर्माण में विविधता स्थापित की है। इसके अलावा कंपनी ने स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3डीप्रिंटिंग और विविध इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाओं (ईएमएस) जैसे नए व्यावसायिक क्षेत्रों में विविधता स्थापित की है।
11. बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल द्वारा प्रापण के लिए आरक्षण कोटा (आरक्यू) के प्रावधान से आर्डर्स का सुनिश्चय हो पाता है तथा आईटीआई निर्माण अवसंरचना के उपयोग में सहायता मिलती है ।

न्यूनताएं:

1. प्रौद्योगिकी भागीदारां प्रौद्योगिकी की न्यूनता और बौद्धिक संपदा (आईपी) पर निर्भरता, विकास की बाधा है।
2. देश में कुशल संसाधनों की अनुपलब्धता। प्रमुख प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अभी भी उद्योग की मांग से संगत नहीं हैं।
3. ऑर्डर वॉल्यूम कम होने के कारण उत्पादन लाइन और जनशक्ति का उपयोग कम होना।

IV. **कम्पनी का उत्पादन वार निष्पादन मुख्य रिपोर्ट में शामिल किया गया है।**

V. **फ्यूचर आउटलुक**

आईटीआई की आर्डर बुक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार 12041 करोड़ रुपए लगभग है। आईटीआई का प्रमुख ध्यान बड़े स्तर पर विनिर्माण की ओर केन्द्रित है और मूल्य संवर्धन के लिए यह सिस्टम

एकीकारक के रूप में टर्नकी परियोजनाओं को प्राप्त करने की योजना बना रही है।

आईटीआईने 7796 करोड़ रुपये मूल्य की आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एस्कॉन) परियोजना के चौथे चरण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना में अवसंरचना के लिए सिविल कार्यों के साथसाथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, आईपी एमपीएलएस राउटर्स, माइक्रोवेव रेडियो, सैटेलाइट टर्मिनल, एनएमएस और परीक्षण उपकरणों के संस्थापन, कमीशनिंग और अनुरक्षण के कार्य शामिल हैं। रक्षा सहयोग में अपने योगदान के रूप में, आईटीआई ने भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर भागों में लागू की जा रही 'नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम' (एनएफएस) परियोजना में भाग लिया है। राष्ट्र निर्माण के लिए, आईटीआई ने ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड क्रांति को गति देने की सरकार की पहल भारतनेट परियोजना में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इस परियोजना से आईटीआई में जीपीओएन उपकरणों के निर्माण की शुरुआत की गई है। आईटीआई भारतनेट परियोजनाओं के दूसरे चरण को संबोधित करने की प्रक्रिया में है। इन परियोजनाओं ने रायबरेली और पालक्काड संयंत्रों में ओएफसी और एचडीपीई विनिर्माण लाइनों को उन्नत करने और बेंगलुरू और मनकापुर संयंत्रों में नई लाइनें शुरू करना सुगम हो पाया है।

सरकार की अधिमान्य बाजार एस्सेस नीति विभिन्न बाजार क्षेत्रों में उत्पादों के निर्माण के लिए आईटीआई के लिए काफी सहायक हो रही है। आईटीआई एमएलएलएन/आईपी एमएलएलएन, ब्रॉडबैंड उत्पादों, स्मार्ट ऊर्जा मीटर, सौर पैनल इत्यादि के निर्माण के लिए तैयार है। इस संबंध में, आईटीआई वाई-फाई उत्पादों, ऊर्जा दक्षता उत्पादों के निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण स्थापित करने की प्रक्रिया कर रहा है। रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक एन्क्रिप्टेड दूरसंचार उपकरणों के निर्माण पर आईटीआई प्रमुख जोर दे रहा है। निर्माण के लिए संज्ञान में लिए गए अन्य उत्पादों में एंटीना, रेडियो मोडेम, स्मार्ट जैमर, घुसपैठ रोधी सिस्टम, स्मार्ट पोस्टल डिलीवरी सिस्टम, 3डी प्रिंटर आदि हैं, जिसके लिए अवसंरचना स्थापित की जा रही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और यहां तक कि निजी क्षेत्र के लिए अनुबंध निर्माण गतिविधियों को बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश है। डेटा सेंटर और क्लाउड सेवाएं वर्तमान संदर्भ में व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आईटीआई अपने डाटा सेंटर को 1000 रैक क्षमता तक विस्तारित करने और इस तरह अपनी सेवाओं का विस्तार करने की प्रक्रिया की जा रही है।

आईटीआई ने अनेक स्टार्ट अप्स के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवं स्मार्ट सिटी अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक स्मार्ट समाधानों के टीमिंग अनुबंध किए हैं। विद्यमान प्रौद्योगिकी रूझानों के साथ साथ चलते हुए, आईटीआई अपनी संलिप्तता इंटरनेट ऑफ थिंग्स उत्पादों के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन अभिमुखता के साथ करेगा एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अद्यतन उत्पादों एवं उनके अनकूलता युक्त समाधानों के साथ विश्व श्रेणी की नई सदी के उपकरणों के निर्माण के लिए करेगा। दूसरी ओर, विपणन समूह पूरे देश में विस्तारित अपने विपणन, सेवाओं और परियोजना (एमएसपी) संगठन के माध्यम से आने वाले दिनों में बाजार में पैठ बढ़ाने और टर्नओवर बढ़ाने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास कर रहा है।

देश में बीएसएनएल के 4जी नेटवर्क के कार्यान्वयन में आईटीआई प्रमुख भूमिका निभाना चाहता है। सिस्टम इंटीग्रेटर होने के अलावा, बीएसएनएल के आरएएन उपकरणों एवं अन्य परिचालकों की अपेक्षाओं, 4 जी एवं 5 जी के लिए, की पूर्ति के लिए निर्माण करना करना चाहता है। मैसर्स टीसीएस के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) से आईटीआई के लिए बीएसएनएल के 4जी नेटवर्क में अवधारणा प्रमाण के प्रति रूचि अभिव्यक्ति की प्रस्तुति के मार्ग खुल गए हैं। इसी प्रकार, मैसर्स इलेंटस फॉर आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट (आईएएम) के साथ किए गए समझौता ज्ञापन से भी आईटीआईको साइबर सुरक्षा के क्षेत्र आगे बढ़ने की प्रवृति प्रबल हुई है और आईटीआईने अपने डेटा सेंटर में एक सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओएस) स्थापित करने और अन्य संगठनों को साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में प्रवेश के दिए हैं। आईटीआईने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कार्य प्रारंभ किए हैं और डीईबीईएल डीआरडी ओप्रौद्योगिकी के साथ ऑटोमेटेड रिससिटेटर का निर्माण शुरू किया है। मैसर्स पोलेटस मीडिया मैजिक के साथ आईटीआई द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन से संक्रामक रोगों, विशेष रूप से कोविड, के लिए परीक्षण प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत आर्टिफि शियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित प्रबंधन मंच में व्यावसायिक अवसर प्रदान किए हैं।

VI. जोखिम प्रबंधन

अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों की तरह ही, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के बाजार और प्रौद्योगिकी के दोनों मोर्चों पर तीव्र गति से बदलाव हो रहे है। कंपनी के व्यवसाय, परिचालन परिणाम और वित्तीय विभिन्न जोखिम और अनिश्चितताओं के अधीन हैं। विद्यमान वैश्विक महामारी कोविड-19 के वैश्विक एवं स्थानीय परिवेश पर अप्रत्याशित प्रभाव डालने के अलावा इसके अलावा, अर्थव्यवस्था ममें परिवर्तन, बाजार और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन इत्यादि जैसे बदलाव प्रभाव डाल रहे हैं। ये कंपनी के व्यवसाय में जोखिम की उत्पाति का बड़ा कारक हैं। कंपनी का यह मानना है कि गतिशील दूरसंचार क्षेत्र के वातावरण में विकास और स्वालम्बन के लिए जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। सूचना सुरक्षा और उचित मानकों की कमी इंटरनेट ऑफ थिंग्सउद्योग के लिएएक बड़ी चुनौती बनी हुई है जो डेटा के अंतर-संगठनात्मक आदान-प्रदान को प्रतिबंधित करती है।

आईटीआई प्रबंधन नीति और फ्रेम वर्क के माध्यम से जोखिम प्रबंधन के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता पर केंद्रित और अत्यधिक स्पष्ट है। इसमें व्यावसायिक उद्देश्यों, कानूनी या नियामक आवश्यकताओं और संविदात्मक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए जोखिम प्रबंधन के लिए उद्देश्यों को स्थापित करना और सिद्धांतों को स्थापित करना शामिल है। इसकी फ्रेम वर्क में संगठन के रणनीतिक संदर्भ के साथ जोखिम प्रबंधन का सरेखण किया जाना शामिल है।

कम्पनी ने अपनी जोखिम प्रबंधन नीति को पुन: परिभाषित करने एवं इसके लिए संरचना स्थापित करने के उद्देश्य से उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) के कार्यान्वयन की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। ईआरएम की इस संरचना का अभिकल्प आईएसओ 31000:2018, आईईसी 31010:2019 के अंतर्गत वैश्विक उत्तम व्यवहारों के आधार पर जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को पूरी तरह से संगठन की व्यवसाय प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करने के लिए किया जा रहा है।

आईटीआई की ईआरएम नीति ढांचा, प्रत्येक बाह्य और आंतरिक जोखिम-कारकों की पहचान करने, संगठन के व्यवसाय और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि पर उनके प्रभाव का आकलन करने, जोखिम-कारकों को प्राथमिकता देने, जोखिमों के उपचार के लिए विकल्पों की खोज करने और नियंत्रित करने की एक सतत और संरचित प्रक्रिया है। और ऐसे जोखिमों की निगरानी करना। आईटीआई के ईआरएम फ्रेम वर्क का उद्देश्य प्रबंधन करना है और लंबी अवधि में, जोखिम में पर्याप्त कमी हासिल करना और इसे स्वीकार्य स्तर पर बनाए रखना है। इसका उद्देश्य अनुपालन और प्रदर्शन के बीच संतुलन बनाए रखना है। इसका उद्देश्य कंपनी के व्यवसाय संचालन में निहित जोखिमों को संज्ञान में लेना और पहचाने गए जोखिमों को परिभाषित करने, मापने, रिपोर्ट करने, नियंत्रण

करने और उनका उपचार करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।

ईआरएम संरचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॅम्पनी के पास उचित और निरंतर जोखिम पहचान और प्रबंधन प्रक्रियाएं हैं। संगठन में जोखिम प्रबंधन को एकीकृत करना एक पुनरावृत्त और गतिशील प्रक्रिया है।

परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन के संवर्धित उपाय के तार पर कम्पनी ने एक परियोजना प्रबंधन मैनुअल तैयार किया है जिससे परियोजना प्रबंधकों अथवा परियोजना निष्पादन टीमों को परियोजनाओं अथवा निष्पादन आदेशों का प्रभावी स्वरूप में कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन मिलता है।

कम्पनी द्वारा पीएमएमएम (परियोजना प्रबंधन परिपक्वता मॉडल) तथा पीसीएमएफ (सार्वजनिक क्षमता परिपक्वता मॉडल) का कार्यान्वयन भी परियोजनाओं एवं संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीएमएमएम एवं पीसीएमएम के लिए स्तर-2 पर आईटीआई का मूल्यांकन किया गया है। इससे आईटीआई को परियोजना प्रबंधन एवं सार्वजनिक क्षमता प्रबंधन के लिए बेहतर प्रबंधन एवं समन्वयन में सहायता मिलेगी।

VII. **मानव संसाधन**

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी में पिछले वर्ष के अंत में 3498 कर्मचारियों की तुलना में कुल कर्मचारियों की संख्या 2876 थी। मानव संसाधन/औद्योगिक मोर्चे के संबंध में किए गए सामग्रीगत विकास की विस्तृत जानकारी निदेशक रिपोर्ट में दी गई है।

VII. **आंतरिक नियंत्रण उपाय**

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां इसके व्यवसाय की प्रकृति, आकार और इसके परिचालनों की जटिलता के अनुरूप हैं।

कॉर्पोरेट कार्यालय और यूनिटों में कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, कंपनी की प्रक्रियाओं और नीतियों के अनुपालन की समीक्षा करता है। विभाग वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता जैसे परिचालन के सभी प्रमुख क्षेत्रों की कवरेज के सुनिश्चय के लिए कंपनी की इकाई/मंडलों के साथ समन्वय करता है।

IX. **वित्तीय निष्पादन**

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के 2403 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 2578 करोड़ रुपये की बिक्री टर्नओवर की है। वित्तीय निष्पादन से संबंधित विस्तृत जानकारी निदेशक रिपोर्ट में दी गई है।

X. **प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण**

सम्बद्ध स्पष्टीकरणों के साथ निकटतम पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में निवल सम्पति के प्रतिफल में आए किसी परिवर्तन का विवरण।

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	भिन्नता के कारण
1	देनदार टर्नओवर	0.78	0.71	वर्ष 2020-21 की टर्नओवर मुख्यत: महानेट एवं एस्कॉन चरण IV परियोजना के निष्पादन के कारण बढ़ी है। औसत नामे शेष पिछली अवधि की तुलना में थोड़ा सा बड़ा है जो कि परिचालनों में हुई अनुवर्ती वृद्धि के साथ देनदारों से वसूली / ऋणशोधन / समायोजन में देरी के कारण है जिसकी वजह से देनदार टर्नओवर अनुपात में वृद्धि हुई
2	मालसूची टर्नओवर	12.53	11.82	विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन को विचार में लिए के परिणाम स्वरूप चालू वर्ष के दौरान बिक्री की लागत में 417.07 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। औसत मालसूची में भी पिछली अवधि की तुलना में 22 करोड़ रुपए की बढ़त है। इस प्रकार, इससे मालसूची टर्नओवर पर 0:71 के अनुपात में प्रभाव हुआ है।
3	ब्याज कवरेज अनुपात	1.08	1.49	देनदारों से वसूली में देरी होने तथा सामान्य परिचालनात्मक व्ययों को पूरा करने के कारण कार्यशील पूंजी ऋण में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, चालू अवधि के दौरान ईबीआईटी में न्यूनता है तथा ब्याज व्यय भी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक हुए हैं। जिससे ब्याज कवरेज अनुपात में 1:09 की कमी आई है।
4	चालू अनुपात	0.95	0.91	भारत सरकार से चालू देयताओं एवं गैर-चालू देयताओं के प्रति साफ्ट ऋण के संचलन के कारण चालू अनुपात में थोड़ा सुधार आया है।
5	नामे इक्विटी अनुपात	0.61	0.60	ऋण में बढ़ोतरी के कारण इसके अनुपात में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है।
6	परिचालन लाभ मार्जिन (%)	2.67%	7.82%	टर्नओवर में 303.21 करोड़ रूपए वृद्धि के बावजूद भी संस्थापन प्रभार, कर्मचारी लाभ व्यय, ब्याज व्यय में वृद्धि के कारण एवं न्यून अन्य आय, परिचालन लाभ मार्जिन कम हुआ है।
7	निवल लाभ मार्जित (%)	0.47%	7.16%	ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार अवधि में लाभ में कमी के कारण निवल लाभ मार्जिन में कमी आई हैं।

सम्बद्ध स्पष्टीकरणों के साथ निकटतम पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में निवल सम्पति के प्रतिफल में आए किसी परिवर्तन का विवरण।

इंड एएस में पारगमन की अवधि के दौरान कम्पनी ने इंड एएस 101– प्रथम बार इंड एएस का अंगीकरण के पैराग्राम में प्रदान की गई वैकल्पिक छूट के विकल्प का चयन किया था। इंड एएस101 में अपनी प्रत्येक सम्पति, संयंत्र एवं उपकरणके वहन मूल्य, इंड एएस में पारगमन की तिथि को पूर्व वित्तीय विवरणों दी गई स्वीकृति के अनुसार, को जारी रखने के विकल्प का प्रथम बार अंगीकरण करने एवं अनुपयोगी देयताओं के प्रति आवश्यक समायोजन करने के पश्चात उसका उपयोग पारगमन की तिथि की मानित लागत के रूप में करने की अनुमति है। इस छूट का उपयोग अमूर्त परिसम्पतियों एवं निवेश सम्पति के लिए भी किया जा सकता है। तदनुसार, कम्पनी ने अपनी प्रत्येक संपति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसम्पतियों एवं निवेश का मापन पूर्व सामान्य स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों के मूल्य पर करने का चयन किया है।

आईटीएफजी विकल्प

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया के इंड एएस ट्रांजिशन मेसिलिटेशन ग्रुप द्वारा समान प्रकार के मामले के लिए स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं:–

पारगमन के समय शेष को धारित आय में अंतरित के स्थान पर विद्यमान पुन:मूल्यांकन रिजर्व के साथ रखना एक चौकस व्यवस्था है तथा यह पूर्वावधि मदों की परिभाषा के अनुरूप है। इंड एएस 8 के पैराग्राफ 42 के अनुसार, पैराग्राफ 43 की शर्त पर, कम्पनी निम्नानुसार ज्ञात होने के पश्चात जारी किए जाने के लिए अनुमोदित वित्तीय विवरणों के प्रथम सेट में सामग्रीगत चूकों को पूर्वावधि प्रभाव से सही किया जाएगा :

(क) यदि चूक की उत्पति प्रस्तुत पूर्वावधि से पहले हुई है तो पूर्वावधि में पूर्व प्रस्तुत परिसम्पतियों, देयताओं एवं इक्विटी के प्रारंभ शेष का पुन: उल्लेख करके।

(ख) उस पूर्वावधि (अवधियों) के लिए प्रस्तुत तुलनात्मक राशियों का उल्लेख करके; अथवा

कम्पनी की ओर से पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के प्रति बरती गई पूर्व एहतियात पूर्वावधि मद की परिभाषा के अनुरूप है अत: कम्पनी को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के पश्चात से अपने वित्तीय विवरणों की पुन:प्रस्तुति करनी होगी।

इसके अलावा, दो व्यावसायिक मतों के आधार पर भी पुनर्मूल्यांकन रिजर्व (भूमि एवं भवन) की भी लेखों के पुन:कथन के पश्चात 1.4.2020 की स्थिति के अनुसार किया गया है, 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की निवल सम्पति 2283 करोड़ रुपए है तथा 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार 2420 करोड़ रुपए है।

XI **पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण**

कम्पनी की यूनिटें देश में विभिन्न स्थलों यथा बेंगलुरू, मनकापुर, रायबरेली, नैनी, पालक्काड एवं श्रीनगर में विस्तारित हैं। यूनिटों में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था विभिन्न अधिनयमों एवं नियमों यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) नियमावली, 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 इत्यादि के अंतर्गत की जाती है।

XII **प्रौद्योगिकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण :**

उपर्युक्त से सम्बद्ध सूचना का प्रकटीकरण निदेशक रिपोर्ट के अनुलग्नक 6 में किया गया है।

XIII **सचेतक विवरण**

आपकी कम्पनी के उद्देश्यों, अनुमानों, प्रत्याशाओं के बारे में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में दिया गया विवरण लागू विधियों एवं विनियमों के अर्थ के अनुसार "भविष्य के अग्र विचार" है। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त अथवा अंतर्निहित अर्थ से सामग्रीगत स्वरूप में भिन्न हो सकते हैं। कम्पनी के निष्पादन में भिन्नता स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में मांग / आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियां एवं उस घरेलू बाजार की मूल्य स्थितियां, जिनमें आपकी कम्पनी परिचालन करती है, सरकारी विनियमों, कर विधियों, आदेशों एवं अन्य आनुषंगिक सम्बद्ध मामलों में परिवर्तन शामिल है। इस प्रकार, एहतियात के तौर पर भविष्य के प्रति अग्र विचार पर अधिक आश्रित होना उचित नहीं होगा।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलुरू
तिथि : 7 अक्टूबर, 2021

अनुलग्नक - 6

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134

क ऊर्जा संरक्षण

(क) ऊर्जा संरक्षण का प्रभाव / किए गए उपाय

1. ऊर्जा कुशल ब्यूरो की अनुशंसाओं का समय समय पर कार्यान्वयन किया जाता है।
2. संयंत्र उपयोज्यताओं का इष्टतम उपयोग
3. शीतलन संयंत्र की व्यतिरिक्त क्षमता को कम किया जा रहा है।
4. ऊर्जा कारक की नियमित अंतराल पर मॉनीटरिंग की जाती है।
5. पुराने उच्च क्षमता वाले उपकरणों के स्थान पर विविध इष्टतम ऊर्जा कौशल क्षमता युक्त उपकरण लगाए गए हैं।
6. पारम्परिक इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक ब्लॉस्ट फ्लोरोसेंट फिटिंग के स्थान पर इलैक्ट्रानिक ब्लॉस्ट फ्लोरोसेंट ट्रिफोस्मेट लैम्प फिटिंग्स लगाई गई हैं।
7. विभिन्न ट्यूब-वैलों / कम्प्रेशरों के उपयोग के समय का यौक्तिकरण किया गया है।
8. पुराने एवं कम ऊर्जा कुशल यूपीएस के स्थान पर कम क्षमता वाले पोर्टेबल यूपीएस लगाए गए हैं।
9. शरद ऋतु में सेन्ट्रल एयर कँडीशनिंग प्लांट को ऑफ लोड किया जाता है।
10. स्ट्रीट लाइट इत्यादि के लिए टाइमर कँट्रोल डिवाइसों का उपयोग।
11. लोड क्षति को कम करने के लिए लोड का पथांतरण सिंगल ट्रांसफार्मर पर करना।
12. ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता की उत्पति के उद्देश्य से कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/ प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करना।
13. फैक्टरी तथा टाउनशिप में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए सीएफएल / एलईडी का उपयोग
14. फैक्टरी के भीतरी भाग में पारम्परिक एफटीएल के स्थान एलईडी ट्यूब लाइटें लगाना।
15. ऊर्जा खपत को कम करने के लिए विभागों का स्थल परिवर्तन एवं विलय करना।

(ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग एवं ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश के लिए कम्पनी द्वारा किए गए उपाय

1. ऊर्जा संरक्षण के अपने अनवरत प्रयासों के अंतर्गत, आईटीआई ने अपनी उत्पादन यूनिटों, कॉर्पोरेट कार्यालय एवं एमसपी-लखनऊ में कैप्टिव अपेक्षाओं की पूर्ति के उद्देश्य से सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई थी। कैप्टिव आवश्यकताओं के लिए सौर पैनलों का निर्माण आईटीआई लिमिटेड, नैनी संयंत्र में किया जा रहा है।

क्र.सं.	यूनिट / स्थल	क्षमता (किलोवाट)
1	रायबरेली संयंत्र	1500
2	बेंगलुरू संयंत्र	1200
3	पालक्काड संयंत्र	1200
4	मनकापुर संयंत्र	1200
5	नैनी संयंत्र	300
6	कॉर्पोरेट कार्यालय	100
7	एमएसपी - लखनऊ कार्यालय	100

ख प्रौद्योगिकी आमेलन

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) 2020-21

(i) प्रौद्योगिकी आमेलन के लिए किए गए उपाय

1. नैटग्रिड हेतु 1 जीई आईपी एनक्रिप्टर के लिए सीएआईआर डीआरडीओ के साथ संयुक्त विकास
2. रक्षा हेतु आईआरएनएसएस-आरएस रिसीवर के लिए आईएसआरओ/एसएसी के साथ संयुक्त विकास
3. डीईबीईएल, डीआरडीओ से प्रौद्योगिकी अंतरण के अंतर्गत पोर्टेबल वेंटिलेटर (एसओएआर) का विकास
4. रक्षा एवं गैर-रक्षा के नए नेटवर्कों के लिए गोपनीय उत्पादों का अभिकल्प एव विकास
5. पावर आपूर्ति यूनिटों का अभिकल्प एवं विकास
6. एनक्रिप्शन अल्गोरिथम्स का विकास
7. रक्षा को आपूर्ति किए गए विशिष्ट गोपनीय उत्पादों एवं निष्पादन नेटवर्क के लिए सहायता
8. विद्यमान उत्पादों का मूल्य संवर्धन
9. नेटवर्क एवं सुरक्षा समाधान डिजाइन प्रदान करना।

(ii) उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणाम स्वरूप प्राप्त लाभ

निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास उत्पादों का निर्माण किया गया था जिससे कम्पनी की टर्नओवर में 85 करोड़ रुपए से अधिक की टर्नओवर का योगदान प्राप्त हुआ है।

1. एनक्रिप्शन उत्पाद (परम्परागत) एवं टेलीफोन

2. 1 जीई आईपी एनक्रिप्टर (एनटीआरओ के लिए कवच तथा आईबी–गृह मंत्रालय के लिए चाणक्य)

3. रक्षा के लिए एमसीईयू (मल्टी कैपिसिटी एनक्रिप्शन यूनिट)

4. रक्षा नेटवर्कों के लिए एनक्रिप्शन उत्पादों हेतु अल्गोरिथम विकास

(iii) **आयातित प्रौद्योगिकी**

वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित : शून्य

(iv) **कार्रवाई योजना**

निम्नलिखित उत्पादों का विकास किया जा रहा है:–

1. अर्द्ध सैनिक बलों के लिए सुरक्षित फैक्स
2. रक्षा के लिए आईआरएनएसएस रिसीवर
3. उच्च क्षमता युक्त रेडियो रिले
4. एकीकृत चयन प्रणाली (मल्टी पोस्ट ईवीएम)
5. एस्कॉन चरण– 4 गोपनीय के लिए एमसीईयू
6. सुरक्षित वाई–फाई एस्सेस प्वांइट
7. डिजीटल मोबाइल रेडियो
8. स्मार्ट एनर्जी मीटर
9. रिमोट ईवीएम
10. सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (एसडीआर)
11. ड्रॉन डिटेक्शन एवं न्यूट्रिलाइजेशन (डीडीएन)

(v) **अनुसंधान एवं विकास व्यय**

क. पूंजी:1.08करोड़ रुपए

ख. राजस्व:10.34करोड़ रुपए

योग: 11.42करोड़ रुपए

कुल टर्नओवर के प्रति अनुसंधान एवं विकास के लिए कुल व्यय का प्रतिशत (जीएसटी के अलावा): 0.48%

ग विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

(ळ) कुल विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय आय : शून्य

व्यय:5.29करोड़ रुपए

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

स्थान : बेंगलुरू
तिथि : 7 अक्टूबर, 2021

राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निगमित शासन की रिपोर्ट

कम्पनी द्वारा लोक उद्यम विभाग ने कॉर्पोरेट शासन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों (डीपीई दिशानिर्देश) के साथ पठनीय यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (सूचीबद्धता बाध्यताएं) के अनुसरण में निम्नानुसार कॉर्पोरेट शासन के मानदंडों का अनुपालन किया है:-

1. हमारी कॉर्पोरेट शासन विचारधारा

कॉर्पोरेट शासन का अभिप्राय शेयरधारकों के मूल्यों का विधिक, नीतिपरक एवं संवहनीयता के आधार पर संवर्धन करना है। एक कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में आपकी कम्पनी कॉर्पोरेट शासन के उच्चतर मानकों के अनुपालन में विश्वास रखती है। हमारी यह अवधारणा है कि निवेशकों के विश्वास में संवर्धन एवं इसे बनाए रखने के लिए कॉर्पोरेट शासन के उच्चतर मानकों का अनुपालन अत्यावश्यक है।

2. निदेशक मंडल

क. निदेशक मंडल की संरचना :

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में एक कार्यकारी अध्यक्ष, चार कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक यथा निदेशक-मानव संसाधन, निदेशक - उत्पादन, निदेशक - वित्त एवं निदेशक - विपणन, एक सरकारी निदेशक तथा चार स्वतंत्र निदेशक हैं।

निदेशक मंडल की संरचना सूचीबद्धता विनियमों एवं लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है। कम्पनी में पर्याप्त संख्या में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। तदनुसार, महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की अपेक्षाएं संचार मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत की गई हैं।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना, वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों तथा पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति एवं उनके द्वारा धारित अन्य निदेशक पद / समिति सदस्यता का विवरण नीचे दिया गया है:-

निदेशक का नाम तथा निदेशक पहचान संख्या	निदेशक पद का वर्ग	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया	पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्य कितनी सार्वजनिक कम्पनियों में निदेशक पद का धारण	अन्य कितनी समितियों में अध्यक्ष / सदस्य पद का धारण
कार्यकारी निदेशक						
श्री राकेश मोहन अग्रवाल डीआईएन: 07333145	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	9	9	जी,हां	1	1
श्री चितरंजन प्रधान डीआईएन: 08094340	निदेशक वित्त	5	5	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री शशि प्रकाश गुप्ता डीआईएन: 08254999	निदेशक मानव संसाधन	9	9	जी,हां	1	2
श्री डी.वेंकटेशवर्लु डीआईएन: 08605954	निदेशक उत्पादन	9	8	जी,हां	शून्य	शून्य
श्री राजीव श्रीवास्तव[2] डीआईएन: 08921307	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी	4	4	जी,हां	शून्य	शून्य
श्री राकेश चन्द तिवारी [3] डीआईएन: 08953397	निदेशक विपणन	2	2	लागू नहीं	शून्य	शून्य
गैर कार्यकारी निदेशक						
लै.जनरल राजीव सभरवाल[4] डीआईएन: 08420761	सरकारी निदेशक रक्षा मंत्रालय	7	0	जी,हां	लागू नहीं	लागू नहीं
डा. राजेश शर्मा डीआईएन: 08200125	सरकारी निदेशक, संचार मंत्रालय	9	9	जी,हां	1	1
स्वतंत्र निदेशक						
श्रीमती आशा कुमारी जसवाल[5] डीआईएन: 07786698	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डा.के.आर.शुमुगम [6] डीआईएन: 08211253	स्वतंत्र निदेशक	9	9	जी,हां	शून्य	1
श्री राजेन विद्यार्थी[7] डीआईएन: 08196235	स्वतंत्र निदेशक	9	9	जी,हां	शून्य	2
श्री मयंक गुप्ता डीआईएन: 03501227	स्वतंत्र निदेशक	9	9	नहीं	शून्य	1
डा. अखिलेश दुबे डीआईएन: 08195896	स्वतंत्र निदेशक	9	9	नहीं	शून्य	शून्य

नोट :

1. भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 के आदेश के माध्यम श्री चितरंजन प्रधान को नियमित प्रभारी की नियुक्ति होने अथवा आदेशों तक के लिए निदेशक वित्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। श्री राजीव श्रीवास्तव की दिनांक 15 अक्तूबर, 2020 से नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप श्री चितरंजन प्रधान कम्पनी के निदेशक वित्त नहीं हैं।
2. श्री राजीव श्रीवास्तव की नियुक्ति दिनांक 15 अक्तूबर, 2020 से निदेशक वित्त के पद पर की गई है।
3. श्री राकेश चन्द्र तिवारी की नियुक्ति दिनांक 7 जनवरी, 2021 से निदेशक विपणन के पद पर की गई है।
4. लैफ्टिनेंट जनरल राजीव सभरवाल दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने के परिणामस्वरूप अब सरकारी निदेशक नहीं हैं।
5. श्रीमती आशा कुमारी जसवाल ने स्वतंत्र निदेशक के पद पर अपना कार्यकाल दिनांक 5 अप्रैल, 2020 को पूरा कर लिया है।
6. डा. के.आर. षणमुगम लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं।
7. श्री राजेन विद्यार्थी स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष हैं।
8. लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता / सदस्यता एवं स्टेकधारक संबंध समिति को ही केवल विचार में लेते हुए

नोट :

* निदेशकों से प्राप्त घोषणा के अनुसार किसी भी निदेशक के पास कम्पनी के इक्विटी शेयरों का धारण नहीं है।
* किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की परस्पर सम्बद्धता 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार नहीं है।
* निदेशकों की कम्पनी के साथ किसी प्रकार की आर्थिक सम्बद्धता अथवा संव्यवहार नहीं हैं (अपनी पात्रता के अनुसार सीटिंग शुल्कसहित पारिश्रमिक के अलावा)
* केवल डा. राजेश शर्मा के अलावा, जो टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में निदेशक हैं, कोई भी किसी सूचीबद्ध कम्पनी में निदेशक नहीं है।
* सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत किए गए उल्लेख के अनुसार कोई भी निदेशक सभी कम्पनियों की 10 से अधिक समितियों में न तो सदस्य है और न ही 5 से अधिक समितियों में अध्यक्ष का पद धारण किए हुए है।
* निदेशकों को बैठकों में प्रतिभागिता के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधाओं का भी उपयोग करने की सुविधा दी जाती है।
* निदेशक मंडल आवधिक रूप से कम्पनी के संबंध में लागू सभी विधियों की अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा करता है।

(क) निदेशक मंडल की बैठकों की तिथि :

विचाराधीन वर्ष के समीक्षा के दौरान निदेशक मंडल की 9 बैठकें दिनांक 26 जून, 2020, 31 जुलाई, 2020, 26 अगस्त, 2020, 14 सितम्बर, 2020, 3 अक्तूबर, 2020, 2 नवम्बर, 2020, 11नवम्बर, 2020, 9 फरवरी, 2021 तथा 12 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई थी।

(ख) निदेशकों के लिए अनुकूलता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भारत सरकार द्वारा कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों एवं सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अनुसरण में कम्पनी ने निदेशकों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे :

- प्रवेश प्रशिक्षण / अनुकूलन कार्यक्रम
- बाह्य प्रशिक्षण

नए निदेशकों को कम्पनी से संबंधित विधान व्यवस्था, विजन एवं मिशन विवरणख प्रमुख क्रियाकलापों, निदेशक मंडल प्रक्रियाओं, परिचालनों, विभिन्न नीतियों एवं प्रक्रियाओं, शासी एवं आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं तथा अन्य सम्बद्ध महत्वपूर्ण सूचना के साथ साथ कम्पनी अधिनियम, 2013, सूचीबद्धता विनियमों एवं अन्य लागू विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित अनुपालनों के अलावा निदेशक के रूप में निष्पादन के लिए आवश्यक कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का विवरण दिया जाता है।

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को सम्बद्ध विनियामक अपेक्षाओं जैसे सेबी विनियम, कम्पनी अधिनियम इत्यादि में होने वाले किसी प्रकार के परिवर्तन एवं नव विकास के लिए उचित ढंग से अपडेट किया जाता है। निदेशकों को प्रबंधन के विख्यात संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों / सेमिनारों में भाग लेने के लिए भी नामित किया जाता है।

कम्पनी के स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए अनुकुलन कार्यक्रम प्रशिक्षण से संबंधित विवरण कम्पनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in.// investor information पर उपलब्ध है।

(ग) निदेशक मंडल का कौशल, विशेषज्ञता एवं क्षमताएं

निदेशक मंडल में विशेषज्ञ निदेशक होते हैं जिन्हें विशेषज्ञता के अपने संबंधित क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त होता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल में कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने और इस संबंध में उचित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद की जाती है। संचार मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के नामिती, जो सामान्यत: भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, भी कंपनी के निदेशक मंडल का भाग होते हैं, और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा स्वयं उनकी नियुक्ति की जाती है।

स्वतंत्र निदेशकों को संचार मंत्रालय द्वारा नियुक्ति के लिए अधिसूचित किया जाता है और उनका चयन लोक उद्यम विभाग द्वारा गठित सर्च समिति करती है। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव की अपेक्षाओं के साथ की जाती है।

निदेशक मंडल में नियुक्त किए जा रहे स्वतंत्र निदेशक विभिन्न क्षेत्रों से से सम्बद्ध होते हैं और उनके पास विशाल अनुभव होता है और अपने अनुभव और एक्सपोजर के आधार पर वेनिदेशक मंडल को महत्वपूर्ण मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं एवं निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में शामिल होते हैं।

(घ) स्वतंत्र निदेशक ने यह पुष्टि की है कि वे सूचीबद्धता विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150(1) के अंतर्गत अधिसूचित संस्थान में पंजीकरण करवा लिया है।

(ङ) विचाराधीन वर्ष के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने कंपनी से त्यागपत्र नहीं दिया है।

(च) प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त इस आशय का एक प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध-क** के रूप में संलग्न है कि कंपनी के निदेशक मंडल में किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, ।

(छ) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया है।

3. लेखापरीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17, कॅम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति में अध्यक्ष सहित तीन स्वतंत्र निदेशक और एक कार्यकारी निदेशक समिति के सदस्यों के रूप में शामिल हैं:

डॉ के आर षणमुगम, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष

श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक मानव संसाधन, सदस्य

श्री राजेन विद्यार्थी, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य और

श्री मयंक गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 7 बैठकें (स्थगित बैठक सहित) दिनांक 25 जून, 2020, 26 जून, 2020 (स्थगित बैठक), 26 अगस्त, 2020, 14 सितम्बर, 2020, 2 नवम्बर, 2020, 11 नवम्बर, 2020 तथा 12 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई थी।

विचाराधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की सदस्यता में परिवर्तन सहित उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	निदेशक के सम्बद्ध कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में प्रतिभागिता की गई
श्रीमती आशा कुमारी जसवाल [1]	लागू नहीं	लागू नहीं
डा. के.आर. षणमुगम [2]	7	7
श्री शशि प्रकाश गुप्ता	7	7
श्री राजेन विद्यार्थी	7	7
श्री मयंक गुप्ता	5	5

[1]–5 अप्रैल, 2020 से समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं हैं
[2]–26 जून, 2020 से समिति के अध्यक्ष पदनामित किए गए हैं।
[3]–26 जून, 2020 से समिति में सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।

निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं और कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें अध्याधीन निर्मित नियमों के साथ पठित कॅम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सूचीबद्धता विनियमों और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं।

4. नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

आईटीआई, सार्वजनिक क्षेत्र का केन्द्रीय उपक्रम है तथा इसके संबंध में निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीबद्धता विनियमों एवं लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार समिति के संदर्भ की शर्तें वरिष्ठ प्रबंधन की सीमा तक अर्थात निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे और निष्पादन सम्बद्ध वेतन के लिए लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सीमित हैं ।

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार की जाती है। पारिश्रमिक सहित कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें भी भारत सरकार के निर्देश के अनुसार हैं। अंशकालिक आधिकारिक नामित निदेशकों का पारिश्रमिक उनके संबंधित नियमों द्वारा शासित होता है। स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग फीस का भुगतान किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015की अधिसूचना संख्या 463 (ई) के अनुसारआईटीआई लिमिटेड को सरकारी कंपनी होने के नाते अपने स्वयं का निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन निदेशक मंडल, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों द्वारा किए जाने से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में छूट दी गई है। इसके अलावा, सभी निदेशकों (कार्यकारी, सरकारी नामित और स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा किए जाने के कारण कंपनी ने स्वतंत्र और निदेशक मंडल के निष्पादन मूल्यांकन के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं। निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

31 मार्च 2021 तक, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

डा. के. आर. षणमुगम, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष;

श्री मयंक गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य; और

डॉ राजेश शर्मा, सरकारी निदेशक

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक दिनांक 02 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी।

सदस्य के कार्यकाल में परिवर्तन, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	निदेशक के सम्बद्ध कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में प्रतिभागिता की गई
श्रीमती आशा कुमारी जसवाल [1]	लागू नही	लागू नहीं
डा. के.आर. षणमुगम [2]	1	1
श्री मंयक गुप्ता	1	1
डा. राजेश शर्मा [3]	1	1

[1] 5 अप्रैल, 2020 से समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं हैं
[2] 26 जून, 2020 से समिति के अध्यक्ष पदनामित किए गए हैं।
[3] 26 जून, 2020 से समिति में सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।

निदेशकों का पारिश्रमिक

(ख) पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को चुकता किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है :-

(in Rs)

स्टाफ नम्बर	निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन	अनुलाभ	भविष्य निधि अंशदान	योग
20094	श्री राकेश मोहन अग्रवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	28,07,172	4,19,280	3,36,373	35,62,825
	श्री चितरंजन प्रधान [1]	निदेशक वित्त	-	-	-	-
20095	श्री शशि प्रकाश गुप्ता	निदेशक मानव संसाधन	24,74,926	3,64,420	2,92,491	31,31,837
2099	श्री डी वेंकटेश्वरलु	निदेशक उत्पादन	15,50,543	69,024	1,64,547	17,84,114
20104	श्री राजीव श्रीवास्तव[2]	निदेशक वित्त	12,58,477	1,82,131	1,47,585	15,88,193
20122	श्री राकेश चन्द्र तिवारी [3]	निदेशक विपणन	2,71,782	-	31,464	3,03,246

ी वेंकटेश्वरलु

[1]श्री चितरंजन प्रधान, ने निदेशक वित्त (अतिरिक्त प्रभार) के पद का धारण 15 अक्तूबर, 3030 तक किया है तथा उन्होंने कम्पनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

[2]श्री राजीव श्रीवास्तव को निदेशक वित्त के पद पर दिनांक 15 अक्तूबर, 2020 को नियुक्त किया गया है।

[3]श्री राकेश चन्द्र तिवारी को निदेशक विपणन के पद पर दिनांक 7 जनवरी, 2021 से नियुक्त किया गया है।

टिप्पणियां :

क. कार्यकारी निदेशकों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए 3 महीने की नोटिस अवधि अथवा उसके एवज में वेतन का भुगतान अपेक्षित है।

I. विचाराधीन वर्ष के दौरान कार्यपालक निदेशकों को निष्पादन सम्बद्ध वेतन नहीं दिया गया है।

(ii) अंशकालिक सरकारी निदेशकों को प्रतिपूर्ति

सरकारी निदेशक प्रोमोटरों के प्रतिनिधि होते हैं जिससे उन्हें कोई पारिश्रमिक अथवा सीटिंग फीस का भुगतान नहीं किया जाता है।

(iii) स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिपूर्ति

स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए 10,000/- रुपये और समिति की बैठकों के लिए 5,000/- रुपये के बैठक शुल्क के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

विचाराधीन वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठक	समिति की बैठक	योग
श्रीमती आशा कुमारी जसवाल [1]	शून्य	शून्य	शून्य
डा. के. आर.षणमुगम	90,000	45,000	**1,35,000**
श्री राजेन विद्यार्थी	90,000	45,000	**1,35,000**
श्री मयंक गुप्ता	90,000	35,000	**1,25,000**
डा. अखिलेश दुबे	90,000	15,000	**1,05,000**

[1]दिनांक 5.4.2020 से स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

(iv) विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने निदेशकों को कोई कमीशन नहीं दिया है और न ही उन्हें कोई स्टॉक विकल्प दिया गया है

(v) निदेशक मंडल के स्तर से एक स्तर नीचे वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक, मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति अथवा उन्हें हटाए जाने की सूचना समय-समय पर नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति / निदेशक मंडल को दी जाती है।

5. स्टेकधारक संबंध समिति

स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी) स्टेकधारकों / निवेशकों की शिकायतों और उसके निवारण की प्रणाली की जांच करती है। समिति रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के निष्पादन और कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई की देखरेख और समीक्षा करती है।

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, सम्बद्ध निर्मित नियमों के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों, सूचीबद्धता विनियमों एवं लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन करके नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :

श्री राजेन विद्यार्थी, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष;

श्री राकेश मोहन अग्रवाल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सदस्य; तथा

श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक मानव संसाधन, सदस्य

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक दिनांक 26 मार्च 2021 को आयोजित की गई थी जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

सदस्यों के कार्यकाल में विवरण परिवर्तन, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में प्रतिभागिता की गई
श्रीमती आशा कुमारी जसवाल 1	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राजेन विद्यार्थी 2	1	1
श्री राकेश मोहन अग्रवाल	1	1
श्री शशि प्रकाश गुप्ता	1	1

[1] 2020 से समिति की सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं हैं।

[2] दिनांक 26 जून, 2020 को समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप म शामिल किया गया।

श्रीमती एस शनमुगा प्रिया, कंपनी सचिव, कंपनी की अनुपालन अधिकारी हैं।

कंपनी सदैव स्टेकधारकों/निवेशकों की शिकायतों/ शंकाओं/प्रश्नों का समाधान समय पर करने का प्रयास करती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी को शेयरधारकों से कोई शिकायत नहीं मिली है।

निवेशक संबंध कक्ष

निवेशकों और विश्लेषकों द्वारा अक्सर मांगी जाने वाली आवश्यक जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.itiltd.in पर 'निवेशक सूचना' पृष्ठ के अंतर्गत उपलब्ध है। वेबसाइट में वित्तीय विवरण, निवेशक से संबंधित घटनाक्रम और प्रस्तुतियां, वार्षिक रिपोर्ट और शेयरधारिता पैटर्न के साथ-साथ मीडिया रिलीज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट इत्यादि के अपडेट उपलब्ध हैं।

6. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

लोक उद्यम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सीएसआर क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों तथा सम्बद्ध नियमों के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च 2021 को समिति में निम्नलिखित शामिल थे:

समिति के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राकेश मोहन अग्रवाल और श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक मानव संसाधन, श्री डी वेंकटेश्वरलु, निदेशक उत्पादन और श्री अखिलेश दुबे, स्वतंत्र निदेशक समिति के सदस्य हैं।

समिति की संदर्भ शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 26 अगस्त 2020 को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

समिति की संरचना में परिवर्तन, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठक में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में प्रतिभागिता की गई
श्री राकेश मोहन अग्रवाल	1	1
श्री शशि प्रकाश गुप्ता	1	1
श्रीमती आशा कुमारी जसवाल [1]	लागू नहीं	लागू नहीं
डा. अखिलेश दुबे [2]	1	1
श्री डी. वेंकटेशवर्लु [3]	1	0

[1] 5 अप्रैल, 2020 से समिति की सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं हैं।
[2] दिनांक 26 जून, 2020 को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
[3] दिनांक 26 जून, 2020 को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

7. जोखिम प्रबंधन समिति

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, निदेशक मानव संसाधन है, तथा निदेशक वित्त, डॉ अखिलेश दुबे, स्वतंत्र निदेशक, परिचालन प्रमुख और परियोजना और योजना प्रमुख समिति के अन्य सदस्य हैं।

इसके अलावा, उपरोक्त जोखिम प्रबंधन समिति निवारक योजनाओं के साथ प्रमुख जोखिमों का मूल्यांकन करती है और समय-समय पर इसकी रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत करती है।

संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन के कारण, निदेशक मंडल ने दिनांक 9 फरवरी 2021 को आयोजित अपनी बैठक में समिति के सदस्य महाप्रबंधक- परिचालन और महाप्रबंधक- परियोजना और योजना के स्थान पर परिचालन प्रमुख और परियोजना और योजना प्रमुख को जोखिम प्रबंधन समिति में शामिल करके पुनर्गठन किया था।।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 10 फरवरी 2021 को जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

सदस्यों के कार्यकाल में ब्यौरे में परिवर्तन, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या और जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	सम्बद्ध निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया गया
श्री शशि प्रकाश गुप्ता	1	1
श्री चितरंजन प्रधान [1]	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राजीव श्रीवास्तव [2]	1	1
डा. अखिलेश दुबे	1	1
श्री सुनील कुमार	1	1
श्रीमती इला बहादुर [3]	1	1

[1] श्री चितरंजन प्रधान 15 अक्तूबर, 2020 से समिति के सदस्य नहीं हैं।
[2] श्री राजीव श्रीवास्तव 15 अक्तूबर, 2020 से सदस्य के रूप समिति में शामिल हुए हैं।
[3] श्रीमती इला बहादुर 9 फरवरी, 2021 से समिति में सदस्य के रूप में शामिल हुई हैं।

8. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

दिनांक 23 मार्च 2021 को स्वतंत्र निदेशकों के लिए एक अलग बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया था। इस बैठक में, स्वतंत्र निदेशकों ने गैर-स्वतंत्र निदेशक और निदेशक मंडल के निष्पादन का सम्पूर्ण मूल्यांकन किया था, पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की गुणवत्ता, कंपनी के प्रबंधन के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता एवं निदेशक मंडल के निदेशकों के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए प्रभावी एवं औचित्यपरक विधि से किए जाने की समीक्षा की गई थी।

31 मार्च 2021की स्थिति के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्रता प्रमाण पत्र के आधार पर, आपके निदेशक मंडल का यह मत है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और सूचीबद्धता विनियम के विनियम 16 में निर्दिष्ट स्वतंत्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तथा वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

9. आचार संहिता

सूचीबद्धता विनियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने आचार संहिता को अंगीकार कर लिया है। यह संहितानिदेशक मंडल के सदस्यों, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए है। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/investor_information पर अपलोड की गई है।

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च 2021की स्थिति के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

इस आशय की एक घोषणा पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और इसकी रिपोर्ट **अनुलग्नक-ख** में संलग्न हैं।

10. अतरंग व्यापार प्रतिषेध संहिता

कंपनी ने सेबी (अतरंग व्यापार प्रतिषेध) विनियम, 2015 के अनुसरण में आईटीआई लिमिटेड के सिक्योरिटिस के संव्यवहार के संबंध में

''पदनामित व्यक्तियों एवं पदनामित व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी एवं रिपोर्ट एवं सत्यनिष्ठ प्रकटीकरण (अतरंग व्यापार प्रतिषेध), के संबंध में आईटीआई की आचार संहिता जारी की है।

अतरंग व्यापार प्रतिषेध संहिता का उद्देश्य अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना (यूपीएसआई) के आधार पर कंपनी के शेयरों की खरीद/बिक्री की रोकथाम करना है। अतरंग व्यापार प्रतिषेध संहिता के अंतर्गत, अतरंग (सम्बद्ध व्यक्ति या यूपीएसआई के धारण वाला व्यक्ति) अपनी ओर से अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से यूपीएसआई के धारण के दौरान कंपनी के शेयरों की सौदेबाजी के लिए प्रतिबंधित है। इसके अलावा पदनामित व्यक्तियों को भी ट्रेडिंग विंडो की अवधि के बंद होने के दौरान अनुपालन अधिकारी को सूचना के अध्याधीन कंपनी की सिक्योरिटिज का ट्रेड करने की अनुमति नहीं है। निर्दिष्ट सीमा के पश्चात कम्पनी की सिक्योरिटिज में संव्यवहार के लिए अनुपालन अधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी अपेक्षित है। अतरंग व्यापार प्रतिषेध संहिता में किए गए उल्लेख के अनुसार सभी नामित व्यक्तियों से समय-समय पर संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है।

कॅम्पनी की अतरंग व्यापार प्रतिषेध संहिता कंपनी की वेबसाइट https://www itiltd.in/investor_information पर उपलब्ध है।

11. चौकसी तंत्रव्यवस्था / सचेतक नीति

कंपनी के सभी कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा के पर्याप्त स्तर के अनुरक्षण के सुनिश्चय के उद्देश्य से मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में कंपनी का सतर्कता विभाग स्थापित है। कंपनी में विभिन्न स्थानों पर ड्रॉप बॉक्स रखे गए हैं, जहां कर्मचारी और अन्य लोग अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध जालसाजी इत्यादि से संबंधित किसी सरोकार की जानकारी, यदि कोई हो, सतर्कता शाखा को सूचित कर सकते हैं और है। शिकायतकर्ताओं की पहचान की सुरक्षा के साथ दर्ज की गई शिकायतों की सतर्कता द्वारा समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

कंपनी ने सचेतक नीति को अंगीकार किया है जिसके अंतर्गत कर्मचारी आईटीआई की अतरंग व्यापार संहिता के उल्लंघन से संबंधित अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के रहस्योद्घाटन / दुरूपयोग सहित कानून, नियमों, विनियमों, अथवा आचार संहिता का किसी भी कर्मचारी द्वारा उल्लंघन किए जाने की जानकारी सक्षम प्राधिकारी अथवा लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत कर सकते हैं। कोड, सक्षम प्राधिकारी या लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो। प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों की समीक्षा सक्षम प्राधिकारी अथवा लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत उल्लंघनों की रिपोर्टिंग की गोपनीयता का अनुरक्षण किए जाने तथा इसके लिए पक्षपातपूर्ण व्यवहार न किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच स्थापित करने से मना नहीं किया जा सकता है।

वर्ष के दौरान, दिनांक 12 फरवरी, 2021 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में सचेतक नीति में संशोधन करके इसमें अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना लीक होने की रिपोर्टिंग के मामले में कर्मचारियों को जांच के विषय, जांच के परिणाम, सुरक्षा एवं अन्य प्रक्रियाओं जैसे उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं।

संशोधित सचेतक नीति कॅम्पनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/vigilance पर उपलब्ध है।

12. लाभांश वितरण नीति

कॅम्पनी ने लाभांश वितरण नीति अंगीकार की है, इसका निर्माण मुख्यत: कॅम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है तथा निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, सेबी एवं अन्य द्वारा जारी यथा लागू सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के पूंजी की पुनर्संरचना से संबंधित दिशानिर्देशों को भी विचार में लिया गया है। इस नीति किसी भी विनियामक प्राधिकरण तथा/अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों, यदि कोई हो, को कवर किया गया माना जाएगा।

यह नीति कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश के वितरण पर विचार करने और निर्णय लेने तथा/अथवा संवहनीय विकास के लिए आय का धारण करने की सामान्य संरचना निर्धारित करती है।

उक्त नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/investor_information पर उपलब्ध है।

13. मुख्य कार्य अधिकारी / मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(8) के अनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण पत्र इस वार्षिक रिपोर्ट के **अनुलग्नक-ग** में दिया गया है।

14. प्रकटीकरण

क. विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी भी ऐसे सम्बद्ध पक्षकार के साथ कोई अनुबंध, व्यवस्थाएं एवं संव्यवहार नहीं किए हैं जो आर्म लैंथ के आधार पर न हो तथा व्यवसाय के सामान्य क्रम में न हों। किसी भी प्रकार का सामगीगत संव्यवहार सम्बद्ध पक्षकारों के साथ नहीं किया गया है जिसमें मुख्यत: कम्पनी के हितों पर संभावित विरोध होता हो। सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार से संबंधित नीति कम्पनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/investor_information पर उपलब्ध है।

ख. सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17 के प्रावधानों का उल्लंघन:

कंपनी ने निदेशक मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या का अनुपालन न किए जाने, जो कि भारत सरकार द्वारा नामांकन न किए जाने के कारण है, के अलावा सूचीबद्धता विनियमों और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उक्त गैर-अनुपालन के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया है। सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के पास होने के आधार पर कंपनी ने लगाए गए जुर्माने से छूट के लिए एक्सचेंजों के सम्मुख प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

पूंजी बाजार से संबंधित गैर-अनुपालन के लिए सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा कंपनी पर कोई अन्य दंड नहीं लगाया गया है अथवा गुण दोष व्याख्या नहीं की गई है।

15. आम बैठक

पिछले तीन वर्षों में आयोजित वार्षिक / असाधारण आम सभाओं के समय, तिथि एवं स्थल तथापारित विशेष संकल्पों से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	तिथि तथा समय	स्थल	विशेष संकल्प
2017-18*	5 अप्रैल, 2018 को प्रात: 11.30 बजे	बैंगलुरु तमिल संगम, बैंगलुरु	जी, हां
2017-18	26 सितम्बर, 2018 को प्रात: 11.30 बजे	आईटीआई अधिकारी क्लब, नया विंग, आईटीआई टाउनशिप, बैंगलुरु 560 016	नहीं
2018-19	27 दिसम्बर, 2019 को प्रात: 11.30 बजे	आईटीआई अधिकारी क्लब, नया विंग, आईटीआई टाउनशिप, बैंगलुरु 560 016	जी, हां
2019-20	4 दिसम्बर, 2020 को प्रात: 11.30 बजे	वीडियो कांफ्रेंस ओएवीएम के माध्यम से, आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बैंगलुरु 560016	नहीं

* असाधारण आम सभा

विचाराधीन वर्ष के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता वाले मामलों से संबंधित प्रत्येक निर्णय अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्राप्त किया जाएगा।

16. संचार के माध्यम

तिमाही /वार्षिक परिणाम

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन दिए जाने के तुरंत पश्चात स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित रूप से अलेखापरीक्षित एवं लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की सूचना दी जाती है। सामान्यत: ये वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड / फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी में), संजीवनी (कन्नड़ में) और दक्षिण भारत राष्ट्रमत (हिंदी में) में प्रकाशित होते हैं। वित्तीय परिणाम कॅम्पनी की वेबसाइट- http://www.itiltd.in/investor_information पर भी देखे जा सकते हैं।

समाचार विज्ञप्ति, प्रस्तुति आदि

आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां, मीडिया, संस्थागत निवेशकों, वित्तीय विश्लेषकों इत्यादि के सम्मुख प्रस्तुत की गई विस्तृत प्रस्तुतियां कंपनी की वेबसाइट www.itiltd.in पर अपलोड की जाती हैं।

वेबसाइट

कॅम्पनी की वेबसाइट www.itiltd.in में अलग से समर्पित खंड 'निवेशक सूचना' है जहां शेयरधारकों के लिए जानकारी उपलब्ध होती है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट, शेयरधारिता पैटर्न, कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट, स्टॉक एक्सचेंजों के सम्मुख प्रस्तुत सभी प्रकटीकरण इत्यादि वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

17. सामान्य शेयरधारक सूचना

क) वित्तीय वर्ष 2021 की वार्षिक आम बैठक

दिनांक : 10 नवंबर 2021

समय : पूर्वा 11.30 बजे।

स्थान : कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र के अनुसरण में कंपनी बैठक का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से कर रही है वीसी के माध्यम से कर रही है तथा तदनुसार बैठक के स्थल की व्यवस्था अपेक्षित नहीं है।

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(3) तथा सचिवीय मानक 2 की अपेक्षाओं के अनुसार इस वार्षिक आम सभा में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले निदेशकों का विवरण वार्षिक आम सभा की सूचना के अनुलग्नक में दिया गया है।

ख) वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय परिणा"ों की घोषणा के लिए संभावित कैलेंडर नीचे दिया गया है:

निम्नानुसार तिमाही को समाप्त तिमाही परिणामों का अंगीकरण	निदेशक मंडल की बैठक की संभावित तिथि
30.06.2021 (सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के साथ)	14.08.2021को अथवा उससे पूर्व
30.09.2021 (सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के साथ)	14.11.2021को अथवा उससे पूर्व
31.12.2021 (सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के साथ)	14.02.2022को अथवा उससे पूर्व
31.03.2022 (लेखापरीक्षित)	30.05.2022को अथवा उससे पूर्व

कम्पनी की सिक्योरिटिज के संव्यवहार के लिए अनुपालन अधिकारी द्वारा समय समय पर "इनसाइडर्स" के लिए ट्रेडिंग विन्डों बंद किए जाने का विनिर्देशन किया जाता है। सामान्यत: कम्पनी की सिक्योरिटिज में संव्यवहार के लिए इनसाइडर्स हेतु ट्रेडिंग विन्डो प्रत्येक तिमाही के अंत में तिमाही वित्तीय परिणाम स्टाक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए जाने के 48 घंटे पश्चात तक बंद रहती है। इससे संबंधित प्रत्येक सूचना स्टाक एक्सचेंजों, इनसाइडर्स को मेल के माध्यम से भेजी जाती है तथा कम्पनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/investorśinformation.na भी अपलोड की जाती है।

ग) स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता एवं सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान

वर्तमान में कम्पनी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं :-

नाम तथा पता	टेलीफोन / फैक्स / ई मेल आईडी / वेबसाइट	ट्रेडिंग सिम्बल
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुम्बई 400 001	टेलीफोन: 022-22721233/4 फैक्स: 022-22721919 ईमेल :**bsehelp@bseindia.com** वेब साइट: www.bseindia.com	523610
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुम्बई 400 051	टेलीफोन: 022-26598100-8114 फैक्स: 022-26598120 ईमेल: **ignse@nse.co.in** वेबसाइट : www.nseindia.com	आईटीआई

कम्पनी ने बीएसई तथा एनएसई को वर्ष 2020-21 के लिए सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया है।

घ) कस्टोडियन शुल्क

सीडीएसएल को कम्पनी के इक्विटी शेयर, कोड नम्बर आईएनई 248ए01017 के कस्टोडियन शुल्क का भुगतान वर्ष 2020-21 के

लिए कर दिया गया है।

ड.) बाजार मूल्य डेटा

कम्पनी के बाजार शेयर मूल्यों के संबंध में बीएसई तथा एनएसई में उच्च / न्यून विवरण निम्नानुसार है :-

माह	बीएसई (रुपए प्रति शेयर)			एनएसई (रुपए प्रति शेयर)		
	उच्च मूल्य	न्यून मूल्य	वाल्यम	उच्च मूल्य	न्यून मूल्य	वाल्यम
अप्रैल -20	96.40	58.10	29,91,844	96.60	57.00	3,06,91,646
मई -20	88.95	78.80	13,80,973	89.00	78.65	1,33,30,179
जून 20	113.60	80.00	60,99,560	113.65	80.05	7,89,05,577
जुलाई -20	144.35	102.60	1,05,99,394	144.15	102.45	9,91,51,100
अगस्त -20	151.60	126.70	39,92,605	151.65	126.60	4,50,35,258
सितम्बर -20	141.00	116.90	23,65,718	141.00	117.00	3,34,96,283
अक्तूबर-20	134.30	116.55	09,61,146	134.50	116.00	1,19,35,128
नवम्बर -20	129.30	113.75	11,65,044	129.60	113.35	1,37,86,260
दिसम्बर -20	137.80	117.05	25,23,367	137.70	117.10	2,35,51,197
जनवरी-21	139.45	119.25	12,93,195	139.40	119.10	1,47,23,335
फरवरी 21	137.40	120.65	22,94,396	137.40	120.80	2,54,13,624
मार्च 21	133.90	111.75	19,46,072	134.00	111.65	1,62,46,423

च) बीएसई सेंसेक्स जैसे वृहत आधार वाले इंडिक्स की तुलना में कम्पनी का निष्पादन

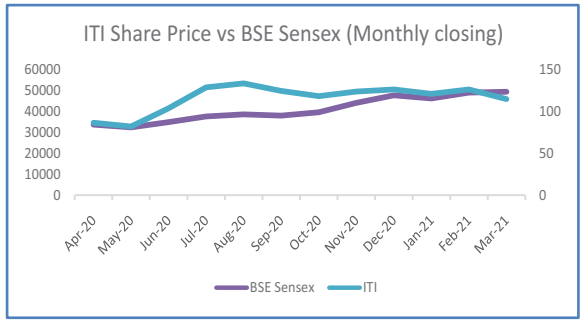

छ) बहियां बंद किए जाने की तिथि

सदस्यों का रजिस्टर और कॅम्पनी का शेयर अंतरण रजिस्टर दिनांक 4 नवंबर 2021 से दिनांक 10 नवंबर 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

ज) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक सेबी पंजीकृत श्रेणी I रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है।

झ) शेयर अंतरण प्रणाली

यथासंशोधित सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 40(1) के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 के पश्चात से सिक्योरिटिज को ट्रांसमिशन अथवा ट्रांसपोजिशन के माध्यम से किए जाने के संबंध में प्राप्त अनुरोध के अलावा केवल डिमेट स्वरूप में ही अंतरित किया जा सकता है। शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी धारिता को डिमेट स्वरूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का अंतरण कॅम्पनी की भागीदारी के बिना डिपॉजिटरी के माध्यम से किया जाता है। प्रतिभूतियों के अंतरण/प्रसारण का सारांश निदेशक मंडल की बाद की बोर्ड बैठकों में विचार में लिया जाता है।

सूचीबद्धता विनियम-2015 के विनियम 40 (10) के अनुसरण में कंपनी द्वारा शेयर अंतरण औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्र छ माही आधार पर सेबी (निक्षेपागार एवं सहभागी) विनियम, 2018 के अनुसार शेयरों को समय पर डीमैट रियलाइजेशन के प्रमाण पत्र स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे जाते हैं।

इसके अलावा, शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समाधान के माध्यम से यह पुष्टि की जाती है कि कंपनी की कुल जारी पूंजी भौतिक रूप में जारी शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है और एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रखे गए डीमेट शेयरों की कुल संख्या स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती है और तिमाही आधार पर इसे निदेशक के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

ञ) 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता

I. 31 मार्च 2021 को शेयरधारिता की श्रेणियां

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	योग के प्रति %
1.	प्रोमोटर भारत के राष्ट्रपति	1	84,06,98,419	90.06
2.	प्रोमोटर समूह कर्नाटक के राज्यपाल	1	3,12,500	0.03
3.	संस्थानिक :			
	म्युचुअल फंड	6	39,944	0.00
	एफआईआईएस	4	1,47,667	0.02
	वित्तीय संस्थान / बैंक	16	31,695	0.00
	बीमा कम्पनियां	1	800	0.00
4.	केन्द्र सरकार : विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि (एसएनआईएफ)	1	7,22,92,640	7.74
5.	गैर संस्थानिक :			
	वैयक्तिक	74,971	1,88,68,150	2.02
	अनिवासी भारतीय	515	3,76,709	0.04
	निकाय कॉर्पोरेट	298	4,11,664	0.05
	क्लीयरिंग सदस्य	171	3,41,181	0.04
	ट्रस्ट्स	1	1,500	0.00
	योग	75,986	93,35,22,869	100.00

II. 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

क्र.सं.	विवरण	धारक	धारकों का %	धारिता	धारिता का %
1	1-500	69410	91.35	8115194	0.87
2	501-1000	3917	5.16	3244470	0.35
3	1001-2000	1610	2.12	2489661	0.27
4	2001-3000	412	0.54	1061312	0.11
5	3001-4000	197	0.26	720463	0.08
6	4001-5000	155	0.20	740513	0.08
7	5001-10000	185	0.24	1352687	0.14
8	10001 & above	100	0.13	915798569	98.10
	TOTAL	75986	100.00	933522869	100.00

iii. **शेयरों का डिमेट और चलनिधि**

कंपनी के शेयर दोनों डिपॉजिटरियों यथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') 92,42,08,176 शेयर तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') 86,76,339 इक्विटी शेयर में डिमेट स्वरूप में स्वीकार किए जाते हैं।

31 मार्च 2021 की स्थिति के अुसार कंपनी के शेयरधारकों की संख्या 75,986 है।

कॅम्पनी के कुल इक्विटी शेयरों का 99.93% एनएसडीएल और सीडीएसएल के निवेशकों द्वारा डीमैट स्वरूप में धारित है।

कॅम्पनी के शेयरों की ट्रेडिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) आईएनई248ए01017 के अंतर्गत की जा रही है।

ट) **बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय प्रपत्र कॅव्रजन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव**

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय प्रपत्र जारी नहीं किया गया है और इसलिए इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं है।

ठ) **संयंत्र स्थान**

आईटीआई लिमिटेड का कर्नाटक राज्य में बेंगलुरू संयंत्र, केरल राज्य में पालाक्काड प्लांट, उत्तर प्रदेश राज्य में रायबरेली संयंत्र, नैनी संयंत्र और मनकापुर संयंत्र और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर संयंत्र है।

ड) **कंपनी के साथ पत्राचार के लिए पता**

शेयरधारक / निवेशक, कंपनी सचिव, आईटीआई लिमिटेड, आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर,बेंगलुरू - 560017, भारत को अपने पत्र भेज सकते हैं।

ढ) **संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी संशोधन के साथ इकाई द्वारा प्राप्त प्रत्येक क्रेडिट रेटिंग का विवरण, ऐसी इकाई के सभी ऋण प्रपत्रों अथवा किसी सावधि जमा कार्यक्रम अथवा किसी भी योजना अथवा सूचीबद्ध इकाई के प्रस्ताव जिसमें निधियों की उत्पति, भारत अथवा विदेश में, की जानी है:**

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को निम्नानुसार क्रेडिट रेटिंग प्रदान की गई है :

क्र.सं.	रेटिंग एजेंसी का नाम	रेटिंग	रेटिंग की तिथि
1.	क्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	दीर्घकालिक रेटिंग-बीडब्ल्यूआर बीबी+ (सीई) अल्पकालिक रेटिंग - बीडब्ल्यूआर ए2(सीई) आउटलुक-सकारात्मक	31-12-2020
2.	आईसीआरए लिमिटेड	दीर्घकालिक रेटिंग-[आईसीआरए] बीबीबी- अल्पकालिक रेटिंग-[आईसीआरए]ए3 आउटलुक-संतुलित	31-12-2020
3.	एक्याट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड	दीर्घकालिक रेटिंग-एक्याटबीबीबी+ (सीई) अल्पकालिक रेटिंग-एक्याटए2 (सीई) आउटलुक-संतुलित	15-01-2021

ण) कम्पनी द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी को दी गई सभी सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई कुल राशि 9,85,000 रुपये और जीएसटी थी।

त) **डीमैट उचंतखाता / अदावित उचंत खाता के संबंध में प्रकटीकरण:**

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, डीमैट उचंत खाते/अदावित उचंत खाते में अंतरण के लिए कंपनी के कोई भी अदावित शेयर लंबित नहीं थे।

थ) **निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ):**

सम्बद्ध नियमों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की गई है।

द) कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारणण प्रतिषेध और प्रतितोष रोकथाम) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण खुलासा निदेशक रिपोर्ट में दिया गया है।

ध) विचाराधीन वर्ष के दौरान, आर्थिक मामलों की मंत्रि मंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज के भाग के रूप में, कंपनी को 105 करोड़ रुपये का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसके लिए कंपनी ने अधिमान्य आबंटन आधार पर 124.95 रुपए प्रति शेयर के लिए राष्ट्रपति को 84,03,361 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए हैं। पूंजी व्यय उपयोग के लिए पाक्षिक रिपोर्ट संचार मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जा रही है

न) **कमोडिटी मूल्य जोखिम अथवा विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां:**

कॅम्पनी द्वारा कोई हेजिंग गतिविधियां नहीं की जाती हैं।

प) गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन

सूचीबद्धता विनियमों में निर्दिष्ट विवेकाधीन अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:

I. भारत सरकार द्वारा श्री राकेश मोहन अग्रवाल को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया था और इसलिए कोई भिन्न अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नहीं हैं

ii. शेयरधारकों के साथ संव्यवहार की प्रक्रिया बहुत सुदृढ़ है और प्रक्रिया को संचार के माध्यम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है।

iii. समेकित वित्तीय विवरण का प्रकटीकरण संशोधित लेखापरीक्षा मत के साथ किया जाता है।

iv. आंतरिक लेखा परीक्षक प्रमुख सीधे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं और लेखा परीक्षा समिति की बैठक में वे स्थायी आमंत्रित है।

18. डीपीई द्वारा कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देश

वित्त वर्ष 2020-21 और पिछले तीन वर्षों के दौरान भी राष्ट्रपति के निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

व्यय के लिए ऐसी कोई मद लेखा बहियों में नामे नहीं की गई है, जो व्यवसाय के प्रयोजन के लिए नहीं है। निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन के लिए वैयक्तिक प्रकारव्यय नहीं किया गया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य प्रशासनिक व्यय, कुल व्यय का 2% था जो पिछले वर्ष के समान है।

19. प्रेक्टिसिंग कॅम्पनी सचिव से सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रमाण पत्र

कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीबद्धता विनियमों और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों के अनुपालन के लिए श्री डी वेंकटेश्वरलु, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा की प्रक्रिया की गई है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट का भाग है

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट श्री डी वेंकटेश्वर्लु, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी की गई थी

जिसे स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किया गया है।

श्री डी वेंकटेश्वरलु, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि के लिएसूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र **अनुबंध घ** में संलग्न है।

20. हरित प्रयास

कम्पनी ने हरित प्रयास के अंतर्गत वार्षिक आम सभा के आयोजन के नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट की प्रति ईमेल के माध्यम से अपने उन शेयरधारकों को भेजती है जिनकी डीपी/आर एंड टी एजेंटों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत है और जिन्होंने भौतिक प्रति प्राप्त करने के विकल्प का चयन नहीं किया है।

21. अनुपालन

आपकी कंपनी तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर संचार मंत्रालय और स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार त्रै'ासिक कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

22. लोक उद्यम विभाग की ग्रेडिंग

आपकी कंपनी त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर संचार मंत्रालय के साथ कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन पर एक ग्रेडिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, आपकी कंपनी को वर्ष 2020-21 के लिए 94% के समग्र स्कोर के साथ 'उत्कृष्ट' स्कोर प्रदान किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

स्थान : बेंगलुरू
तिथि : 7 अक्टूबर, 2021

राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक - क

निदेशकों का गैर - अनर्हता प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015)
के विनियम 34(3) तथा अनुसूची-त पैरा ग खंड (10) (i) के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण,
आईटीआई लिमिटेड,
(सीआईएन: एल32202केए1950जीओआई000640)
आईटीआई भवन, दूरवाणी भवन,
बेंगलुरू - 560 016

मैंने, आईटीआई लिमिटेड के निदेशकों, जिसका सीआईएन: एल32202केए1950जीओआई000640 है तथा पंजीकृत कार्यालय आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलुरू - 560 016 (एतद्वारा 'कम्पनी' के नाम से संदर्भित) है, के संबंध में मेरे सम्मुख, कम्पनी द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूबीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची Vपैरा ग उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अंतर्गत यह प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से, प्रस्तुत सम्बद्ध रजिस्टरों, रिकार्डों, फार्मों, विवरणियों एवं प्रकटीकरण की जांच की है।

मेरे मतानुसार एवं मेरी जानकारी तथा मेरे द्वारा आवश्यक समझी गई जांच (www.mca.gov.in) पोर्टल पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) एवं कम्पनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की यथास्थिति के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल में, नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार, कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अथवा अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कम्पनियों के निदेशक के पद पर नियुक्त किए जाने अथवा सेवाएं जारी रखने के लिए प्रतिबंधित अथवा अनर्हक नहीं किया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कम्पनी में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री राकेश मोहन अग्रवाल	07333145	08/06/2016
2.	श्री चितरंजन प्रधान 1	08094340	23/03/2018
3.	श्री शशि प्रकाश गुप्ता	08254999	15/10/2018
4.	श्री दुय्युरी वेंकटेश्वरलू	08605954	07/11/2019

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कम्पनी में नियुक्ति की तिथि
5.	श्री राजीव श्रीवास्तव	08921307	15/10/2020
6.	श्री राकेश चन्द्र तिवारी	08953397	07/01/2021
7.	लैफ्टिनेंट जनरल राजीव सभरवाल 2	08420761	12/04/2019
8.	डा. राजेश शर्मा	08200125	14/08/2018
9.	श्रीमती आशा कुमारी जसवाल 3	07786698	06/04/2017
10.	डा. षणमुगम कोमारापल्यम रंगासामी	08211253	30/08/2018
11.	श्री राजेन विद्यार्थी	08196235	08/08/2018
12.	डा. मयंक गुप्ता	03501227	13/08/2018
13.	डा. अखिलेश चरण दुबे	08195896	08/08/2018

1दिनांक 15 अक्तूबर, 2020 तक निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) पद का धारण

2दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक सरकारी निदेशक पद का धारण

3दिनांक 5 अप्रैल, 2020 को स्वतंत्र निदेशक का अपना कार्यकाल पूर्ण किया

निदेशक मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता की अर्हता का सुनिश्चय कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

यह प्रमाण पत्र न तो कम्पनी के संबंध में भविष्य के प्रति किसी प्रकार की व्यवहार्यता और न ही यह प्रबंधन द्वारा कम्पनी के लिए किए गए कार्यों के कौशल अथवा प्रभावोत्पति का कोई आश्वासन है।

डी वेंकटेश्वरलू
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस सं 8554 : सीपीस 7773
यूडीआईएन :एफ008554: बी 000596691

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 26जुलाई, 2021

अनुलग्नक - ख

घोषणा

सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार कम्पनी के निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के साथ आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलुरू
तिथि : 7 अक्टूबर, 2021

अनुलग्नक - ग

मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा प्रमाणन

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के प्रावधानों के अंतर्गत जारी)

सेवा में,

निदेशक मंडल आईटीआई लिमिटेड

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड वित्तीय विवरणों एवं रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है तथा हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हम यह सूचित करते हैं कि :

(क) (i) प्रस्तुत विवरणों में कोई मिथ्या विवरण नहीं दिया गया है अथवा किसी सामग्रीगत तथ्य का विलोपन नहीं किया गया है अथवा ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है जो भ्रामक हो।

(ii) प्रस्तुत विवरणों में आपकी कम्पनी के कार्यों की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत है तथा ये विद्यमान लेखांकन मानकों तथा / अथवा लागू विधियों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं।

(ख) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा जालसाजी पूर्ण, गैर-कानूनी अथवा कम्पनी की आचार संहिता के विरूद्ध कोई संव्यवहार नहीं किए गए हैं।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापन एवं अनुरक्षण के उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। हमने कम्पनी के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमें ज्ञात इसके अभिकल्प अथवा आंतरिक नियंत्रणों की न्यूनताओं, यदि कोई हो, और ऐसी न्यूनताओं में सुधार के लिए प्रस्तावित उपायों का प्रकटीकरण लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को किया है।

(घ) हमने आपकी कम्पनी के लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के सम्मुख कम्पनी के संबंध में यथा लागू प्रकटीकरण किए हैं

* वर्ष के दौरान इस रिपोर्ट में शामिल आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन

* वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हों, तथा इनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है।

* हमारी जानकारी में आई किसी प्रकार की जालसाजी की घटनाएं, जिसमें प्रबंधन अथवा ऐसे अन्य कर्मचारी शामिल हैं जिनकी भूमिका आपकी कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।

स्थान : बेंगलुरू
दिनांक : 7 अक्तूबर, 2021

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी

राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक - घ

कॉर्पोरेट शासन का प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्यगण

आईटीआई लिमिटेड

मैंने, डी वेकटेशवरलु, आईटीआई लिमिटेड (''कम्पनी'') के सचिवीय लेखापरीक्षक (सीआईएन: एल32202 केए 1950 जीओआई 00640) के रूप में सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (''सेबी सूचीबद्धता विनियम'') के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची त के पैराग्राफ सी,डी एवं ई में किए गए निर्धारण के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन के उपबंधों का अनुपालन किए जाने की जांच की है।

प्रबंधन के उत्तरदायित्व :

कॉर्पोरेट शासन के उत्तरदायित्वों के अनुपालन का दायित्व कम्पनी प्रबंधन का है। इस उत्तरदायित्व में आंतरिक नियंत्रणों के अभिकल्प, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण तथा ऐसी प्रक्रियाओं के निर्माण के दायित्व शामिल हैं जिनसे सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत कॉर्पोरेट शासन के उपबंधों के अनुपालन का सुनिश्चय होता हो।

लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व :

मेरा दायित्व, कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन के उपबंधों के अनुपालन के सुनिश्चय के लिए अंगीकार की गई प्रक्रियाओं एवं उनके कार्यान्वयन की जांच तक सीमित है। यह न तो कम्पनी के वित्तीय विवरणों की किसी प्रकार की लेखापरीक्षा है तथा न ही किसी मत अभिव्यक्ति है।

मैंने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन के प्रमाणन के मार्गदर्शी नोट की अनुरूपता के अनुसार कम्पनी के सम्बद्ध रिकार्डों की जांच की है।

मत:

मेरे द्वारा की गई सम्बद्ध रिकार्डों की जांच एवं मुझे दी गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के निदेशकों एवं प्रबंधन द्वारा की गई प्रस्तुति के आधार पर, मैं, यह प्रमाणित करता हूं कि कम्पनी ने निम्नलिखित शर्तों के साथ सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17 से 27 , विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची-V के पैराग्राफ सी,डी एवं ई में की गई निर्दिष्टि के अनुसार कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

- **कम्पनी ने कम्पनी के निदेशक मंडल के गठन के संबंध में (महिला स्वतंत्र निदेशक न होने तथा स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन न होने) सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।**

मैं, आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी ने 2 अगस्त, 2021 तक के काल तक 3 अगस्त, 2018 की अधिसूचना द्वारा संशोधित सिक्योरिटी कांट्रेक्ट (विनियम) नियमावली, 1957 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 38 की अपेक्षाओं के अनुसार न्यूनतम 25% पब्लिक शेयरधारिता की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

मैं, आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि उक्त अनुपालन न तो कम्पनी के संबंध में भविष्य के प्रति किसी प्रकार की व्यवहार्यता और न ही यह प्रबंधन द्वारा कम्पनी के लिए किए गए कार्यों के कौशल अथवा प्रभावोत्पति का कोई आश्वासन है।

डी वेंकटेश्वरलू
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस सं 8554 : सीपीस 7773
यूडीआईएन :एफ008554: सी 000684658

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 26जुलाई, 2021

कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए आईटीआई की पहल

आईटीआई लिमिटेड द्वारा कोरोना वायरस के प्रति संघर्ष एवं उसके प्रसार की रोकथाम के लिए अप्रैल, 2020 माह के दौरान फैक्टरी, कार्यालयों, अस्पताल, टाउनशिप एवं वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्सों में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा अप्रैल, 2020 माह के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को राशन किट वितरित की गई।

सत्यमेव जयते

पीएम की परवाह

प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थितियों में राहत कोष

आईटीआई लिमिटेड ने कोरोना वायरस से संघर्ष, नियंत्रण एवं राहत प्रयासों के पावन कार्य में सहायता के लिए आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत की आपात स्थिति निधि (प्रधान मंत्री केयर निधि) में 1.14 करोड़ रुपए का योगदान दिया ।

भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के प्रयास की सुदृढ़ता के लिए कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रति संघर्ष में अपना योगदान देने के लिए आईटीआई लिमिटेड ने आगे बढ़कर अपने निर्माण संयंत्रों में फेस शील्ड, फेस फॉस्क, मैनुअल सेनिटाइजर डिस्पेंसर एवं सेनिटाइजिंग चेम्बर के निर्माण की त्वरित प्रक्रियाएं की हैं ।

कोविड-19 की स्थिति के दौरान यथोचित व्यवहार के संबंध में आयोजित 'जन आंदोलन' के अंतर्गत आईटीआई लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा 13 अक्तूबर, 2020 को के.आर. पुरम मार्किट प्लेस, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड एवं पेट्रोल बंक पर सामान्य जनता एवं यातायात पुलिस को फेस शील्डों का वितरण किया गया।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता के संचार एवं महामारी की स्थिति के दौरान उन्हें अपने स्वास्थ्य एवं तंदुरूस्ती के बारे में सजग करने के उद्देश्य से 14 अक्तूबर, 2020 को अपने संयंत्रों में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से वेबिनार का आयोजन किया गया।

आईटीआई बेंगलूरु संयंत्र में कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए आईटीआई अस्पताल, बेंगलूरु में कोविड-19 टीका अभियान का आयोजन किया गया।

नव व्यावसायिक प्रयास

आईटीआई लिमिटेड द्वारा देश में सुरक्षित संचार के रणनीतिक नेटवर्क की व्यवस्था की परियोजना के अंतर्गत 7,796 करोड़ रुपये के आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एस्कॉन) चरण IV परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। इस अनुबंध पर श्री आर.एम. अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड तथा संयुक्त सचिव एवं अधिग्रहण प्रबंधक (भूमि' प्रणाली), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 1 अक्तूबर, 2020 को हस्ताक्षर किए गए।

आईटीआई लिमिटेड ने अपने निर्माण संयंत्रों में पोर्टेबल वेंटिलेटरों के निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ प्रौद्योगिकी अंतरण (टीओटी) अनुबंध पर हस्ताक्षर किया ।

आईटीआई लिमिटेड ने सरकारी एजेंसियों, रक्षा एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मेक इन इंडिया, विश्व श्रेणी के आइडेंटिटी एवं एक्सेस मैनेजमेंट (आईएएम) समाधान प्रदान करने के लिए इलांटस टैक्नोलॉजि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा टाटा कॅंसलटेंसी सर्विसेस (टीसीएस) के साथ 4जी / 5जी, विभिन्न आईटी परियोजनाओं एवं समाधानों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

अवार्ड गैलरी

आईटीआई लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया । 'सीईओ विद एचआर ओरियेंटशन अवार्ड' श्री आर.एम. अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को तथा 'एचआर एक्सीलेंस अवार्ड' श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक (मानव संसाधन) को दिनांक 14 अक्तूबर, 2020 को वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा आयोजित आभासी पुरस्कार समारोह के अवसर पर प्रदान किया गया ।

ग्लोबल आईपीवी 6 फोरम द्वारा 12 जनवरी, 2021 को आभासी स्वरूप में आयोजित भारत आईपीवी6 फोरम के शुभारंभ के अवसर पर विभिन्न स्टेकधारकों के मध्य आईपीवी 6 के उपयोग के प्रति प्रदान किए गए अभूतपूर्व योगदान, जिसके परिणामस्वरूप भारत में आईपीवी 6 का प्रभावी परिनियोजन हो पाया है, के लिए श्री आर.एम. अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड को वर्ष 2020 के लिए न्यू इंटरनेट हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया ।

अवार्ड गैलरी

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा आईटीआई पालक्काड संयंत्र को दिनांक 4 मार्च, 2021 को कोच्चि में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह समारोह 2021 के आयोजन अवसर पर वर्ष 2020 के लिए वृहद आकार के इंजीनियरिंग उद्योग के वर्ग के अंतर्गत दुर्घटनाओं आवृतियों की न्यूनतम दर प्राप्त करने पर उत्कृष्ट सुरक्षा निष्पादन के लिए सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया।

कार्यक्रम गैलरी

आईटीआई लिमिटेड द्वारा 15 अगस्त, 2020 को अपने सभी संयंत्रों / यूनिटों में पूर्ण उत्साह एवं देश प्रेम के भाव के साथ 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक (मानव संसाधन), वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों, कर्मचारी यूनियन एवं अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में श्री आर.एम. अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस अवसर पर श्री आर.एम. अग्रवाल ने कर्मचारियों को उनके द्वारा कम्पनी के उत्कृष्ट निष्पादन में दिए गए योगदान के लिए कॉर्पोरेट निष्पादन पुरस्कार प्रदान किए।

कार्यक्रम गैलरी

आईटीआई लिमिटेड द्वारा अपने संयंत्रों में 27 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 2020 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत' थीम के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का आयोजन किया गया। श्री आर.एम.अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई द्वारा सभी कर्मचारियों के मध्य इंटरनेट के माध्यम से वितरित किए जाने के लिए ''निवारक सतर्कता'' के विषय पर ''क्या करें और क्या न करें'' पुस्तिका का विमोचन किया गया।

कार्यक्रम गैलरी

भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने की स्मृति में आईटीआई लिमिटेड द्वारा अपने संयंत्रों में दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को राष्ट्रीय संविधान दिवस का आयोजन किया गया । इस दिवस को यादगार बनाने के लिए श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक (मानव संसाधन) तथा श्री डी. वेंकटेश्वरलू, निदेशक(उत्पादन) ने वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया ।

आईटीआई लिमिटेड की 70वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 को पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय में किया गया । श्री आर.एम.अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड द्वारा श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक(मानव संसाधन), श्री राजेश शर्मा, सरकार से नामित निदेशक(डीडीजी, एसयू), श्री राजेन विद्यार्थी, स्वतंत्र निदेशक तथा श्री'ती एस शनमुगा प्रिया, कम्पनी सचिव की उपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता की ।

आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर.एम.अग्रवाल द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2021 को आईटीआई बेंगलूरू संयंत्र में श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक(मानव संसाधन), श्री डी. वेंकटेश्वरलू, निदेशक(उत्पादन), श्री संजय सत्यप्रिया, महाप्रबंधक(बीजीपी एवं आर एंड डी), यूनिट प्रमुख, बेंगलूरू संयंत्र तथा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एस्कॉन-IV (एस्कॉन-IV) परियोजना के कम्युनिकेशन रैक के प्रथम प्रेषण को हरी झंडी दिखाई गई। इन रैकों का सम्पूर्ण डिजाइन एवं निर्माण प्रतिबंधित खतरनाक पदार्थ(आरओएचएस) निदेशों के साथ आईटीआई बेंगलूरू संयंत्र में किया गया ।

श्री जावेद अहमद, भारतीय पुलिस सेवा (सेवानिवृत्त), स्वतंत्र बाह्य उपदेशक (आईईएम) ने 7 जनवरी, 2021 को आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया । श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक (मानव संसाधन), श्री डी. वेंकटेश्वशरलू, निदेशक(उत्पादन), श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक(वित्त) तथा श्री राकेश चन्द्र तिवारी, निदेशक(विपणन) के साथ आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर.एम. अग्रवाल ने निगमित कार्यालय में उनका स्वागत किया ।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा 16 से 30 नवम्बर, 2020 के दौरान भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत अभियान' के अंतर्गत एवं दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने संयंत्रों / यूनिटों में 'स्वच्छता पखवाड़े' का आयोजन किया गया । श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा स्वच्छता के रखरखाव के प्रति कर्मचारियों एवं निवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए आईटीआई टाउनशिप बी क्षेत्र मे दिनांक 21 नवम्बर, 2020 को स्वच्छता के लिए 'श्रमदान' अभियान का आयोजन किया गया ।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा 8 मार्च, 2021 को अपने संयंत्रों एवं यूनिटों में 'चुनौती स्वीकार करो थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया । वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस समारोह का शुभारंभ आईटीआई बेंगलूरू संयंत्र में अन्य यूनिटों एवं कार्यालयों के समक्ष गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ । इस अवसर पर आईटीआई प्रबंधन द्वारा आयोजित की गई महिला दिवस प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए ।

3 सितंबर, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय स्थायी समिति ने आईटीआई श्रीनगर इकाई का दौरा किया

एकल वित्तीय विवरण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

कॉर्पोरेट जानकारी

भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (पीएसयू) - आईटीआई लिमिटेड की स्थापना 1948 में हुई थी। तब से, दूरसंचार के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम के रूप में, इसने वर्तमान राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क का 50% योगदान दिया है। नवोन्मेष विनिर्माण सुविधाओं के साथ छह स्थानों और विपणन/सेवा आउटलेट के देशव्यापी नेटवर्क में फैले हुए, कंपनी दूरसंचार उत्पादों की पूरी श्रृंखला और स्विचिंग, ट्रांसमिशन, एक्सेस और अभिदाता परिसर उपकरण के पूरे विस्तार को कवर करने वाले सकल समाधान प्रदान करती है।

आईटीआई वर्ष 2005-06 में अपने मनकापुर और रायबरेली संयंत्रों में मोबाइल उपकरण निर्माण सुविधाओं के उद्घाटन के साथ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जीएसएम) प्रौद्योगिकी के विश्व स्तरीय विक्रेताओं के लीग में शामिल हो गया। इसने देश में स्वदेशी मोबाइल उपकरण उत्पादन के एक नए युग में शुरुआत की। ये दोनों सुविधाएं घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए सालाना नौ मिलियन से अधिक लाइनों की आपूर्ति करती हैं।

1) तैयारी का आधार

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार जैसा कि यहां बताया गया है, उन्हें छोड़कर, वित्तीय विवरणों को, लेखांकन के संचय आधार पर, तैयार किए जाते हैं और प्रस्तुत किए जाते हैं। जीएएपी में अनिवार्य भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि एक नया लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया गया है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

मापन का आधार :

निम्नलिखित संपत्तियों और देनदारियों, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, को छोड़कर वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है :

क. व्युत्पन्न वित्तीय साधन, यदि कोई हो

ख. वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा गया है

ग. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर परिभाषित लाभ संपत्ति/(देयता) योजना संपत्तियों के कम उचित मूल्य मान्यता प्राप्त है।

2) अनुमानों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख को प्रकट संपत्तियों, देनदारियों, राजस्व, व्यय और आकस्मिक देनदारियों की प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय पर रिपोर्ट की गई राशि में प्रबंधन को प्राक्कलनों और अनुमानों पर विचार करने की अपेक्षा होती है। हालांकि इस प्रकार के अनुमान सभी उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक उचित और विवेकी आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और इस तरह के अंतर उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें परिणाम निर्धारित किए जाते हैं।

3) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है और प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा है जिसमें इकाई संचालित होती है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर निकटतम लाखों में पूर्णांक की गई है।

4) राजस्व मान्यता

कम्पनी ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों के प्रति प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब करती है जब ग्राहक को प्रतिबद्ध माल अथवा सेवा के अंतरण का दायित्व पूरा हो जाता है। राजस्व की स्वीकृति निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के अनुसार निर्धारित संव्यवहार मूल्य पर की जाती है। परिसम्पत्ति (माल अथवा सेवा) का अंतरण ग्राहक को किए जाने के समय निष्पादन दायित्व पूर्ण होते हैं तथा अन्य मामलों में निष्पादन दायित्व किसी समय बिन्दु पर पूर्ण होते हैं। समय के साथ पूर्ण होने वाले निष्पादन दायित्व के प्रति राजस्व स्वीकृति निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की प्रगति का मापन करके की जाती है। प्रगति का मापन व्यय की गई वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार निष्पादन दायित्व से सम्बद्ध अनुमानित लागत पर किया जाता है।

क. माल की बिक्री

माल की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्त करने योग्य, रिटर्न के शुद्ध, व्यापार छूट और वॉल्यूम छूट के उचित मूल्य पर विचार करते हुए मापा जाता है। जब महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार को बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार ग्राहक को स्थानांतरित कर दिया गया है, न ही निरंतर प्रबंधन भागीदारी और माल पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जाता है, विचार की वसूली संभव है, और लागत की लागत और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, तब राजस्व को मान्यता दी जाती है। जोखिम समझौते के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तें के आधार पर जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण का समय मूल्यांकन किया जाता है।

ख. पूर्व-संकर्म अनुबंध

जब आवश्यक माल पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति के बाद अनुबंध के लिए बिना शर्त रूप से विनियमित होते हैं, यदि आवश्यक हो।

ग. एफ़ओआर अनुबंध

एफ़ओआर अनुबंध के मामले में, जब बिक्री पूर्व निर्धारित और स्वीकृति के बाद खरीददार को अंतरण के लिए वाहक को माल सौंप दिया जाता है और एफ़ओआर गंतव्य स्थान के अनुबंध के मामले में, यदि लेखांकन अवधि के अंदर गंतव्य तक पहुंचने वाले माल की उचित अपेक्षा होने पर बिक्री की मान्यता दी जाती है।

घ. बिल और होल्ड बिक्री

बिल-और-होल्ड लेनदेन के लिए, जब ग्राहक शीर्षक लेता है तो राजस्व पहचाना जाता है, बशर्ते कि :

i. यह संभव है कि वितरण किया जाएगा;

ii. जब बिक्री की मान्यता दी जाती हे, तब खरीददार को मद को तैयार कर, पहचानकर और सुपुर्दगी की जाती है;

iii. खरीददार विशेष रूप से आस्थगित सुपुर्दगी निर्देशों को स्वीकार करता है; सामान्य भुगतान शर्तें लागू होती हैं।

ङ. **सेवाएं एवं निर्माण अनुबंध**

समय-एवं-सामग्री तथा यूनिट के कार्य आधारित अनुबंधों पर राजस्व की स्वीकृति सम्बद्ध सेवाओं का निष्पादन होने पर की जाती है। नियत मूल्य अनुरक्षण राजस्व की स्वीकृति आनुपातिक रूप से या तो सीधी रेखा आधार पर दर निर्धारण के लिए तब की जाती है जब सेवाओं का निष्पादन अनिश्चित संख्या की किन्हीं पुनरावृति क्रियाओं से किसी निर्दिष्ट अवधि में पूरा कर लिया गया हो अथवा आनुपातिक रूप में कार्य पूर्णता के प्रतिशत की विधि से तब की जाती है जब ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के लाभों का पैटर्न तथा अनुबंध की अवधि पर कम्पनी की लागतें अनुबंध के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं क्योंकि सेवाओं का स्वरूप सामान्यत: भिन्न प्रकार का होता है तथा यह पुनरावृतीय नहीं होता है। निष्पादन दायित्व की पूर्ति समय के साथ साथ किए जाने वाले अन्य नियत मूल्य, नियत काल के अनुबंधों की राजस्व स्वीकृति, कार्य की पूर्णता के प्रतिशत की विधि से, की जाती है। इनपुट एवं उत्पादकता में प्रत्यक्ष सम्बद्धता होने के विचार से विस्तारित प्रयासों अथवा लागतों का उपयोग कार्य की पूर्ति की प्रगति के निर्धारण के लिए किया जाता है। कार्य की पूर्णता की प्रगति का मापन अनुमानित लागतों अथवा प्रयासों के संबंध में (निष्पादित कार्य के अनुसार) अब तक व्यय की गई लागतों अथवा के अनुपात के अनुसार किया जाता है। संव्यवहार मूल्य के अनुमानों तथा कुल लागतों अथवा प्रयासों की अनुबंध की अवधि के दौरान अनवरत निगरानी की जाती है तथा इनकी स्वीकृति अवधि के दौरान तब की जाती है जब इनके अनुमान परिवर्तित होते हैं अथवा अनुमान संशोधित होते हैं। राजस्व तथा अनुमानित कुल लागतों अथवा प्रयास अनुबंध की प्रगति के अनुसार संशोधित किए जाने की शर्त पर होते हैं। जब यह संभाव्य होता है कुल राजस्व के प्रति कार्य की पूर्ति के लिए अनुबंध लागतों में वृद्धि होगी तो कार्य पूर्णता की संभावित हानि को तत्काल व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

कुछ अनुबंधों में विभिन्न निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं जैसे कि सिस्टम्स, उपकरण इत्यादि की आपूर्ति इत्यादि तथा अनुरक्षण सेवाएं। अनुरक्षण सेवाओं के संबंध में महत्व को संज्ञान में लिया जाता है तथा उसका लेखांकन एक पृथक निष्पादन दायित्व के रूप मे किया जाता है। जहां अनुबंधों में विभिन्न निष्पादन दायित्व होते हैं वहां संव्यवहार मूल्य को स्टैंडएलोन विक्रय मूल्यों के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए निर्धारण किए जाते हैं। जहां इनकी प्रत्यक्ष संबद्धता प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट नहीं होती है तो संभावित लागत जमा मार्जिन के आधार पर उनके अनुमान लगाए जाते हैं।

अन्य नियत मूल्य अनुबंधों के लिए राजस्व की स्वीकृति संव्यवहार के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को कार्य पूर्णता के चरण के अनुपात में की जाती है। कार्य पूर्णता के चरण का मूल्यांकन कार्य निष्पादन के संदर्भ में होता है। यदि किसी प्राप्य प्रतिफल की वसूली के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता होती है अथवा यदि व्यय की गई अथवा व्यय की जाने वाली लागतों का मापन विश्वसनीयता के साथ नहीं किया जा सकता है तो राजस्व की स्वीकृति नहीं की जाती है।

च. **ब्याज आय**

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर मान्यता दी जाती है।

छ. **लाभांश**

जब लाभांश प्राप्त करने हेतु कंपनी का अधिकार स्थापित किया जाता है तो लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

ज. **किराए से आय**

जब तक किराये में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्मीति या अन्यथा उचित (उचित मूल्य) के अनुरूप नहीं होती है, परिचालनीय पट्टे से उत्पन्न होने वाली किराये के आय लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर होते हैं।

झ. **शुल्क वापसी**

दावों को प्रमुखता देने के संबंध में निर्यात पर शुल्क वापसी का दावा किया जाता है।

ट. **अन्य आय**

अन्य आय जिसे विशेष रूप से ऊपर वर्णित नहीं है, को अर्जन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

5) **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगतिशील पूंजी कार्य**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ऐतिहासिक लागत पर संचित अवमूल्यन और क्षति नुकसान, यदि कोई हो, के घाटे पर दर्शाये गए हैं। लागत में खरीद मूल्य और पीपीई को अपने अभिप्रेत उपयोग के लिए कामकाजी स्थिति में लाने की कोई भी जिम्मेदार लागत शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण से संबंधित उधार और अन्य जिम्मेदार लागत, जो इसके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, को भी इस अवधि तक संबंधित सीमा तक भी शामिल किया गया है जब तक कि इस तरह के पीपीई उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। या तो निपटान पर या इस तरह के उपयोग से सेवानिवृत्त होने पर वित्तीय विवरणों से पीपीई को हटा दिया जाता है। जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण पुर्जों को अंतराल पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें अलग घटक के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपहार के रूप में या मुफ्त में प्राप्त संपत्तियों को उचित मूल्य पर दर्शाई जाती हैं, जिसे अधिग्रहण या प्राप्ति के समय कम संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसान के घाटे पर अन्य इक्विटी में जमा किया जाता है।

प्रगतिशील पूंजी कार्य

तुलनपत्र की तिथि पर संस्थापन या निर्माणाधीन संपत्तियों को प्रगतिशील पूंजी कार्य के रूप में दर्शाई जाती है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम से ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि, को निर्माण के दौरान व्यय के विरुद्ध समाप्त किया जाता है।

पट्टेधारित भूमि के विकास पर व्यय को भूमि विकास व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है और पट्टे की अवधि या उपयोगी, जीवनकाल जो भी कम है, पर अमूर्त किया गया है।

6) **अमूर्त संपत्तियां, विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां**

क. आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ़्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है) की लागत और इसकेपरिणामस्वरूप महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभ को, उपयोग के लिए तैयार हो जाने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। अमूर्त संपत्ति, जो तुलनपत्र की तिथि पर उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

ख. जहां भी योग्य हो, विकासशील कार्य की लागत को उनके पूरा होने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग. जहां भी योग्य हो, प्रगति के तहत विकास कार्यों की लागत को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ. ले जाने वाली राशि में विकास परियोजना (ओं) की ओर बाहरी एजेंसियों को कंपनी द्वारा वित्त पोषित राशि और कंपनी द्वारा भौतिक लागत, कर्मचारी लागत और अन्य प्रत्यक्ष व्यय की ओर किए गए व्यय शामिल है।

7) अनुसंधान और विकास व्यय:

अनुसंधान व्यय लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ और हानि विवरण पर भी दर्शाया जाता है जब तक कि उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित नहीं की जाती है, इस मामले में इस तरह के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है। अनुसंधान और विकास में उपयोग की जाने वाली मूर्त संपत्तियां पूंजीकृत हैं।

अन्य विकास गतिविधि की ओर किए गए व्यय, जहां नए या बेहतर उत्पादों या प्रक्रियाओं के विकास के लिए शोध परिणाम या अन्य ज्ञान लागू किया गया है, और यदि भारतीय लेखा मानक 38 में निर्दिष्ट मान्यता मानदंडों को पूरा किया जाता है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है और जब विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने योग्य है, कंपनी के पास विकास को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और बाद में अमूर्त संपत्ति का उपयोग या बिक्री की जाती है, और उत्पाद या प्रक्रिया भविष्य के आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की संभावना है।

8) गैर-वित्तीय संपत्तियों का नुक़सान

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि के अंत में, अगर आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत होने हेतु संपत्तियों की ले जानेवाली राशि की समीक्षा की जाती है। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि ले जाने वाली राशि से कम पाई जाती है, तो क्षति नुकसान की मान्यता दी जाती है और संपत्तियां वसूली योग्य राशि पर लिखी जाती हैं।

9) मूल्यह्रास/परिशोधन

संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

वर्ष के दौरान निश्चित परिसंपत्तियों को जोड़ और हटाने पर मूल्यह्रास को यथानुपात आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

क. महीने के 15वें दिन या उससे पहले की गई संपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए मूल्यह्रास पूरी तरह से माना जाता है जबकि महीने के 15वें दिन के बाद कमीशन की गई परिसंपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है।

ख. महीने के 15वें दिन या उससे पहले बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के संबंध में, हटाने के महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है, जबकि महीने के 15वें दिन के बाद बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के लिए हटाने के महीने के लिए पूर्ण रूप में तरह से माना जाता है।

ग. परिसंपत्ति के एक हिस्से की लागत संपत्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है, तो उस महत्वपूर्ण भाग के उपयोगी जीवन को अलग-अलग निर्धारित किया जाता है और इसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि पर ह्रास की जाती है।

घ. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर, उस तारीख, जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, से अलग किए जाते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

अवमूल्यन संपत्तियों के मामले में जो संशोधित किए गए हैं, पुनर्मूल्यांकित राशि पर सीधी रेखा विधि पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की **अनुसूची II** के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन के कारण बढ़ती अवमूल्यन सामान्य रिजर्व को क्रेडिट के रूप में कम किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निपटान

शुरुआत में मान्यता दी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु और किसी भी महत्वपूर्ण भाग को उनके निपटान पर या इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तो उनके निपटान पर विमान्यता की जाती है।

परिसंपत्ति की विमान्यता पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की ले जाने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्यता किए जाने पर लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

	विवरण	(वर्ष)
क.	(क) भवन (कारखाने की इमारतों के अलावा)	60
	(ख) कारखाने की इमारत	30
	(ग) पूरी तरह से अस्थायी निर्माण	3
	(घ) प्लिंथ क्षेत्र में प्रत्येक इकाई के लिए आवास निर्माण 80 वर्गमीटर से अधिक नहीं है।	30
ख.	फर्नीचर और फिटिंग	10
ग.	संयंत्र और मशीनरी	
	(क) सामान्य दर (डबल शिफ्ट आधार पर)	15
	(ख) विशिष्ट दर : सर्वर और नेटवर्क	6
	(ग) कंप्यूटर सहित डेटा प्रोसेसिंग मशीन	3
घ.	सड़क और कांपैंड वाल	10
ङ	कार्यालय मशीनरी और उपकरण	5
च.	वाहन	8
छ.	5,000/ रुपये से कम की लागत वाली परिसंपत्तियाँ 100 प्रतिशत की कमी	
	हालांकि, 50,000/ रुपये और उससे अधिक की मूल लागत वाले परिसंपत्तियों के संबंध में, पुस्तकों में 5/ रुपये की अवशिष्ट शेष राशि बरकरार रखी गई है।	

10) पट्टे

प्रारम्भिक तिथि पर ही किसी पट्टे को वित्तीय या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टे को उचित मूल्य के नीचे पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे के शुरू होने पर न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य होता है। वित्त प्रभार को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है। एक पट्टे वाली संपत्ति को संपत्ति या लीज अवधि के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टा प्रारंभ की तिथि को कम्पनी द्वारा उपयोग अधिकार परिसम्पति (आरओयू) तथा 12 माह अथवा कम (अल्प-कालिक पट्टे) अवधि के पट्टे एवं न्यून मूल्य पट्टे के अलावा पट्टा युक्त सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिनमें कम्पनी पट्टेदार है, के लिए अनुवर्ती पट्टा दायित्व की स्वीकृति दी जाती है। इन अल्प कालिक एवं न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के लिए कम्पनी पट्टा भुगतानों की स्वीकृति, पट्टे के काल के लिए

सीधी रेखा आधार पर, परिचालन व्यय के रूप में करती है।

पट्टा देयता का प्रारंभिक मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य की परिशोधन लागत पर किया जाता है। पट्टे की अंतर्निहित ब्याज की दर के उपयोग से अथवा यदि इनका निर्धारण तत्काल नहीं हो पाता है तो इन पट्टों के क्षेत्र की आवृत्ति ऋण दरों के उपयोग से पट्टा भुगतान बट्टा किए जाते हैं। यदि कम्पनी इनके विस्तार अथवा समापन विकल्प का उपयोग करने अथवा न करने के मूल्यांकन के प्रति बदलाव करती है तो पट्टा दायित्वों का पुन:मापन उपयोग अधिकार की परिसम्पति से सम्बद्ध अनुवर्ती समायोजन करके किया जाता है ।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है जिसमें पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि का समायोजन पट्टे के प्रारंभ होने के समय अथवा पूर्व चुकता किए गए किन्हीं पट्टा भुगतानों जमा किसी प्रकार के पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतों को घटाकर किया जाता है। संचित मूल्यह्रास तथा अक्षमता क्षतियों को घटाकर लागत पर इनके अनुवर्ती मापन किए जाते हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से पट्टे के शेष काल तथा अंतर्निहित उपयोज्यता काल के लिए सीधी रेखा आधार पर किया जाता है। प्रतिलब्धता के लिए उपयोग अधिकार की परिसम्पतियों का मूल्यांकन तब किया जाता है जब परिस्थितियों अथवा परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ऐसे संकेत प्रतीत हों कि उनकी वहन राशियों की वसूली नहीं की जा सकेगी।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

ऑपरेटिंग लीज आय को सीधी रेखा के आधार पर लीज अवधि पर मान्यता प्राप्त होती है, सिवाय इसके कि जब वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित हो। आकस्मिक किराए, अगर कोई है, तो उसे अर्जित अवधि में राजस्व के रूप में पहचाने जाते हैं।

11) उधार लागत

उधार लागत सीधे उस संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है जो आवश्यक उद्देश्य या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत होती है।

सामान्य उधार लागत को पूंजीकरण दर लागू करके परिसंपत्तियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जो उस उधार के लिए विशिष्ट उधार के अलावा बकाया सामान्य उधार के लिए उधार लेने वाली लागतों का भारित औसत होता है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में व्यय होती है जिसमें वे संभावित हैं। उधार लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई निधि के उधार के संबंध में होती है, साथ ही साथ उधार लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

12) सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदान को उचित मूल्य पर मापा जाता है और शुरुआत में आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है।

स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय के तहत पड़ी राशि को संबंधित परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास के अनुपात में अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुदान के लिए जिम्मेदार सीमा तक लाभ और हानि विवरण के क्रेडिट में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

राजस्व व्यय के कारण आस्थगित आय के तहत निलंबित राशि को वित्त पोषण के अनुपात में किए गए व्यय की सीमा तक लाभ और हानि विवरण में हस्तांतरित किया जाता है, जो स्वीकृत अनुदान तक ही सीमित स्वीकृत लागत तक सीमित होता है।

13) संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में कंपनी की भागीदारी को लागत पर दर्शाया गया है, बल्कि समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी विधि के तहत दर्शाया गया है।

14) मालसूचियाँ

विनिर्माण/उत्पादन गतिविधियों के लिए अप्रचलन के बाद, यदि कोई हो, खरीदी गई कच्ची सामग्रियों, घटकों और भंडार को कम लागत और निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। वर्ष के अंत में भारित औसत दर पर लागत की गणना की जाती है। जहां भी वही सामान खरीदे जाते हैं, विनिर्माण लागत आमतौर पर अपनाई जाती है।

उप साधन और फैब्रिकेटर के साथ कच्चे माल और उत्पादन भंडार को उनके जारी किए जाने पर कम कीमत पर मूल्यांकित किए जाते हैं और अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, निवल निष्पाद्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

स्टॉक और स्टॉक-इन-ट्रेड में निर्मित मदों को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन ओवरहेड्स और बिक्री ओवरहेड्स और निवल प्राप्य मूल्य पर छोड़कर कम लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

मूल्यवान धातु स्क्रैप को वर्ष के अंत में शुद्ध वास्तविक मूल्य पर बही खाते में लाया जाता है।

15) चालू कार्य

क. प्रक्रियाशील कार्य (उत्पादन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन और बिक्री ओवरहेड्स को छोड़कर और निवल आल मूल्य पर भौतिक रूप से सत्यापित मात्रा के आधार पर मूल्यांकित है ।

ख. प्रक्रियाशील कार्य (संस्थापन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, कार्य आदेशों और निवल प्राप्य मूल्य में दर्ज की गई लागत के कम मूल्य पर मूल्यांकित है।

16) औज़ार और गेज

विशेष उद्देश्य के औजारों और जुडनारों पर व्यय शुरू में लागत पर पूंजीकृत है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, व्यवस्थित आधार पर उत्पादन पर परिशोधित हैं।

फु टकर औजारों को जारी करते समय राजस्व पर प्रभारित किए जाते हैं।

17) वित्तीय संपत्तियां (प्राप्य व्यापार और अन्य प्राप्य)

प्राप्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर पहचानी जाती हैं, जो ज्यादातर मामलों में मामूली मूल्य का अनुमान लगाती है। यदि संपत्ति को बाद में क्षति पहुँचने की कोई संकेत है, तो क्षति के लिए भी समीक्षा की जाती है।

18) त्रुटिय और अनुमान

यदि भारतीय लेखा मानकों में बदलाव के कारण परिवर्तन की आवश्यकता है या यदि परिवर्तन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है, तो कंपनी अपनी लेखांकन नीतियों को संशोधित करती है।

लेखांकन अनुमान में बदलाव के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों या लाभ या हानि विवरण के लिए परिवर्तन की अवधि में परिवर्तनों की संभावना है।

त्रुटियों की खोज और परिणामों की तुलनात्मक रूप से पुनरीक्षण में परिणामों को पुन: निरीक्षण में परिणाम, देनदारियों और इक्विटी की पहली पूर्व अवधि की इक्विटी की तुलना में त्रुटि की खोज की जाती है। प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि के प्रारम्भिक शेष भी पुनः घषित किए जाते हैं।

19) आय कर

आयकर में वर्तमान और आस्थगित आयकर शामिल हैं।

वर्तमान आयकर

कराधान प्राधिकारियों को देय या से वसूल योग्य राशि को भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर की दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान कर इक्विटी में मान्यता प्राप्त है और लाभ और हानि के विवरण में नहीं।

आस्थगित कर

संपत्ति और देनदारियों के कर आधार और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उनकी ले जाने वाली रकम के बीच अस्थायी अंतर पर तुलनपत्र विधि का उपयोग करके आस्थगित कर प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए पहचानी जाती है, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और किसी भी अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाते हैं, इस हद तक कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम हो जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

20) वारंटी दायित्व

ग्राहकों को बेचे गए उपकरणों के संबंध में संविदात्मक दायित्व के लिए वारंटी दायित्व वार्षिक तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

21) विदेशी मुद्राएं

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को प्रारम्भ में कंपनी द्वारा अपनी संबंधित मुद्रा विनिमय दर पर लेनदेन की तारीख को पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त होने पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों का अनुवाद रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर पर किया जाता है।

निपटारे या मौद्रिक वस्तुओं के अंतरण पर उत्पन्न अंतर लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर का उपयोग करके अंतरित किया जाता है।

22) कर्मचारी हितलाभ

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ को वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में गैर-छूट प्राप्त राशि पर एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

ख. रोज़गार के उपरांत के लाभ जैसे उपदान और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे विशेषाधिकार छुट्टी, बीमार छुट्टी और एलएलटीसी को वर्ष के लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं। व्यय आकलन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर मान्यता प्राप्त है।

ग. बीमांकिक लाभ और हानि तथा योजना संपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) का विवरण और परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) को अन्य व्यापक आय (ओआईसी) में तुरंत मान्यता दी जाती है। निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्तियों) पर निवल ब्याज व्यय (आय) की गणना निवल दर देकर (परिसंपत्ति) को वर्ष के दौरान योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) को मापने के बाद वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, गणना दर लागू करने के द्वारा की जाती है। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्च लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

घ. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से संबंधित व्यय को घटनाओं के संबंधित वर्ष में लिखा गया है।

ड़. कम्पनी के पात्र कर्मचारियों को परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत भविष्य निधि के लाभ प्रदान किए जाते हैं । पात्र कर्मचारी तथा कम्पनी, दोनों, भविष्य निधि योजना में संबंधित कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के अुसार मासिक अंशदान करती हैं। कम्पनी यह अशंदान आईटीआई कर्मचारी भविष्य निधि न्यास को सौंपती है। विनियमों के अनुसार सरकार द्वारा शासित पेंशन निधि में अंशदान का भाग जमा करवाने के पश्चात न्यास शेष निधियों का निवेश संबंधित विनियमों के अंतर्गत अनुमत्त विशिष्ट निर्दिष्ट उपकरणों मे करता है। न्यास द्वारा लाभग्राहियों को चुकता किए जाने वाले वार्षिक ब्याज की दर का निर्धारण सरकार करती है।

23) प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को जोड़नेवाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की राशि से किया जा सकता है। जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है, उदाहरणार्थ, एक बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति एक अलग संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन केवल प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी निवल प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो दर्शाती है, जब उचित हो, देयता के लिए विशिष्ट जोखिम होता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में पहचाना जाता है।

आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक देनदारियां जब तक कि आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ और आकस्मिक संपत्तियां जहां आर्थिक लाभ की आमद संभावित है, नोटों में प्रकट की जाती हैं।

भारयुक्तर अनुबंध

जब संविदा से कंपनी द्वारा प्राप्त होनेवाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं तब निर्माण अनुबंधों के अलावा अन्य कई अनुबंधों के लिए प्रावधान किया जाता है।

प्रावधान को अनुबंध समाप्त होने की उम्मीद की निवल लागत के नीचे के वर्तमान मूल्य और अनुबंध के साथ जारी रखने की उम्मीद की निवल लागत से मापा जाता है।

प्रावधान स्थापित होने से पहले, कंपनी उस अनुबंध से जुड़ी संपत्तियों पर किसी भी क्षति नुकसान को पहचानती है।

24) उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर उचित मूल्य पर अपने वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव्स और अन्य वस्तुओं जैसे कुछ वित्तीय उपकरणों को मापती है।

सभी संपत्तियों और देनदारियों के लिए जो उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में मापा या खुलासा किया गया है, वे उचित मूल्य माप के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के अधीन वर्गीकृत होते हैं जो कि उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है :

स्तर 1 समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2 उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट्स जिसे स्तर 1 के अधीन शामिल किया गया है, जो संपत्ति या देयता के लिए, या तो सीधे (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी कीमतों से व्युत्पन्न) विचारणीय हैं।

स्तर 3 संपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए, कंपनी ने संपत्ति या देयता के प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्ग निर्धारित किए हैं।

25) निवेश सम्पत्ति

निवेश संपत्तियों को शुरुआत में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के अनुक्रम में, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति नुकसान, यदि कोई हो, पर उल्लेख किया जाता है।

26) वित्तीय साधन

क. प्रारंभिक मान्यता और मापन

सभी वित्तीय संपत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया है, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार लेनदेन लागत संपत्ति की लागत में शामिल है।

ख. अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

I. अमूर्त लागत पर ऋण साधन,

ii. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीओसीआई),

iii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन, डेरिवेटिव और इक्विटी साधन (एफवीटीपीएल),

iv. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा इक्विटी साधन सहयोगियों में निवेश के अलावा जो लागत पर किया जाता है (एफवीटीओसीआई)।

विमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति के हिस्से को तब मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

एम्बेडेड डेरिवेटिव

एम्बेडेड डेरिवेटिव, यदि आवश्यक हो, होस्ट अनुबंध से अलग किया गया है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।

27) आगे अनुबंध

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को संभालने के लिए आगे मुद्रा अनुबंध जैसे डेरिवेटिव वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। इस तरह के डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है जिस पर एक डेरिवेटिव अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है तब डेरिवेटिव वित्तीय संपत्ति के रूप में ले जाते हैं और उचित देनदार होने पर वित्तीय देनदारियों के रूप में ले जाते हैं।

28) नकद और नकद समतुल्य

नकद में मौजूदा नकद और मांग जमा शामिल है। नकद समतुल्य तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यावधिक तरल निवेशह है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय है एवं मूल्य में परिवर्तन के तुच्छ जोखिम के अधीन है।

तुलनपत्र पर मौजूदा देनदारियों में उधार के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, को दिखाया गया है।

29) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अुसार, कंपनी माप के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है और क्रेडिट जोखिम के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की पहचान करती है।

क. सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से कालवर्जित देय को आम तौर पर ऐसी वित्तीय संपत्ति के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाता है।

ख. जहां कानूनी कार्यवाही में बकाया राशि विवादित होती है, अगर कंपनी के विरुद्ध कोई निर्णय दिया जाता है तो भी प्रावधान किया जाता है, भले ही इसे उच्च प्राधिकारियों/अदालतों को अपील पर लिया जाता है।

ग. मामला-दर-मामले के आधार पर विशिष्ट समयावधि के लिए बकाया देय के मामले में।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल क्षति नुकसान भत्ता (या उलटा) को लाभ और हानि विवरण में व्यय/(आय) के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह राशि लाभ और हानि विवरण में क्षति लाभ में या हानि के रूप में प्रतिबिंबित करती है।

30) वित्तीय देयताएँ

क. प्रारम्भिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से उपयुक्त, ऋण, उधार, देनदार या डेरिवेटिव के रूप में लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण, उधार और देय, लेनदेन लागत का निवल कहा जाता है जो सीधे जिम्मेदार होते हैं ।

ख. बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

i. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां।

ii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। इस संवर्ग में कंपनी द्वारा प्रवेश किए गए डेरिवेटिव वित्तीय साधन भी शामिल हैं, जो भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज रिश्तों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं हैं। पृथक एम्बेडेड डेरिवेटिव को व्यापार के लिए भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए धारित देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

ग. ऋण और उधार

प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके ब्याज-रहित ऋण और उधार को बाद में लागत में मापा जाता है। जब देनदारियों को ईआईआर अमूर्तकरण प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता प्राप्त होती है लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में पहचानी जाती है।

वित्तीय देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता की विमान्यता की जाती है।

घ. व्यापार और अन्य देनदारियाँ

चाहे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किया गया हो या नहीं, देयताओं को भविष्य में प्राप्त की जानेवाली माल और सेवाओं के लिए भुगतान की जानेवाली राशि के रूप में मान्यता दी जाती है।

31) वित्तीय उपकरण का पुन:वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के वर्गीकरण को निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों, जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं, के लिए कोई पुन:वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुन:वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यावसायिक मॉडल में कोई बदलाव हो। अक्षर कंपनी वित्तीय संपत्तियों को पुन: वर्गीकृत करती है, तो यह भावी रूप से पुन: वर्गीकरण लागू करती है।

32) वित्तीय उपकरणों की ऑफ सेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशि को ऑफ सेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकारी है और निवल आधार निपटाने का इरादा है, तो वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफ सेट किया जाता है और परिसंपत्तियों का एहसास करने तथा देनदारियों को एक साथ व्यवस्थित करने के लिए निवल का तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

33) इक्विटी शेयरधारकों को नकद लाभांश और गैर-नकद वितरण

कंपनी इक्विटी धारकों को नकद या गैर-नकदी वितरण करने की देयता को मान्यता देती है, जब वितरण अधिकृत होता है और वितरण अब कंपनी के विवेकानुसार नहीं होता है।

34) प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर की मूल अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर कम किया हुआ अर्जन की गणना के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

35) रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

समायोजित घटनाएँ ऐसी हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों के आगे प्रमाण करती हैं। इस मुद्दे के लिए प्राधिकरण से पहले वित्तीय विवरणों को इस तरह की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है।

गैर-समायोजन घटनाएँ ऐसी हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उठनेवाली स्थिति के संकेतक हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद गैर-समायोजन घटनाओं का हिसाब नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें प्रकट किया गया है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

गोपालकृष्णक हेगड़े
साझेदार
एम.सं.208063

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक-वित्त/मुख्य
वित्त अधिकारी

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
आर एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 22.06.2021

31.03.2021 के अनुसार एकल तुलन पत्र

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
I. परिसंपत्तियाँ					
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	1	263291.77		262529.22	
(ख) प्रगतिशील पूंजी कार्य	2	16887.03		18863.34	
(ग) निवेश संपत्ति	3	6746.53		6747.60	
(घ) साख		0.00		0.00	
(ङ) अमूर्त परिसंत्तियाँ		0.00		0.00	
(च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		0.00		0.00	
(छ) बेरर संयंत्रों को छोड़कर जैविक परिसंपत्तियाँ		0.00		0.00	
(ज) वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4	40.55		40.55	
(i) निवेश	4a	35272.92		35935.90	
(ii) प्राप्य व्यापार	5	7.41		17.02	
(iii) ऋण		0.00		0.00	
(iv) अन्य		0.00		0.00	
(झ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		0.00	322246.21	0.00	324133.63
(ञ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	6	19369.90		17333.53	
(2) चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) माल सूचियाँ		0.00		0.00	
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	255210.33		276113.88	
(i) निवेश	8	2793.67		3977.98	
(ii) प्राप्य व्यापार	8(a)	51969.87		20528.77	
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	9	55764.32		57288.16	
(iv) ऊपर (i) के इतर बैंक शेष	9(a)	171118.91		62329.29	
(v) ऋण		0.00		0.00	
(vi) बिल न किया हुआ राजस्व		0.00		0.00	
(vii) अन्य	10	9046.15	565273.16	6598.58	444170.19
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)			887519.37		768303.82
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ					
कुल					
II. इक्विटी और देयताएं	11	93352.29		92511.95	
इक्विटी	12	148653.34	242005.63	135748.42	228260.37
(क) इक्विटी शेयर पूँजी					
(ख) अन्य इक्विटी					
देयताएँ	13	4731.62		11407.13	
(1) गैर-चालू देयताएँ					
(क) अप्रयुक्त सरकारी अनुदान	14	30000.00		18000.00	
(ख) वित्तीय देयताएँ		0.00		0.00	
(i) उधार	15	7311.62		13392.97	
(ii) व्यापार देनदारियाँ	16	5324.90		7433.80	
(iii) अन्य		0.00		0.00	
(ग) प्रावधान		0.00		0.00	
(घ) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)			47368.14		50233.90
(ङ) अन्य गैर-चालू देयताएँ					
(2) चालू देयताएँ					
(क) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	17	116426.36		103558.39	
(ii) व्यापार देनदारियाँ	18	188566.66		192098.58	
(iii) अन्य	19	173446.20		121138.04	
(ख) प्रावधान	20	13664.58		12703.60	
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)		0.00		0.00	
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	21	106041.80	598145.60	60310.94	489809.55
कुल			887519.37		768303.82

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
एम.सं.208063

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक-वित्त/
मुख्य वित्त अधिकारी

आर एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 22.06.2021

इक्विटी में एकल परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

लाख रुपए में

विवरण	राशि
01.04.2020 के अनुसार शेष	92512
वर्ष के दौरान परिवर्तन	840
31.03.2021 के अनुसार शेष	93352

ख. अन्यि इक्विटी

लाख रुपए में

विवरण	शेयर आवेदन राशि निलंबित आबंटन	आरक्षित और अधिशेष			पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	अन्य व्यापक आय के इतर अन्य मद	पुनर्मूल्यां कन आरक्षित के साथ कुल अन्य इक्विटी
		पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बनाए रखा अर्जन			
01.04.2019 के अनुसार शेष	5,500.00	274,897.30	29.61	-204,966.85	-	7,894.12	83,354.19
वर्ष के लिए लाभ या हानि	-	-	-	14,747.83	-	-	14,747.83
पूर्व अवधि के मदों/समायोजन*				-			-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	391.77	391.77
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	10,500.00	-	-	-	-	-	10,500.00
बनाए रखे अर्जन के लिए अंतरण	-	-	-	-	-	-	-
शेयर आवेदन राशि भारत सरकार	-	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य परिवर्तन	-13,188.05	30,930.00	11,824.66	-	-	-	29,566.61
इक्विटी शेयर पूंजी में अंतरण	-2,811.95	-	-	-	-	-	-2,811.95
31.03.2020 के अनुसार शेष	0.00	305,827.30	11,854.27	-190,219.01	-	8,285.89	135,748.42
वर्ष के लिए लाभ या हानि	-	-	-	1,120.19	-	-	1,120.19
पूर्व अवधि के मदों/समयोजन*					-		-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	1,959.55	1,959.55
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	10,500.00	-	-	-	-	-	10,500.00
बनाए रखे अर्जन के लिए अंतरण	-	-	-	-	-	-	-
शेयर आवेदन राशि भारत सरकार	-	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य परिवर्तन	-9,659.66	-	9,825.17	-	-	-	165.51
इक्विटी शेयर पूंजी में अंतरण	-840.34	-	-	-	-	-	-840.34
31.03.2021 के अनुसार शेष	0.00	305,827.30	21,679.44	-189,098.82	-	10,245.44	148,653.34

टिप्प णी : पूर्व अवधि की वस्तुओं के लिए समायोजन*

क) कम्पनी ने वर्ष 2005-06 में भूमि एवं भवनों का पुनर्मूल्याकँन किया था तथा पूर्व सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन व्यवहार (जीएएपी) के अंतर्गत अपनी बहियों में रिजर्व के संबंध में पुनर्मुल्यांकन किए थे। इंड एएस में परिवर्तन के दौरान, कम्पनी ने वैकल्पिक छूटों का उपयोग किया था एवं अपनी प्रत्येक सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण को, पूर्व सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन व्यंवहार के अनुरूप, उनके वहन मूल्य पर मापन करने के लिए लागत मॉडल का चयन किया था। इन परिस्थितियों में, पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को धारित आय में अंतरित किया जाना अपेक्षित था । तथापि, चूकवश, 1.4.2016 की स्थिति के अनुसार ऐसे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व की 235436.85 लाख रुपए की राशि का वहन अग्रेषण परिवर्तित इंड एएस वित्तीय विवरणों में इक्विटी आय के अंतर्गत दर्शाए गए अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के रूप में कर दिया गया था । इस चूक को संज्ञान में लिया गया है तथा इस वर्ष पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के शेष को धारित आय में अंतरित करके संशोधन किए गए हैं ।

ख) तुलन पत्र में, वर्ष 2017-18 की जीएसटी इनपुट क्रेडिट की अपात्र 209.68 लाख रुपए की राशि का वहन चूकवश परिसम्पति (वसूलीय) के रूप में किया गया था। वर्ष के दौरान चूक को संज्ञान में लिया गया है तथा पूर्वावधि के लिए इसमें संशोधन कर दिए गए हैं ।

ग) वर्ष 2019-20 के दौरान, पूर्व वर्षों में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण के प्रति 1744.41 लाख रुपए की राशि के भुगतान किए गए थे तथा इससे संबंधित पूर्व काल में किए गए प्रावधान उपयोग में नहीं लाए गए थे । इस चूक का संशोधन वर्ष 2019-20 में किया गया था ।

घ) उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित वर्ष 2019-20 में किए गए संशोधन के अलावा, पूर्व वर्षों में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की विशेषाधिकार छुट्टी के संबंध में प्रावधान न की गई शेष राशि के प्रावधान वर्ष 2020-21 के दौरान संज्ञान में लिए गए हैं तथा संशोधन कर दिए गए हैं ।

विवरण	1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभिक शेष राशि को आगे लाया गया	पूर्व अवधि त्रुटि के सुधार के लिए समायोजन	1 अप्रैल, 2019 को पुनः आरंभिक शेष राशि
(क) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	233457.43	(-)2,33,457.43	**शून्य**
(ख) कर और शुल्क इनपुट	6149.89	(-) 209.68	5,940.21
(ग) प्रतिधारित कमाई	(-)4,32,108.90		
ख) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		(+) 2,33,457.43	
ii) कर और शुल्क इनपुट		(-)209.68	
iii) 2019-20 के दौरान पीएल नकदीकरण		(-)1,744.41	
iv) 2020-21 के दौरान पीएल नकदीकरण		(-) 4,361.29	(-) 2,04,966.85

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
एम.सं.208063

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक-वित्त/
मुख्य वित्त अधिकारी

आर एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 22.06.2021

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का एकल विवरण

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
I. संचालन से राजस्व	22	236218.27		205886.86	
II. अन्य आय	23	16137.35		18389.34	
III. कुल राजस्व (I+II)			252355.62		224276.21
IV. व्यय :					
खपत सामग्री की लागत	24	17564.94		8903.67	
व्यापार में स्टॉक की खरीद	25	27012.54		41867.91	
निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य और व्यापार में स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन	26	(854.95)		(4029.07)	
संस्थापन एवं अनुरक्षण प्रभार		147233.49		111351.20	
कर्मचारी हितलाभ व्यंय	27	29043.80		23100.74	
वित्तीय लागत	28	15959.18		14065.89	
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	4184.84		4189.20	
अन्य व्यय	30	11091.58		10078.81	
कुल व्यय			251235.43		209528.37
V. असाधारण मद एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) (III+IV)			1120.19		14747.84
VI. असाधारण मद					
(i) आय			0.00		0.00
(ii) व्यय			0.00		0.00
VII. कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V+VI)			1120.19		14747.84
VIII. कर संबंधी खर्च :					
(1) चालू कर			0.00		0.00
(2) आस्थगित कर			0.00		0.00
IX. वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII+VIII)			1120.19		14747.84
X. अन्य व्यापक आय					
क. (I) मद जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं होंगे परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन			1959.55		391.77
ख. (I) मद जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत होंगे			0.00		0.00
XI. वर्ष के लिए कुल व्याापक आय (IX+X) (वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और कुल व्यापक आय शामिल है)					
XII. प्रति शेयर इक्विटी अर्जन (सतत संचालन के लिए) :			3079.75		15139.60
मूल एवं कम किया हुआ (अंकित मूल्य प्रति रु. 10/-) :			0.12		1.64
शेयरों की भारित औसत संख्या			926293676		897616318

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
एम.सं.208063

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 22.06.2021

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक-वित्त/
मुख्य वित्त अधिकारी

आर एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकद प्रवाह विवरण

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:				
कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि)		1120.19		14747.84
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
मूल्यह्रास	4184.84		4189.20	
वित्तपोषण व्यय	15959.18		14065.90	
निवेश के विक्रय से लाभ	0.00		0.00	
प्राप्त ब्याज/लाभांश	(1160.60)		(1571.14)	
परिसंपत्तियों के विक्रय से हानि	0.00		0.00	
परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभ	(2810.64)		(179.31)	
सहायता अनुदान से अंतरण	(6675.51)		(8979.33)	
सहायता अनुदान से अंतरण	0.00		0.00	
अन्य व्यापक आय	1959.55		391.77	
गैर नकद व्यय	1201.29	12658.11	1486.66	9403.74
कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व		13778.30		24151.58
प्रचालन नकद (लाभ)				
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
व्यापार और अन्य प्राप्य	(89334.86)		(64665.58)	
माल सूचियाँ	(2037.71)		(2804.24)	
व्यापार देय	87277.99		23567.90	
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(3.64)	(4098.23)	62.13	(43839.79)
संचालन से उत्पन्न नकद		9680.07		(19688.21)
प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		9680.07		(19688.21)
ख) निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह :				
स्थाई परिसंपत्तियों सहित क्रय				
पूँजीगत चालू कार्य	(2968.68)		(6392.38)	
स्थाई परिसंपत्तियों का विक्रय	2810.64		179.31	
निवेश	0.00		0.00	
प्राप्त ब्याज	1160.60		1571.14	
	(31441.11)		(2846.01)	
प्राप्त लाभांश	0.00		0.00	
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ख)		(30438.54)		(7487.93)
ग) वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:				
अल्पकालिक उधार से प्राप्त आय	24867.83		(4312.29)	
शेयर आवेदन के पैसे	10500.00		10500.00	
अधिशेष के साथ समायोजन	165.51		(3107.80)	
प्राप्त सहायता अनुदान	0.00		39470.00	
वित्तीय व्यय	(15959.18)		(14065.90)	
वित्त पोषण क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ग)		19574.14		28484.02
नकद और समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		(1184.32)		1307.88
नगद और नगद समतुल्य की अथशेष		3977.99		2670.13
नगद और नकद समतुल्य की अंतिम शेष		2793.66		3977.99

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
एम.सं.208063

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक-वित्त/
मुख्य वित्त अधिकारी

आर एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 22.06.2021

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 1
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वित्तीयि वर्ष 2020-21
लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास					31.03.2021 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2020	वृद्धि	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2021	संचित मूल्यह्रास 01.04.2020	वर्ष के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2021	
भूमि											
-पूर्व स्वामित्व*	221,170.52	-	111.67	-	221,058.84	-	-	-	-	-	221,058.84
-पट्टाधृति****	777.13	-			777.13	1.08	0.27	-	-	1.35	775.78
पट्टे पर दी गई परिसंपति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन**	13,081.37	1,484.15	9.49	-	14,556.03	3,132.84	749.07	0.35	-	3,881.55	10,674.48
संयत्र एवं यंत्र***	36,059.89	3,376.83	-	-	39,436.72	7,837.24	3,047.56	-	-	10,884.80	28,551.91
अन्य उपकरण	3,083.64	30.08	-	4.50	3,109.22	876.31	301.13	-	-	1,177.44	1,931.78
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	281.17	62.78	-	-	343.94	189.93	50.79	-	-	240.72	103.22
उपस्कार जुड़नार एवं पुर्जे	70.49	5.29	-	-	75.78	36.83	5.02	-	-	41.85	33.94
वाहन	138.62	-	-	-	138.62	59.37	14.35	-	-	73.72	64.90
विद्युत प्रतिष्ठान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपयोग का अधिकार(कार लीज)		102.03			102.03	-	5.10			5.10	96.93
कुल	274,662.82	5,061.16	121.16	4.50	279,598.31	12,133.59	4,173.29	0.35	-	16,306.53	263,291.77

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वित्तीयि वर्ष 2019-20
लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास					31.03.2020 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2019	वृद्धि	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2020	संचित मूल्यह्रास 01.04.2019	वर्ष के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2020	
भूमि:											
-पूर्व स्वामित्व*	221,829.19	-	658.67	-	221,170.52	-	-	-	-	-	221,170.52
-पट्टाधृति****	118.46	658.67	-	-	777.13	0.81	0.27	-	-	1.08	776.05
पट्टे पर दी गई परिसंपति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन**	11,217.80	1,863.57	-	-	13,081.37	2,270.67	862.17	-	-	3,132.84	9,948.53
संयत्र एवं यंत्र***	34,000.32	2,059.56	-	-	36,059.89	4,922.70	2,914.54	-	-	7,837.24	28,222.64
अन्य उपकरण	3,034.60	49.04	-	-	3,083.64	550.31	326.00	-	-	876.31	2,207.33
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	257.99	23.18	-	-	281.17	135.60	54.34	-	-	189.93	91.23
उपस्कार जुड़नार एवं पुर्जे	52.17	18.32	-	-	70.49	31.23	5.59	-	-	36.83	33.66
वाहन	138.62	-	-	-	138.62	41.85	17.51	-	-	59.37	79.25
विद्युत प्रतिष्ठान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	270,649.15	4,672.34	658.67	-	274,662.82	7,953.17	4,180.42	-	-	12,133.59	262,529.22

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

टिप्पणी :

1. कर्नाटक सरकार के पक्ष में 400डी और 624ई टाइप क्वार्टरों के लिए इमदादी औद्योगिक आवास योजना की शर्तों के अनुसार प्राप्त सब्सीडी पर 7 लाख रुपये का प्रभार है।
2. फैक्ट्री भवन पट्टा भूमि पर है, जिसकी माप 36 कनाल्स तथा 13 मर्लास है, पट्टा अवधि बढ़ाने के कार्य जम्मू-कश्मीपर सरकार के साथ प्रक्रियाधीन है।
3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और कंपनी की अन्य संपत्तियों के शीर्षक पर विभिन्न उधारदाताओं के पक्ष में 357694 लाख रुपये की कुल राशि का शुल्क है क्योंकि इन संपत्तियों को देनदारियों के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाता है।
4. शीर्षक विलेखों की अनुपलब्धता

   बेंगलूरु :- के आर पुरम में आईटीआई लिमिटेड के पास 435 एकड़ जमीन है । इसमें से, कंपनी के पास लगभग 375 एकड़ क्षेत्र के लिए मालिकाना हक है । शेष क्षेत्र के लिए, भूमि के उपयोग के लिए कंपनी के पास केवल अधिकारों का रिकॉर्ड मौजूद है और कंपनी के पास उचित स्वामित्व विलेख नहीं हैं ।

   मनकापुर :- निजी मालिकों से खरीदी गई 191.03 एकड़ भूमि में से 41.77 एकड़ भूमि का मालिकाना हक प्रबंधन के पास उपलब्ध नहीं है ।

   नैनी :- वर्ष 1969 में आईटीआई कॉम्प्लेक्स (174.69 एकड़) की भूमि जिला औद्योगिक अधिकारी को सौंपी गई थी । इस भूमि का स्वामित्व विलेख अभी भी मैसर्स आईटीआई लिमिटेड के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया है ।

   पालक्का ड :- कंपनी के पास 77 एकड़ भूमि के संबंध में स्वामित्व/पट्टा विलेख संपत्तियां हैं, जिन्हें केरल सरकार द्वारा फिर से शुरू किया गया है और शीर्ष अदालत के समक्ष निर्णय के अधीन है ।

? in Lakhs

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी संख्या 2				
पूंजीगत चालू कार्य				
लागत पर पूंजीगत चालू कार्य	6653.06		6603.03	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		6653.06		6603.03
ठेकेदारों के पास सामग्री	28.93		28.93	
घटाएं : प्रावधान	28.93		28.93	
कुल		0.00		0.00
लागत पर मशीनरी				
मार्गस्थ	339.75		331.63	
स्वीकृति/अधिष्ठापन प्रतीक्षित	9900.74		11935.21	
	10240.49		12266.84	
घटाएं : प्रावधान	6.53		6.53	
कुल		10233.96		12260.31
कुल योग		16887.03		18863.34

टिप्पणी संख्या 3

निवेश सम्पत्ति :

वित्तीय वर्ष 2020-21
लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्य ह्रास					31.03.2021 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2020	वृद्धि	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2021	संचित मूल्य ह्रास 01.04.2020	वर्ष के लिए	विलोप	समयोजन	कुल 31.03.2021	
भूमि	6,395.87	-	-	-	6,395.87	-	-	-	-	-	6,395.87
भवन	372.86	9.49	-	-	382.35	21.49	10.21	-	-	31.69	350.66
कुल	6,768.73	9.49	-	-	6,778.22	21.49	10.21	-	-	31.69	6,746.53

निवेश सम्पत्ति :

वित्तीय वर्ष 2019-20
लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्य ह्रास					31.03.2020 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2020	वृद्धि	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2020	संचित मूल्य ह्रास 01.04.2019	वर्ष के लिए	विलोप	समयोजन	कुल 31.03.2020	
भूमि	6,395.87	-	-	-	6,395.87	-	-	-	-	-	6,395.87
भवन	372.86	-	-	-	372.86	12.38	8.76	-	-	21.14	351.73
कुल	6,768.73	-	-	-	6,768.73	12.38	8.76	-	-	21.14	6,747.60

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

टिप्पणी :

I) (क) दूरसंचार विभाग को 03.10.1983 को 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 4653.75 वर्गमीटर भूमि ।

(ख) भूमि के संबंध में (बेंगलूरु और मनकापुर के कुछ भूभागों को छोड़कर) औपचारिक हस्तांतर-पत्र/पट्टा विलेख संबंधित राज्ये सरकारों द्वारा निष्पाणदित किया गया है ।

(ग) दूरसंचार विभाग को 10.07.1991 से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 1256.86 वर्गमीटर भूमि ।

(घ) मार्च, 1994 से 3 एकड़ भूमि राज्य सरकार को 99 वर्ष की अवधि के लिए मिनि विधान सौधा के निमार्ण के लिए पट्टे पर दिया गया है।

ii) 1.83 एकड़ भूमि, दक्षिणी रेल्वें को पट्टे पर दी गई है तथा 0.286 एकड़ भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को पट्टे पर दी गई है।

iii) (क) बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के पास 0.5733 एकड़ जमीन है।

(ख) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, आईटीआई कालोनी के पास 0.2222 एकड़ जमीन है।

(ग) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, ओल्ड मद्रास रोड, के.आर.पुरम के पास 0.3025 एकड़ जमीन है।

(घ) ईपीएफओ, एफ-28 भवन, के पास 0.6069 एकड़ जमीन है।

(ङ) थंबी एविएशन (हैलीपैड-ईसी प्लांट) के पास 0.9182 एकड़ जमीन है।

(च) एम्बसी सर्विसस् प्राईवेट लिमिटेड के पास भूमि और भवन की क्रमश: 0.776 एकड़ और 6300 वर्ग मीटर का जमीन है।

iv) कंपनी अभी भी विभिन्न निवेश संपत्तियों के उचित मूल्य प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और इसलिए इस जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सका ।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 4				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति निवेश				
इक्विटी यंत्रों में निवेश				
लागत पर पूर्ण प्रदत्त (अनुदत्त)	40.55		40.55	
इंडिया सेटकॉम लिमिटेड के पूर्ण प्रदत्तत 10 रु. प्रति शेयर के 16,21,800 इक्विटी शेयर ।				
कुल		40.55		40.55
भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार अलग वित्तीय विवरण, संयुक्त उद्यमों में निवेश एकल वित्तीय विवरणों के लागत पर किया जा रहा है ।				
टिप्पणी सं. 4(क)				
अप्रचलित वित्ती य परिसंपत्ति का विवरण - माल प्राप्तियाँ				
सुरक्षित				
प्राप्त समझी गई				
संदिग्ध समझी गई	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल	0.00		0.00	
असुरक्षित		0.00		0.00
प्राप्त समझी गई				
-गुजनेट	0.00		0.00	
-गुजनेट के अलावा	35272.92		35935.90	
संदिग्ध समझी गई	0.00		0.00	
	35272.92		35935.90	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		35272.92		35935.90
कुल योग		35272.92		35935.90

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 5				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति – ऋण				
अप्रतिभूत एवं प्राप्त समझा गया माल :				
अग्रिम पूंजी	0.00		0.00	
प्रतिभूति निक्षेप(जमा) / सीमांत राशि	0.00		0.00	
ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
संदिगद्ध समझा गया :	0.00		0.00	
अग्रिम पूंजी	1.62		1.62	
प्रतिभूति जमा	0.00		0.00	
ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
कुल	1.62		1.62	
घटाएं : प्रावधान	1.10		1.10	
कुल प्रतिभूति ऋण एवं अग्रिम		0.52		0.52
असुरक्षित और प्राप्त समझी गई :				
अग्रिम पूँजी	0.00		0.00	
सुरक्षा जमा	0.00		0.00	
ऋण और अग्रिम	6.89		16.50	
संदिग्ध समझी गई	0.00		0.00	
अगिम पूँजी	0.00		0.00	
सुरक्षा जमा	0.00		0.00	
ऋण और अग्रिम	0.00		0.00	
कुल	6.89		16.50	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल प्रतिभूति ऋण एवं अग्रिम		6.89		16.50
कुल योग		7.41		17.02

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 6				
माल सूचियाँ				
क) कच्चा माल और उत्पादन भंडार	8604.73		8377.69	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	1754.22		1755.35	
		6850.51		6622.34
ख) फैब्रिकेशन संविदा के प्रति जारी सामग्री	96.91		96.91	
घटाएं : प्रावधान	95.47		95.47	
		1.44		1.44
ग) गैर-उत्पादन भंडार	872.01		847.26	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	237.41		237.41	
		634.60		609.85
घ) प्रक्रियाधीन कार्य उत्पादन	7406.75		7882.95	
घटाएं : प्रावधान	606.76		606.76	
		6799.99		7276.19
ङ) प्रक्रियाधीन कार्य-स्थापना	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
		0.00		0.00
च) विर्निमित घटक	2146.64		1151.63	
घटाएं : प्रावधान	40.13		40.13	
		2106.51		1111.50
छ) तैयार माल				
भंडार माल	2354.31		2131.12	
उपर्युक्त पर उत्पाद शुल्क	0.44		0.44	
	2354.75		2131.56	
घटाएं : प्रावधान	1019.56		1019.56	
		1335.19		1112.00
ज) स्टॉक समाधान लेखा	19.47		10.33	
घटाएं : प्रावधान	10.33		10.33	
		9.14		0.00
झ) निरीक्षण / स्वीकृति हेतु लंबित माल		992.23		0.00
ञ) मार्गस्थ सामग्री अग्रिम				
प्राप्त समझी गई	640.29		600.22	
संदिग्ध समझी गई	238.76		238.76	
	879.05		838.98	
घटाएं : प्रावधान	238.76		238.76	
		640.29		600.22
ट) प्राप्त सामग्री और देय मार्गस्थ अग्रिम		0.00		0.00
ठ) औजार और गेज		0.00		0.00
कुल योग		19369.90		17333.53

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 7				
चालू वित्तीय परिसंपत्ती-माल प्राप्तियाँ				
सुरक्षित				
6 महीने से ज्यादा समय तक न चुकाया गया और उस तिथि से जब वह भुगतान करने के लिए बकाया हो गया हो ।				
प्राप्तत समझी गई	0.00		0.00	
संदिग्ध समझी गई	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
अन्य 6 महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं ; प्राप्त समझी गई	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
असुरक्षित				
6 महीने से ज्या दा समय तक न चुकाया गया और उस तिथि से जब वह भुगतान करने के लिए बकाया हो गया हो ।				
प्राप्त समझी गई				
-गुजनेट*	36252.05		54952.45	
-गुजनेट के अलावा	200944.89		206878.77	
संदिग्ध समझी गई	4854.68		4651.61	
	242051.62		266482.83	
अन्य 6 महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं ; प्राप्त समझी गई				
-गुजनेट*	2007.41		0.00	
-गुजनेट के अलावा	16005.99		14282.66	
	260065.02		280765.48	
घटाएं : प्रावधान	4854.68		4651.61	
कुल		255210.33		276113.88
कुल योग		255210.33		276113.88

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी में प्राप्य मूल्यों को अपेक्षित साख हानि मॉडल का इस्तेमाल करके हानि परीक्षण में दिया जाना चाहिए। भारतीय लेखा मानक 109 व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित साख हानि को मापने के दौरान वास्ताविक समयोचित के उपयोग की अनुमति देता है, और कहा जाता है कि प्रावधान मैट्रिक्स समयोचित के लिए उदाहरण है। अधिकांश व्यापार प्राप्तियां सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं से उत्पन्न होती हैं, जो उच्च जोखिम के संपर्क में नहीं हैं, कंपनी मामले की समीक्षा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित मामले के आधार पर विशिष्ट प्रावधान कर रही है। जबकि, अन्य ग्राहकों के लिए, प्रावधान मामले के आधार पर अपेक्षित साख हानि मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

टिप्पणी सं. 8				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ रोकड और रोकड समकक्ष				
क) मार्गस्थ रोकड़	0.00		618.00	
ख) उपलब्ध रोकड़	32.72		59.29	
ग) चेक और उपलब्धं स्टैंप	0.00		0.00	
घ) बैंकों के पास शेष राशि :				
- चालू खाते में	2760.95		3300.69	
कुल		2793.67		3977.98

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 8(क)				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ उपयुक्त को छोड़कर बैंक में शेष राशि				
बैंकों के पास शेष राशि :				
-एस्क्रो खाते पर	11178.49		1690.53	
- चालू खाते में (प्रशिक्षुओं)	1033.91		138.71	
लाभांश बकाया	0.00		0.00	
सुरक्षा जमा / अन्य	0.48		0.28	
एलसी मार्जिन धन	0.00		0.00	
बचत खाते में (प्रशिक्षुओं की प्रतिभूति जमा)	0.00		0.00	
अंशंकालिक जमा (मार्जिन धन)	157.82		157.82	
चालू खाते में (मार्जिन धन)	0.00		0.00	
मियादी जमा पर 12 महीने से अधिक परिपक्वता	39599.18		18541.43	
मियादी जमा पर 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम परिपक्वता	0.00		0.00	
कुल		51969.87		20528.77
टिप्पणी सं. 9				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ ऋण				
वसूली योग्य नकद या वस्तु के रूप में या करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए सुरक्षित अग्रिम				
वाहन	0.00		0.00	
गृह भवन	0.00		0.00	
अन्य जमा	1035.95		1046.02	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		1035.95		1046.02
वसूली योग्य नकद या वस्तु के रूप में या करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए असुरक्षित अग्रिम				
प्राप्त समझी गई	26538.18		26774.28	
संदिग्ध समझी गई	536.60		896.61	
	27074.78		27670.89	
घटाएं : प्रावधान	536.60		896.61	
		26538.18		26774.28
दावों और वसूली व्यय अंतर्देशीय				
प्राप्य समझी गई	24005.96		25681.22	
संदिग्ध समझी गई	1002.61		992.29	
	25008.57		26673.51	
घटाएं : प्रावधान	1002.61		992.29	
		24005.96		25681.22
दावों और वसूली व्यय अंतर्देशीय				
प्राप्त समझी गई	9.60		9.60	
संदिग्ध समझी गई	1204.32		1204.31	
	1213.92		1213.92	
घटाएं : प्रावधान	1204.32		1204.32	
		9.60		9.60
वाहन अग्रिम		0.00		0.00
अन्य जमा	4578.36		4015.30	
घटाएं : प्रावधान	421.47		256.00	
		4156.89		3759.30
अल्पावधि जमा पर ब्याज अर्जित नहीं		17.74		17.74
कुल		54728.37		56242.14
कुल योग		55764.32		57288.16

(क) इसमें 1690.2 लाख रुपए जो कि एचसीएल इंफोसिस्ट से आईटीआई, एचसीएल और एल्का टेल के बीच समझौता के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली करने योग्य है, का समावेश है। क्योंकि यह राशि आईटीआई लिमिटेड, मनकापुर द्वारा अधिक व्यय कर दी गई है।

ख) दावों और खर्चों वसूली- अंतर्देशीय-रूपये 140.27 लाख रुपये एसबीएआर 01.04.2009 से प्रभावी अधिक व्याज की वजह से पंजाब नेशनल बैंक की ओर से देय है और हमारी राय में, वही है ।

(ग) दावा वसूली भूमि में 1049.41 लाख रुपये मेसर्स हिमाचल फ्यूटूरिस्टिक कम्यू निकेशन से परिसमापन हर्जाना के अंतर्गत देय है । कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष लंबित है ।

(घ) 31.03.2011 अवधि की समाप्त तक पट्टे पर दिए गए परिसर हेतु 5847.9 लाख रुपए किराए पर प्राप्त हुए है और उसी परिसर के लिए 31.03.2011 के बाद की अवधि के लिए कोई किराये की आय प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण संचित आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं है ।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 9 (क)				
बिल न चुकाया राजस्व				
सरकार				
गुजनेट*	15706.96		12111.71	
अन्य	155411.95		50217.58	
गैर सरकारी	0.00		0.00	
कुल		171118.91		62329.29
टिप्पणी सं. 10				
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ				
कर और शुल्क निवेश	8333.09		5904.84	
सीमा शुल्क विभाग के पास जमा	280.24		268.00	
अग्रिम कर का भुगतान (धनवापसी का निवल)	10.08		6.44	
उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास जमा	422.74		419.29	
डब्ल्यूसीटी वसूली योग्य	0.00		0.00	
कुल		9046.15		6598.58
टिप्पणी सं. 11				
ख. इक्विटी शेयर पूंजी				
(क) प्राधिकृत				
2,80,00,00, 000 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है		280000.00		280000.00
(ख) निर्गमित				
93,35,22,869 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है		93352.29		92511.95
(ग) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त				
93,35,22,869 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है		93352.29		92511.95
(घ) अभिदत्तं एवं पूर्णरूप से अप्रदत्तत नहीं		0.00		0.00
(ड़) सम मूल्य प्रति शेयर		0.00		10.00
(च) अदत्त माँग		0.00		0.00
(छ) जब्त शेयर		0.00		0.00
(ज) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में				
बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन।		As at 31.03.2021		As at 31.03.2020
विवरण		No.of shares		No.of shares
शेयरों की संख्यां बकाया अथ शेष		925119508		897000000
जोडिए : वर्ष के दौरान निर्गम*		8403361		28119508
घटाए : वर्ष के दौरान वापसी क्रय नीति/जब्ती		0.00		0.00
शेयरों की बकाया संख्या अंत शेष		933522869		925119508
(झ) अधिकारों एवं अधिमानो एवं उपरोक्त वर्ग के शेयर के साथ प्रतिबंध संलग्न				

*भारत सरकार से प्राप्त 105 करोड़ रुपये के पूंजी अनुदान के खिलाफ, कंपनी ने 09.02.2021 को भारत के राष्ट्रपति को 124.95 रुपये में 84,03,361 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

- इक्विटी शेयर के प्रत्ये क धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार

- कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा ।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
(ञ) शेयरधारकों की सूची जिन्होने 5% से ज्यादा शेयर लिया है।				
नाम	रखे गए शेयरों की संख्याँ		रखे गए शेयरों की संख्याँ	
1 भारत के राष्ट्रपति	840698419		832295057	
(ट) पिछले पाँच वर्षों के दौरान:				
(i) नकद प्राप्त किए बिना आबंटित शेयरों की कुल संख्या	Nil		Nil	
(ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या	Nil		Nil	
(iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	Nil		Nil	
II. अधिमानी शेयर पूँजी				
प्राधिकृत				
7,00,00, 000 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 100/- रू. का है	70000.00		70000.00	

टिप्पणी सं. 12

अन्य इक्विटी

1) आरक्षित पूंजी				
i) उपहार स्वरुप दी गई नि:शुल्क भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	25.30		25.30	
वृद्धि	0.00		0.00	
कुल	25.30		25.30	
कटौती	0.00		0.00	
इति शेष		25.30		25.30
ii) सहायता अनुदान पूँजी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	305802.00		274872.00	
सहायता अनुदान से अंतरण (पूँजी)	0.00		30930.00	
इति शेष		305802.00		305802.00
कुल आरक्षित पूंजी		305827.30		305827.30
2) प्रतिभूति बीमा-किस्म आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	11854.27		29.61	
वृद्धि	9659.66		13188.05	
कुल	21513.93		13217.66	
कटौती : एफपीओ मुद्दे व्यय*	(165.51)		1363.39	
इति शेष		21679.44		11854.27

* कंपनी ने सेबी के साथ एफ.पी.ओ. (अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव) दिनांक 17 जनवरी 2020 के लिए कच्ची विवरणिका दाखिल किया है। बहरहाल, कंपनी ने बाज़ार की मौजूदा परिस्थितियों के कारण निर्गम को वापस ले लिया है। एफ.पी.ओ. के लिए किए गए 1363.39 लाख रुपये के निर्गम व्यय को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम खाते में समंजित कर दिया गया। एफपीओ व्यय के वास्तविक भुगतान के बाद अनुमानित अतिरिक्त 165.51 लाख रुपये वापस कर दिया गया ।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
3) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति				
I) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	0.00		0.00	
घटाएं – भूमि की बिक्री पर उत्क्रमण	0.00		0.00	
इति शेष		0.00		0.00
ii) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति भवन				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	0.00		0.00	
घटाएं सामान्य संशय पर अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		0.00		0.00
कुल पुनर्मूल्यां कित आरक्षिति		0.00		0.00
4) प्रतिधारित आय				
I) सामान्य आरक्षिति :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	235316.63		235316.63	
पूर्व अवधि समायोजन	0.00		0.00	
जोड़े : बांड मोचनीय आरक्षिति से अंतरण	0.00		0.00	
घटाएं लाभ–हानि में अंतरण	0.00		0.00	
घटाएं – अधिशेष के लिए अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		235316.63		235316.63
ii) अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	0.00		0.00	
घटाएं – अधिशेष के लिए अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		0.00		0.00
iii) तकनीकी जानकारी की बिक्री				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3.50		3.50	
घटाएं – लाभ–हानि में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		3.50		3.50
iv) औद्योगिक आवास सब्सिडी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	6.79		6.79	
घटाएं – लाभ–हानि में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		6.79		6.79
v) निवेशीय भत्ता आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.00		0.00	
घटाएं – सामान्य आरक्षिति में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		0.00		0.00
vi) अधिशेष				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	(425545.96)		(440293.79)	
जोड़े: वर्ष के दौरान लाभ/हानि	1120.19		14747.83	
जोड़े: सामान्य आरक्षित से अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े: अचल संपत्तियों की बिक्री के हानि पर लाभ से अंतरण	0.00		0.00	
कुल	(424425.77)		(425545.96)	
घटाएं : विनियोग	0.00		0.00	
घटाएं–लाभ और हानि खाते से कम अंतरण(वर्ष के लिए हानि)	0.00		0.00	
इति शेष		(424425.77)		(425545.96)
कुल प्रतिधारित कमाई		(189098.85)		(190219.04)
5) शेयर अनुप्रयोग में लंबित आबंटित धन राशि		0.00		0.00
6) अन्य व्यापक आय				
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (बीमांकिक लाभ)				
अथशेष	8285.89		7894.12	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	1959.56		391.77	
इति शेष		10245.45		8285.89
कुल योग अन्य इक्विटी		148653.34		135748.42

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 13				
अप्रचलित देनदारियाँ				
सरकारी अनुदान का अनुपयोग :				
i) उपहार स्वरुप दी गई नि:शुल्क उपस्कर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	0.00		0.00	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		0.00		0.00
ii) सहायता अनुदान (पूंजीगत)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	4.64		4.64	
जोड़े : इस वर्ष की प्राप्तियाँ	0.00		0.00	
कुल	4.64		4.64	
घटाएं : सहायता अनुदान राजस्वं में अंतरण:पूंजीगत आरक्षिति	0.00		0.00	
घटाएं : लाभ हानि लेखा में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		4.64		4.64
iii) सहायता अनुदान(राजस्व)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	11402.49		11841.82	
जोड़े : इस वर्ष की प्राप्तियाँ*	0.00		8540.00	
कुल	11402.49		20381.82	
घटाएं : लाभ/हानि लेखे में अंतरण	6675.51		8979.33	
इति शेष		4726.98		11402.49
कुल योग		4731.62		11407.13

* पिछले वर्ष के दौरान दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.), भारत सरकार ने कर्मचारियों जिन्हें वी.आर.एस. / वी.एस.एस. दिया गया या जिनका वी.आर.एस. / वी.एस.एस. दिनांक 30.6.2018 को कार्यवाही के तहत था, के भविष्य निधि की देयता को पूरा करने के लिए कंपनी को 8540 लाख रुपये का अनुदान आवंटित किया है जिसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया डी.ओ.टी. ने अपने पत्र दिनांक 31 दिसंबर 2019 द्वारा सूचित किया है कि कंपनी अपने संसाधनों से सांविधिक देयों की अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 8540 करोड़ रुपये के आवंटन को हिसाब में ले जिसकी प्रतिपूर्ति डी.ओ.टी. द्वारा की जाएगी। भारतीय ए.एस. 20 के अनुसार, इस राशि को 8540 लाख रुपये के अनुदान में आय के रूप में निर्धारित किया गया है।

- सरकारी अनुदान के अपव्यय हिस्सा (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अनुसार) को अन्य इक्विटी से अलग वर्गीकृत किया गया है और अप्रचलित देनदारियों के रूप में दिखाया गया है

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 14				
अप्रचलित देनदारियाँ				
वित्तीयि देयता ऋण				
ळ) सुरक्षित ऋण				
अस्थुयी दर बांड	0.00		0.00	
बैंक द्वारा सावधि ऋण	0.00		0.00	
अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
ळळ) प्रतिभूति ऋण				
भारत सरकार से ऋण*	30000.00		18000.00	
उपरोक्त ब्याज अर्जित और देय है	0.00		0.00	
चलायमान बॉन्डऔ दर	0.00		0.00	
बैंक से मियादी ऋण	0.00		0.00	
आस्थगित भुगतान देयता	0.00		0.00	
जमा	0.00		0.00	
संबंधित पक्ष द्वारा ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
वित्तीय पट्टा दायित्वोंर की दीर्घकालिक परिपक्वोता	0.00		0.00	
अन्य ऋण-के.यू बैंड	0.00		0.00	
कुल		30000.00		18000.00
कुल योग		30000.00		18000.00

*कम्पनी को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से वर्ष 2014-15 के दौरान कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए 30,000 लाख रुपए का सुलभ ऋण प्राप्त हुआ था जिसका पुनर्भुगतान दो वर्ष के स्थगन के साथ कम्पनी द्वारा लाभ अर्जित करना प्रारंभ करने के पश्चात से पांच वर्षों में किया जाना था। कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के पश्चात से पुनर्भुगतान प्रारंभ कर देना चाहिए था। तथापि, इसके द्वारा पुनर्भुगतान के लिए समय विस्तार मांगा गया है क्योंकि कम्पनी अभी भी अपने परिचालनों से लाभ नहीं कमा रही है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 15				
अचल वित्तीय देयता अन्य				
प्राप्त प्रतिभूति जमा	7311.62		13392.97	
ब्याज अर्जित और भारत सरकार द्वारा कोई लंबित ऋण नहीं*	0.00		0.00	
कुल योग		7311.62		13392.97
टिप्पणी सं. 16				
अचल प्रावधान				
विशेषाधिकृत अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	7378.89		7985.89	
घटाएं : निगमित से अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	(2110.33)		(607.00)	
घटाएं : अदायगी	0.00		0.00	
कुल		5268.56		7378.90
रुग्णा अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	54.87		62.52	
घटाएं : निगमित से अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान का उत्क्रमण	1.46		(7.62)	
घटाएं : अदायगी	0.00		0.00	
कुल		56.33		54.90
(ii) **अन्य**		0.00		0.00
कुल योग		5324.90		7433.80
टिप्पणी सं. 17				
चालू देयताएँ				
i) चालू वित्तीय देयताएँ ऋण				
माँगने पर ऋण शोध्य				
– जमानती ऋण				
स्टेट बैंक एवं बैंकों के सहायता संघ के सदस्यों से नकदी ऋण, माल स्टाक, भंडार, कच्चा माल, ऋण एवं अग्रिम के दृष्टिबंधक और दोनों चल एवं अचल स्थायी परिसंपत्ति	116426.36		103558.39	
– गैर जमानती ऋण				
संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रिम	0.00		0.00	
जमा	0.00		0.00	
अन्य ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
कुल		116426.36		103558.39
टिप्पणी सं. 18				
चालू वित्तीय देयताएँ व्यापार प्राप्तियाँ				
वस्तुओं के संभरण के लिए				
– सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	598.18		1299.77	
– अन्य				
– गुजनेट	25664.38		37219.17	
– गुजनेट के अलावा	153938.91		141586.42	
कुल	180201.47		180105.36	
व्यय और सेवाओं के लिए				
– गुजनेट	0.00		852.65	
– गुजनेट के अलावा	5053.77		4536.97	
अन्य देयताओं के लिए	3311.41		6603.59	
कुल		188566.66		192098.58

जमा, 31.03.2021 को दिखाए गए वर्तमान देयताओं के अनुसार, वापसी के लिए दावा नहीं किया गया है और वह देय है।
सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों की एक सूची जिसका कंपनी ऋणी है, बकाया ब्याज के साथ किसी भी राशि के लिए
अनुलग्नक के अनुसार
कंपनी द्वारा पहचाने गए सूक्ष्म और लघु उद्यमों का देय / भुगतान का प्रकटीकारण।

(क) 31.03.2021 तक न चुकाया हुआ मूल राशि का बकाया है।	534.77	1210.47
(ख) 31.03.2021 तक न चुकाया हुआ ब्याज बकाया है।	63.41	89.30
(ग) वर्ष के दौरान नियुक्ति दिन से परे भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन की राशि।	0.00	0.00
(घ) भुगतान में देरी के कारण हेतु ब्याज राशि की शेष और देय (जो नियुक्त अवधि के दौरान से परे भुगतान की गई) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2007 के अंतर्गत ब्याज को छोड़कर ।	0.00	0.00
(ङ) 31.03.2021 तक न चुकाया हुआ अर्जित ब्याज की राशि शेष ।	0.00	0.00
(च) सफल वर्ष में भी देय और शेष ब्याज की राशि देय । (जब तक इस तरह के ब्याज का भुगतान छोटे उद्यम को नहीं किया जाता है)	0.00	0.00

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
टिप्पणी सं. 19		
चालू वित्तीय देयताएं अन्य		
उधार पर नहीं बकाया किन्तु प्रोदभूत ब्याज	0.00	0.00
उधार पर बकाया एवं प्रोदभूत ब्याज	600.00	300.00
अप्रदत परिपक्व जमा एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	0.00	0.00
अप्रदत परिपक्व डिवेंचर एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	0.00	0.00
व्यय एवं सेवा कर के लिए	1294.08	2916.03
अन्य देयता के लिए	128735.11	82158.57
अन्य देय	562.46	644.18
देय वेतन	2174.45	2470.67
दावा न किए गए लाभांश	0.00	0.00
रॉयल्टी देय	212.80	212.80
वेतन संशोधन बकाया	1033.52	1056.60
अधिमान शेयर*	0.00	2500.00
ठेकेदारों से जमा	5870.04	4352.61
विविध देनदारियाँ	32963.74	24526.57
कुल	173446.20	121138.04

*चूंकि अधिमान शेयर अपरिवर्तनीय और अतिदेय हैं, उसे शेयर पूंजी से निकाला गया है और वर्तमान वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खातें में ब्याज/लाभांश प्रदान नहीं किया गया है।

अधिमान शेयर

क) प्राधिकृत		
70000000 अधिमान शेयर जिसमें से प्रत्येतक 100/- रु. का है	70000.00	70000.00
-8.75% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर		
ख) निर्गमित		
10000000, 8.75% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर प्रत्येक 100 रु. का प्रतिदेय सममूल्य पर मार्च 2005 से 5 बराबर किश्तों में	0.00	0.00
(ग) अभिदत्त एवं पूर्ण चुकता		
10000000, 8.75% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर प्रत्येक 100 रु. का प्रतिदेय सममूल्य पर मार्च 2005 से 5 बराबर किश्तों में	0.00	0.00
(घ) अभिदत्त एवं पूर्ण चुकता नहीं	0.00	0.00
(ङ) अदत्त मांग	0.00	0.00
(च) जब्त शेयर	0.00	0.00

(छ) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन	31.03.2021 तक रखे गए शेयरों की संख्या	31.03.2020 तक रखे गए शेयरों की संख्या
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेष	0.00	10000000
जोड़े : वर्ष के दौरान निर्गम	0.00	0.00
घटाएं : वर्ष के दौरान वापसी क्रय /जब्ती	0.00	10000000
शेयरों की संख्या बकाया अंत शेष	0.00	0.00

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को

(ज) अधिकारों एवं अधिमानों एवं उपरोक्तर वर्ग के शेयर के साथ प्रतिवंध संलग्न ।
– इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं संकल्पों पर है जो कंपनी के समक्ष रखा गया है और अधिमान शेयर से जुड़े अधिकार पर सीधे प्रभाव डालता है ।
– कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा ।

झ) शेयरधारकों की सूची जिन्होंने 5% से ज्याादा शेयर लिया है

नाम	रखे गए शेयरों की संख्या	रखे गए शेयरों की संख्या
1. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	0	0
(ञ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान :		
(i) नकद प्राप्त किए बिना आवंटित शेयरों की कुल संख्या	0.00	0.00
(ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या	0.00	0.00
(iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	0.00	0.00
निम्न लिखित वर्ग के संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर के संबंध में लाभांश बकाया राशि में है		
क) 2002-03 से संचयी अधिमान शेयर 8.75% पर (दर्शाए गए आँकडे लाभांश वितरण कर से वाहर है)	0.00	15251.37
मोचन किश्त जो कि संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर के संबंध में कंपनी द्वारा जारी किया गया लेकिन निधि दवाब के कारण उसका भुगतान नहीं किया गया 31 मार्च, 2005 से 31 मार्च, 2009 तक मोचन किश्तं देय 8.75%, रु 1000 लाख का अधिमान शेयर	0.00	0.00
7% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर		
(क) निर्गमित 20000000, 7.00% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर, जिसके प्रत्येक शेयर का मूल्य 100 रूपये है, मार्च 2006 से 5 बराबर किश्तों प्रतिदेय पर सममूल्य0 है, बीएसएनएल को कॉल विकल्प के साथ निवेश तिथि 31.03.2003 से एक वर्ष की समाप्ति के वाद	0.00	0.00
(ख) अभिदत्त एवं पूर्णत: चुकता 20000000, 7.00% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर, जिसके प्रत्येक शेयर का मूल्य 100 रूपये है, मार्च 2006 से 5 बराबर किश्तों प्रतिदेय पर सममूल्य है, बीएसएनएल को कॉल विकल्प के साथ निवेश तिथि 31.03.2003 से एक वर्ष की समाप्ति के वाद	0.00	0.00
(ग) अभिदत्त एवं पूर्णत: चुकता नहीं	0.00	0.00
(घ) सममूल्य प्रति शेयर (रु 100)	0.00	0.00
(ङ) अदत्य माँग	0.00	0.00
(च) जब्त शेयर	0.00	0.00

(छ) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन

	As at 31.03.2021 No.of shares held	As at 31.03.2020 No.of shares held
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेष	0.00	20000000
जोड़े : वर्ष के दौरान निर्गम	0.00	0.00
घटाएं : वर्ष के दौरान वापसी क्रय /जब्ती	0.00	20000000
शेयरों की बकाया संख्या अंत शेष	0.00	0.00

(ज) अधिकारों एवं अधिमानों एवं उपरोक्ति वर्ग के शेयर के साथ प्रतिबंध संलग्न
- इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं संकल्पों पर है जो कंपनी के समक्ष रखा गया है और अधिमान शेयर से जुड़े अधिकार पर सीधे प्रभाव डालता है।
- कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

(झ) शेयरधारकों की सूची जिन्होंने 5% से ज्याशदा शेयर लिया है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
नाम		रखे गए शेयरों की संख्या		रखे गए शेयरों की संख्या
1. भारत संचार निगम लिमिटेड		0		0.00
(ञ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान:				
(i) नकद प्राप्त किए बिना आवंटित शेयरों की कुल संख्या	.00		0.00	
(ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या		0.00		0.00
(iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग		0.00		0.00
निम्नलिखित वर्ग के संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर के संबंध में लाभांश बकाया राशि में है				
क) 2003-04 से संचयी अधिमान शेयर 7.00% पर		0.00		23006.03
(दर्शाए गए आँकड़े लाभांश वितरण कर से बाहर है)				
मोचन किश्त जो कि संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर के संबंध में कंपनी द्वारा जारी किया गया लेकिन निधि दवाब के कारण उसका भुगतान नहीं किया गया।				
31 मार्च, 2006 से 31 मार्च, 2010 तक मोचन किश्त देय 7.00%, रु. 2000 लाख का अधिमान शेयर		0.00		0.00

टिप्पनणी सं. 20

चालू प्रावधान

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
कराधन के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	0.00		0.00	
घटाएं : पूर्व वर्ष के लिए प्रावधान का समायोजन	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
उपदान के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	10756.06		9678.61	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	900.38		1077.45	
घटाएं : उपदान न्यास में अंतरण	210.00		0.00	
जोड़े : उपदान न्यास से अंतरण	7171.33		343.76	
जोड़े : निगमित से अंतरण	0.00		0.00	
घटाएं : भुगतान	7171.33		343.76	
कुल		11446.44		10756.06
अर्जित अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1676.66		633.29	
घटाएं: निगम को अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	1557.70		1769.24	
घटाएं : भुगतान	1226.32		725.86	
कुल		2008.05		1676.67
रूग्णवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3.76		2.05	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	(2.30)		1.71	
घटाएं : अदायगी	0.00		0.00	
कुल		1.46		3.75
लंबी दूरी के लिए रियायती यात्रा भत्ता				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	267.11		294.72	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान का उत्क्रमण	(22.83)		(25.27)	
घटाएं : भुगतान	35.65		2.33	
कुल		208.64		267.11
कुल योग		13664.58		12703.60

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 21				
अन्य चालू देयताएँ				
अग्रिम में आय प्राप्त	0.00		0.00	
शुल्क और कर	2872.50		3744.96	
ग्राहकों से अग्रिम	103169.31		56565.98	
कुल		106041.80		60310.94
टिप्पणी संख्या 22				
परिचालन से राजस्व				
i) उत्पादों की बिक्री (जीएसटी का निवल)				
तैयार माल की बिक्री	15135.72		5400.77	
व्यापार माल की बिक्री	20795.24		12698.37	
कुल		35930.96		18099.14
ii) सेवाओं की बिक्री		200287.31		187787.72
iii) अन्य प्रचालन राजस्व :				
क) स्क्रैप की बिक्री	0.00		0.00	
ख) डीएलआरसी परियोजना से आय	0.00		0.00	
ग) गैर-प्रतिस्पर्धा शूल्क	0.00		0.00	
घ) सहायता-राजस्व में अनुदान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल योग		236218.27		205886.86

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
मुख्य शीर्षक अंतर्गत बिक्री		
1. एनपीआर	0.00	0.00
2. इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपस्कर	684.30	458.43
3. एमएलएलएन	0.00	0.19
4. सिम कार्ड	0.00	0.00
5. संचरण उपस्कर	0.00	0.00
6. टेलीफोन	13.78	4.09
7. जी-पॉन	60.79	16.67
8. डीडब्ल्यूडीएम	0.00	0.00
9. सोलर पैनल	105.10	217.88
10. एसडब्ल्यूएएन	0.00	0.00
11. एपीडीआरपी	0.00	0.00
12. आईटी उत्पाद	5317.03	7316.96
13. एनजीएन	0.00	0.00
14. एनएफ एस	601.95	637.38
15. एस्कॉन	0.00	0.00
16. रक्षा	42.58	323.81
17. स्मार्ट ऊर्जा मीटर	0.00	1014.89
18. बीबीडब्ल्यूटी	0.00	0.00
19. एचडीपीई पाइप	3002.48	2199.20
20. ओएफ सी	1461.43	0.00
21. महानेट	3218.52	0.00
22. वाई फाई हॉटस्पॉट	0.00	23.65
23. गुजनेट	0.00	0.00
24. बीएनजी	0.00	0.00
25. डीडीओएस	0.00	0.00

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
26. मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	420.40	1087.32
27. सीसीएमएस	808.95	0.00
28. मोबाइल शोरूम	116.68	223.71
29. एमसीईयू	5567.04	0.00
30. वाई फाई एक्सेस प्वांइट	0.00	0.00
31. आईपी इन्क्रीपटर एमएचए	1731.01	0.00
32. एलईडी स्ट्रीट लाईट	770.43	0.00
33. फेस शील्ड	422.80	0.00
34. स्मार्ट पार्सल	0.00	0.00
35. कम्पोनेंट	0.00	0.00
36. स्मोर्ट कार्ड	8.64	0.00
37. वेंटीलेटर / मेडिकल	1696.70	0.00
38. एस्कॉन फेज़ IV	0.00	0.00
39. ऐयरटेल एफटीटीएच	3.77	0.00
40. भारतनेट अंडमान	2055.47	0.00
41. राज्य सरकार	2257.60	4231.54
42. अन्य	5563.52	343.42
कुल	35930.96	18099.14
मुख्ये शीर्ष के अंतर्गत सेवाएँ से लाभ		
1. एएमसी	3309.39	5237.23
2. एसएसटीपी	18.72	18.33
3. एनपीआर	0.00	0.00
4. एसईसीसी	0.00	0.00
5. डाटा सेंटर	1542.67	1491.23
6. आईटी	1084.01	594.98
7. एसडब्ल्यूएएन	0.00	0.00
8. जीएसएम	3143.41	3429.43
9. एनएफएस	9981.24	18938.79
10. जी-पॉन	47.49	89.84
11. एस्कॉन	5908.12	7202.16
12. रक्षा	831.41	267.51
13. एनजीएन	353.56	515.38
14. बीबीडब्ल्यूटी	0.00	0.00
15. महानेट	122570.14	52304.26
16. वाई-फाई हॉटस्पॉट	62.52	223.94
17. गुजनेट	10336.51	90701.83
18. बीएनजी	574.31	178.98
19. डीडीओएस	0.00	0.00
20. एमएलएलएन	49.05	87.17
21. सीसीएमएस	87.36	653.56
22. ई-निविदा	2262.12	3806.98
23. एसएमपीएस, कौशल विकास	244.62	0.00
24. फाइबर नेटवर्क	99.78	(1701.41)
25. रेलवे	394.61	388.14
26. एनएमएस	110.62	(755.86)
27. ई-गवर्नेंस	26.85	0.00
28. ओसीबी	0.00	0.00
29. टीपीए	937.83	0.00
30. आधार	323.94	0.00
31. टेलीकॉम टेस्टिंग	55.62	0.00
32. ऐयरटेल एफ टीटीएच	56.60	0.00
33. भारतनेट अंडामान	236.73	0.00
34. एस्कॉन फेज़ IV	32839.67	0.00
35. अन्य	2798.40	4115.25
कुल	200287.31	187787.72

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
विदेशी मुद्रा में आय				
माल के निर्यात का एफओबी के आधार पर गणना	0.00		0.00	
रॉयल्टी , तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	0.00		0.00	
ब्याज और लाभांश	0.00		0.00	
सेवाएँ	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
टिप्पणी संख्या : 23				
अन्य आय				
क) आय पर ब्याज				
i) अंतर कार्यालय अग्रिम पर ब्याज	0.00		0.00	
ii) ब्याज अन्य	1160.60		1571.14	
कुल		1160.60		1571.14
ख) गैर-व्यापार निवेश से लाभांश		0.00		0.00
ग) निवेश के बिक्री से निवल लाभ / हानि		0.00		0.00
घ) अन्य गैर-प्रचालन आय (एसी आय के कारण निवल खर्च)				
i) परिसंपत्ति के बिक्री से लाभ	0.00		50.64	
घटाएं : पूँजीगत खाते का आरक्षण	0.00		0.00	
कुल	0.00		50.64	
ii) कमीशन	0.00		0.00	
iii) किराया	2172.64		2105.31	
iv) पट्टे का किराया	309.15		309.15	
v) परिवाहन प्रभार	0.04		0.00	
vi) रद्दी की बिक्री	339.32		558.68	
vii) जल प्रभार / विद्युत प्रभार	6.22		5.87	
viii) जब्त बैंक गारंटी	0.00		0.00	
ix) अतिरिक्त वापस लिया हुआ प्रावधान	426.59		0.00	
x) वीआरएस की प्रतिपूर्ति	0.00		0.00	
xi) गैर जरूरत देनदारियों की वापसी	2043.71		4407.04	
xii) परिनिर्धारित हानि की छूट	0.23		62.55	
xiii) श्रीनगर की हानि की क्षतिपूर्ति	0.00		0.00	
xiv) ब्याज प्रभार पर छूट	0.00		0.00	
xv) अनुदान सहायता से स्थानांतरण	0.00		0.00	
xvi) राजस्व अनुदान सहायता वीआरएस	6695.30		439.33	
xvii) राजस्व अनुदान सहायता अन्य	0.00		8540.00	
xviii) पूंजीगत सहायता अनुदान से स्थानांतरण	0.00		0.00	
xix) एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा	2810.64		128.67	
xx) विविध आय	166.26		210.96	
कुल (i से xx)		14970.11		16818.20
ङ) निवेश का कैरिंग वैल्यू के लिए समायोजन (प्रतिलेखन)		0.00		0.00
च) पिछले साल से संबंधित अनुदान		0.00		0.00
छ) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेन-देन पर निवल लाभ / हानि (वित्तीय लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		6.63		0.00
कुल योग		16137.35		18389.34

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए

*पिछले वर्ष के दौरान दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.), भारत सरकार ने कर्मचारियों जिन्हें वी.आर.एस. / वी.एस.एस. दिया गया या जिनका वी.आर.एस. / वी.एस.एस. दिनांक 30.6.2018 को कार्यवाही के तहत था, के भविष्य निधि की देयता को पूरा करने के लिए कंपनी को 8540 लाख रुपये का अनुदान आवंटित किया है जिसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया डी.ओ.टी. ने अपने पत्र दिनांक 31 दिसंबर 2019 द्वारा सूचित किया है कि कंपनी अपने संसाधनों से सांविधिक देयों की अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 8540 करोड़ रुपये के आवंटन को हिसाब में ले जिसकी प्रतिपूर्ति डी.ओ.टी. द्वारा की जाएगी । भारतीय ए.एस. 20 के अनुसार, इस राशि को 8540 लाख रुपये के अनुदान में आय के रूप में निर्धारित किया गया है ।

*वर्ष के दौरान कम्पनी को दक्षिण-पश्चिम रेलवे द्वारा बेंगलूरू में भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण किए जाने के प्रति 2908.02 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का पत्र प्राप्त हुआ था । 2796.34 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि का आकलन भूमि की उस लागत को घटाकर किया गया है जो बेंगलूरू में अधिगृहित की गई भूमि के कुल क्षेत्र के आधार पर बेंगलूरू में कम्पनी के स्वामित्व वाली भूमि के कुल क्षेत्र के कुल वहन मूल्य के समानुपात में है तथा इस अतिरेक को विशिष्ट आय माना गया है ।

टिप्पणी संख्य 24

कच्चे माल तथा उत्पादन भंडार की खपत

आरंभिक स्टॉक	7970.89		8880.93	
जोड़े : पुनरीक्षण के कारण पूर्व अवधि समायोजन	0.00		0.00	
क्रय / स्थानांतरण	17901.53		8279.81	
स्थापना और अनुरक्षण के लिए सामग्री	0.00		0.00	
कुल		25872.42		17160.74
घटाएं :				
अंतिम स्टॉक	8483.93		7970.89	
राजस्व एवं अन्य को निर्गम	(182.83)		282.56	
सामग्री अन्य यूनिटों में स्थानांतरण	0.00		0.00	
कुल		8301.10		8253.45
जोड़े : भंडार से संबंधित भंडार अप्रत्यक्ष व्यय		(6.38)		(3.61)
उपभोग		17564.94		8903.67

मुख्य शीर्षक जिनके अंतर्गत कच्चे माल का खपत होता है विवरण

विवरण

1. इलेक्ट्रॉ निक माल और घटक	17630.13		9113.06	
2. एमएनआईसी	60.92		31.76	
कुल		17691.03		9144.82
सीआईएफ आधार पर आयातित वस्तुओं का मूल्य				
कच्चे माल और उत्पादन भंडार		1697.18		3183.51
घटक और अतिरिक्त पुर्जे		0.00		0.00
मार्गस्थ सामग्री		0.00		0.00
पूँजीगत माल		274.83		1214.87
कुल		1972.01		4398.38

आयातित कच्चे माल का मूल्य, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत और स्वदेशी वस्तुओं की खपत और कुल खपत में प्रत्येक की प्रतिशतता

	2020-21		2019-20	
विवरण	?Lakhs	%	?Lakhs	%
आयातित	2093.87	11.84	3242.28	35.45
स्वदेशी	15597.18	88.16	5902.52	64.55
कुल	17691.05	100.00	9144.80	100.00

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी संख्याच 25		
व्यापार में स्टॉक की खरीद	27012.54	41867.91
मुख्य शीर्षक के तहत खरीदे गए सामान		
विवरण		
1. टेलीफोन	0.00	0.00
2. एसटीएम	0.00	0.00
3. डीडब्ल्यूडीएम	0.00	0.00
4. सोलर	57.19	848.60
5. एसएसटीपी	0.00	0.00
6. सीडीएमए	0.00	0.00
7. एसएमपीएस	0.00	61.45
8. एस्कॉन	0.00	0.00
9. जीएसएम	0.00	0.00
10. आईटी	8475.81	6660.68
11. एपीडीआरपी	0.00	0.00
12. एनजीएन	0.00	0.00
13. स्मार्ट ऊर्जा मीटर	0.00	0.00
14. सौर पेनल	0.00	0.00
15. महानेट	2904.68	0.00
16. वाई-फाई हॉटस्पॉट	0.00	20.10
17. गुजनेट	3677.15	27536.41
18. बीएनजी	0.00	0.00
19. डीडीओएस	0.00	0.00
20. मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	30.42	0.00
21. सीसीएमएस	0.00	0.00
22. मोबाइल शोरूम	114.85	223.04
23. एमएलएलएन	0.00	0.00
24. एसईएम (एनईटी)	0.00	0.00
25. मिनी पीसी	0.00	0.00
26. ओएफसी	1333.86	0.00
27. ओएनटी/ओएलटी	0.00	122.65
28. एमसीईयू	0.00	0.00
29. वाई फाई एक्सेएस प्वाईट	0.00	0.00
30. आई पी इन्क्री पटर्स एमएचए	0.00	0.00
31. एलईडी स्ट्रीट लाईट	872.65	0.00
32. फेस शील्ड	19.84	0.00
33. स्मार्ट पार्सल	0.00	0.00
34. कॅम्पोनेन्टकस स्क्रीनिंग	0.00	0.00
35. स्मार्ट कार्ड	0.00	0.00
36. वेंटीलेटर / मेडिकल डिवाइसेस	1566.91	0.00
37. एस्कॉन फेज़ IV	3044.44	0.00
38. ऐयरटेल एफटीटीएच रोलऑउट	3.15	0.00
39. भारतनेट अंडमान एवं निकोबार	0.00	0.00
40. राज्य सरकार	0.00	4232.89
41. अन्य	4911.59	2162.09
कुल	27012.54	41867.91

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 26				
तैयार माल की वस्तु सूची में परिवर्तन, प्रक्रियाधीन कार्य और व्यापार में स्टॉक				
प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)				
प्रक्रियाधीन उत्पादन :				
इति शेष	7375.41		7851.61	
घटाएं : अथ शेष	7851.61		3718.24	
कुल	(476.20)		4133.37	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		(476.20)		4133.37
प्रक्रियाधीन कार्य संस्थापन :				
इति शेष	0.00		0.00	
घटाएं : अथ शेष	0.00		0.00	
कुल	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
विनिर्मित घटकों में वृद्धि / (ह्रास)				
इति शेष	2132.56		1137.55	
घटाएं : अथ शेष	1137.55		970.79	
कुल	995.02		166.76	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		995.02		166.76
प्रक्रियाधीन कार्य संस्थापन :				
इति शेष	0.00		0.00	
घटाएं : अथ शेष	0.00		0.00	
कुल	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप/ संस्थापन में प्रभाव	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)				
व्यापार में स्टॉक:				
इति शेष	2167.11		1830.98	
घटाएं : अथ शेष	1830.98		2172.71	
कुल	336.13		(341.73)	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		70.67	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		336.13		(271.06)
रद्दी का स्टॉक				
इति शेष	0.00		0.00	
घटाएं : अथ शेष	0.00		0.00	
जोड़े : पूर्व अवधि समायोजन	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल योग		854.95		4029.07

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्य 27				
कर्मचारी हित पर व्यय:				
i) **वेतन और मजदूरी :**				
वेतन और मजदूरी	17124.26		16798.71	
घटाएं : अन्य राजस्व लेखा	0.00		0.00	
कुल	17124.26		16798.71	
बोनस	9.23		1.87	
वेतन संशोधन बकाया भुगतान	0.00		0.00	
प्रोत्साहन	10.85		48.55	
कुल		17144.34		16849.13
ii) **भविष्य निधि और अन्य निधियों को कंपनी का अंशदान :**				
भविष्यि निधि और पेंशन निधि	1912.01		2074.80	
कर्मचारी राज्य बीमा	12.75		7.99	
उपदान न्यास निधि	900.38		1077.44	
छुट्टी वेतन - पीएल	(554.05)		1162.24	
रुग्ण अवकास	(0.85)		(5.91)	
जमा बद्ध बीमा / ग्रुप बीमा	33.01		9.12	
कुल		2303.25		4325.68
iii) **कर्मकार और कर्मचारी कल्याण व्यय**				
कल्याण व्यय कैंटीन	286.25		343.37	
कल्याण व्यय शिक्षा	39.86		38.81	
चिकित्सा व्यय	496.27		576.59	
एलटीसी / एलएलटीसी	(20.17)		(24.91)	
वर्दी	3.08		0.36	
अन्य	134.28		156.45	
कुल		939.58		1090.66
iv) **स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना**				
वीआरएस भुगतान		6697.07		443.49
v) **बीमांकिक लाभ / (हानि)**		1959.56		391.77
कुल योग		29043.80		23100.74

संबंधित पार्टी लेनदेन

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों - वेतन और परिलब्धियाँ

नाम	2020-21	2019-20
श्री आर एम अग्रवाल - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	35.63	32.96
श्री शशि प्रकाश गुप्ता - निदेशक (मानव संसाधन)	31.32	30.15
श्री राजीव श्रीवास्तव - निदेशक-वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी (06.01.2020 से प्रभावी)	15.88	5.60
श्री वेंकटेश्वरलू - निदेशक (उत्पा दन)	17.84	6.59
श्री राकेश चंद्र तिवारी - निदेशक विपणन (07.01.2021 से प्रभावी)	3.03	0.00
श्रीमती शनमुगा प्रिया - कंपनी सचिव	11.60	10.73
श्री अलगेशन के - भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	43.75
श्रीमती मालत्ती एम - भूतपूर्व मुख्य वित्त अधिकारी	-	15.92

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट

परिभाषित लाभ योजना

ट्रस्ट द्वारा कर्मचारियों की उपदान निधि योजना परिभाषित लाभ योजना है । दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है । अवकाश नकदीकरण का दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है जो कि अपव्ययी है ।

i. **परिणाम का सारांश**

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्ण अवकाश	
क्र.सं.	परिसंपत्ति / देयता	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,148	21,655	7,277	9,056	58	59
(ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5,701	10,899	--	--	0	--
(ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति / (देयता)	-11,446	-10,756	-7,277	-9,056	-58	-59

ii. **बीमांकिक और जनसांख्यिकीय धारणा**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	छूट दर	6.15	6.31	6.15	6.31	6.15	6.31
(ख)	भविष्य में वेतन वृद्धि	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
(ग)	उम्र के संघर्षण	2.45	0.50	2.45	0.81	2.45	0.50

iii. **योजना दायित्व**

समाप्ति तिथि	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,148	21,655	7,277	9,056	58	56

iv. **सेवा लागत**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	वर्तमान सेवा लागत	536	673	296	316	2	2
(ख)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	--	--	--	--	0	--
(ग)	गैर दिनचर्या निपटान पर लाभ या हानि	--	--	--	--	0	--
(घ)	कुल सेवा लागत	536	673	296	316	2	2

v. **निवल ब्याज लागत**

	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	1,366	1,502	571	631	4	5
(ख)	योजना परिसंपत्ति पर ब्याज आय	688	774	--	--	0	--
(ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	679	728	571	631	4	5

vi. **लाभ दायित्व में परिवर्तन**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	अवधि की प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,655	20,525	90,056	8,619	59	65
(ख)	अधिग्रहण समायोजन	--	--	--	--	0	0
(ग)	ब्याज लागत	1,366	1,502	571	631	4	5
(घ)	सेवा लागत	536	673	296	316	2	2
(ड)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	--	--	--	--	0	--
(च)	लाभ का भुगतान	-7,171	-344	-1,008	-721	0	--
(छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	761	-702	-1,638	211	-7	-13
(ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,148	21,655	7,277	9,056	58	59

vii. **दायित्व पर वास्तविक लाभ / हानि का विभाजन**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	130	-215	65	-84	0.6	-1
(ख)	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	77	-1,265	36	-640	0.3	-4
(ग)	अनुभव समायोजन होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	554	778	-1740	935	-7.8	-8

viii. **परिसंपत्ति योजना पर बीमांकिक लाभ/हानि**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	अपेक्षित ब्याज आय	688	774	--	--	--	--
(ख)	योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	1764	663	--	--	--	--
(ग)	वर्ष के संपत्ति पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	1076	-112	--	--	--	--

ix. **तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,148	21,655	7,277	9,056	58	59
(ख)	योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	5,701	10,899	--	--	--	--
(ग)	तुलन पत्र में अपव्यी दायित्व / प्रावधान	-11,446	-10,756	-7,277	-9,056	-58	-59

x. **आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	कुल सेवा लागत	536	673	296	316	2	2
(ख)	निवल ब्याज लागत	679	728	571	631	4	5
(ग)	अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	0	0	-1,638	211	-7	-13
(घ)	आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,215	1,401	-771	1,158	-1	-6

xi. **अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	निवल संचयी न पहचाना गया लाभ/(हानि) खोलना	--	--	--	--
(ख)	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-761	702	--	--
(ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	1076	-112	--	--
(घ)	वर्ष में न पहचाना गया बीमांकिक लाभ/(हानि)	315	590	--	--

xii. **परिसंपत्ति योजना में परिवर्तन**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	10,899	10,581	--	--	--	--
(ख)	योजना संपत्ति पर वास्तविक वापसी	1,764	663	--	--	--	--
(ग)	नियोक्ता योगदान	210	--	--	--	--	--
(घ)	लाभ का भुगतान	-7,171	-344	--	--	--	--
(ड)	अवधि के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	5,701	10,899	--	--	--	--

xiii. **योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों का प्रतिशत)**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	भारत सरकार की प्रतिभूतियों	--	--	--	--	--	--
(ख)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों	--	--	--	--	--	--
(ग)	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड	--	--	--	--	--	--
(घ)	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	--	--	--	--	--	--
(ड)	परिसंपत्ति	--	--	--	--	--	--
(च)	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित धन	100%	100%	--	--	--	--
(छ)	बैंक शेष	--	--	--	--	--	--
	कुल	100%	100%	--	--	--	--

xiv. **निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन योजना**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	10,756	9,945	9,056	8,619	59	65
(ख)	अधिग्रहण समायोजन	--	--	--	--	0	--
(ग)	कुल सेवा लागत	536	673	296	316	2	2
(घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	679	728	571	631	4	5
(ड)	पुनः माप	-315	-590	-1,638	211	-7	-13
(च)	निधि के लिए योगदान का भुगतान	-210	--	--		0	--
(छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान लाभ	--	--	-1,008	-721	0	--
(ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	11,446	10,756	7,277	9,056	58	59

xv. **चालू और गैर-चालू वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	4,754	4,010	2,008	1,677	1	4
(ख)	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	12,394	17,645	5,269	7,379	56	55
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	17,148	21,655	7,277	9,056	58	59

xvi. **अक्षली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	सेवा लागत	490	637	246	284	15	6
(ख)	निवल ब्याज लागत	704	679	448	571	4	4
(ग)	अ गली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	1,194	1,316	694	855	19	10

xvii. **परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण।**

क) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर		31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021
क्र.सं.	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,148	7,277	58
(क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	- 228	- 109	- 1
(ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	235	111	1
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर				
क्र.सं.	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,148	7,277	58
(क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	234	116	1
(ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	- 231	- 113	- 1

xviii. **परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल।**

क्र.सं.	वर्ष	राशि	राशि	राशि
(क)	0 से 1 वर्ष	4,754	2,008	1
(ख)	1 से 2 वर्ष	3,382	1,435	10
(ग)	2 से 3 वर्ष	2,640	1,061	10
(घ)	3 से 4 वर्ष	1,765	705	9
(ड)	4 से 5 वर्ष	1,477	634	8
(च)	5 से 6 वर्ष	1,153	478	9
(छ)	6 साल बाद	1,976	955	9

xix. **परिणाम का सारांश**

क्र.सं.	परिसंपत्ति / दायित्व	31/03/2021	31/03/2020
(क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	209	267
(ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	--	--
(ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्तियाँ / (दायित्व)	-209	-267

xx. **बीमांकिक एवं जनसांख्यिकीय धारणाएँ**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020
(क)	छूट दर	6.15	6.31
(ख)	भविष्य में वेतन वृद्धि	2.00	2.00
(ग)	उम्र के संघर्षण	2.45	0.50

xxi. **बीमांकिक मूल्य**

अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य (31.03.2019)	209	267

xxii. **कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020
(क)	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	54	47
(ख)	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	155	221
(ग)	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	209	267

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 28				
वित्तपोषण लागत				
i) व्याज व्यय				
नकद ऋण	11965.69		10655.11	
सार्वजनिक जमा	0.00		0.00	
बांड	0.00		0.00	
अवधि ऋण	0.00		0.00	
अन्य	2456.06		1984.02	
ii) बैंक प्रभार	1537.42		1356.02	
iii) सरकारी गारंटी शुल्क	0.00		0.00	
iv) बांड / ऋण जारी करने में व्यय	0.00		0.00	
v) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेनदेन से निवल लाभ/हानि	0.00		70.74	
कुल		15959.18		14065.89
पीएफ से ट्रस्ट में विलंबित भुगतान पर ब्याज सहित अन्य ब्याज व्यय				
टिप्पणी संख्या 29				
मूल्यसह्रास और ऋणमुक्ति व्यय :				
स्थाई परिसंपत्ति	4183.50		4189.16	
औजर और गेज	1.34		0.04	
कुल	4184.84		4189.20	
घटाएं : पूनर्मूल्यांकन आरक्षित से स्थानांतरण	-		0.00	
निवल मूल्य ह्रास		4184.84		4189.20
टिप्पणी संख्या 30				
अन्य व्यय				
डीआरई बट्टे खाते में डाले गए		0.00		0.00
वीआरएस व्यय		0.00		0.00
विनिर्माण व्यय :				
भंडार और पुर्जों की खपत		126.58		241.14
पावर और लाइट		1512.63		1447.55
जल प्रभार		395.42		220.57
उत्पाद शुल्क		0.00		0.00
रखरखाव और मरम्मत :				
I) प्लांट मशीनरी और उपस्कर	214.23		221.83	
ii) वाहन	83.58		40.74	
iii) भवन	1128.65		678.66	
iv) अन्य उपस्कर	112.39	1538.85	80.08	1021.30
लागत और औजारों पर व्यय		-		0.00
प्रयोगात्मक कार्य और प्रशिक्षण पर व्यय		16.92		35.50
लघु उपस्कर और कार्य पर व्यय		13.23		2.53
रॉयल्टी		-		0.00
कबाड़ और रद्दी		-		0.11
फैक्ट्री व्यय		789.37		456.22
टीओटी प्रभार :				
i) तकनीकी सहायता	0.00		0.00	
ii) तकनीकी जानकारी शुल्क	0.00		0.00	

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
iii) प्रलेखन प्रभार	0.00		0.00	
iv) प्रशिक्षण सहायता	0.00		0.00	
v) अन्य	(5.05)	-5.05	(31.70)	-31.70
परिनिर्धारित नुकसानी		1388.93		1554.98
विलंब शुल्क प्रभार		-		10.85
विदेशी मुद्रा अनुवाद और संचालन में निवल लाभ / हानि (वित्त लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		-		0.00
कुल विनिर्माण व्यय		5776.88		4959.04
प्रशासनिक व्यय :				
किराया	196.42		246.97	
दर और कर	1100.14		120.46	
बीमा	76.26		45.40	
यात्रा व्यय				
अंतर्देशीय	236.92		385.75	
विदेशी	0.00		0.10	
कानून शुल्क	167.67		214.30	
डाक, टेलीग्राम, टेलेक्स व्यय	30.50		29.11	
टेलीफोन और ट्रंक-कॉल देय	76.08		72.13	
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखापरीक्षा शुल्क	30.88		23.35	
कराधान मामले के लिए	0.15		0.76	
कॅम्पनी कानून मामलों के लिए	0.00		0.00	
प्रबंधन सेवाओं के लिए	0.00		2.80	
प्रतिपूर्ति व्यय के लिए	0.16		0.27	
अन्य सेवाओं के लिए	0.82		1.49	
सीआईएसएफ / निजी सुरक्षा व्यय	916.19		1009.12	
मुद्रण और स्टेशनरी और नकल प्रभार	54.09		70.93	
परिवहन व्यय	268.02		480.44	
समाचार पत्र, पत्रिका और पत्र-पत्रिकाएं	19.15		21.42	
यंत्रीकृत लेखा व्यय	0.18		0.16	
पट्टा प्रभार	0.00		0.00	
लाइसेंस शुल्क / खण्ड प्रभार	1.04		2.86	
सीएसआर व्यय	6.36		64.00	
कार्यालय व्यय	749.22		607.79	
कच्चे माल भंडार के अप्रचलन के लिए प्रावधान	0.00		305.74	
अप्रचलित कच्चा माल और उत्पादन भंडार बट्टे खाते में डाले गए	0.00		40.44	
प्रक्रियाधीन कार्य के पूँजीगत बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
देनदार / अग्रिम के लिए प्रावधान	203.07		559.78	
अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डाले गए	8.70		242.60	
दावे एवं व्यय बंद प्रभारी	989.51		338.00	
परिसंपत्तियों की बिक्री के कारण हानि	0.00		0.00	
अवसूलीय उत्पादन शुल्क / विलंब शुल्क / जुर्माना / ब्याज	120.74		0.00	
रखरखाव हेतु राशि का समायोजन के लिए निवेश	0.00		0.00	
बिक्री के कारण होने वाली निवल हानि के लिए निवेश	0.00		0.00	
कुल प्रशासन व्यय		5252.26		4886.16

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
विक्रय व्यय				
विक्रय एजेंसी कमीशन	0.02		6.16	
विज्ञापन व्यय	25.56		24.69	
प्रदर्शनी और प्रचार व्यय	2.58		5.20	
पैकिंग व्यय	1.08		1.74	
अग्रेषण व्यय	26.04		154.04	
प्रदत्त छूट	0.00		0.00	
आश्वस्ति व्यय	1.96		1.02	
विक्रय बढ़ोतरी व्यय	4.25		38.29	
मनोरंजन व्यय	0.56		0.87	
निविदा प्रपत्र की लागत	0.38		1.60	
कुल विक्रय व्यय		62.43		233.61
कुल अन्य व्यय		11091.57		10078.81

सी-डॉट के पर्याप्त देय राशि को ध्यान में रखते हुए रॉयल्टी पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।

(यह राशि रॉयल्टी की राशि से ज्यादा है) क्यों कि सी-डॉट द्वारा पट्टे पर लिए गए भवन का किराया लंबे समय से बकाया है।

बैक-टू-बैक व्यवस्था होने की दशा में, परिनिर्धारित नुकसान की गणना निवल आधार पर की जाएगी।

विदेशी मुद्रा में व्यय :				
रॉयलटी	0.00		0.00	
जानकारी	0.00		0.00	
वृत्तिक / परामर्श शुल्क	0.00		0.00	
ब्याज	0.00		0.00	
अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00

टिप्पणी संख्या : 31

निगमित सूचना :

1 आईटीआई लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है जो कि भारत की स्थायी और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समाविष्ट है। कंपनी मुख्य रूप से दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण, सेवा और बिक्री के कारोबार में लगी हुई है।

2 वर्ष 2003-04 के दौरान डीआरडीओ को 2600 लाख रु. की बेची गई परिसंपत्ति के लिए बिक्री नामे का निष्पादन एवं पंजीकरण पर कार्रवाई की जा रही है।

3 16500 करोड़ रुपये की राशि 2014-2015 के दौरान वेतन संशोधन बकाया राशि प्राप्त हुआ है। 15466.48 लाख रुपये का भुगतान वेतन संशोधन बकाया राशि के रुप में और शेष राशि 1033.52 लाख रुपये का मौजूदा देनदारियों के तहत रखा गया है।

4 लेनदारों, देनदारों के खातों में शेयर राशियाँ, ग्राहकों से अग्रिम, कुछ बैंक खाते, वसूली योग्य दावे, ऋण और अग्रिम, फैब्रिकेटरों, उप-ठेकेदार / अन्य के पास सामग्री, मार्गस्थ सामग्री, जमा राशियों, ऋण, जीएसटी, जमा और अन्य देनदारियाँ जो पुष्टि / समाधान के अधीन हैं। हालांकि प्रबंधन की राय में, यदि सामान्य व्यवसाय के दौरान महसूस किया गया हो, व्यापार प्राप्तियाँ, मौजूदा संपत्ति, ऋण और अग्रिम के रूप में व्यक्त किए गए है।

5 कंपनी मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और दूरसंचार उपकरणों की सर्विसिंग के कारोबार और सहायक सेवाओं के प्रतिपादन के व्यवसाय में लगी हुई है और अलग से रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है। कंपनी को मुख्य रूप से एक ही भौगोलिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जो भारत में काम कर रही है। कंपनी रक्षा परियोजनाओं में भी लगी हुई है। दिनांक 23.02.2018 को अधिसूचित के अनुसार एमसीए ने सेगमेंट रिपोर्टिंग की आवश्यकता से रक्षा उत्पादन में लगे कंपनियों की पहचान की है।

6 क) संबंधित पार्टी प्रकटीकरणों पर लेखाकरण मानक (इंड एएस)24 के अनुसार इंडिया सेटकॉम लि.(आईएसएल) इन संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ निम्न लेन-देन किए गए।

	2020-21	2019-20
माल सेवाओं का खरीद		
माल सेवाओं का विक्रय	0.00	0.00
बकाया रकम :	0.00	0.00
- संबंधित पार्टी से देय	0.00	0.00
- संबंधित पार्टी को देय	0.00	0.00
संबंधित पार्टी से संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	0.00	0.00
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	0.00	0.00

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
ख) कुंजी प्रबंधन कर्मियों को प्रतिपूर्ति भुगतान किया गया। (इंड एएस-24 यथा अपेक्षित)		
श्री आर एम अग्रवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	35.63	32.96
श्री शशि प्रकाश गुप्ता निदेशक (मानव संसाधन)	31.32	30.15
श्री राजीव श्रीवास्तव निदेशक-वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी (06.01.2020 से प्रभावी)	15.88	5.60
श्री वेंकटेश्वरलू निदेशक (उत्पादन)	17.84	6.59
श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक-विपणन (07.01.2021 से प्रभावी)	3.03	0.00
श्रीमती शनमुगा प्रिया कँम्पनी सचिव	11.60	10.73
श्री अलगेसन के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0.00	43.75
श्रीमती मालती भूतपूर्व मुख्य वित्त अधिकारी	0.00	15.92
7 आय प्रति शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए)		
कर पूर्व लाभ	1120.19	14747.84
(-) अधिमान लाभांश	0.00	0.00
लाभांश कर	0.00	0.00
इक्विटी शेयरधारकों को उपलब्ध लाभ	1120.19	14747.84
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	925119508	897000000
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	933522869	925119508
अवधि के दौरान शेयरों का भारित औसत संख्या	926293676	897616318
आय प्रति इक्विटी शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए) बेसिक और तनुकृत (रु. में)	0.12	1.64

8 चूँकि कँम्पनी की पर्याप्त भावी कर योग्य आय की कोई यथार्थ अवधारणा नहीं है, भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)-12 आयकरों के अंतर्गत अनवशोषित मूल्यह्रास और कँम्पनी के अग्रेषित हानि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को नहीं लिया जा रहा है।

9 **संयुक्त उद्यम;**

इंड एएस 28 के अनुसार संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

(क) इंडिया सैटकॉम लिमिटेड

सं.2, काडुगोडी इंडस्ट्रियल एरिया, व्हाईट फिल्ड, बेंगलूरु-67

कँम्पनी की इक्विटी भागीदारी	49%	49%
संयुक्त उद्यम के निगमीकरण का स्थान-जे.वी, भारत		
10 पूँजी खाते में निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की प्राक्कलित राशि जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल)	0.00	0.00
अन्य संविदाओं के संबंध में प्रतिबद्धता नहीं दी गई।	0.00	0.00
11 (क)इनके बारे में प्रासंगिक देयता		
- बकाया साखपत्र एवं गारंटी	158979.28	69168.64
- बिक्री कर मांग / सेवा कर / आय कर	14301.53	14618.63
- अप्राप्त सी/डी फार्म	19929.54	22150.80
- विवादित उत्पाद शुल्क माँग / सेनवेट अस्वीकृति	2225.78	2225.78
- ईएसआई माँग	0.00	0.00
- केवीएटी द्वारा ब्याज और जुर्माने की माँग ।	226.04	226.04
- ऋण के रूप में कँम्पनी के खिलाफ दावा स्वीकार नहीं।	20909.26	6395.02

i) वित्तीय संकट के कारण, भविष्य निधि में योगदान सहित कुछ वैधानिक बकाया राशि के प्रेषण में देरी हुई है। कँम्पनी ने अनुमानित आधार पर देरी के लिए ब्याज प्रदान किया है क्योंकि देय ब्याज/जुर्माने की वास्तविक राशि अनिश्चित है ।

ii) कँम्पनी ने अनुमानित आधार पर पिछले वर्ष के लिए सी/डी फॉर्म जमा नहीं करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बिक्री कर देयता के लिए 19,929.54 लाख रुपये की आकस्मिक देयता का खुलासा किया है । वास्तविक दायित्व वैधानिक रूप के संग्रह और प्रस्तुत करने और कर निर्धारण के समय लागू कर दर को अपनाने के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

iii) कँम्पनी के खिलाफ दावों में से 20909.26 लाख रुपये के ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया जिसमें 13700 लाख रुपये शामिल हैं। मेसर्स अल्फियन कॉरपोरेशन कँम्पनी को जीपॉन से संबंधित अनुबंध के आधार पर बीएसएनएल से 14025 लाख रुपये की वसूली करनी है ।

ख) लंबित मुकदमा :-

i) दावा वसूली- भूमि में 1049.41 लाख रूपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस से एलड्डी देय है। कँम्पनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

ii) विक्रेताओं ने कुल राशि 100.00लाख रूपये कँम्पनी के खिलाफ मामला दर्ज किया जो कि विभिन्न विभागों के समक्ष लंबित है।

iii) विवादित 16753.35 लाख रूपये की वैद्यानिक देनदारियां।

iv) एलईआरसी आईटीआई के अनुमति के बिना आईटीआई भूमि में 5310 वर्गफुट में अस्थायी सड़क उपयोग कर रहा है और यह मामला विचाराधीन है।

v) ब्रुहत बेंगलूरु महानगर पालिका का (बीबीएमपी) ने आईटीआई की अनुमति के बिना आईटीआई भूमि कृष्णाराजपुरम में सड़क का निर्माण, कर्नाटक हाइकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद किया गया जिसका उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता है।

vi) सभी अतिदेय सांविधिक देनदारियों (निर्विवाद सहित) के बकाया और दंड पर संबंधित अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन और निर्धारित किया जा सकता है।

vii) एक कर्मचारी ने कँम्पनी के खिलाफ 39 महीने के वेतन संशोधन बकाया पर 28.28 लाख रुपये के ब्याज का दावा करने के लिए मामला दर्ज किया है और मामला उच्च न्यायालय में लंबित है।

12 पिछले वर्षों देनदारियों से 2043.71 लाख रुपए वापस लिया गया, उसमें पालक्काड इकाई के 1.13 लाख रुपए, मनकापुर इकाई 2010.40 लाख रुपए और 32.18 लाख रुपए क्षेत्रीय कार्यालयों का शामिल हैं ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020

13. प्रयुक्त आयातित कच्चे माल, भंडार और अतिरिक्त पूर्जों का मूल्य तथा प्रयुक्त देशी सामग्री का मूल्य प्रत्येक की प्रतिशतता।

विवरण	2020-21	%	2019-20	%
आयातित	2093.87	11.84	3242.28	35.45
देशी	15597.18	88.16	5902.52	64.55
कुल	17691.05	100.00	9144.80	100.00

14 प्रारंभिक स्टॉक के संदर्भ में सीमा शुल्क तथ्य में देय विभिन्न समायोजनों को ध्यान में रखने के पश्चात प्राप्त स्टॉक में अभिवृद्धि / कमी।

15 रुग्ण औद्योगिक कँम्पनी अधिनियम (एसआईसीए), 1985 के प्रावधानों के अनुसार कँम्पनी एक रुग्ण कँम्पनी है। पुनर्व्यवस्था योजना के अंतर्गत सीसीईए द्वारा आईटीआई के पुनरुद्धार के लिए फरवरी, 2014 में 4156.79 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता के रुप में अनुमोदित की गई। अनुमोदित आर्थिक सहायता के एक हिस्से के रुप में 192 करोड़ रु. इक्विटी शेयर आवेदन के पैसे की दिशा में कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया है और वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान शेयरों को आवंटित किया गया और 2016-17 के वित्तीय वर्ष में शेयर पूंजी के मुकाबले अतिरिक्त रूप से 80 करोड़ रूपये प्राप्त किए गए । वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजी अनुदान सहायता के लिए 337 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, और इसमें से 200 करोड़ रुपए वर्ष 2017-18 के दौरान आबंटित किए गए हैं और वर्ष 2018-19 के दौरान 137 करोड़ रुपये शेष है। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को लंबित आबंटन के लिए 55 करोड़ रुपए प्राप्ते हुआ, जो शेयर आवेदन राशि के रुप में है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कँम्पनी ने 10500 लाख रुपये का पूँजीगत अनुदान प्राप्त किया है। आई.टी.आई. द्वारा प्राप्त 160 करोड़ रुपये (50 करोड़ रु. + 5 करोड़ रु. + 35 करोड़ रु. + 70 करोड़ रु.) की कुल कैपेक्स राशि के लिए, कंपनी ने भारत के राष्ट्रपति को 56.90 रुपये प्रति शेयर (46.90 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक 10 रु. पूर्ण चुकता शेयर) की दर से 2,81,19,508 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। यह आवंटन की तारीख से तीन महीने पहले के प्रचलित बाज़ार दर या औसत शेयर कीमत, इनमें से जो भी कम हो, पर संचार मंत्रालय के आदेश सं. 20-36/2012-एम.ए.सी.II(पी.टी.) दिनांक 06.09.2019 और दिनांक 14.01.2020 के अनुसार किया गया।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कँम्पनी को 10500 लाख रुपये का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ है और कँम्पनी ने 84,03,361 इक्विटी शेयरों को 124.95 रुपये प्रति शेयर (प्रत्येक 10 रुपये प्रति शेयर 114.95 रुपये के प्रीमियम पर पूरी तरह से भुगतान) आवंटित किया है।) भारत के राष्ट्रपति को आवंटन की तारीख से तीन महीने पहले, जो भी कम हो बीआईएफआर आदेश दिनांक 08.01.2013 के साथ संचार मंत्रालय के आदेश संख्या 20-86/2014-एफएसी. II दिनांक 02.08.2019 के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य या औसत शेयर मूल्य पर किया गया था।

कँम्पनी को वीआरएस व्यय के लिए 15500 लाख रुपये भी मिले, जिसमें से 3658.19 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान वीआरएस के लिए खर्च किए गए और वर्ष 2016-17 के दौरान 3350 लाख रुपये का खर्च पूरा करने के लिए इकाइयों / आरओ को स्थानांतरित कर दिया गया और शेष राशि 308.18 लाख वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्थानांतरित किया जाएगा । वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कँम्पनी ने वीआरएस खर्च का भुगतान नहीं किया है, और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कँम्पनी ने 439.33 लाख रुपये के वीआरएस व्यय का भुगतान किया । वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कँम्पनी ने वीआरएस लेने वालों को 6675.00 लाख रुपये दिए और शेष राशि खाते में पड़ी है ।

16 12.15 एकड़ भूमी में से जो बेंगलुरु मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन(बीएमटीसी) को पट्टे के रुप में देना है (जिसका पुनर्मूल्यां कन नहीं किया गया है) 12.15 एकड़ भूमी जो पहले से ही बीएमटीसी के कब्जे में है, भारत सरकार के पट्टे के नियमों व शर्तानुसार अनुमोदन देना है। पट्टे को पहचानित कर किराए को शर्तो के अनुसार अंतिम रुप दिया जाएगा। 285 लाख रु. पूर्व में बीएमटीसी से प्राप्त हो चुकी है जिसको जमा किया गया है।

17 बेंगलूरु संयंत्र द्वारा दावा किए गए आपूर्तिकर्ता पर 1049.41 लाख रुपए के परिसमापन हर्जाना (एलडी), मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और मामला दिल्ली की उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

18 कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड के पास 5 एकड़ भूमि उसके कब्जे में है (जो पुर्नमूल्यांकन नहीं किया गया है) और कोई पट्टा समझौता उसके लिए दर्ज नहीं किया गया है।

19 ईएसआईसी के साथ पट्टा समझौता जुलाई 2016 के महीने में समाप्त हो गया है और पट्टे का नवीकरण समझौते नहीं किया गया है, क्योंकि संशोधित पट्टा किराया ईएसआईसी के साथ फैसला नहीं किया गया है।

20 77 एकड भूमि का मूल्य (लिए जाने वाले मूल्य) से 3850 लाख रुपये है केरल सरकार द्वारा फिर से शुरू और सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के तहत किया गया है, जो तुलन पत्र में दिखाया गया है। भूमि का मूल्य केरल सरकार द्वारा फिर से ग्रहण करना, शीर्ष अदालत से निर्णय लंबित शामिल है ।

21 सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य

कच्चा माल और उत्पादन भंडार	1697.18	3183.51
घटक तथा अतिरिक्त पुर्जे	0.00	0.00
मार्गस्थ सामग्री	0.00	0.00
पूँजीगत माल	274.83	1214.87
कुल	1972.01	4398.38

22 सी-डॉट, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय से 2005-06 से 2010-11 तक 5847.90 लाख रुपये अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। उगाही/वसूली के अनिश्चितता के चलते, सकल किराया राजस्व की पहचान जिसकी कुल रकम 9979.92 लाख रुपये है जो प्रोद्भवन आधार पर वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए है, आस्थगित किया गया है और एएस-18 के अनुरूप है।

23 श्रीनगर यूनिट से संबंधित 7.04 लाख रुपये और 1.66 लाख रुपये क्षेत्रीय कार्यालयो की पूर्व प्राप्य वर्षों के व्यापार प्राप्य का बट्टे खाते ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण			31.03.2021	31.03.2020
24	निष्पादन सूचक – अनुपात			
	– कुल परिसंपत्तियों की विक्रय	अवधि	0.29	0.31
	विक्रय में कर /कुल परिसंपत्तियां शमिल है (निवल स्थाई परिसंपत्तियां+ निवेश+ सकल चालू परिसंपत्तियां)			
	– प्रयुक्त पूँजी से परिचालन लाभ	%	7.06%	12.50%
	कर पूर्व लाभ/(शेयरधारकों की निधियाँ+ ऋण निधियाँ)			
	– विक्रय से लाभ	%	0.43%	6.28%
	(करोपरांत लाभ/शेयर धारकों की निधियां)			

25 वर्ष के दौरान कोविड –19 महामारी के प्रसार और उसके बाद के प्रतिबंधों ने दुनिया भर में कई व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। 31–03–2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कँम्पनी के संचालन/प्रदर्शन पर सामान्य प्रभाव पड़ा। इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तिथि तक उपलब्ध सूचना (आंतरिक, साथ ही बाहरी) के आधार पर, कँम्पनी व्यापार प्राप्तियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की अपेक्षा करती है। कँम्पनी घटनाक्रम, भविष्य के आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण और कँम्पनी के भविष्य के प्रदर्शन पर इसके प्रभाव की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

26 आईटीआई लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, कँम्पनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के आदेश द्वारा की जाती है। महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण निदेशक मंडल की संरचना सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। तथापि, कँम्पनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय के पास प्रक्रियाधीन है।

27 पट्टे की शर्तों और समझौते को अंतिम रूप देने पर संबंधित मंत्रालय से लंबित अनुमोदन, रायबरेली इकाई द्वारा निफ्ट को पट्टे पर दिए गए नवनिर्मित भवन की भूमि पर किराये की आय को मान्यता नहीं दी गई है।

28 कँम्पनी को एक लाख रुपये का क्लेम मिला था। कँम्पनी द्वारा पूर्व में की गई आपूर्ति के खिलाफ एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, हैदराबाद द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च की वापसी के लिए 338 लाख। यह दावा वित्तीय वर्ष 2019–20 में गलती से उपलब्ध नहीं कराया गया था। त्रुटि को 2019–20 के लिए तुलनात्मक राशियों (प्रस्तुत पूर्व अवधि) को पुन: प्रस्तुत करके सुधारा गया है जिसमें लाइन आइटम 'अन्य व्यय' और 'अन्य वित्तीय देनदारियों' के तहत त्रुटि रु। 338 लाख। प्रति शेयर मूल और पतला आय पर प्रभाव नगण्य है।

29 वह ऑकड़े जो ब्रैकेट में दर्शाएं गए हैं, वह श्रणात्मक ऑकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।

30 पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत, फिर से वर्गीकृत और पुनर्कथित किया गया है।

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
एम.सं.208063
स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 22.06.2021

एस. शनमुगा प्रिया
कँम्पनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक–वित्त/मुख्य वित्त अधिकारी

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

आर एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

32 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क. एसोशिएट/संयुक्त उद्यम

उद्यम का नाम	व्यवसाय का स्थान	कँम्पनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		गैर-नियंत्रण हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रमुख गतिविधियां
		मार्च 31, 2021 पर	मार्च 31, 2020 पर	मार्च 31, 2021 पर	मार्च 31, 2020 पर	
इंडिया सेटकॉम लिमिटेड	इंडिया	49%	49%	51%	51%	वीसेट विनिमार्ज एवं सर्वीसिंग

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

ख. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

लाख रुपए में

निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2090-20
श्री आर.एम. अग्रवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	35.63	32.96
श्री शशि प्रकाश गुप्ता निदेशक (मानव संसाधन)	31.32	30.15
श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक-वित्त (15.10.2020 से प्रभावी) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (06.01.2020 से प्रभावी)*	15.88	5.60
श्री डी. वेंकटेश्वरलु निदेशक (उत्पादन)	17.84	6.59
श्री राकेश चंद्र तिवारी निदेशक (विपणन) (07.01.2021 से प्रभावी) *	3.03	0.00
श्रीमती शनमुगा प्रिया कँम्पनी सचिव	11.60	10.73
श्री अलिगेशन के, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.09.2019 तक) *	0.00	43.75
श्रीमती मालती एम भूतपूर्व मुख्य वित्त अधिकारी(05.01.2020 तक)*	0.00	15.92
डॉ. अखिलेश दुबे, स्वतंत्र निदेशक	1.05	0.70
डॉ. के.आर. शनमुगम स्वतंत्र निदेशक	1.35	1.00
श्री मयंक गुप्ता स्वतंत्र निदेशक	1.25	0.85
श्री राजेन विद्यार्थी स्वतंत्र निदेशक	1.35	0.90
श्रीमती आशा कुमारी जयशवाल स्वतंत्र निदेशक*	0.00	1.35
श्री सदय कृष्ण कनोरिया - स्वतंत्र निदेशक*	0.00	0.75
श्री सुरेश चंद्र पांडा - स्वतंत्र निदेशक*	0.00	0.25

**वर्ष का अंश

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के इतर संबंधित परतियों के साथ लेनदेन निम्नानुसार है (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शित है) : -

विवरण	एसोशिएट/संयुक्त उद्यम
	इंडिया सैटकॉम लिमिटेड
माल का क्रय	शून्य
माल की बिक्री	
सेवाएँ प्रदान करना	
प्राप्त सेवाएँ	
प्राप्त किराया (लीज़)	
ब्याज आय	
निवेश पर लाभांश आय	
31.03.2021 पर बकाया ऋण (ब्याज सहित)	
31.03.2021 पर बकाया व्यापार देनदारियाँ	
31.03.2021 पर बकाया प्राप्य व्यापार	
31.03.2021 पर इक्विटी में निवेश	40.55 लाख रु.
31.03.2021 पर बकाया कराया के लिए अग्रिम	शून्य

घ. संबंधित पार्टियों के साथ निपटाए गए सभी लेनदेन सरल रूप में पहुँच के आधार पर है।

ङ. सभी बकाया शेष राशि (ऋण के इतर) असुरक्षित हैं और अगले 6 महीनों के अंदर नकद में प्रतिदेय है। ऋण के बकाया शेष राशि के लिए नीचे टिप्पणी ज का संदर्भ लें।

च. संबंधित पार्टियों को ऋण

शून्य

छ. कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त सहित प्रबंध अनुबंध:-

शून्य

ज. सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन :-

जैसा कि आईटीआई दूरसंचार मंत्रालय (डीओटी) के नियंत्रणाधीन एक सरकारी संस्था है, सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार कँम्पनी ने विवरणात्मक प्रकटीकरण का प्रावधान किया है।

भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार, व्यक्तिगत रूप में महत्वपूर्ण लेनदेन नीचे दिये जाते हैं : -

1. शेयरों की पुनर्खरीद।
2. जारी बोनस।
3. प्रदत्त लाभांश।

झ. उपर्युक्त के अलावा, सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में कँम्पनी के कारोबार का लगभग 96.37%, प्राप्य व्यापार का लगभग 96.63% और ग्राहक के अग्रिम का लगभग 100% हैं।

2020-21 सुख-सुविधाओं पर पूंजीगत व्यय

विवरण	लागत पर सकल निरुद्ध					मल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	31.03.2019 तक	इस वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बेची/रद्द परिसंपत्तियाँ	अंतरण तथा समायोजन	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	इस वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बेची/रद्द परिसंपत्तियाँ	अंतरण तथा समायोजन	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	1	2	3	4	5= 1+2-3-4	6	7	8	9	10= 6+7-8-9	11= 5-10	12
टाउनशीप	1103.77	0.15	0.00	0.00	1103.92	108.91	0.32	0.00	0.00	109.23	994.69	994.86
परिवहन	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.23	0.14	0.00	0.00	6.37	0.63	0.77
चिकित्सा	7.77	0.01	0.00	0.00	7.78	3.57	0.02	0.00	0.00	3.59	4.19	4.20
कैंटीन	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	3.43	0.09	0.00	0.00	3.52	2.93	3.03
स्कूल, क्लब, अडिटोरियम, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप	13.42	0.01	0.00	0.00	13.43	6.03	0.08	0.00	0.00	6.11	7.32	7.39
सब्जी की खेती और उद्यान आदि	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.02
कुल	1138.46	0.17	0.00	0.00	1138.63	128.20	0.65	0.00	0.00	128.85	1009.78	1010.27

2020-21 सुख-सुविधाओं पर राजस्व व्यय

विवरण	टाउनशिप	परिवहन	चिकित्सा	कैंटीन	स्कूल, क्लब ऑडिटोरियम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप	सब्जी की खेती और उद्यान आदि	2019-20	2018-19
वेतन और भत्तेय	4.96	1.23	2.84	1.90	0.17	0.16	11.26	9.04
वर्दी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.41
आपूर्ति एवं अन्य सेवाएँ	0.01	1.11	4.28	2.55	0.15	0.11	8.21	9.84
ऊर्जा, बिजली और जल	1.98	0.12	0.10	0.18	0.05	0.03	2.46	3.52
परिवहन प्रभार	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.86
किराया, दर, कर और बिमा	0.46	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.54	0.60
अनुरक्षण एवं मरम्मजत	1.28	0.29	0.17	0.08	0.02	0.32	2.16	2.05
मूल्यह्रास भवन	0.48	0.01	0.03	0.15	0.10	0.00	0.77	0.46
मूल्यह्रास- संयंत्र मशीनरी उपस्कर और वाहन	0.07	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.68
सामान्य उपरि व्यय	0.01	0.03	0.02	0.03	0.00	0.00	0.09	0.09
	9.25	3.80	7.44	4.90	0.94	0.62	26.95	27.55
घटाएँ :								
वसूली/समायोजन किराया								
ऊर्जा, बिजली और जल	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	17.51
परिवहन प्रभार	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.43
प्रति व्यक्ति शुल्क और अन्य वसूली	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.10
विक्रय राशियाँ	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15
अप्रत्यक्ष व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.28
टाउनशिप, चिकित्सा और कार्यालय प्रयोग के लिए विनिधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18.56	0.08	0.15	0.33	0.00	0.00	19.12	19.47
निवल व्यय	-9.31	3.72	7.29	4.57	0.94	0.62	7.83	8.08
पूंजीगत परिव्ययय पर ब्याज कल्पित	0.14	0.34	0.18	0.17	0.05	0.00	0.88	1.12
कुल व्यय	-9.17	4.06	7.47	4.74	0.99	0.62	8.71	9.20
पिछला वर्ष	-9.23	3.97	8.05	4.81	0.99	0.61	9.20	9.20

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य, आईटीआई लिमिटेड, बेंगलूरु ।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अर्हक मत

हमने आईटीआई लिमिटेड (''कंपनी'') के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र, इसी वर्ष को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य विवरणात्मक सूचना (एतद्द्वारा ''एकल वित्तीय विवरण'' के नाम से संदर्भित) का सार शामिल है जिसमें नैनी, मनकापुर, रायबरेली, श्रीनगर एवं पालक्काड में स्थित कम्पनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित उक्त तिथि को समाप्त वर्ष की विवरणियों का समावेश किया गया है।

हमारे मत और हमें प्रदान की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के अर्हक मत के आधार खंड में वर्णित मामले के प्रभाव के अलावा ऊपर उल्लिखित वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (इंड एएस) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 की अपेक्षाओं के अनुपालन तथा भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त स्थिति के संबंध में कंपनी के क्रियाकलापों एवं वर्ष में उक्त तिथि को समाप्त लाभ एवं कुल विस्तृत आय, इक्विटी परिवर्तन एवं इसके नकदी प्रवाह के विवरण की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति उस विधि से करते हैं जिसकी अपेक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में की गई है।

अर्हक मत का आधार

1. कम्पनी द्वारा 5,847.90 लाख रुपए की राशि का वहन 31.3.2011 को समाप्त अवधि तक पट्टे पर दिए गए परिसरों के प्रति सी-डॉट से किराए के रूप में प्राप्य के रूप में किया जा रहा है। कम्पनी ने इस राशि की क्रेडिट हानि, जिसकी वसूली संदेहास्पद है, के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए हैं । वसूली के प्रति अनिश्चितता के कारण कम्पनी ने आगे की अवधि के देय किरायों के संबंध में भी कोई स्वीकृति नहीं दी है।

2. कम्पनी द्वारा चालू वित्तीय परिसम्पतियां - ऋण के अंतर्गत शामिल निम्नलिखित मदों, जिनकी वसूली भी संदेहास्पद है, के लिए भी क्रेडिट हानि के कोई प्रावधान नहीं किए हैं :-

   i. आईटीआई, एचसीएल एवं एल्काटेल के मध्य किए गए अनुबंध के आधार पर कम्पनी की मनकापुर यूनिट की ओर से व्यय की गई अतिरिक्त राशि के प्रति एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड से प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्य 1690.20 लाख रुपए की राशि।

   ii. निर्णित हर्जाने के रूप में हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड से प्राप्य 1049.41 लाख रुपए ।

तदनुसार, कम्पनी द्वारा यदि उपर्युक्त के संबंध में क्रेडिट हानियों के प्रावधान किए जाते तो वर्ष के दौरान कम्पनी के लाभ एवं निवल चालू परिसम्पत्तियों में 8587.51 लाख रुपए की कमी आती ।

हमने एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा का निर्वाह, कम्पनी अधिनियम की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसरण में किया है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत वर्णन हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व में किया गया है। कॅम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों तथा उनके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत हमारे द्वारा की गई एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार, जिसके अंतर्गत हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, हमने अन्य आचार दायित्वों का अनुसरण इन अपेक्षाओं एवं आचार संहिता में की गई अपेक्षाओं की अनुरूपता में किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

मामले का प्रभाव

हम वित्तीय विवरणों के विभिन्न नोटों (प्रत्येक मद के प्रति संदर्भित) के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इन मामलों के संबंध में हमारे मत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

- व्यापार प्राप्यों, दावों की वसूली, ऋण एवं अग्रिम, व्यापार एवं अन्य देयताओं के शेष पुष्टि/समाधान की शर्त के अध्याधीन हैं। (नोट संख्या 31.4)

- रुग्न औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी एक रूग्न कम्पनी है। पुनर्वास योजना के अंतर्गत आईटीआई लिमिटेड के पुनरूद्धार के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा फरवरी, 2014 में 415679 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है। (नोट संख्या 31.15)

- पट्टा अनुबंध का अंतिमकरण न किए जाने एवं औपचारिक अनुबंध न किए जाने सहित अन्य अनेक विभिन्न कारणों से अंतत: संग्रहण के प्रति अनिश्चतता के विचार से राजस्व स्वीकृति स्थगित करनी पड़ी है।

  - बीएमटीसी - 12.15 एकड़, अतिरिक्त 1.85 एकड़ (नोट संख्या 31.16)

  - केपीटीसी - 5 एकड़ (नोट संख्या 31.18)

  - सी-डॉट - 24.46 एकड़ (नोट संख्या 31.22)

  - एनआईएफटी - नया भवन (नोट संख्या 31.27)

- कम्पनी ने महिला स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) सहित स्वतंत्र निदेशकों के विशिष्ट अनुपात / संख्या की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है। (नोट संख्या 31.26)
- कोविड-19 के प्रभाव के कारण सांविधिक देयताओं का विलंब से भुगतान करने के ब्याज / जुर्माने के लिए प्रावधान (नोट संख्या 31.25)
- भविष्य निधि अंशदान सहित सांविधिक बकाया राशि के विलम्ब से विप्रेषण पर ब्याज/जुर्माने का प्रावधान। नोट संख्या 31.11
- 3850 लाख रुपए के वहन मूल्य की 77 एकड़ माप की भूमि केरल सरकार द्वारा पुन: प्राप्त की गई थी जिसका मामला सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है। (नोट संख्या 31.20)
- रायबरेली यूनिट में मालसूचियों के मूल्यांकन के सिद्धांतों की गलत उपयोज्यता भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार पट्टों के संबंध में किए गए प्रावधान एवं लेखांकन। (शाखा लेखापरीक्षक द्वारा दी गई सूचना के अ नुसार)
- श्रीनगर यूनिट में जीएसटी तंत्र व्यवस्था के अंतर्गत 108.85 लाख रुपए के केन्द्रीय मूल्य संवर्धित कर जमा (कैनवैट) की प्रस्तुति के लिए उचित फार्मों का उपयोग न किया जाना । (शाखा लेखापरीक्षक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)
- मालसूची सम्पतियों के संबंध में तुलन पत्र तिथि को उचित मूल्य का प्रकटीकरण न करना (नोट संख्या 3)

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो चालू अवधि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा से जुड़े हमारे व्यावसायिक निर्धारण के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में इन मामलों पर मत के निर्धारण के लिए हमने समग्र रूप से विचार किया है, तथा ऐसे मामलों के लिए हम अलग से अपनी कोई राय प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। हमारे द्वारा निर्धारित किए गए नीचे प्रस्तुत मामले हमारी रिपोर्ट में सूचित प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
बिल न किया गया राजस्व : बिल न किए गए राजस्व के लेखांकन की स्वीकृति की प्रक्रिया उन लेखांकन नीतियों पर आधारित है जिसमें ग्राहक को आपूर्ति किए गए माल अथवा सेवाओं के संबंध में बीजक / प्रभार अभी निर्मित नहीं किए गए हैं। नियत मूल्य, नियत समय काल के अनुबंध जैसी परियोजनाओं (सेवा / निर्माण अनुबंध), जिनके निष्पादन दायित्वों के प्रति संतुष्टि की स्वीकृति बाद के काल में की जाती है, के संबंध में राजस्व की स्वीकृति कार्य सम्पादन के प्रतिशत की विधि के उपयोग से की जाती है। इनपुट एवं उत्पादकता के मध्य प्रत्यक्ष सम्बद्धता होने के विचार से कार्य निष्पादन की प्रगति का निर्धारण करने के लिए प्रयासों अथवा व्यय की गई लागतों का उपयोग किया जाता है। कार्य निष्पादन के प्रतिशत की विधि के उपयोग के लिए कम्पनी से कुल अनुमानित प्रयासों अथवा व्यय की जाने वाली लागतों के अनुपात में किसी तिथि को वास्तविक प्रयासों अथवा व्यय की गई लागतों का निर्धारण करने की अपेक्षा है। इनपुट एवं उत्पादकता के मध्य प्रत्यक्ष सम्बद्धता होने के विचार से कार्य निष्पादन की प्रगति का निर्धारण करने के लिए प्रयासों अथवा व्यय की गई लागतों का उपयोग किया गया है। कुल प्रयासों अथवा लागतों के अनुमान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं तथा अद्यतन उपलब्ध सूचना पर आधारित परिवर्तनों की पूर्ण अवधि के दौरान प्रस्तुति किए जाने के लिए इनका मूल्यांकन किया जाता है। हमने बिल न किए गए राजस्व की स्वीकृति को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में लिया है क्योंकि अनुबंध की पूर्ण अवधि के दौरान अनुबंध की प्रगति के साथ साथ इसमें प्रयासों अथवा लागतों के अनुमान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं तथा अद्यतन उपलब्ध सूचना के आधार पर ये संशोधन किए जाने के अध्याधीन होते हैं। ऐसे अनुमानों में अंतर्निहित अनिश्चितता होती है जिसके लिए अनुबंध, प्रयासों अथवा व्यय की लागतों की प्रगति एवं अनुबंध के काल के दौरान शेष अनुबंध निष्पादन दायित्वों की पूर्ति के लिए अपेक्षित प्रयासों एवं लागतों पर विचार किया जाना अपेक्षित होता है।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, अन्यों के साथ साथ, निम्नलिखित सहित निर्धारित मूल्य के अनुबंधों की पूर्णता से संबंधित कुल संभावित लागतों अथवा प्रयासों के अनुमानों के संबंध में है : हमने (1) शेष अनुबंध निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों अथवा अपेक्षित प्रयासों अथवा लागतों की समीक्षा एवं (2) किए गए प्रयासों को रिकार्डबद्ध करने के अनाधिकृत परिवर्तनों से बचाव की रिकार्डिंग एवं निर्धारण प्रणालियों से संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए नियंत्रणों प्रभाव्यता की जांच की है। हमने नियत मूल्य अनुबंध के लेखांकन के लिए उपयोग में लाई गई निष्पादन प्रतिशत विधि के एक नमूने का चयन किया है एवं निम्नानुसार निष्पादन किए है: कम्पनी द्वारा व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों की तुलना कम्पनी द्वारा उन महत्वपूर्ण भिन्नताओं को संज्ञान में लेने के लिए व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों के अनुमान के साथ यह मूल्यांकन करने के लिए की है कि क्या अनुबंध की पूर्ति के उद्देश्य से शेष लागतों अथवा प्रयासों के अनुमान लगाने के लिए ऐसी भिन्नताओं पर यथोचित रूप में विचार किया गया है अथवा नहीं किया गया है। बिल न किए गए राजस्व के संज्ञान के लिए तुलन पत्र तिथि तक की गई बिलिंग के साथ कुल राजस्व स्वीकार्य योग्यता एवं तुलनात्मकता की गणन विधि की समीक्षा की है।

एकल वित्तीय विवरणों एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट व्यापार उत्तरदेयता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन एवं शेयरधारकों की सूचना से युक्त सूचना शामिल की जाती है, परन्तु इसमें एकल वित्तीय विवरण एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं होती है।

हमारे मतानुसार, वित्तीय विवरणों में अन्य सूचना को शामिल नहीं होती है तथा इसके संबंध में किसी प्रकार की आश्वासन रूपी अभिव्यक्ति अथवा उसके किसी निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व अन्य सूचना को पढ़ना तथा ऐसा करते हुए अन्य सूचना में वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त की गई जानकारियों अथवा अन्यथा स्वरूप में सामग्रीगत दुर्विवरण की प्रतीति होने पर अन्य सूचना से उसकी तारतम्यता होने अथवा न होने पर विचार करना है।

यदि हमारे निष्पादित कार्य के आधार पर, अन्य सूचना में हमारे निष्कर्ष के अनुसार कोई सामग्रीगत दुर्विवरण प्रतीत होता है तो हम से उसके तथ्य रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

एकल वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन के उत्त रदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले इन स्टैडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त इंड एएस स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

यदि कम्पनी के प्रबंधन की मंशा परिचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कंपनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो प्रबंधन कंपनी के इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान गोइंग कंसर्न के आधार पर कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, एकल वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एकल प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी । सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकती है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एकल के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, हमें व्यावसायिक तौर पर संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:-

- एकल वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना है, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कंपनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन-देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है।

  वस्तुतः एकल वित्तीय विवरणों में अलग-अलग अथवा सामुच्य स्वरूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरणों की वस्तुपरकता की जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इनमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का औचित्यपरक ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन, एवं (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए गए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक प्रमात्रा के गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता सूचित करने के लिए, हमने स्वयं द्वारा समेकित विवरण भी दिया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण भी किया है, जो चालू अवधि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा जिनसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले प्रभावित हो सकते थे। अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है, जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप से प्रभाव पड़ सकता है।

अन्य मामले

हमने कम्पनी के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल मनकापुर, रायबरेली, श्रीनगर, नैनी एवं पालक्काड शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है तथा इन एकल वित्तीय विवरणों (अंतर-यूनिट शेषों एवं संव्यवहारों के अलावा) में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 304598.68 लाख रुपए की कुल परिसम्पतियां एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष की कुल आय 31144.32 लाख रुपए दर्शाई गई है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों ने की है एवं इनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारे मतानुसार, इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों एवं प्रकटीकरणों की सम्बद्धता केवल इन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ही है।

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 (11) के उपबंधों के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) की अपेक्षाओं के अनुसार, हम "अनुलग्नक-क" में आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों का यथा लागू विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

2. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:-

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी।

   (ख) हमारे मतानुसार, कंपनी ने विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है। हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमारे द्वारा विजिट न की गई शाखाओं के पर्याप्त एवं यथोचित विवरण हमें प्राप्त हुए हैं।

   (ग) कम्पनी के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत शाखा कार्यालयों के लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमें भेजी है तथा हमने इस रिपोर्ट के निर्माण के उद्देश्य से उसके संबंध में उचित कार्रवाई की है।

   (घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (ड.) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

   (च) कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुति के अनुसार 31 मार्च, 2020 की यथास्थिति को निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लिए गए अनुसार कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के उपबंधों के अंतर्ग निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

   (छ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की अधिसूचना सूचना जीएसआर 463 (ई) के अनुसरण में निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान कम्पनी के लिए लागू नहीं हैं ।

   (ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता अनुलग्नक-

ख में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दी गई है।

(झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टी करणों के अनुसार हम निम्नानुसार यह रिपोर्ट करते हैं कि:-

I) हमें उपलब्ध करवाए गए रिकार्ड के अनुसार, कँम्पनी ने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में की गई अपनी टिप्पणियों एवं उनके अनुलग्नकों में लम्बित न्यायाधीन मामलों से अपनी वित्तीय स्थिति पर होने वाले प्रभाव का प्रकटीकरण कर दिया है (संदर्भ वित्तीय विवरणों का नोट 31.11 तथा इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक ''क'** का खंड vii (ग))।

ii) सामग्रीगत संभावित हानियों, यदि कोई हों, से संबंधित लागू विधियों अथवा लेखांकन मानकों की अपेक्षाओं के अुसार कंपनी ने डेरियेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए प्रावधान किए हैं।

iii) कम्पनी अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधानों एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित किन्हीं राशियों का अंतरण करने में किसी प्रकार की देरी नहीं की गई है।

(3) हमारे द्वारा कम्पनी की बहियों एवं रिकार्ड के संबंध में की गई उक्त जांचों के संबंध में यथोचित समझी गई एवं हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप निदेशों का अनुसरण करते हुए, अधिनियम की धारा 143(5) के उपबंधों के अंतर्गत अपेक्षित रिपोर्ट की प्रस्तुति, **''अनुलग्नक ग''** में कर रहे हैं।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 22 जून, 2021

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000863एस

हस्ताक्षर/-
गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
सदस्यता संख्या 208063
यूडीआईएन: 21208063एएएएजीडब्ल्यू4851

स्वकतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक-क''

(हमारी आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के एकल वित्तीय विवरणों में स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट शीर्षक के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक)

i. (क) कंपनी द्वारा बंगलौर संयंत्र, एनएस यूनिट तथा बंगलौर की आर एंड डी यूनिट के अलावा जहां रिकार्ड को अद्यतन नहीं किया गया है, पूर्ण विवरण से युक्त उचित रिकार्ड का रखरखाव किया गया है, जिसमें अचल परिसम्पत्तियों का प्रमाणात्मक विवरण एवं उनकी स्थिति दर्शाई गई है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा तीन वर्ष की अवधियों में चरणबद्ध स्वरूप में अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, जो कि हमारे मतानुसार, सत्यापन का नियमित कार्यक्रम है तथा कम्पनी के आकार एवं इसके व्यवसाय की स्थिति को विचार में लेते हुए औचित्यपरक है। ऐसे सत्यापनों से वर्ष के दौरान किसी प्रकार की सामग्रीगत अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। तथापि, बही रिकार्ड से किए गए सत्यापन के तुलनात्मक विवरणों का कोई रिकार्ड सत्यापन के लिए हमें प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) स्थावर सम्पतियों के हक विलेखों के संबंध में पर्याप्त सूचना एवं यूनिटों से संबंधित यथोचित हमारी लेखापरीक्षा के लिए हमें उपलब्ध न करवाए जाने के कारण हम ऐसी कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या ये कम्पनी के नाम धारित हैं अथवा धारित नहीं हैं। हमारे मतानुसार, कम्पनी के नाम धारित न की गई स्थावर सम्पतियों के हक विलेखों का विवरण वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 1 में दिया गया है।

ii. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन ने वर्ष के दौरान नियमित अंतराल के अंतर्गत मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया है। हमारे विचार से सत्यापन की यह बारम्बारता औचित्यपरक है। किसी प्रकार की सामग्रीगत विसंगति रिपोर्ट नहीं की गई है। रायबरेली के शाखा लेखापरीक्षकों के अनुसार वर्ष के दौरान यूनिट में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

iii. हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी कंपनी, फर्म, सीमित दायित्व साझेदारी अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध अन्य पक्षकारों को किसी प्रकार का प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत प्रकार का ऋण अथवा अग्रिम प्रदान नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (iii) (क), (iii) (ख) तथा (iii) (ग) (3) कंपनी के संबंध में लागू नहीं है।

iv. कंपनी ने ऋणों, निवेशों, गारंटियों तथा प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

v. हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकार्डों की जांच एवं हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान जनता से ऐसे कोई जमा स्वीकार नहीं किए गए हैं जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य किसी सम्बद्ध प्रावधान तथा कम्पनी (जमा की स्वीकृति) नियमावली, 2014 के अर्थ के अंतर्गत आते हैं।

vi. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 में किए गए निर्धारण के अनुसार कम्पनी द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों एवं रिकार्डों की हमने वृहद समीक्षा की है तथा हमारा यह मत है कि प्रत्यक्षत: बहियों एवं रिकार्डों का अनुरक्षण किया गया है। तथापि, ऐसे लेखों एवं रिकार्डों की विस्तृत जांच हमसे अपेक्षित नहीं है तथा हमने इनकी विस्तृत जांच नहीं की है।

vii. क. हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे मतानुसार कंपनी ने सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, वस्तु एवं सेवाकर, उप-कर एवं कंपनी के संबंध में लागू अन्य सांविधिक देयताओं सहित गैर-विवादित देयताओं का नियमित भुगतान संबंधित प्राधिकरणों को सामान्यत: नियमित रूप से नहीं किया है;

ख. हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर एवं 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अन्य सांविधिक देयताएं देय होने की तिथि से छ: माह की अवधि से भुगतान के लिए बकाया है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 22 जून, 2021

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000863एस

हस्ताक्षर/-
गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
सदस्यता संख्या 208063
यूडीआईएन: 21208063एएएएजीडब्ल्यू4851

6 माह से अधिक अवधि से बकाया अविवादित सांविधिक देयताओं का विवरण

लाख रु. में

विवरण	बेंगलूरु एवं आरओ की यूनिटें	श्रीनगर	नैनी यूनिट	रायबरेली	मनकापुर	पालक्काड	योग
भविष्य निधि	1833.37	37.02	1723.34	10170.90	8361.34	221.73	22347.70
डब्ल्यूसीटी			8.08				8.08
उत्पाद शुल्क			0.44				0.44
बिक्री कर			1.23	57.13			58.36
स्रोत पर कर कटौती				200.33			200.33
सेवा कर				2417.74			2417.74
योग	1833.37	37.02	1733.09	12846.10	8361.34	221.73	25032.65

(ग) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार विवाद के कारण जमा न करवाए गए आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सांविधिक व्यवस्था का नाम	विवादित देयता का स्वरूप	बकाया राशि (रूपए लाख में) (31.3.2021 की स्थिति के अनुसार)	अवधि, जिससे राशि संबंधित है	किस मंच पर विवाद लंबित है	यूनिट
1.	केन्द्रीय उत्पाद कर, 1944	साफ्टवेयर पर प्रयुक्त शुन्य दर शुल्क के लिए सीई विभाग द्वारा विवादित (200.00 लाख रुपए के पूर्व जमा का निवल)	637.00	2003-2005	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल	बेंगलूरु
2	केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1944	फील्ड ट्रेल के लिए आर एंड डी प्रोटोटाइप माइयूल्स पर ईडी की मांग। स्थगन विस्तारित (पूर्व जमा 30.00 रुपए का निवल)	299.00	2006-2007	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल	बेंगलूरु
3	केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1944	साफ्टवेयर पर प्रयुक्त शुन्य दर शुल्क के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा विवादित (पूर्व जमा 14.00 लाख रुपए का निवल)	497.28	2001-2002 2002 2003	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल	बेंगलूरु
4	केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1944	केन्द्रीय मूल्य संवर्धित कर क्रेडिट	376.00	2007-2008	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल	बेंगलूरु
5	यूपी वीएटी	बिक्री कर	264.89	1986-1989	उत्तर प्रदेश सरकार	मनकापुर
6	यूपी वीएटी	बिक्री कर	15.32	1989-1996	उत्तर प्रदेश सरकार	मनकापुर
7	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	8,435.14	2009-10 से 2013 14	उपकर कर, इलाहाबाद	मनकापुर
8	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1,992.19	2009-10 से 2013 14	उपकर कर, इलाहाबाद	मनकापुर
9.	केन्द्रीय बिक्री कर	अन्य देयताओं तथा फार्म 'सी' के अंतर्गत अतिरिक्त कर की मांग	1,013.98	2005-2006	संयुक्त आयुक्त (अपील), वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी

क्र. सं.	सांविधिक व्यवस्था का नाम	विवादित देयता का स्वरूप	बकाया राशि (रूपए लाख में) (31.3.2021 की स्थिति के अनुसार)	अवधि, जिससे राशि संबंधित है	किस मंच पर विवाद लंबित है	यूनिट
10	केन्द्रीय बिक्री कर	फार्म 'सी' के अंतर्गत अतिरिक्त कर की मांग	2.64	2007-08	अपर आयुक्त (अपील), वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
11	केन्द्रीय बिक्री कर, यूपी वीएटी, प्रवेश कर	अन्य देयताओं की मांग अन्य देयताओं तथा	9.23	2008-09	अपर आयुक्त (अपील), वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
12	केन्द्रीय बिक्री कर	फार्म 'सी' के अंतर्गत अतिरिक्त कर की मांग अन्य देयताओं तथा	2.12	2009-10	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
13	केन्द्रीय बिक्री कर, यूपी वीएटी	फार्म 'सी' के अंतर्गत अतिरिक्त कर की मांग अन्य देयताओं तथा	60.57	2010-11	अपर आयुक्त (अपील), वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
14.	केन्द्रीय बिक्री कर केन्द्रीय बिक्री कर,	फार्म 'सी' के अंतर्गत अतिरिक्त कर की मांग अन्य देयताओं तथा	10.96	2011-12	ट्रिब्यूनल, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
15	यूपी वीएटी केन्द्रीय बिक्री कर,	फार्म 'सी' के अंतर्गत मांग	146.75	2012-13	उपायुक्त, सेक्टर 14, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
16	यूपी वीएटी	कर की मांग	86.75	2013-14	उपायुक्त, सेक्टर 14, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
17	सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर	सेवा कर	109.44	2010-11	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु	पालक्काड
18	सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर	सेवा कर	140.34	2011-12	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु	पालक्काड
19	सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर	सेवा कर	161.27	2011-12	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु	पालक्काड
20	सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर	सेवा कर	2.76	2012-13	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु	पालक्काड
21	सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर	सेवा कर	2.69	2012-13	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु	पालक्काड
22	सीएसटी	बिक्री कर	28.04	2001-02	उच्च न्यायालय, इर्नाकुलम	पालक्काड
23	सीएसटी	बिक्री कर	504.13	2003-04	केवीएटी ट्रिब्यूनल, पालाक्काड	पालक्काड
24	बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	117.70	2010-11	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ	रायबरेली

क्र. सं.	सांविधिक व्यवस्था का नाम	विवादित देयता का स्वरूप	बकाया राशि (रूपए लाख में) (31.3.2021 की स्थिति के अनुसार)	अवधि, जिससे राशि संबंधित है	किस मंच पर विवाद लंबित है	यूनिट
25	कर्नाटक वीएटी अधिनियम, 2003	टर्नओवर सप्रेशन	26.47	2013-14	वाणिज्यिक कर अधिकारी, थिरपुनिथुरा	क्षे.का. बेंगलूरु
26	कर्नाटक वीएटी अधिनियम, 2003	टर्नओवर सप्रेशन	48.92	2014-15	अपीलिय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इर्नाकुलम	क्षे.का. बेंगलूरु
27	सेवा कर	रायल्टी भुगतान प्राप्ति पर सेवा कर का भुगतान न करना	44.78	2012-13 से 2014 15	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त	क्षे.का. बेंगलूरु
28	केवीएटी	टर्नओवर सप्रेशन	65.87	2012-13	उपायुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, इर्नाकुलम	क्षे.का. बेंगलूरु
29	बिक्री कर	बिक्री कर	733.36	1987-88 से 1989 90, 1996-97, 1999-00, 2002-03	उच्च न्यायालय, जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर
30	बिक्री कर	बिक्री कर	226.05	2013-14	बिक्री कर आयुक्त	क्षे.का. भुवनेश्वर
31	आय कर	आय कर	691.72	2017-18	आय कर आयुक्त	निगमित
			16,753.36			

viii. कम्पनी द्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से वर्ष 2014-15 के दौरान कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए 30,000 लाख रुपए का साफ्ट ऋण प्राप्त किया गया था जिसकी अदायगी दो वर्ष के मोरेटोरियम सहित कम्पनी द्वारा लाभ अर्जित प्रारम्भ करने के पश्चात पांच वर्षों में की जानी थी। कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 से पुनर्भुगतान प्रारंभ कर देना चाहिए था। तथापि, कम्पनी द्वारा पुनर्भुगतान के लिए समय विस्तारित किए जाने की मांग की है क्योंकि कम्पनी ने अभी भी अपने परिचालनों से लाभ कमाना शुरू नहीं किया है। इसके अलावा, कम्पनी के रिकार्ड की हमारे द्वारा की गई जांच तथा हमें दी गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों अथवा सरकार से प्राप्त ऋणों अथवा उधारों के पुनर्भुगतान के प्रति कोई चूक नहीं की है। कम्पनी ने कोई लाभांश जारी नहीं किया है।

ix. कम्पनी के रिकार्ड की हमारे द्वारा की गई जांच तथा हमें दी गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) अथवा अग्रेतर सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) (डेब्ट प्रपत्रों सहित) तथा सावधी ऋणों के माध्यम से किसी धन की उत्पति नहीं की है। तदनुसार, यह कम्पनी के मामले में लागू नहीं हैं।

x. भारत में सामान्यत स्वीकृत लेखापरीक्षा व्यवहारों एवं हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी की बहियों एवं रिकार्ड की हमारे द्वारा की गई जांच के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कम्पनी के प्रति इसके किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा वर्ष के दौरान की गई किसी प्रकार की जालसाजी प्रकाश में नहीं आई है अथवा सूचित नहीं की गई है।

xi. कम्पनी अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित प्रावधान दिनांक 5 जून, 2015 की सरकारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 ई के अंतर्गत सरकारी कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

xii. यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है तथा इस प्रकार आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी के संबंध में लागू नहीं है।

xiii. हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकार्डों की जांच एवं हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अंतर्गत सम्बद्ध पक्षकारों के साथ किए गए संव्यवहारों का अनुपालन किया है तथा इसके प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किए गए हैं।

xiv. हमारे द्वारा की गई जांच एवं हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का अधिमान आवंटन किया है। यह आवंटन रुग्न औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना के उपबंधों के अनुसार किया गया है। सरकारी कम्पनी / पुनर्वास योजना के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 की अपेक्षाओं के अनुसार अनुपालन किए किए गए हैं तथा उत्पन्न की गई राशि का उपयोग उन उद्देश्यों से किया गया है जिनके लिए निधियों की उत्पति की गई थी।

xv. हमारे द्वारा की गई जांच एवं हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी द्वारा स्वयं से संबंधित निदेशकों अथवा व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर-नकद लेनदेन नहीं किया गया है।

xvi. हमारे द्वारा की गई जांच एवं हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45-1ए के अंतर्गत कँम्पनी का पंजीकरण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 22 जून, 2021

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000863एस

हस्ताक्षर/-
गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
सदस्यता संख्या 208063
यूडीआईएन: 21208063एएएएजीडब्ल्यू4851

आईटीआई लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों से संबंधित समान तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 के उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने आईटीआई लिमिटेड (''कम्पनी'') के संबंध में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त कथित तिथि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश नोट के अनुसार इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में सम्बद्ध कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी आधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने के साथ साथ अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के दिशानिर्देश टिप्पणी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों का अनुसरण करके आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश टिप्पणी में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, सामग्रीगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। वित्तीय विवरणो के सामग्रीगत दुर्विवरण,जालसाजी या त्रुटि के कारण, के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति करने का पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल है, (1) जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो; (2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया हैं; (3)जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत आधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होते हों तथा जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हों ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत गलत बयानी, संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कँम्पनी में प्रत्येक सामग्रीगत दृष्टिकोण से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है तथा यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए अनिवार्य घटकों पर विचार करके कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्यशील है।

अन्य मामले

हमने कम्पनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में शामिल मनकापुर, रायबरेली, श्रीनगर, नैनी एवं पालाक्काड की उन शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षण नहीं किया है जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कुल 304598.68 लाख रुपए की कुल परिसम्पतियां एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष की कुल आय 31144.32 लाख रुपए दशाई गई है जिन्हें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है (अंतर यूनिट शेषों एवं संव्यवहारों के अलावा) । इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों ने की है एवं इनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारे मतानुसार, इन शाखाओं के संबंध में जहां तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभाव्यता का संबंध है, वह इन शाखाओं के संबंध में इन शाखा लेखापरीक्षकों की उक्त रिपोर्ट में शामिल है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं किया गया है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 22 जून, 2021

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000863एस

हस्ताक्षर/-
गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
सदस्यता संख्या 208063
यूडीआईएन: 21208063एएएएजीडब्ल्यू4851

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक ग''

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आईटीआई लिमिटेड (स्टैंडएलोन) के वर्ष 2020-21 से संबंधित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले क्षेत्रों के संबंध में जारी दिशानिर्देश।

क्र.सं.	जांच के क्षेत्र	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1.	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	जी हां, कम्पनी में सभी लेखा संव्यवहारों की प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था स्थापित है। कम्पनी की भिन्न यूनिटों में भिन्न प्रणालियों का उपयोग किया जाता है।
2.	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्याादि के संबंध में कम्पनी को ऋण की अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट / बट्टा/ किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तींय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पंष्टी करणों तथा कम्पनी के रिकार्ड की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर वर्ष के दौरान किसी भी विद्यमान ऋण की पुनर्संरचना अथवा कम्पनी को ऋण की अदायगी न किए जाने के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट / बट्टा/ किए जाने की प्रक्रिया नहीं की गई है।
3.	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र / राज्य एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य से प्राप्य निधियों (अनुदान / राजहायता) का नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित लेखा जोखा रखा गया है/ उचित उपयोग किया गया है? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	केन्द्र / राज्य सरकार अथवा इनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त / प्राप्य निधियों (अनुदान / राज सहायता इत्यादि) के नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित लेखांकन / उपयोग किया गया है। 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार व्यय न किए गए अनुदान / राज सहायता का विवरण निम्नलिखित है : 1) अनुदान सहायता वीआरएस - 4726.98 लाख रुपए 2) अनुदान सहायता (पूंजी) - 4.64 लाख रुपए

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 22 जून, 2021

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000863एस

हस्ताक्षर/-
गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
सदस्यता संख्या 208063
यूडीआईएन: 21208063एएएएजीडब्ल्यू4851

अनुपालना प्रमाण-पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की और प्रमाणित किया कि हमें जारी सभी निर्देशों का अनुपालन किया है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 22 जून, 2021

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000863एस

हस्ताक्षर/-
गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
सदस्यता संख्य 208063
यूडीआईएन: 21208063एएएएजीडब्ल्यू4851

समेकित वित्तीय विवरण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

कॉर्पोरेट जानकारी

भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (पीएसयू) - आईटीआई लिमिटेड की स्थापना 1948 में हुई थी। तब से, दूरसंचार के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम के रूप में, इसने वर्तमान राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क का 50% योगदान दिया है। नवोन्मेष विनिर्माण सुविधाओं के साथ छह स्थानों और विपणन/सेवा आउटलेट के देशव्यापी नेटवर्क में मैले हुए, कंपनी दूरसंचार उत्पादों की पूरी श्रृंखला और स्विचिंग, ट्रांसमिशन, एक्सेस और अभिदाता परिसर उपकरण के पूरे विस्तार को कवर करने वाले सकल समाधान प्रदान करती है।

आईटीआई वर्ष 2005-06 में अपने मनकापुर और रायबरेली संयंत्रों में मोबाइल उपकरण निर्माण सुविधाओं के उद्घाटन के साथ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जीएसएम) प्रौद्योगिकी के विश्व स्तरीय विक्रेताओं के लीग में शामिल हो गया। इसने देश में स्वदेशी मोबाइल उपकरण उत्पादन के एक नए युग में शुरुआत की। ये दोनों सुविधाएं घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए सालाना नौ मिलियन से अधिक लाइनों की आपूर्ति करती हैं।

1) तैयारी का आधार

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार जैसा कि यहां बताया गया है, उन्हें छोड़कर, वित्तीय विवरणों को, लेखांकन के संचय आधार पर, तैयार किए जाते हैं और प्रस्तुत किए जाते हैं। जीएएपी में अनिवार्य भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि एक नया लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया गया है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

मापन का आधार :

निम्नलिखित संपत्तियों और देनदारियों, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, को छोड़कर वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है :

क. व्युत्पन्न वित्तीय साधन, यदि कोई हो

ख. वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा गया है

ग. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर परिभाषित लाभ संपत्ति/(देयता) योजना संपत्तियों के कम उचित मूल्य मान्यता प्राप्त है।

2) अनुमानों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख को प्रकट संपत्तियों, देनदारियों, राजस्व, व्यय और आकस्मिक देनदारियों की प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय पर रिपोर्ट की गई राशि में प्रबंधन को प्राक्कलनों और अ नुमानों पर विचार करने की अपेक्षा होती है। हालांकि इस प्रकार के अनुमान सभी उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक उचित और विवेकी आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और इस तरह के अंतर उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें परिणाम निर्धारित किए जाते हैं।

3) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है और प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा है जिसमें इकाई संचालित होती है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर निकटतम लाखों में पूर्णांक की गई है।

4) राजस्व मान्यता

कम्पनी ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों के प्रति प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब करती है जब ग्राहक को प्रतिबद्ध माल अथवा सेवा के अंतरण का दायित्व पूरा हो जाता है। राजस्व की स्वीकृति निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के अनुसार निर्धारित संव्यवहार मूल्य पर की जाती है। परिसम्पत्ति (माल अथवा सेवा) का अंतरण ग्राहक को किए जाने के समय निष्पादन दायित्व पूर्ण होते हैं तथा अन्य मामलों में निष्पादन दायित्व किसी समय बिन्दु पर पूर्ण होते हैं। समय के साथ पूर्ण होने वाले निष्पादन दायित्व के प्रति राजस्व स्वीकृति निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की प्रगति का मापन करके की जाती है। प्रगति का मापन व्यय की गई वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार निष्पादन दायित्व से सम्बद्ध अनुमानित लागत पर किया जाता है।

क. माल की बिक्री

माल की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्त करने योग्य, रिटर्न के शुद्ध, व्यापार छूट और वॉल्यूम छूट के उचित मूल्य पर विचार करते हुए मापा जाता है। जब महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार को बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार ग्राहक को स्थानांतरित कर दिया गया है, न ही निरंतर प्रबंधन भागीदारी और माल पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जाता है, विचार की वसूली संभव है, और लागत की लागत और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, तब राजस्व को मान्यता दी जाती है। जोखिम समझौते के अंतर्राष्ट्री य वाणिज्यिक शर्तें के आधार पर जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण का समय मूल्यांकन किया जाता है।

ख. पूर्व-संकर्म अनुबंध

जब आवश्यक माल पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति के बाद अनुबंध के लिए बिना शर्त रूप से विनियमित होते हैं, यदि आवश्यक हो।

ग. एफ़ओआर अनुबंध

एफ़ओआर अनुबंध के मामले में, जब बिक्री पूर्व निर्धारित और स्वीकृति के बाद खरीददार को अंतरण के लिए वाहक को माल सौंप दिया जाता है और एफ़ओआर गंतव्य स्थान के अनुबंध के मामले में, यदि लेखांकन अवधि के अंदर गंतव्य तक पहुंचने वाले माल की उचित अपेक्षा होने पर बिक्री की मान्यता दी जाती है।

घ. बिल और होल्ड बिक्री

बिल-और-होल्ड लेनदेन के लिए, जब ग्राहक शीर्षक लेता है तो राजस्व पहचाना जाता है, बशर्ते कि :

i. यह संभव है कि वितरण किया जाएगा;

ii. जब बिक्री की मान्यता दी जाती हे, तब खरीददार को मद को

तैयार कर, पहचानकर और सुपुर्दगी की जाती है;

iii. खरीददार विशेष रूप से आस्थगित सुपुर्दगी निर्देशों को स्वीकार करता है;

सामान्य भुगतान शर्तें लागू होती हैं।

ङ. सेवाएं एवं निर्माण अनुबंध

समय-एवं-सामग्री तथा यूनिट के कार्य आधारित अनुबंधों पर राजस्व की स्वीकृति सम्बद्ध सेवाओं का निष्पादन होने पर की जाती है। नियत मूल्य अनुरक्षण राजस्व की स्वीकृति आनुपातिक रूप से या तो सीधी रेखा आधार पर दर निर्धारण के लिए तब की जाती है जब सेवाओं का निष्पादन अनिश्चित संख्या की किन्हीं पुनरावृति क्रियाओं से किसी निर्दिष्ट अवधि में पूरा कर लिया गया हो अथवा आनुपातिक रूप में कार्य पूर्णता के प्रतिशत की विधि से तब की जाती है जब ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के लाभों का पैटर्न तथा अनुबंध की अवधि पर कम्पनी की लागतें अनुबंध के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं क्योंकि सेवाओं का स्वरूप सामान्यत: भिन्न प्रकार का होता है तथा यह पुनरावृतीय नहीं होता है। निष्पादन दायित्व की पूर्ति समय के साथ साथ किए जाने वाले अन्य नियत मूल्य, नियत काल के अनुबंधों की राजस्व स्वीकृति, कार्य की पूर्णता के प्रतिशत की विधि से, की जाती है। इनपुट एवं उत्पादकता में प्रत्यक्ष सम्बद्धता होने के विचार से विस्तारित प्रयासों अथवा लागतों का उपयोग कार्य की पूर्ति की प्रगति के निर्धारण के लिए किया जाता है। कार्य की पूर्णता की प्रगति का मापन अनुमानित लागतों अथवा प्रयासों के संबंध में (निष्पादित कार्य के अनुसार) अब तक व्यय की गई लागतों अथवा के अनुपात के अनुसार किया जाता है। संव्यवहार मूल्य के अनुमानों तथा कुल लागतों अथवा प्रयासों की अनुबंध की अवधि के दौरान अनवरत निगरानी की जाती है तथा इनकी स्वीकृति अवधि के दौरान तब की जाती है जब इनके अनुमान परिवर्तित होते हैं अथवा अनुमान संशोधित होते हैं। राजस्व तथा अनुमानित कुल लागतों अथवा प्रयास अनुबंध की प्रगति के अनुसार संशोधित किए जाने की शर्त पर होते हैं। जब यह संभाव्य होता है कुल राजस्व के प्रति कार्य की पूर्ति के लिए अनुबंध लागतों में वृद्धि होगी तो कार्य पूर्णता की संभावित हानि को तत्काल व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

कुछ अनुबंधों में विभिन्न निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं जैसे कि सिस्टम्स, उपकरण इत्यादि की आपूर्ति इत्यादि तथा अनुरक्षण सेवाएं। अनुरक्षण सेवाओं के संबंध में महत्व को संज्ञान में लिया जाता है तथा उसका लेखांकन एक पृथक निष्पादन दायित्व के रूप मे किया जाता है। जहां अनुबंधों में विभिन्न निष्पादन दायित्व होते हैं वहां संव्यवहार मूल्य को स्टैंडएलोन विक्रय मूल्यों के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए निर्धारण किए जाते हैं। जहां इनकी प्रत्यक्ष संबद्धता प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट नहीं होती है तो संभावित लागत जमा मार्जिन के आधार पर उनके अनुमान लगाए जाते हैं।

अन्य नियत मूल्य अनुबंधों के लिए राजस्व की स्वीकृति संव्यवहार के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को कार्य पूर्णता के चरण के अनुपात में की जाती है। कार्य पूर्णता के चरण का मूल्यांकन कार्य निष्पादन के संदर्भ में होता है। यदि किसी प्राप्य प्रतिफल की वसूली के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता होती है अथवा यदि व्यय की गई अथवा व्यय की जाने वाली लागतों का मापन विश्वसनीयता के साथ नहीं किया जा सकता है तो राजस्व की स्वीकृति नहीं की जाती है।

च. ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर मान्यता दी जाती है।

छ. लाभांश

जब लाभांश प्राप्त करने हेतु कंपनी का अधिकार स्थापित किया जाता है तो लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

ज. किराए से आय

जब तक किराये में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित (उचित मूल्य) के अनुरूप नहीं होती है, परिचालनीय पट्टे से उत्पन्न होने वाली किराये के आय लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर होते हैं।

झ. शुल्क वापसी

दावों को प्रमुखता देने के संबंध में निर्यात पर शुल्क वापसी का दावा किया जाता है।

ट. अन्य आय

अन्य आय जिसे विशेष रूप से ऊपर वर्णित नहीं है, को अर्जन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

5) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगतिशील पूंजी कार्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ऐतिहासिक लागत पर संचित अवमूल्यन और क्षति नुकसान, यदि कोई हो, के घाटे पर दर्शाये गए हैं। लागत में खरीद मूल्य और पीपीई को अपने अभिप्रेत उपयोग के लिए कामकाजी स्थिति में लाने की कोई भी जिम्मेदार लागत शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण से संबंधित उधार और अन्य जिम्मेदार लागत, जो इसके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, को भी इस अवधि तक संबंधित सीमा तक भी शामिल किया गया है जब तक कि इस तरह के पीपीई उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। या तो निपटान पर या इस तरह के उपयोग से सेवानिवृत्त होने पर वित्तीय विवरणों से पीपीई को हटा दिया जाता है। जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण पुर्जों को अंतराल पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें अलग घटक के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपहार के रूप में या मुफ्त में प्राप्त संपत्तियों को उचित मूल्य पर दर्शाई जाती हैं, जिसे अधिग्रहण या प्राप्ति के समय कम संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसान के घाटे पर अन्य इक्विटी में जमा किया जाता है।

प्रगतिशील पूंजी कार्य

तुलनपत्र की तिथि पर संस्थापन या निर्माणाधीन संपत्तियों को प्रगतिशील पूंजी कार्य के रूप में दर्शाई जाती है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम से ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि, को निर्माण के दौरान व्यय के विरुद्ध समाप्त किया जाता है।

पट्टेधारित भूमि के विकास पर व्यय को भूमि विकास व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है और पट्टे की अवधि या उपयोगी, जीवनकाल जो भी कम है, पर अमूर्त किया गया है।

6) अमूर्त संपत्तियां, विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

क. आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ़्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है) की लागत और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभ को, उपयोग के लिए तैयार हो जाने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। अमूर्त संपत्ति, जो तुलनपत्र की तिथि पर उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

ख. जहां भी योग्य हो, विकासशील कार्य की लागत को उनके पूरा होने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग. जहां भी योग्य हो, प्रगति के तहत विकास कार्यों की लागत

को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ. ले जाने वाली राशि में विकास परियोजना (ओं) की ओर बाहरी एजेंसियों को कॅम्पनी द्वारा वित्त पोषित राशि और कॅम्पनी द्वारा भौतिक लागत, कर्मचारी लागत और अन्य प्रत्यक्ष व्यय की ओर किए गए व्यय शामिल है।

7) अनुसंधान और विकास व्यय:

अनुसंधान व्यय लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ और हानि विवरण पर भी दर्शाया जाता है जब तक कि उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित नहीं की जाती है, इस मामले में इस तरह के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है। अनुसंधान और विकास में उपयोग की जाने वाली मूर्त संपत्तियां पूंजीकृत हैं।

अन्य विकास गतिविधि की ओर किए गए व्यय, जहां नए या बेहतर उत्पादों या प्रक्रियाओं के विकास के लिए शोध परिणाम या अन्य ज्ञान लागू किया गया है, और यदि भारतीय लेखा मानक 38 में निर्दिष्ट मान्यता मानदंडों को पूरा किया जाता है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है और जब विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने योग्य है, कॅम्पनी के पास विकास को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और बाद में अमूर्त संपत्ति का उपयोग या बिक्री की जाती है, और उत्पाद या प्रक्रिया भविष्य के आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की संभावना है।

8) गैर-वित्तीय संपत्तियों का नुक़सान

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि के अंत में, अगर आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत होने हेतु संपत्तियों की ले जानेवाली राशि की समीक्षा की जाती है। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि ले जाने वाली राशि से कम पाई जाती है, तो क्षति नुकसान की मान्यता दी जाती है और संपत्तियां वसूली योग्य राशि पर लिखी जाती हैं।

9) मूल्यह्रास/परिशोधन

संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

वर्ष के दौरान निश्चित परिसंपत्तियों को जोड़ने और घटाने पर मूल्यह्रास को यथानुपात आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

क. महीने के 15वें दिन या उससे पहले की गई संपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए मूल्यह्रास पूरी तरह से माना जाता है जबकि महीने के 15वें दिन के बाद कमीशन की गई परिसंपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है।

ख. महीने के 15वें दिन या उससे पहले बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के संबंध में, हटाने के महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है, जबकि महीने के 15वें दिन के बाद बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के लिए हटाने के महीने के लिए पूर्ण रूप में तरह से माना जाता है।

ग. परिसंपत्ति के एक हिस्से की लागत संपत्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है, तो उस महत्वपूर्ण भाग के उपयोगी जीवन को अलग-अलग निर्धारित किया जाता है और इसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि पर ह्रास की जाती है।

घ. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर, उस तारीख, जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, से अलग किए जाते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

अवमूल्यन संपत्तियों के मामले में जो संशोधित किए गए हैं, पुनर्मूल्यांकित राशि पर सीधी रेखा विधि पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की **अनुसूची** II के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन के कारण बढ़ती अवमूल्यन सामान्य रिजर्व को क्रेडिट के रूप में कम किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निपटान

शुरुआत में मान्यता दी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु और किसी भी महत्वपूर्ण भाग को उनके निपटान पर या इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तो उनके निपटान पर विमान्यता की जाती है।

परिसंपत्ति की विमान्यता पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की ले जाने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्यता किए जाने पर लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

विवरण	(वर्ष)
क. (क) भवन (कारखाने की इमारतों के अलावा)	60
(ख) कारखाने की इमारत	30
(ग) पूरी तरह से अस्थायी निर्माण	3
(घ) प्लिंथ क्षेत्र में प्रत्येक इकाई के लिए आवास निर्माण 80 वर्गमीटर से अधिक नहीं है।	30
ख. फर्नीचर और फिटिंग	10
ग. संयंत्र और मशीनरी	
(क) सामान्यक दर (डबल शिफ्ट आधार पर)	15
(ख) विशिष्ट दर : - सर्वर और नेटवर्क	6
(ग) कंप्यूटर सहित डेटा प्रोसेसिंग मशीन	3
घ. सड़के और परिसर की दीवारें	10
ङ कार्यालय मशीनरी और उपकरण	5
च. वाहन	8
छ. 5,000/- रुपये से कम की लागत वाली परिसंपत्तियाँ 100 प्रतिशत की कमी	
हालांकि, 50,000/- रुपये और उससे अधिक की मूल लागत वाले परिसंपत्तियों के संबंध में, पुस्तकों में 5/- रुपये की अवशिष्ट शेष राशि बरकरार रखी गई है।	

10) पट्टे

प्रारम्भिक तिथि पर ही किसी पट्टे को वित्तीय या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टे को उचित मूल्य के नीचे पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे के शुरू होने

पर न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य होता है। वित्त प्रभार को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है। एक पट्टे वाली संपत्ति को संपत्ति या लीज अवधि के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टा प्रारंभ की तिथि को कम्पनी द्वारा उपयोग अधिकार परिसम्पति (आरओयू) तथा 12 माह अथवा कम (अल्प-कालिक पट्टे) अवधि के पट्टे एवं न्यून मूल्य पट्टे के अलावा पट्टा युक्त सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिनमें कम्पनी पट्टेदार है, के लिए अनुवर्ती पट्टा दायित्व की स्वीकृति दी जाती है।

इन अल्प कालिक एवं न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के लिए कम्पनी पट्टा भुगतानों की स्वीकृति, पट्टे के काल के लिए सीधी रेखा आधार पर, परिचालन व्यय के रूप में करती है। पट्टा देयता का प्रारंभिक मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य की परिशोधन लागत पर किया जाता है। पट्टे की अंतर्निहित ब्याज की दर के उपयोग से अथवा यदि इनका निर्धारण तत्काल नहीं हो पाता है तो इन पट्टों के क्षेत्र की आवृत्ति ऋण दरों के उपयोग से पट्टा भुगतान बट्टा किए जाते हैं। यदि कम्पनी इनके विस्तार अथवा समापन विकल्प का उपयोग करने अथवा न करने के मूल्यांकन के प्रति बदलाव करती है तो पट्टा दायित्वों का पुन:मापन उपयोग अधिकार की परिसम्पति से सम्बद्ध अनुवर्ती समायोजन करके किया जाता है ।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है जिसमें पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि का समायोजन पट्टे के प्रारंभ होने के समय अथवा पूर्व चुकता किए गए किन्हीं पट्टा भुगतानों जमा किसी प्रकार के पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतों को घटाकर किया जाता है। संचित मूल्यह्रास तथा अक्षमता क्षतियों को घटाकर लागत पर इनके अनुवर्ती मापन किए जाते हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से पट्टे के शेष काल तथा अंतर्निहित उपयोज्यता काल के लिए सीधी रेखा आधार पर किया जाता है। प्रतिलब्धता के लिए उपयोग अधिकार की परिसम्पतियों का मूल्यांकन तब किया जाता है जब परिस्थितियों अथवा परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ऐसे संकेत प्रतीत हों कि उनकी वहन राशियों की वसूली नहीं की जा सकेगी।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

ऑपरेटिंग लीज आय को सीधी रेखा के आधार पर लीज अवधि पर मान्यता प्राप्त होती है, सिवाय इसके कि जब वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित हो। आकस्मिक किराए, अगर कोई है, तो उसे अर्जित अवधि में राजस्व के रूप में पहचाने जाते हैं।

11) उधार लागत

उधार लागत सीधे उस संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है जो आवश्यक उद्देश्य या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत होती है।

सामान्य उधार लागत को पूंजीकरण दर लागू करके परिसंपत्तियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जो उस उधार के लिए विशिष्ट उधार के अलावा बकाया सामान्य उधार के लिए उधार लेने वाली लागतों का भारित औसत होता है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में व्यय होती है जिसमें वे संभावित हैं। उधार लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई निधि के उधार के संबंध में होती है, साथ ही साथ उधार लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

12) सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदान को उचित मूल्य पर मापा जाता है और शुरुआत में आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है।

स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय के तहत पड़ी राशि को संबंधित परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास के अनुपात में अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुदान के लिए जिम्मेदार सीमा तक लाभ और हानि विवरण के क्रेडिट में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

राजस्व व्यय के कारण आस्थगित आय के तहत निलंबित राशि को वित्त पोषण के अनुपात में किए गए व्यय की सीमा तक लाभ और हानि विवरण में हस्तांतरित किया जाता है, जो स्वीकृत अनुदान तक ही सीमित स्वीकृत लागत तक सीमित होता है।

13) संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में कंपनी की भागीदारी को लागत पर दर्शाया गया है, बल्कि समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी विधि के तहत दर्शाया गया है।

14) मालसूचियाँ

विनिर्माण/उत्पादन गतिविधियों के लिए अप्रचलन के बाद, यदि कोई हो, खरीदी गई कच्ची सामग्रियों, घटकों और भंडार को कम लागत और निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। वर्ष के अंत में भारित औसत दर पर लागत की गणना की जाती है। जहां भी वही सामान खरीदे जाते हैं, विनिर्माण लागत आमतौर पर अपनाई जाती है।

उप साधन और फैब्रिकेटर के साथ कच्चे माल और उत्पादन भंडार को उनके जारी किए जाने पर कम कीमत पर मूल्यांकित किए जाते हैं और अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, निवल निष्पाद्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

स्टॉक और स्टॉक-इन-ट्रेड में निर्मित मदों को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन ओवरहेड्स और बिक्री ओवरहेड्स और निवल प्राप्य मूल्य पर छोड़कर कम लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

मूल्यवान धातु स्क्रैप को वर्ष के अंत में शुद्ध वास्तविक मूल्य पर बही खाते में लाया जाता है।

15) चालू कार्य

क. प्रक्रियाशील कार्य (उत्पादन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन और बिक्री ओवरहेड्स को छोड़कर और निवल अचल मूल्य पर भौतिक रूप से सत्यापित मात्रा के आधार पर मूल्यांकित है ।

ख. प्रक्रियाशील कार्य (संस्थापन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, कार्य आदेशों और निवल प्राप्य मूल्य में दर्ज की गई लागत के कम मूल्य पर मूल्यांकित है।

16) औज़ार और गेज

विशेष उद्देश्य के औजारों और जुडनारों पर व्यय शुरू में लागत पर पूंजीकृत है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, व्यवस्थित आधार पर उत्पादन पर परिशोधित हैं।

फु टकर औजारों को जारी करते समय राजस्व पर प्रभारित किए जाते हैं।

17) वित्तीय संपत्तियां (प्राप्य व्यापार और अन्य प्राप्य)

प्राप्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर पहचानी जाती हैं, जो ज्यादातर मामलों में मामूली मूल्य का अनुमान लगाती है। यदि संपत्ति को बाद में क्षति पहुँचने की कोई संकेत है, तो क्षति के लिए भी समीक्षा की जाती है।

18) त्रुटिय और अनुमान

यदि भारतीय लेखा मानकों में बदलाव के कारण परिवर्तन की आवश्यकता है या यदि परिवर्तन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है, तो कंपनी

अपनी लेखांकन नीतियों को संशोधित करती है।

लेखांकन अनुमान में बदलाव के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों या लाभ या हानि विवरण के लिए परिवर्तन की अवधि में परिवर्तनों की संभावना है।

त्रुटियों की खोज और परिणामों की तुलनात्मक रूप से पुनरीक्षण में परिणामों को पुन: निरीक्षण में परिणाम, देनदारियों और इक्विटी की पहली पूर्व अवधि की इक्विटी की तुलना में त्रुटि की खोज की जाती है। प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि के प्रारम्भिक शेष भी पुनः घोषित किए जाते हैं।

19) आय कर

आयकर में वर्तमान और आस्थगित आयकर शामिल हैं।

वर्तमान आयकर

कराधान प्राधिकारियों को देय या से वसूल योग्य राशि को भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर की दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान कर इक्विटी में मान्यता प्राप्त है और लाभ और हानि के विवरण में नहीं।

आस्थगित कर

संपत्ति और देनदारियों के कर आधार और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उनकी ले जाने वाली रकम के बीच अस्थायी अंतर पर तुलनपत्र विधि का उपयोग करके आस्थगित कर प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए पहचानी जाती है, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और किसी भी अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाते हैं, इस हद तक कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम हो जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

20) वारंटी दायित्व

ग्राहकों को बेचे गए उपकरणों के संबंध में संविदात्मक दायित्व के लिए वारंटी दायित्व वार्षिक तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

21) विदेशी मुद्राएं

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को प्रारम्भ में कंपनी द्वारा अपनी संबंधित मुद्रा विनिमय दर पर लेनदेन की तारीख को पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त होने पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों का अनुवाद रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर पर किया जाता है।

निपटारे या मौद्रिक वस्तुओं के अंतरण पर उत्पन्न अंतर लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर का उपयोग करके अंतरित किया जाता है।

22) कर्मचारी हितलाभ

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ को वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में गैर-छूट प्राप्त राशि पर एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

ख. रोज़गार के उपरांत के लाभ जैसे उपदान और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे विशेषाधिकार छुट्टी, बीमार छुट्टी और एलएलटीसी को वर्ष के लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं। व्यय आकलन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर मान्यता प्राप्त है।

ग. बीमांकिक लाभ और हानि तथा योजना संपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) का विवरण और परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) को अन्य व्यापक आय (ओआईसी) में तुरंत मान्यता दी जाती है। निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्तियों) पर निवल ब्याज व्यय (आय) की गणना निवल दर देकर (परिसंपत्ति) को वर्ष के दौरान योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) को मापने के बाद वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, गणना दर लागू करने के द्वारा की जाती है। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्च लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

घ. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से संबंधित व्यय को घटनाओं के संबंधित वर्ष में लिखा गया है।

ड़. कम्पनी के पात्र कर्मचारियों को परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत भविष्य निधि के लाभ प्रदान किए जाते हैं । पात्र कर्मचारी तथा कम्पनी, दोनों, भविष्य निधि योजना में संबंधित कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार मासिक अंशदान करती हैं। कम्पनी यह अशंदान आईटीआई कर्मचारी भविष्य निधि न्यास को सौंपती है। विनियमों के अनुसार सरकार द्वारा शासित पेंशन निधि में अंशदान का भाग जमा करवाने के पश्चात न्यास शेष निधियों का निवेश संबंधित विनियमों के अंतर्गत अनुमत्त विशिष्ट निर्दिष्ट उपकरणों मे करता है। न्यास द्वारा लाभग्राहियों को चुकता किए जाने वाले वार्षिक ब्याज की दर का निर्धारण सरकार करती है।

23) प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को जोड़नेवाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की राशि से किया जा सकता है। जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है, उदाहरणार्थ, एक बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति एक अलग संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन केवल प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी निवल प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो दर्शाती है, जब उचित हो, देयता के लिए विशिष्ट जोखिम होता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में पहचाना जाता है।

आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक देनदारियां जब तक कि आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ और आकस्मिक संपत्तियां जहां आर्थिक लाभ की आमद संभावित है, नोटों में प्रकट की जाती हैं।

भारयुक्त अनुबंध

जब संविदा से कंपनी द्वारा प्राप्त होनेवाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत

अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं तब निर्माण अनुबंधों के अलावा अन्य कई अनुबंधों के लिए प्रावधान किया जाता है।

प्रावधान को अनुबंध समाप्त होने की उम्मीद की निवल लागत के नीचे के वर्तमान मूल्य और अनुबंध के साथ जारी रखने की उम्मीद की निवल लागत से मापा जाता है।

प्रावधान स्थापित होने से पहले, कंपनी उस अनुबंध से जुड़ी संपत्तियों पर किसी भी क्षति नुकसान को पहचानती है।

24) उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर उचित मूल्य पर अपने वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव्स और अन्य वस्तुओं जैसे कुछ वित्तीय उपकरणों को मापती है।

सभी संपत्तियों और देनदारियों के लिए जो उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में मापा या खुलासा किया गया है, वे उचित मूल्य माप के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के अधीन वर्गीकृत होते हैं जो कि उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है :

स्तर 1 – समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2 – उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट्स जिसे स्तर 1 के अधीन शामिल किया गया है, जो संपत्ति या देयता के लिए, या तो सीधे (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी कीमतों से व्युत्पन्न) विचारणीय हैं।

स्तर 3 – संपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए, कंपनी ने संपत्ति या देयता के प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्ग निर्धारित किए हैं।

25) निवेश सम्पत्ति

निवेश संपत्तियों को शुरुआत में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के अनुक्रम में, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति नुकसान, यदि कोई हो, पर उल्लेख किया जाता है।

26) वित्तीय साधन

क. प्रारंभिक मान्यता और मापन

सभी वित्तीय संपत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया है, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार लेनदेन लागत संपत्ति की लागत में शामिल है।

ख. अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

i. अमूर्त लागत पर ऋण साधन,

ii. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एमवीटीओसीआई),

iii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन, डेरिवेटिव और इक्विटी साधन (एमवीटीपीएल),

iv. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा इक्विटी साधन सहयोगियों में निवेश के अलावा जो लागत पर किया जाता है (एफवीटीओसीआई)।

विमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति के हिस्से को तब मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

एम्बेडेड डेरिवेटिव

एम्बेडेड डेरिवेटिव, यदि आवश्यक हो, होस्ट अनुबंध से अलग किया गया है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।

27) आगे अनुबंध

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को संभालने के लिए आगे मुद्रा अनुबंध जैसे डेरिवेटिव वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। इस तरह के डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है जिस पर एक डेरिवेटिव अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है तब डेरिवेटिव वित्तीय संपत्ति के रूप में ले जाते हैं और उचित देनदार होने पर वित्तीय देनदारियों के रूप में ले जाते हैं।

28) नकद और नकद समतुल्य

नकद में मौजूदा नकद और मांग जमा शामिल है। नकद समतुल्य तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यावधिक तरल निवेश है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय है एवं मूल्य में परिवर्तन के तुच्छ जोखिम के अधीन है।

तुलनपत्र पर मौजूदा देनदारियों में उधार के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, को दिखाया गया है।

29) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी माप के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है और क्रेडिट जोखिम के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की पहचान करती है।

क. सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से कालवर्जित देय को आम तौर पर ऐसी वित्तीय संपत्ति के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाता है।

ख. जहां कानूनी कार्यवाही में बकाया राशि विवादित होती है, अगर कंपनी के विरुद्ध कोई निर्णय दिया जाता है तो भी प्रावधान किया जाता है, भले ही इसे उच्च प्राधिकारियों/अदालतों को अपील पर लिया जाता है।

ग. मामला-दर-मामले के आधार पर विशिष्ट समयावधि के लिए बकाया देय के मामले में।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल क्षति नुकसान भत्ता (या उलटा) को लाभ और हानि विवरण में व्यय/(आय) के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह राशि लाभ और हानि विवरण में क्षति लाभ में या हानि के रूप में प्रतिबिंबित करती है।

30) वित्तीय देयताएँ

क. प्रारम्भिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से उपयुक्त, ऋण, उधार, देनदार या डेरिवेटिव के रूप में लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य

पर वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण, उधार और देय, लेनदेन लागत का निवल कहा जाता है जो सीधे जिम्मेदार होते हैं।

ख. बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

i. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां।

ii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। इस संवर्ग में कंपनी द्वारा प्रवेश किए गए डेरिवेटिव वित्तीय साधन भी शामिल हैं, जो भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज रिश्तों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं हैं। पृथक एम्बेडेड डेरिवेटिव को व्यापार के लिए भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए धारित देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

ग. ऋण और उधार

प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके ब्याज-रहित ऋण और उधार को बाद में लागत में मापा जाता है। जब देनदारियों को ईआईआर अमूर्तकरण प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता प्राप्त होती है लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में पहचानी जाती है।

वित्तीय देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता की विमान्यता की जाती है।

घ. व्यापार और अन्य देनदारियाँ

चाहे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किया गया हो या नहीं, देयताओं को भविष्य में प्राप्त की जानेवाली माल और सेवाओं के लिए भुगतान की जानेवाली राशि के रूप में मान्यता दी जाती है।

31) वित्तीय उपकरण का पुन:वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के वर्गीकरण को निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों, जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं, के लिए कोई पुन:वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुन:वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यावसायिक मॉडल में कोई बदलाव हो। अक्षर कंपनी वित्तीय संपत्तियों को पुन: वर्गीकृत करती है, तो यह भावी रूप से पुन: वर्गीकरण लागू करती है।

32) वित्तीय उपकरणों की ऑफ सेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशि को ऑफ सेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकारी है और निवल आधार निपटाने का इरादा है, तो वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफ सेट किया जाता है और परिसंपत्तियों का एहसास करने तथा देनदारियों को एक साथ व्यवस्थित करने के लिए निवल का तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

33) इक्विटी शेयरधारकों को नकद लाभांश और गैर-नकद वितरण

कंपनी इक्विटी धारकों को नकद या गैर-नकदी वितरण करने की देयता को मान्यता देती है, जब वितरण अधिकृत होता है और वितरण अब कॅम्पनी के विवेकानुसार नहीं होता है।

34) प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर की मूल अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर कम किया हुआ अर्जन की गणना के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

35) रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

समायोजित घटनाएँ ऐसी हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों के आगे प्रमाण करती हैं। इस मुद्दे के लिए प्राधिकरण से पहले वित्तीय विवरणों को इस तरह की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है।

गैर-समायोजन घटनाएँ ऐसी हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उठनेवाली स्थिति के संकेतक हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद गैर-समायोजन घटनाओं का हिसाब नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें प्रकट किया गया है।

36) समेकित

आईटीआई ने 40.55 लाख रुपये की लागत के लिए अपने संयुक्त उद्यम इंडिया सेटकॉम लिमिटेड में इक्विटी शेयर पूंजी का 49% निवेश किया है ।

भारतीय लेखाकंन मानक 28 के अनुसार, संयुक्त उद्यमों में ब्याज की समेकन इक्विटी विधि का उपयोग कर किया जा सकता है, जिसमें निवेशक के निवल मूल्य में निवेशक का हिस्सा सीधे निवेशक की किताबों में निवेश के मूल्य के रूप में लिया जा सकता है और अंतर पुराने मूल्य और नए मूल्य के बीच अन्य व्यापक आय में जमा/डेबिट किया जाएगा क्योंकि इक्विटी शेयरों में निवेश को इक्विटी उपकरणों द्वारा अन्य व्यापक आय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फार्म पंजीकरण संख्या : 000863एस

गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार एम सं. 208063

स्थान : बेंगलुरू
दिनांक : 22.06.2021

कृते एवं निदेशक मडल के निमित्त

एस. शनमुगा प्रिया
कम्पनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त / मुख्य वित्त अधिकारी

राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

31.03.2021 के अनुसार समेकित तुलन पत्र

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
I. परिसंपत्तियाँ					
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	1	263291.77		262529.22	
(ख) प्रगतिशील पूंजी कार्य	2	16887.03		18863.34	
(ग) निवेश संपत्ति	3	6746.53		6747.60	
(घ) साख		0.00		0.00	
(ङ) अमूर्त परिसंत्तियाँ		0.00		0.00	
(च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		0.00		0.00	
(छ) बेरर संयंत्रों को छोड़कर जैविक परिसंपत्तियाँ		0.00		0.00	
(ज) वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4	3626.61		3799.03	
(i) निवेश	4a	35272.92		35935.90	
(ii) प्राप्य व्यापार	5	7.41		17.02	
(iii) ऋण		0.00		0.00	
(iv) अन्य					
(झ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		0.00		0.00	
(ञ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		0.00	325832.27	0.00	327892.11
(2) चालू परिसंपत्तियाँ	6	19369.90		17333.53	
(क) माल सूचियाँ					
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ		0.00		0.00	
(i) निवेश	7	255210.33		276113.88	
(ii) प्राप्य व्यापार	8	2793.67		3977.98	
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	8(a)	51969.87		20528.77	
(iv) ऊपर (iii) के इतर बैंक शेष	9	55764.32		57288.16	
(v) ऋण	9a	171118.91		62329.29	
(vi) बिल न किया हुआ राजस्वं		0.00		0.00	
(vii) अन्य		0.00		0.00	
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	10	9046.15	565273.16	6598.58	444170.19
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			891105.43		772062.31
कुल					
II. इक्विटी और देयताएँ					
इक्विटी	11	93352.29		92511.95	
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	12	152239.41	245591.69	139506.91	232018.86
(ख) अन्यि इक्विटी					
देयताएँ					
(1) गैर-चालू देयताएँ	13	4731.62		11407.13	
(क) अप्रयुक्त सरकारी अनुदान					
(ख) वित्तीय देयताएँ	14	30000.00		18000.00	
(i) उधार		0.00		0.00	
(ii) व्यापार देनदारियाँ	15	7311.62		13392.97	
(iii) अन्य	16	5324.90		7433.80	
(ग) प्रावधान		0.00		0.00	
(घ) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)		0.00		0.00	
(ङ) अन्य गैर-चालू देयताएँ			47368.14		50233.90
(2) चालू देयताएँ					
(क) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	17	116426.36		103558.39	
(ii) व्यापार देनदारियाँ	18	188566.66		218305.26	
(iii) अन्य	19	173446.20		94931.36	
(ख) प्रावधान	20	13664.58		12703.60	
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)		0.00		0.00	
(घ) अन्यव गैर-चालू देयताएँ	21	106041.81	598145.60	60310.94	489809.55
कुल			891105.43		772062.31

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
एम.सं.208063

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक-वित्त/
मुख्य वित्त अधिकारी

आर एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 22.06.2021

इक्विटी में समेकित परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

लाख रुपए में

विवरण	राशि
01.04.2020 के अनुसार शेष	92512
वर्ष के दौरान परिवर्तन	840
31.03.2021 के अनुसार शेष	93352

ख. अन्यि इक्विटी

लाख रुपए में

विवरण	शेयर आवेदन राशि निलंबित आबंटन	आरक्षित और अधिशेष			पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	अन्य व्यापक आय के इतर अन्यत्र मद	पुनर्मूल्यां कन आरक्षित के साथ कुल अन्यय इक्विटी
		पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बनाए रखा अर्जन			
01.04.2019 के अनुसार शेष	5,500.00	274,897.30	29.61	-201,031.29	-	7,894.12	87,289.74
वर्ष के लिए लाभ या हानि	-	-	-	14,570.73	-	-	14570.73
पूर्व अवधि के मदों/समायोजन*	-	-	-	-	-	391.77	391.77
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश	10,500.00	-	-	-	-	-	10,500.00
बनाए रखे अर्जन के लिए अंतरण	-	-	-	-	-	-	-
शेयर आवेदन राशि भारत सरकार	-	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य परिवर्तन	-13,188.05	30,930.00	11,824.66	-	-	-	29,566.61
इक्विटी शेयर पूंजी में अंतरण	-2,811.95	-	-	-	-	-	-2,811.95
31.03.2020 के अनुसार शेष	0.00	305,827.30	11,854.27	-186,460.56	-	8,285.89	1,39,506.91
वर्ष के लिए लाभ या हानि	-	-	-	947.78	-	-	947.78
पूर्व अवधि के मदों/समयोजना*				-0.00			-0.00
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	1,959.55	1,959.55
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	10,500.00	-	-	-	-	-	10,500.00
बनाए रखे अर्जन के लिए अंतरण	-	-	-	-	-	-	-
शेयर आवेदन राशि भारत सरकार	-	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य परिवर्तन	-9,659.66	-	9,825.17	-	-	-	165.51
इक्विटी शेयर पूंजी में अंतरण	-840.34	-	-	-	-	-	-840.34
31.03.2021 के अनुसार शेष	-0.00	305,827.30	21,679.44	-1,85,512.78	-	10,245.45	1,52,239.41

टिप्पणी : पूर्व अवधि की वस्तुओं के लिए समायोजन*

क) कम्पनी ने वर्ष 2005-06 में भूमि एवं भवनों का पुनर्मूल्याकंन किया था तथा पूर्व सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन व्यवहार (जीएएपी) के अंतर्गत अपनी बहियों में रिजर्व के संबंध में पुनर्मुल्यांकन किए थे। इंड एसएस में परिवर्तन के दौरान, कम्पनी ने वैकल्पिक छूटों का उपयोग किया था एवं अपनी प्रत्येक सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण को, पूर्व सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन व्यंवहार के अनुरूप, उनके वहन मूल्य पर मापन करने के लिए लागत मॉडल का चयन किया था। इन परिस्थितियों में, पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को धारित आय में अंतरित किया जाना अपेक्षित था । तथापि, चूकवश, 1.4.2016 की स्थिति के अनुसार ऐसे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व की 235436.85 लाख रुपए की राशि का वहन अग्रेषण परिवर्तित इंड एएस वित्तीय विवरणों में इक्विटी आय के अंतर्गत दर्शाए गए अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के रूप में कर दिया गया था । इस चूक को संज्ञान में लिया गया है तथा इस वर्ष पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के शेष को धारित आय में अंतरित करके संशोधन किए गए हैं ।

ख) तुलन पत्र में, वर्ष 2017-18 की जीएसटी इनपुट क्रेडिट की अपात्र 209.68 लाख रुपए की राशि का वहन चूकवश परिसम्पति (वसूलीय) के रूप में किया गया था। वर्ष के दौरान चूक को संज्ञान में लिया गया है तथा पूर्वावधि के लिए इसमें संशोधन कर दिए गए हैं ।

ग) वर्ष 2019-20 के दौरान, पूर्व वर्षों में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण के प्रति 1744.41 लाख रुपए की राशि के भुगतान किए गए थे तथा इससे संबंधित पूर्व काल में किए गए प्रावधान उपयोग में नहीं लाए गए थे । इस चूक का संशोधन वर्ष 2019-20 में किया गया था ।

घ) उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित वर्ष 2019-20 में किए गए संशोधन के अलावा, पूर्व वर्षों में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की विशेषाधिकार छुट्टी के संबंध में प्रावधान न की गई शेष राशि के प्रावधान वर्ष 2020-21 के दौरान संज्ञान में लिए गए हैं तथा संशोधन कर दिए गए हैं ।

ड़) 1.4.2019 तका एसोसिएट से लाभ का संचित हिस्सा 3935.57 रुपये जो कि अन्य व्यापक आम के तहत दिखाया गया था, आय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

विवरण	1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभिक शेष राशि को आगे लाया गया	पूर्व अवधि त्रुटि के सुधार के लिए समायोजन	1 अप्रैल, 2019 को पुनः आरंभिक शेष राशि
(क) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	2,33,457.43	(2,33,457.43)	**शून्य**
(ख) कर और शुल्क इनपुट	6,149.89	(209.68)	5,940.21
(ग) प्रतिधारित कमाई	(4,32,108.90)		
i) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		2,33,457,43	
ii) कर और शुल्क इनपुट		(209.68)	
iii) 2019-20 के दौरान पीएल नकदीकरण		(1,744.41)	
iv) 2020-21 के दौरान पीएल नकदीकरण		(4,361.29)	
v) सहयोगी में लाभ का हिस्सा		3,935.56	(2,01,031.29)

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
एम.सं.208063

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक-वित्त/
मुख्य वित्त अधिकारी

आर एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 22.06.2021

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का समेकित विवरण

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
I. संचालन से राजस्व	22	236218.28		205886.86	
II. अन्य आय	23	16137.35		18389.34	
III. कुल राजस्व (I+II)			252355.63		224276.21
IV. **व्यय :**					
खपत सामग्री की लागत	24	17564.94		8903.67	
व्यापार में स्टॉक की खरीद	25	27012.54		41867.91	
निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य और व्यापार					
में स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन	26	(854.95)		(4029.07)	
संस्थापन एवं अनुरक्षण प्रभार		147233.49		111351.22	
कर्मचारी हितलाभ व्यय	27	29043.80		23100.74	
वित्तीय लागत	28	15959.18		14065.89	
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	4184.84		4189.20	
अन्यय व्यय	30	11091.58		10078.81	
कुल व्यय			251235.43		209528.39
V. असाधारण मद					
एवं कर के पूर्व			(172.42)		(177.09)
लाभ/(हानि) (III+IV)			947.78		14570.73
VI. असाधारण मद					
(i) आय			0.00		0.00
(ii) व्यय			0.00		0.00
VII. कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V+VI)			947.78		14570.73
VIII. कर संबंधी खर्च :					
(1) चालू कर			0.00		0.00
(2) आस्थगित कर			0.00		0.00
IX. वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII+VIII)			947.78		14570.73
X. अन्य व्यापक आय					
क. (I) मद जो लाभ या हानि के लिए पुन:					
वर्गीकृत नहीं होंगे परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन			1959.55		391.77
ख. (I) मद जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत होंगे			0.00		0.00
XI. वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X)					
(वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और कुल					
व्यापक आय शामिल है)			2907.33		14,962.50
XII. प्रति शेयर इक्विटी अर्जन (सतत संचालन के लिए) :					
मूल एवं कम किया हुआ (अंकित मूल्य प्रति रु. 10/-) :			0.10		1.62
शेयरों की भारित औसत संख्या			926293676		897616318

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
एम.सं.208063

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक-वित्त/
मुख्य वित्त अधिकारी

आर एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 22.06.2021

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का समेकित विवरण

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:				
कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि)		947.78		14570.73
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
मूल्यहास	4184.84		4189.20	
वित्तपोषण व्यय	15959.18		14065.90	
निवेश के विक्रय से लाभ	0.00		0.00	
प्राप्त ब्याज/लाभांश	(1160.60)		(1571.14)	
परिसंपत्तियों के विक्रय से हानि	0.00		0.00	
परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभ	(2810.64)		(179.31)	
सहायता अनुदान से अंतरण	(6675.51)		(8979.33)	
सहायता अनुदान से अंतरण	0.00		0.00	
अन्य व्यापक आय	1959.55		214.68	
गैर नकद व्यय	1201.29	12658.12	1663.75	9403.73
		13605.89		23974.47
कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन नकद (लाभ)				
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
व्यापार और अन्य प्राप्य	(89334.86)		(64665.58)	
मालसूचियाँ	(2037.71)		(2804.24)	
व्यापार देय	87277.88		23567.90	
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(3.64)	(4098.34)	62.13	(43839.79)
संचालन से उत्पन्न नकद		9507.55		(19865.32)
प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		9507.55		(19865.32)
ख)निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह :				
स्थाई परिसंपत्तियों सहित क्रय				
पूँजीगत चालू कार्य	(2968.68)		(6392.38)	
स्थाई परिसंपत्तियों का विक्रय	2810.64		179.31	
निवेश	172.42		177.09	
प्राप्त ब्याज	1160.60		1571.14	
प्राप्त लाभांश	(31441.11)		(2846.01)	
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ख)	0.00		0.00	
		(30266.13)		(7310.83)
ग.वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:				
अल्पकालिक उधार से प्राप्त आय	24867.96		(4312.29)	
शेयर आवेदन के पैसे	10500.00		10500.00	
अधिशेष के साथ समायोजन	165.51		(3107.80)	
प्राप्त सहायता अनुदान	0.00		39470.00	
वित्तीय व्यय	(15959.18)		(14065.90)	
वित्त पोषण क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ग)		19574.27		28484.01
नकद और समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		(1184.30)		1307.85
नगद और नगद समतुल्य की अथशेष		3977.98		2670.13
नगद और नकद समतुल्य की अंतिम शेष		2793.67		3977.98

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणि वित्तीय विवरण के मद में हैं।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
एम.सं.208063

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक–वित्त/
मुख्य वित्त अधिकारी

आर एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 22.06.2021

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 1

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वित्तीयि वर्ष 2020-21
लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास					31.03.2021 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2020	वृद्धि	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2021	संचित मूल्यह्रास 01.04.2020	वर्ष के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2021	
भूमि											
-पूर्व स्वामित्व*	221,170.52	-	111.67	-	221,058.84	-	-	-	-	-	221,058.84
-पट्टाधृति****	777.13	-	-	-	777.13	1.08	0.27	-	-	1.35	775.78
पट्टे पर दी गई परिसंपति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन**	13,081.37	1,484.15	9.49	-	14,556.03	3,132.84	749.07	0.35	-	3,881.55	10,674.48
संयत्र एवं यंत्र***	36,059.89	3,376.83	-	-	39,436.72	7,837.24	3,047.56	-	-	10,884.80	28,551.91
अन्य उपकरण	3,083.64	30.08	-	4.50	3,109.22	876.31	301.13	-	-	1,177.44	1,931.78
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	281.17	62.78	-	-	343.94	189.93	50.79	-	-	240.72	103.22
उपस्कार जुड़नार एवं पुर्जे	70.49	5.29	-	-	75.78	36.83	5.02	-	-	41.85	33.94
वाहन	138.62	-	-	-	138.62	59.37	14.35	-	-	73.72	64.90
विद्युत प्रतिष्ठापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपयोग का अधिकार(कार लीज)		102.03			102.03	-	5.10			5.10	96.93
कुल	274,662.82	5,061.16	121.16	4.50	279,598.31	12,133.59	4,173.29	0.35	-	16,306.53	263,291.77

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वित्तीयि वर्ष 20190-20
लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास					31.03.2020 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2019	वृद्धि	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2020	संचित मूल्यह्रास 01.04.2019	वर्ष के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2020	
भूमि:											
-पूर्व स्वामित्व*	221,829.19	-	658.67	-	221,170.52	-	-	-	-	-	221,170.52
-पट्टाधृति****	118.46	658.67	-	-	777.13	0.81	0.27	-	-	1.08	776.05
पट्टे पर दी गई परिसंपति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन**	11,217.80	1,863.57	-	-	13,081.37	2,270.67	862.17	-	-	3,132.84	9,948.53
संयत्र एवं यंत्र***	34,000.32	2,059.56	-	-	36,059.89	4,922.70	2,914.54	-	-	7,837.24	28,222.64
अन्य उपकरण	3,034.60	49.04	-	-	3,083.64	550.31	326.00	-	-	876.31	2,207.33
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	257.99	23.18	-	-	281.17	135.60	54.34	-	-	189.93	91.23
उपस्कार जुड़नार एवं पुर्जे	52.17	18.32	-	-	70.49	31.23	5.59	-	-	36.83	33.66
वाहन	138.62	-	-	-	138.62	41.85	17.51	-	-	59.37	79.25
विद्युत प्रतिष्ठापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	270,649.15	4,672.34	658.67	-	274,662.82	7,953.17	4,180.42	-	-	12,133.59	262,529.22

टिप्पणी :

1. कर्नाटक सरकार के पक्ष में 400डी और 624ई टाइप क्वार्टरों के लिए इमदादी औद्योगिक आवास योजना की शर्तों के अनुसार प्राप्त सब्सीडी पर 7 लाख रुपये का प्रभार है।
2. फैक्ट्री भवन पट्टा भूमि पर है, जिसकी माप 36 कनाल्से तथा 13 मर्लास है, पट्टा अवधि बढ़ाने के कार्य जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ प्रक्रियाधीन है।
3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और कंपनी की अन्य संपत्तियों के शीर्षक पर विभिन्न उधारदाताओं के पक्ष में 357694 लाख रुपये की कुल राशि का शुल्क है क्योंकि इन संपत्तियों को देनदारियों के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाता है।
4. शीर्षक विलेखों की अनुपलब्धता

   बेंगलूरु :- के आर पुरम में आईटीआई लिमिटेड के पास 435 एकड़ जमीन है । इसमें से, कंपनी के पास लगभग 375 एकड़ क्षेत्र के लिए मालिकाना हक है । शेष क्षेत्र के लिए, भूमि के उपयोग के लिए कंपनी के पास केवल अधिकारों का रिकॉर्ड मौजूद है और कंपनी के पास उचित स्वामित्व विलेख नहीं हैं ।

   मनकापुर :- निजी मालिकों से खरीदी गई 191.03 एकड़ भूमि में से 41.77 एकड़ भूमि का मालिकाना हक प्रबंधन के पास उपलब्ध नहीं है ।

   नैनी :- वर्ष 1969 में आईटीआई कॉम्प्लेक्स (174.69 एकड़) की भूमि जिला औद्योगिक अधिकारी को सौंपी गई थी । इस भूमि का स्वामित्व विलेख अभी भी मैसर्स आईटीआई लिमिटेड के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया है ।

   पालक्का ड :- कंपनी के पास 77 एकड़ भूमि के संबंध में स्वामित्व/पट्टा विलेख संपत्तियां हैं, जिन्हें केरल सरकार द्वारा फिर से शुरू किया गया है और शीर्ष अदालत के समक्ष निर्णय के अधीन है ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी संख्या 2				
पूंजीगत चालू कार्य				
लागत पर पूंजीगत चालू कार्य	6653.06		6603.03	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		6653.06		6603.03
ठेकेदारों के पास सामग्री	28.93		28.93	
घटाएं : प्रावधान	28.93		28.93	
कुल		0.00		0.00
लागत पर मशीनरी				
मार्गस्थ	339.75		331.63	
स्वीकृति/अधिष्ठापन प्रतीक्षित	9900.74		11935.21	
	10240.49		12266.84	
घटाएं : प्रावधान	6.53		6.53	
कुल		10233.96		12260.31
कुल योग		16887.03		18863.34

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

टिप्पणी संख्या 3

निवेश सम्पत्ति :

वित्तीय वर्ष 2020-21

लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्य ह्रास					31.03.2021 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2020	वृद्धि	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2021	संचित मूल्य ह्रास 01.04.2020	वर्ष के लिए	विलोप	समयोजन	कुल 31.03.2021	
भूमि	6,395.87	-	-	-	6,395.87	-	-	-	-	-	6,395.87
भवन	372.86	9.49	-	-	382.35	21.49	10.21	-	-	31.69	350.66
कुल	6,768.73	9.49	-	-	6,778.22	21.49	10.21	-	-	31.69	6,746.53

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

टिप्पणी संख्या 3

निवेश सम्पवत्ति :

वित्तीय वर्ष 2019-20

लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्य ह्रास					31.03.2020 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2019	वृद्धि	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2020	संचित मूल्य ह्रास 01.04.2019	वर्ष के लिए	विलोप	समयोजन	कुल 31.03.2020	
भूमि	6,395.87	-	-	-	6,395.87	-	-	-	-	-	6,395.87
भवन	372.86	-	-	-	372.86	12.38	8.76	-	-	21.14	351.73
कुल	6,768.73	-	-	-	6,768.73	12.38	8.76	-	-	21.14	6,747.60

टिप्पणी :

I) (क) दूरसंचार विभाग को 03.10.1983 को 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 4653.75 वर्गमीटर भूमि ।

(ख) भूमि के संबंध में (बेंगलूरु और मनकापुर के कुछ भूभागों को छोड़कर) औपचारिक हस्तांतर-पत्र/पट्टा विलेख संबंधित राज्ये सरकारों द्वारा निष्पादित किया गया है ।

(ग) दूरसंचार विभाग को 10.07.1991 से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 1256.86 वर्गमीटर भूमि ।

(घ) मार्च, 1994 से 3 एकड़ भूमि राज्य सरकार को 99 वर्ष की अवधि के लिए मिनि विधान सौधा के निमार्ण के लिए पट्टे पर दिया गया है।

ii) 1.83 एकड़ भूमि, दक्षिणी रेल्वे को पट्टे पर दी गई है तथा 0.286 एकड़ भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को पट्टे पर दी गई है।

iii) (क) बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के पास 0.5733 एकड़ जमीन है।

(ख) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, आईटीआई कालोनी के पास 0.2222 एकड़ जमीन है।

(ग) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, ओल्ड मद्रास रोड, के.आर.पुरम के पास 0.3025 एकड़ जमीन है।

(घ) ईपीएफओ, एफ-28 भवन, के पास 0.6069 एकड़ जमीन है।

(ङ) थंबी एविएशन (हैलीपैड-ईसी प्लांट) के पास 0.9182 एकड़ जमीन है।

(च) ऐम्बेसी सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड के पास भूमि और भवन की क्रमश: 0.776 एकड़ और 6300 वर्ग मीटर का जमीन है।

iv) कंपनी अभी भी विभिन्न निवेश संपत्तियों के उचित मूल्य प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और इसलिए इस जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सका ।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 4				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति निवेश				
इक्विटी यंत्रों में निवेश				
अथशेष	3,799.03		3,976.12	
इंडिया सेटकाम लिमिटेड के पूर्ण प्रदत्त 10 रु. प्रति शेयर के 16,21,800 इक्विटी शेयर (मैसर्स क्रिस टेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम) 1216350 बोनस शेयरों सहित (निवेश की सीमा 49%)				
वर्ष के दौरान उचित मूल्य में परिवर्तन	(172.42)		(177.09)	
कुल		3626.61		3799.03
इंडियन सैटकॉम लिमिटेड में इक्विटी यंत्रों के उचित मूल्य में परिवर्तन की गणना (49%)				

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
इंडियन सैटकॉम लिमिटेड की कुल संपत्ति	12167.68	12,171.75
घटाएं : इंडियन सैटकॉम लिमिटेड की कुल बाहरी देनदारियां	(4,766.43)	(4,418.62)
नेटवर्थ (100%)	7,401.26	7,753.13
आईटीआई का हिस्सा (49%) समापन शेष	3,626.61	3,799.03
घटाएं : अथशेष	(3,799.03)	(3,976.12)
वर्ष के दौरान उचित मूल्य में परिवर्तन	(172.42)	(177.09)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 4(क)				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति का विवरण - माल प्राप्तियाँ				
सुरक्षित				
प्राप्त समझी गई	0.00		0.00	
संदिग्ध समझी गई	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
असुरक्षित				
प्राप्त समझी गई				
–गुजनेट	0.00		0.00	
–गुजनेट के अलावा	35272.92		35935.90	
संदिग्धल समझी गई	0.00		0.00	
	35272.92		35935.90	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		35272.92		35935.90
कुल योग		35272.92		35935.90
टिप्पणी सं. 5				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति - ऋण				
अप्रतिभूत एवं प्राप्त समझा गया माल :				
अग्रिम पूंजी	0.00		0.00	
प्रतिभूति निक्षेप(जमा) / सीमांत राशि	0.00		0.00	
ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
संदिग्द्ध समझा गया :				
अग्रिम पूंजी	1.62		1.62	
प्रतिभूति जमा	0.00		0.00	
ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
कुल	1.62		1.62	
घटाएं : प्रावधान	1.10		1.10	
कुल प्रतिभूति ऋण एवं अग्रिम		0.52		0.52
अप्रतिभूत एवं प्राप्त समझा गया माल :				
अग्रिम पूंजी	0.00		0.00	
प्रतिभूति जमा	0.00		0.00	
ऋण एवं अग्रिम	6.89		16.50	
संदिग्द्ध समझा गया :				
अग्रिम पूंजी	0.00		0.00	
प्रतिभूति जमा	0.00		0.00	
ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
कुल	6.89		16.50	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
संबंधित पक्षों से देय ऋण और अग्रिम :				
आईएसएल	0.00		0.00	
कुल अप्रतिभूत ऋण एवं अग्रिम		6.89		16.50
कुल योग		7.41		17.02

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 6				
माल सूचियाँ				
क) कच्चा माल और उत्पादन भंडार	8604.73		8377.69	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	1754.22		1755.35	
		6850.51		6622.34
ख) फैब्रिकेशन संविदा के प्रति जारी सामग्री	96.91		96.91	
घटाएं : प्रावधान	95.47		95.47	
		1.44		1.44
ग) गैर-उत्पादन भंडार	872.01		847.26	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	237.41		237.41	
		634.60		609.85
घ) प्रक्रियाधीन कार्य उत्पादन	7406.75		7882.95	
घटाएं : प्रावधान	606.76		606.76	
		6799.99		7276.19
ङ) प्रक्रियाधीन कार्य-स्थापना	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
		0.00		0.00
च) विर्निमित घटक	2146.64		1151.63	
घटाएं : प्रावधान	40.13		40.13	
		2106.51		1111.50
छ) तैयार माल				
भंडार माल	2354.31		2131.12	
उपर्युक्त पर उत्पाद शुल्क	0.44		0.44	
	2354.75		2131.56	
घटाएं : प्रावधान	1019.56		1019.56	
		1335.19		1112.00
ज) स्टॉक समाधान लेखा	19.47		10.33	
घटाएं : प्रावधान	10.33		10.33	
		9.14		0.00
झ) निरीक्षण / स्वीकृति हेतु लंबित माल		992.23		0.00
ञ) मार्गस्थ सामग्री अग्रिम				
प्राप्त समझी गई	640.29		600.22	
संदिग्ध समझी गई	238.76		238.76	
	879.05		838.98	
घटाएं : प्रावधान				
	238.76		238.76	
		640.29		600.22
ट) प्राप्त सामग्री और देय मार्गस्थ अग्रिम		0.00		0.00
ठ) औजार और गेज		0.00		0.00
कुल योग		19369.90		17333.53

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 7				
चालू वित्तीय परिसंपत्ती-माल प्राप्तियाँ				
सुरक्षित				
6 महीने से ज्यादा समय तक न चुकाया गया और उस तिथि से जब वह भुगतान करने के लिए बकाया हो गया हो ।				
प्राप्त समझी गई	0.00		0.00	
संदिग्ध समझी गई	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
अन्य 6 महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं ; प्राप्त समझी गई	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
असुरक्षित				
6 महीने से ज्यादा समय तक न चुकाया गया और उस तिथि से जब वह भुगतान करने के लिए बकाया हो गया हो ।				
प्राप्त समझी गई				
-गुजनेट*	36252.05		54952.45	
-गुजनेट के अलावा	200944.89		206878.77	
संदिग्ध समझी गई	4854.68		4651.61	
	242051.62		266482.83	
अन्य 6 महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं ; प्राप्ता समझी गई				
-गुजनेट*	2007.41		0.00	
-गुजनेट के अलावा	16005.99		14282.66	
	260065.02		280765.48	
घटाएं : प्रावधान	4854.68		4651.61	
कुल		255210.33		276113.88
कुल योग		255210.33		276113.88

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी में प्राप्य मूल्यों को अपेक्षित साख हानि मॉडल का इस्तेमाल करके हानि परीक्षण में दिया जाना चाहिए। भारतीय लेखा मानक 109 व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित साख हानि को मापने के दौरान वास्ताविक समयोचित के उपयोग की अनुमति देता है, और कहा जाता है कि प्रावधान मैट्रिक्स समयोचित के लिए उदाहरण है। अधिकांश व्यापार प्राप्तियां सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं से उत्पन्न होती हैं, जो उच्च जोखिम के संपर्क में नहीं हैं, कंपनी मामले की समीक्षा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित मामले के आधार पर विशिष्ट प्रावधान कर रही है। जबकि, अन्य ग्राहकों के लिए, प्रावधान मामले के आधार पर अपेक्षित साख हानि मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

टिप्पणी सं. 8				
चालू वित्तीयाँ परिसंपत्तियाँ रोकड और रोकड समकक्ष				
क) मार्गस्थ रोकड़	0.00		618.00	
ख) उपलब्ध रोकड़	32.72		59.29	
ग) चेक और उपलब्धं स्टैंप	0.00		0.00	
घ) बैंकों के पास शेष राशि :				
- चालू खाते में	2760.95		3300.69	
कुल		2793.67		3977.98

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 8(क)				
चालू वित्तीयाँ परिसंपत्तियाँ उपयुक्त को छोड़कर बैंक में शेष राशि				
बैंकों के पास शेष राशि :				
–एस्क्रो खाते पर	11178.49		1690.53	
– चालू खाते में (प्रशिक्षुओं)	1033.91		138.71	
लाभांश बकाया	0.00		0.00	
सुरक्षा जमा / अन्य	0.48		0.28	
एलसी मार्जिन धन	0.00		0.00	
बचत खाते में (प्रशिक्षुओं की प्रतिभूति जमा)	0.00		0.00	
अंशंकालिक जमा (मार्जिन धन)	157.82		157.82	
चालू खाते में (मार्जिन धन)	0.00		0.00	
मियादी जमा पर – 12 महीने से अधिक परिपक्व ता	39599.18		18541.43	
मियादी जमा पर – 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम परिपक्व ता	0.00		0.00	
कुल		51969.87		20528.77
टिप्पवणी सं. 9				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ ऋण				
वसूली योग्य नकद या वस्तु के रूप में या करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए सुरक्षित अग्रिम				
वाहन	0.00		0.00	
गृह भवन	0.00		0.00	
अन्य जमा	1035.95		1046.02	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		1035.95		1046.02
वसूली योग्य नकद या वस्तु के रूप में या करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए असुरक्षित अग्रिम				
प्राप्त समझी गई	26538.18		26774.28	
संदिग्ध समझी गई	536.60		896.61	
	27074.78		27670.89	
घटाएं : प्रावधान	536.60		896.61	
		26538.18		26774.28
दावों और वसूली व्यय अंतर्देशीय				
प्राप्त समझी गई	24005.96		25681.22	
संदिग्ध समझी गई	1002.61		992.29	
	25008.57		26673.51	
घटाएं : प्रावधान	1002.61		992.29	
		24005.96		25681.22
दावों और वसूली व्यय विदेश				
प्राप्त समझी गई	9.60		9.60	
संदिग्ध समझी गई	1204.32		1204.32	
	1213.92		1213.92	
घटाएं : प्रावधान	1204.32		1204.32	
		9.60		9.60
वाहन अग्रिम		0.00		0.00

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
अन्य जमा	4578.36		4015.30	
घटाएं : प्रावधान	421.47		256.00	
		4156.89		3759.30
अल्पा वधि जमा पर ब्याज अर्जित नहीं		17.74		17.74
कुल		54728.37		56242.14
कुल योग		55764.32		57288.16

(क) इसमें 1690.2 लाख रुपए जो कि एचसीएल इंमोसिस्ट से आईटीआई, एचसीएल और एल्का टेल के बीच समझौता के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली करने योग्य है, का समावेश है। क्योंकि यह राशि आईटीआई लिमिटेड, मनकापुर द्वारा अधिक व्ययय कर दी गई है।

ख) दावों और खर्चों वसूली- अंतर्देशीय-रूपये 140.27 लाख रुपये एसबीएआर 01.04.2009 से प्रभावी अधिक व्याज की वजह से पंजाब नेशनल बैंक की ओर से देय है और हमारी राय में, वही है ।

(ग) दावा वसूली भूमि में 1049.41 लाख रुपये मेसर्स हिमाचल फ्यूटूरिस्टिक कम्यू निकेशन से परिसमापन हर्जाना के अंतर्गत देय है । कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो उच्चर न्याायालय, दिल्ली के समक्ष लंबित है ।

(घ) 31.03.2011 अवधि की समाप्त तक पट्टे पर दिए गए परिसर हेतु 5847.9 लाख रुपए किराए पर प्राप्त हुए है और उसी परिसर के लिए 31.03.2011 के बाद की अवधि के लिए कोई किराये की आय प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण संचित आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं है ।

टिप्पचणी सं. 9(क)

बिना चुकाया गया राजस्व

सरकार				
-गुजनेट*	15706.96		12111.71	
-गुजनेट के अलावा	155411.95		50217.58	
गैर-सरकार	0.00		0.00	
कुल		171118.91		62329.29

टिप्पणी सं. 10

अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

कर और शुल्क निवेश	8333.09		5904.84	
सीमा शुल्क विभाग के पास जमा	280.24		268.00	
अग्रिम कर का भुगतान (धनवापसी का निवल)	10.08		6.44	
उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास जमा	422.74		419.29	
डब्ल्यू सीटी वसूली योग्य	0.00		0.00	
कुल		9046.15		6598.58

टिप्पणी सं. 11

ख. इक्विटी शेयर पूंजी

(क) प्राधिकृत		
2,80,00,00, 000 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येपक 10/- रू. का है	280000.00	280000.00
(ख) निर्गमित		
92,51,19,508 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है	93352.29	92511.95
(ग) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त		
92,51,19,508 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येतक 10/- रू. का है	93352.29	92511.95
(घ) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त नहीं	0.00	0.00
(ड़) सममूल्यत प्रति शेयर	0.00	10.00
(च) अदत्त माँग	0.00	0.00
(छ) जब्त शेयर	0.00	0.00
(ज) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन।		

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
(ज) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन।		
	No.of shares	No.of shares
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेष	925119508	897000000
जोडिए : वर्ष के दौरान निर्गम*	8403361	28119508
घटाए : वर्ष के दौरान वापसी क्रय नीति/जब्ती	0.00	0.00
शेयरों की बकाया संख्यां अंत शेष	933522869	925119508
(झ) अधिकारों एवं अधिमानो एवं उपरोक्ति वर्ग के शेयर के साथ प्रतिबंध संलग्न		

* भारत सरकार से प्राप्त 105 करोड़ रुपये के पूंजी अनुदान के खिलाफ, कंपनी ने 09.02.2021 को भारत के राष्ट्रउपति को 124.95 रुपये में 84,03,361 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

- इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार
- कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्यक राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा ।

(ञ) शेयरधारकों की सूची जिन्होंने 5% से ज्यादा शेयर लिया है। नाम	रखे गए शेयरों की संख्या	रखे गए शेयरों की संख्या
1 भारत के राष्ट्रपति	840698419	832295057
(ट) पिछले पाँच वर्षों के दौरान:		
(i) नकद प्राप्त किए बिना आबंटित शेयरों की कुल संख्या	Nil	Nil
(ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या	Nil	Nil
(iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	Nil	Nil
खख. अधिमानी शेयर पूंजी		
प्राधिकृत		
7,00,00, 000 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्योक 100/- रू. का है	70000.00	70000.00

टिप्पणी सं. 12

अन्य इक्विटी

	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
1) आरक्षित पूंजी				
i) उपहार स्वजरुप दी गई नि:शुल्क भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	25.30		25.30	
वृद्धि	0.00		0.00	
कुल	25.30		25.30	
कटौती	0.00		0.00	
इति शेष		25.30		25.30
ii) सहायता अनुदान पूँजी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	305802.00		274872.00	
सहायता अनुदान से अंतरण (पूँजी)	0.00		30930.00	
इति शेष		305802.00		305802.00
कुल आरक्षित पूंजी		305827.30		305827.30
2) प्रतिभूति बीमा-किस्त आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	11854.27		29.61	
वृद्धि	9659.66		13188.05	
कुल	21513.93		13217.66	
कटौती : एफपीओ मुद्दे व्यय*	(165.51)		1363.39	
इति शेष		21679.44		11854.27

* कंपनी ने सेबी के साथ एफ.पी.ओ. (अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव) दिनांक 17 जनवरी 2020 के लिए कच्ची विवरणिका दाखिल किया है। बहरहाल, कंपनी ने बाज़ार की मौजूदा परिस्थितियों के कारण निर्गम को वापस ले लिया है। एफ.पी.ओ. के लिए किए गए 1363.39 लाख रुपये के निर्गम व्यय को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम खाते में समंजित कर दिया गया। एफपीओ व्यय के वास्तविक भुगतान के बाद अनुमानित अतिरिक्त 165.51 लाख रुपये वापस कर दिया गया ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
3) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति				
I) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	0.00		0.00	
घटाएं – भूमि की बिक्री पर उत्क्रमण	0.00		0.00	
इति शेष		0.00		0.00
ii) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति भवन				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष				
घटाएं सामान्य संशय पर अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष	0.00		0.00	
कुल पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति		0.00		0.00
4) प्रतिधारित आय		0.00		0.00
I) सामान्य आरक्षिति :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष				
पूर्व अवधि समायोजन	235316.63		235316.63	
जोड़े : बांड मोचनीय आरक्षिति से अंतरण	0.00		0.00	
घटाएं लाभ–हानि में अंतरण	0.00		0.00	
घटाएं – अधिशेष के लिए अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष	0.00		0.00	
ii) अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ		235316.63		235316.63
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष				
घटाएं – अधिशेष के लिए अंतरण				
इति शेष	0.00		0.00	
iii) तकनीकी जानकारी की बिक्री	0.00		0.00	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		0.00		0.00
तकनीकी जानकारी की बिक्री				
पिछले तुलन पत्र के अुसार	3.50		3.50	
घटाएं – लाभ–हानि में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		3.50		3.50
iv) औद्योगिक आवास सब्सिडी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	6.79		6.79	
घटाएं – लाभ–हानि में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		6.79		6.79
v) निवेशीय भत्ता आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.00		0.00	
घटाएं – सामान्य आरक्षिति में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		0.00		0.00
vi) अधिशेष				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	(421787.48)		(436358.21)	
जोड़े: वर्ष के दौरान लाभ/हानि	947.78		14570.73	
जोड़े: सामान्य आरक्षित से अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े: अचल संपत्तियों की बिक्री के हानि पर लाभ से अंतरण	0.00		0.00	
कुल	(420839.70)		(421787.48)	
घटाएं : विनियोग	0.00		0.00	
घटाएं–लाभ और हानि खाते से कम अंतरण(वर्ष के लिए हानि)	0.00		0.00	
इति शेष		(420839.70)		(421787.48)
कुल प्रतिधारित कमाई		(185512.78)		(186460.56)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
5) शेयर अनुप्रयोग में लंबित आबंटित धन राशि		0.00		0.00
6) अन्य व्यापक आय				
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (बीमांकिक लाभ)				
अथशेष	8285.89		7894.12	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	1959.56		391.77	
इति शेष	10245.45		8285.89	
		10245.45		8285.89
कुल योग अन्य इक्विटी		152239.41		139506.91

टिप्पतणी सं. 13

अप्रचलित देनदारियाँ

सरकारी अनुदान का अनुपयोग :

i) उपहार स्वरुप दी गई नि:शुल्क उपस्कर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	0.00		0.00	
घटाएं – लाभ–हानि में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		0.00		0.00
ii) सहायता अनुदान (पूंजीगत)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	4.64		4.64	
जोड़े : इस वर्ष की प्राप्तियाँ	0.00		0.00	
कुल	4.64		4.64	
घटाएं : सहायता अनुदान राजस्वं में अंतरण:पूंजीगत आरक्षिति	0.00		0.00	
घटाएं : लाभ हानि लेखा में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		4.64		4.64
iii) सहायता अनुदान(राजस्व)				
पिछले तुलन पत्र के अुसार	11402.49		11841.82	
जोड़े : इस वर्ष की प्राप्तियाँ*	0.00		8540.00	
कुल	11402.49		20381.82	
घटाएं : लाभ/हानि लेखे में अंतरण	6675.51		8979.33	
इति शेष		4726.98		11402.49
कुल योग		4731.62		11407.13

* पिछले वर्ष के दौरान दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.), भारत सरकार ने कर्मचारियों जिन्हें वी.आर.एस. / वी.एस.एस. दिया गया या जिनका वी.आर.एस. / वी.एस.एस. दिनांक 30.6.2018 को कार्यवाही के तहत था, के भविष्य निधि की देयता को पूरा करने के लिए कंपनी को 8540 लाख रुपये का अनुदान आवंटित किया है जिसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया डी.ओ.टी. ने अपने पत्र दिनांक 31 दिसंबर 2019 द्वारा सूचित किया है कि कंपनी अपने संसाधनों से सांविधिक देयों की अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2019–20 में 8540 कारोड़ रुपये के आवंटन को हिसाब में ले जिसकी प्रतिपूर्ति डी.ओ.टी. द्वारा की जाएगी। भारतीय ए.एस. 20 के अनुसार, इस राशि को 8540 लाख रुपये के अनुदान में आय के रूप में निर्धारित किया गया है।

– सरकारी अनुदान के अपव्यय हिस्सा (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अनुसार) को अन्य इक्विटी से अलग वर्गीकृत किया गया है और अप्रचलित देनदारियों के रूप में दिखाया गया है

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 14				
अप्रचलित देनदारियाँ				
वित्तीय देयता ऋण				
अस्थायी दर बांड				
बैंक द्वारा	0.00		0.00	
सावधि ऋण	0.00		0.00	
अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
ii) प्रतिभूति ऋण				
भारत सरकार से ऋण*	30000.00		18000.00	
उपरोक्त ब्याज अर्जित और देय है	0.00		0.00	
चलायमान बॉन्ड दर	0.00		0.00	
बैंक से मियादी ऋण	0.00		0.00	
आस्थगित भुगतान देयता	0.00		0.00	
जमा	0.00		0.00	
संबंधित पक्ष द्वारा ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
वित्तीय पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता	0.00		0.00	
अन्य ऋण-के.यू बैंड	0.00		0.00	
कुल		30000.00		18000.00
कुल योग		30000.00		18000.00

* कम्पनी को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से वर्ष 2014-15 के दौरान कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए 30,000 लाख रुपए का सुलभ ऋण प्राप्त हुआ था जिसका पुनर्भुगतान दो वर्ष के स्थगन के साथ कम्पनी द्वारा लाभ अर्जित करना प्रारंभ करने के पश्चात से पांच वर्षों में किया जाना था। कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के पश्चात से पुनर्भुगतान प्रारंभ कर देना चाहिए था। तथापि, इसके द्वारा पुनर्भुगतान के लिए समय विस्तार मांगा गया है क्योंकि कम्पनी अभी भी अपने परिचालनों से लाभ नहीं कमा रही है।

टिप्पणी सं. 15				
अचल वित्तीय देयता अन्य				
प्राप्त् प्रतिभूति जमा	7311.62		13392.97	
ब्याज अर्जित और भारत सरकार द्वारा कोई लंबित ऋण नहीं*	0.00		0.00	
कुल योग		7311.62		13392.97
टिप्पणी सं. 16				
अचल प्रावधान				
विशेषाधिकृत अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	7378.89		7985.89	
घटाएं : निगमित से अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	(2110.33)		(607.00)	
घटाएं : अदायगी	0.00		0.00	
कुल		5268.56		7378.90
रुग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	54.87		62.52	
घटाएं : निगमित से अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान का उत्क्रमण	1.46		(7.62)	
घटाएं : अदायगी	0.00		0.00	
कुल		56.33		54.90
(ii) अन्य		0.00		0.00
कुल योग		5324.90		7433.80
टिप्पणी सं. 17				
चालू देयताएँ				
ळ) चालू वित्तीय देयताएँ ऋण				
माँगने पर ऋण शोध्य				
- जमानती ऋण				

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
स्टेट बैंक एवं बैंकों के सहायता संघ के सदस्यों से नकदी ऋण, माल स्टाक, भंडार, कच्ची माल, ऋण एवं अग्रिम के दृष्टिबंधक और दोनों चल एवं अचल स्थायी परिसंपत्ति	116426.36		103558.39	
– गैर जमानती ऋण				
संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रिम	0.00		0.00	
जमा	0.00		0.00	
अन्यध ऋण एवं अगिम	0.00		0.00	
कुल		116426.36		103558.39

टिप्पणी सं. 18

चालू वित्तीय देयताएं व्यापार प्राप्तियाँ

वस्तुओं के संभरण के लिए				
– सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्य म	598.18		1299.77	
– अन्य				
– गुजनेट	25664.38		37219.17	
– गुजनेट के अलावा	153938.91		167793.10	
कुल	180201.47		206312.04	
व्यय और सेवाओं के लिए				
– गुजनेट	0.00		852.65	
– गुजनेट के अलावा	5053.77		4536.97	
अन्य देयताओं के लिए	3311.41		6603.59	
कुल		188566.66		218305.26

जमा, 31.03.2020 को दिखाए गए वर्तमान देयताओं के अनुसार, वापसी के लिए दावा नहीं किया गया है और वह देय है।

सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों की एक सूची जिसका कंपनी ऋणी है, बकाया ब्याज के साथ किसी भी राशि के लिए

अनुलग्नक के अूसार

कंपनी द्वारा पहचाने गए सूक्ष्म और लघु उद्यमों का देय / भुगतान
का प्रकटीकारण।

(क) 31.03.2020 तक न चुकाया हुआ मूल राशि का बकाया है।	534.77	1210.47
(ख) 31.03.2020 तक न चुकाया हुआ ब्याज बकाया है।	63.41	89.30
(ग) वर्ष के दौरान नियुक्ति दिन से परे भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन की राशि।	0.00	0.00
(घ) भुगतान में देरी के कारण हेतु ब्याज राशि की शेष और देय (जो नियुक्त अवधि के दौरान से परे भुगतान की गई) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2007 के अंतर्गत ब्याज को छोड़कर ।	0.00	0.00
(ङ) 31.03.2020 तक न चुकाया हुआ अर्जित ब्याज की राशि शेष ।	0.00	0.00
(च) सफल वर्ष में भी देय और शेष ब्याज की राशि देय । (जब तक इस तरह के ब्याज का भुगतान छोटे उद्यम को नहीं किया जाता है)	0.00	0.00

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 19				
चालू वित्तीय देयताएँ अन्य				
उधार पर नहीं बकाया किन्तुं प्रोदभूत ब्याज	0.00		0.00	
उधार पर बकाया एवं प्रोदभूत ब्याज	600.00		300.00	
अप्रदत परिपक्वत जमा एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	0.00		0.00	
अप्रदत परिपक्व डिवेंचर एवं उन पर प्रोदभूत ब्याय	0.00		0.00	
व्यय एवं सेवा कर के लिए	1294.08		2916.03	
अन्य देयता के लिए	128735.11		55951.89	
अन्य देय	562.46		644.18	
देय वेतन	2174.45		2470.67	
दावा न किए गए लाभांश	0.00		0.00	
रॉयल्टी देय	212.80		212.80	
वेतन संशोधन बकाया	1033.52		1056.60	
अधिमान शेयर*	0.00		2500.00	
ठेकेदारों से जमा	5870.04		4352.61	
विविध देनदारियाँ	32963.74		24526.57	
कुल		173446.20		94931.36

*चूंकि अधिमान शेयर अपरिवर्तनीय और अतिदेय हैं, उसे शेयर पूंजी से निकाला गया है और वर्तमान वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खातें में ब्याज/लाभांश प्रदान नहीं किया गया है।

अधिमान शेयर

क) प्राधिकृत

70000000 अधिमान शेयर जिसमें से प्रत्येक 100/- रु. का है -8.75% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर	70000.00	70000.00
ख) निर्गमित		
10000000, 8.75% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर प्रत्येक 100 रु. का प्रतिदेय सममूल्य पर मार्च 2005 से 5 बराबर किश्तों में	0.00	0.00
(ग) अभिदत्त एवं पूर्ण चुकता		
10000000, 8.75% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर प्रत्येक 100 रु. का प्रतिदेय सममूल्य पर मार्च 2005 से 5 बराबर किश्तों में	0.00	0.00
(घ) अभिदत्त एवं पूर्ण चुकता नहीं	0.00	0.00
(ङ) अदत्त मांग	0.00	0.00
(च) जब्त शेयर	0.00	0.00

(छ) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन

	रखे गए शेयरों की संख्या	रखे गए शेयरों की संख्या
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेष	0.00	10000000
जोड़े : वर्ष के दौरान निर्गम	0.00	0.00
घटाएं : वर्ष के दौरान वापसी क्रय /जब्ती	0.00	10000000
शेयरों की संख्यां बकाया अंत शेष	0.00	0.00

(ज) अधिकारों एवं अधिमानों एवं उपरोक्ति वर्ग के शेयर के साथ प्रतिवंध संलग्न ।

- इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं संकल्पों पर है जो कंपनी के समक्ष रखा गया है और अधिमान शेयर से जुड़े अधिकार पर सीधे प्रभाव डालता है ।
- कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा ।

(झ) शेयरधारकों की सूची जिन्होने 5% से ज्याादा शेयर लिया है

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
नाम	**रखे गए शेयरों की संख्या**	**रखे गए शेयरों की संख्या**
1. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	0	0
(ञ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान :		
(i) नकद प्राप्त किए बिना आवंटित शेयरों की कुल संख्या	0.00	0.00
(ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या	0.00	0.00
(iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	0.00	0.00
निम्न लिखित वर्ग के संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर के संबंध में लाभांश बकाया राशि में है		
क) 2002-03 से संचयी अधिमान शेयर 8.75% पर (दर्शाए गए आँकडे लाभांश वितरण कर से वाहर है)	0.00	15251.37
मोचन किश्ति जो कि संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर के संबंध में कंपनी द्वारा जारी किया गया लेकिन निधि दवाब के कारण उसका भुगतान नहीं किया गया		
31 मार्च, 2005 से 31 मार्च, 2009 तक		
मोचन किश्तं देय 8.75%, रु 1000 लाख का अधिमान शेयर	0.00	0.00
7% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर		
(क) निर्गमित		
20000000, 7.00% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर, जिसके प्रत्येक शेयर का मूल्य 100 रूपये है, मार्च 2006 से 5 बराबर किश्तों प्रतिदेय पर सममूल्य है, बीएसएनएल को कॉल विकल्प के साथ निवेश तिथि 31.03.2003 से एक वर्ष की समाप्ति के वाद	0.00	0.00
(ख) अभिदत्तत एवं पूर्णत: चुकता		
20000000, 7.00% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर, जिसके प्रत्येक शेयर का मूल्य 100 रूपये है, मार्च 2006 से 5 बराबर किश्तों प्रतिदेय पर सममूल्य है, बीएसएनएल को कॉल विकल्प के साथ निवेश तिथि 31.03.2003 से एक वर्ष की समाप्ति के वाद	0.00	0.00
(ग) अभिदत्त एवं पूर्णत: चुकता नहीं	0.00	0.00
(घ) सममूल्यं प्रति शेयर (रु 100)	0.00	0.00
(ङ) अदत्त	0.00	0.00
(च) जब्त शेयर	0.00	0.00
(छ) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन		
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेषर	**रखे गए शेयरों की संख्या**	**रखे गए शेयरों की संख्या**
जोड़े : वर्ष के दौरान निर्गम	0.00	20000000
घटाएं : वर्ष के दौरान वापसी क्रय /जब्ती	0.00	0.00
शेयरों की बकाया संख्या अंत शेष	0.00	20000000
	0.00	0.00
(ज) अधिकारों एवं अधिमानों एवं उपरोक्ति वर्ग के शेयर के साथ प्रतिबंध संलग्न		

- इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार केवल उन्ही संकल्पों पर है जो कंपनी के समक्ष रखा गया है और अधिमान शेयर से जुड़े अधिकार पर सीधे प्रभाव डालता है।
- कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
(झ) शेयरधारकों की सूची जिन्होंने 5% से ज्यादा शेयर लिया है।				
नाम	**रखे गए शेयरों की संख्या**		**रखे गए शेयरों की संख्या**	
1. भारत संचार निगम लिमिटेड	0		0.00	
(ञ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान:				
(i) नकद प्राप्त किए बिना आवंटित शेयरों की कुल संख्या	0.00		-	
(ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या	s 0.00		-	
(iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	0.00		-	
निम्नलिखित वर्ग के संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर के संबंध में लाभांश बकाया राशि में है				
क) 2003-04 से संचयी अधिमान शेयर 7.00% पर (दर्शाए गए आँकड़े लाभांश वितरण कर से बाहर है)	0.00		23006.03	
मोचन किश्त जो कि संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर के संबंध में कंपनी द्वारा जारी किया गया लेकिन निधि दवाब के कारण उसका भुगतान नहीं किया गया।				
31 मार्च, 2006 से 31 मार्च, 2010 तक मोचन किश्तं देय 7.00%, रु. 2000 लाख का अधिमान शेयर	0.00		0.00	
टिप्पणी सं. 20				
चालू प्रावधान				
कराधन के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	0.00		0.00	
घटाएं : पूर्व वर्ष के लिए प्रावधान का समायोजन	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
उपदान के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	10756.06		9678.61	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	900.38		1077.45	
घटाएं : उपदान न्यास में अंतरण	210.00		0.00	
जोड़े : उपदान न्यास से अंतरण	7171.33		343.76	
जोड़े : निगमित से अंतरण	0.00		0.00	
घटाएं : भुगतान	7171.33		343.76	
कुल		11446.44		10756.06
अर्जित अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1676.66		633.29	
घटाएं: निगम को अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	1557.70		1769.24	
घटाएं : भुगतान	1226.32		725.86	
कुल		2008.05		1676.67
रूग्णा वकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3.76		2.05	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	(2.30)		1.71	
घटाएं : अदायगी	0.00		0.00	
कुल		1.46		3.75
लंबी दूरी के लिए रियायती यात्रा भत्ता				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	267.11		294.72	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान का उत्क्रमण	(22.83)		(25.27)	
घटाएं : भुगतान	35.65		2.33	
कुल		208.64		267.11
कुल योग		13664.58		12703.60

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी सं. 21				
अन्य चालू देयताएँ				
अग्रिम में आय प्राप्त	0.00		0.00	
शुल्क और कर	2872.50		3744.96	
ग्राहकों से अग्रिम	103169.31		56565.98	
कुल		106041.81		60310.94
टिप्पणी संख्या 22				
परिचालन से राजस्व				
i) उत्पादों की बिक्री (जीएसटी का निवल)				
तैयार माल की बिक्री	15088.86		5400.77	
व्यारपार माल की बिक्री	20842.10		12698.37	
कुल		35930.96		18099.14
ii) सेवाओं की बिक्री		200287.32		187787.72
iii) अन्य प्रचालन राजस्व :				
क) स्क्रैप की बिक्री	0.00		0.00	
I) डीएलआरसी परियोजना से आय	0.00		0.00	
ग) गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क	0.00		0.00	
घ) सहायता-राजस्व में अनुदान	0.00		0.00	
		0.00		0.00
कुल		236218.28		205886.86

विवरण		
मुख्य शीर्षक अंतर्गत बिक्री		
1. एनपीआर	0.00	0.00
2. इलेक्ट्रॉ निक स्विचिंग उपस्कर	684.30	458.43
3. एमएलएलएन	0.00	0.19
4. सिम कार्ड	0.00	0.00
5. संचरण उपस्कर	0.00	0.00
6. टेलीफोन	13.78	4.09
7. जी-पॉन	60.79	16.67
8. डीडब्यूनडीएम	0.00	0.00
9. सोलर पैनल	105.10	217.88
10 एसडब्यूनएएन	0.00	0.00
11 एपीडीआरपी	0.00	0.00
12 आईटी उत्पाद	5317.03	7316.96
13. एनजीएन	0.00	0.00
14. एनएफएस	601.95	637.38
15. एस्कॉन	0.00	0.00
16. रक्षा	42.58	323.81
17. स्मार्ट ऊर्जा मीटर	0.00	1014.89
18. बीबीडब्ल्यूटी	0.00	0.00
19. एचडीपीई पाइप	3002.48	2199.20
20. ओएफसी	1461.43	0.00
21. महानेट	3218.52	0.00
22. वाईफाई हॉटस्पॉट	0.00	23.65

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
23 गुजनेट	0.00		0.00	
24 बीएनजी	0.00		0.00	
25 डीडीओएस	0.00		0.00	
26 मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	420.40		1087.32	
27 सीसीएमएस	808.95		0.00	
28 मोबाइल शोरूम	116.68		223.71	
29 राज्य सरकार	5567.04		4231.54	
30 अन्य	0.00		343.42	
कुल	21421.03		18099.14	
मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सेवाएँ से लाभ				
1. एएमसी	3309.39		5237.23	
2. एसएसटीपी	18.72		18.33	
3. एनपीआर	0.00		0.00	
4. एसईसीसी	0.00		0.00	
5. डाटा सेंटर	1542.67		1491.23	
6. आईटी	1084.01		594.98	
7. एसडब्ल्यू एएन	0.00		0.00	
8. जीएसएमएफ	3143.41		3429.43	
9. एनएम एस	9981.24		18938.79	
10. जी-पॉन	47.49		89.84	
11. एस्कॉन	5908.12		7202.16	
12. रक्षा	831.41		267.51	
13. एनजीएन	353.56		515.38	
14. बीबीडब्ल्यूटी	0.00		0.00	
15. महानेट	122570.14		52304.26	
16. वाई-फाई हॉटस्पॉट	62.52		223.94	
17. गुजनेट	10336.51		90701.83	
18. बीएनजी	574.31		178.98	
19. डीडीओएस	0.00		0.00	
20. एमएलएलएन	49.05		87.17	
21. सीसीएमएस	87.36		653.56	
22. ई-निविदा	2262.12		3806.98	
23. एसएमपीएस, कौशल विकास	244.62		0.00	
24. फाइबर नेटवर्क	99.78		(1701.41)	
25. रेलवे	394.61		388.14	
26. एनएमएस	110.62		(755.86)	
27. अन्य	26.85		4115.25	
कुल	163038.51		187787.72	
विदेशी मुद्रा में आय				
माल के निर्यात का एफओबी के आधार पर गणना	0.00		0.00	
रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, व्यवसायिक और परामर्श शुल्क	0.00		0.00	
ब्याज और लाभांश	0.00		0.00	
सेवाएँ	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या : 23				
अन्य आय				
क) आय पर ब्याज				
i) अंतर कार्यालय अग्रिम पर ब्याज	0.00		0.00	
ii) ब्याज अन्य	1160.60		1571.14	
कुल		1160.60		1571.14
ख) गैर-व्यापार निवेश से लाभांश		0.00		0.00
ग) निवेश के बिक्री से निवल लाभ / हानि		0.00		0.00
घ) अन्य गैर-प्रचालन आय (ऐसी आय के कारण निवल खर्च)				
i) परिसंपत्ति के बिक्री से लाभ	0.00		50.64	
घटाएं : पूँजीगत खाते का आरक्षण	0.00		0.00	
कुल	0.00		50.64	
ii) कमीशन	0.00		0.00	
iii) किराया	2172.64		2105.31	
iv) पट्टे का किराया	309.15		309.15	
v) परिवाहन प्रभार	0.04		0.00	
vi) रद्दी की बिक्री	339.32		558.68	
vii) जल प्रभार / विद्युत प्रभार	6.22		5.87	
viii) जब्त बैंक गारंटी	0.00		0.00	
ix) अतिरिक्त वापस लिया हुआ प्रावधान	426.59		0.00	
x) वीआरएस की प्रतिपूर्ति	0.00		0.00	
xi) गैर जरूरत देनदारियों की वापसी	2043.71		4407.04	
xii) परिनिर्धारित हानि की छूट	0.23		62.55	
xiii) श्रीनगर की हानि की क्षतिपूर्ति	0.00		0.00	
xiv) ब्याज प्रभार पर छूट	0.00		0.00	
xv) अनुदान सहायता से स्थानांतरण	0.00		0.00	
xvi) राजस्व अनुदान सहायता वीआरएस	6695.30		439.33	
xvii) राजस्व अनुदान सहायता अन्य	0.00		8540.00	
xviii) पूंजीगत सहायता अनुदान से स्था नांतरण	0.00		0.00	
xix) एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा	2810.64		128.67	
xx) विविध आय	166.26		210.96	
कुल (i go xx)		14970.11		16818.20
ङ) निवेश का कैरिंग वैल्यू के लिए समायोजन (प्रतिलेखन)	0.00		0.00	
च) पिछले साल से संबंधित अनुदान	0.00		0.00	
छ) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेन-देन पर निवल लाभ / हानि (वित्तीय लागत के रूप में माने जाने के अलावा)	6.63		0.00	
कुल योग		16137.35		18389.34

*पिछले वर्ष के दौरान दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.), भारत सरकार ने कर्मचारियों जिन्हें वी.आर.एस. / वी.एस.एस. दिया गया या जिनका वी.आर.एस. / वी.एस.एस. दिनांक 30.6.2018 को कार्यवाही के तहत था, के भविष्य निधि की देयता को पूरा करने के लिए कंपनी को 8540 लाख रुपये का अनुदान आवंटित किया है जिसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया डी.ओ.टी. ने अपने पत्र दिनांक 31 दिसंबर 2019 द्वारा सूचित किया है कि कंपनी अपने संसाधनों से सांविधिक देयों की अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 8540 करोड़ रुपये के आवंटन को हिसाब में ले जिसकी प्रतिपूर्ति डी.ओ.टी. द्वारा की जाएगी। भारतीय ए.एस. 20 के अनुसार, इस राशि को 8540 लाख रुपये के अनुदान में आय के रूप में निर्धारित किया गया है।

*वर्ष के दौरान कम्पनी को दक्षिण-पश्चिम रेलवे द्वारा बेंगलूरू में भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण किए जाने के प्रति 2908.02 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का पत्र प्राप्त हुआ था। 2796.34 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि का आकलन भूमि की उस लागत को घटाकर किया गया है जो बेंगलूरू में अधिगृहित की गई भूमि के कुल क्षेत्र के आधार पर बेंगलूरू में कम्पनी के स्वामित्व वाली भूमि के कुल क्षेत्र के कुल वहन मूल्य के समानुपात में है तथा इस अतिरेक को विशिष्ट आय माना गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 24				
कच्चे माल तथा उत्पादन भंडार की खपत				
आरंभिक स्टॉक	7970.89		8880.93	
जोड़े : पुनरीक्षण के कारण पूर्व अवधि समायोजन	0.00		0.00	
क्रय / स्थानांतरण	17901.53		8279.81	
स्थापना और अनुरक्षण के लिए सामग्री	0.00		0.00	
कुल		25872.42		17160.74
घटाएं :				
अंतिम स्टॉक	8483.93		7970.89	
राजस्व एवं अन्य को निर्गम	(182.83)		282.56	
सामग्री अन्य यूनिटों में स्थानांतरण	0.00		0.00	
कुल		8301.10		8253.45
जोड़े : भंडार से संबंधित भंडार अप्रत्यक्ष व्यय		(6.38)		(3.61)
उपभोग		17564.94		8903.67
मुख्य शीर्षक जिनके अंतर्गत कच्च माल का खपत होता है विवरण				
विवरण				
1. इलेक्ट्रॉ निक माल और घटक	17630.13		9113.06	
2. एमएनआईसी	60.92		31.76	
कुल		17691.03		9144.82
सीआईएफ आधार पर आयातित वस्तु ओं का मूल्य	2020-21		2019-20	
कच्चे माल और उत्पादन भंडार	1697.18		3183.51	
घटक और अतिरिक्त पुर्जे	0.00		0.00	
मार्गस्थ सामग्री	0.00		0.00	
पूँजीगत माल	274.83		1214.87	
कुल	1972.01		4398.38	
आयातित कच्चे माल का मूल्य, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत और स्वदेशी वस्तुओं की खपत और कुल खपत में प्रत्येक की प्रतिशतता				

	2020-21		2019-20	
विवरण	?Lakhs	%	?Lakhs	%
आयातित	2093.87	11.84	3242.28	35.45
स्वदेशी	15597.18	88.16	5902.52	64.55
कुल	17691.05	100.00	9144.80	100.00

टिप्पणी संख्या 25		
व्यापार में स्टॉक की खरीद	27012.54	41867.91
मुख्य शीर्षक के तहत खरीदे गए सामान		
विवरण		
1. टेलीफोन	0.00	0.00
2. एसटीएम	0.00	0.00
3. डीडब्ल्यूडीएम	0.00	0.00
4. सोलर	57.19	848.60
5. एसएसटीपी	0.00	0.00
6. सीडीएमए	0.00	0.00
7. एसएमपीएस	0.00	61.45
8. एस्कॉन	0.00	0.00
9. जीएसएम	0.00	0.00
10. आईटी	8475.81	6660.68

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
11. एपीडीआरपी	0.00		0.00	
12. एनजीएन	0.00		0.00	
13. स्मार्ट ऊर्जा मीटर	0.00		0.00	
14. सौर पेनल	0.00		0.00	
15. महानेट	2904.68		0.00	
16. वाई-फाई हॉटस्पॉट	0.00		20.10	
17. गुजनेट	3677.15		27536.41	
18. बीएनजी	0.00		0.00	
19. डीडीओएस	0.00		0.00	
20. मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	30.42		0.00	
21. सीसीएमएस	0.00		0.00	
22. मोबाइल शोरूम	114.85		223.04	
23. एमएलएलएन	0.00		0.00	
24. एसईएम (एनईटी)	0.00		0.00	
25. मिनी पीसी	0.00		0.00	
26. ओएफसी	1333.86		0.00	
27. ओएनटी/ओएलटी	0.00		122.65	
28. एमसीईयू	0.00		0.00	
29. वाई फाई एक्सेस प्वाटईट	0.00		0.00	
30. आई पी इन्क्रीसपटर्स एमएचए	0.00		0.00	
31. एलईडी स्ट्रीट लाईट	872.65		0.00	
32. फेस शील्डक	19.84		0.00	
33. स्मार्ट पार्सल	0.00		0.00	
34. कैंम्रोनेन्टक स्क्रीनिंग	0.00		0.00	
35. स्मार्ट कार्ड	0.00		0.00	
36. वेंटीलेटर / मेडिकल डिवाइसेस	1566.91		0.00	
37. एस्कॉन फेज़ IV	3044.44		0.00	
38. ऐयरटेल एफटीटीएच रोलआॅउट	3.15		0.00	
39. भारतनेट अंडमान एवं निकोबार	0.00		0.00	
40. राज्य सरकार	0.00		4232.89	
41. अन्य	4911.59		2162.09	
कुल	27012.54		41867.91	

टिप्पणी संख्या 26

तैयार माल की वस्तु सूची में परिवर्तन, प्रक्रियाधीन कार्य और व्यापार में स्टॉक

प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)

प्रक्रियाधीन उत्पादन :				
इति शेष	7375.41		7851.61	
घटाएं : अथ शेष	7851.61		3718.24	
कुल	(476.20)		4133.37	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		(476.20)		4133.37
प्रक्रियाधीन कार्य संस्थापन :				
इति शेष	0.00		0.00	
घटाएं : अथ शेष	0.00		0.00	
कुल	0.00		0.00	

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल	0.00		0.00	
विनिर्मित घटकों में वृद्धि / (ह्रास)				
इति शेष	2132.56		1137.55	
घटाएं : अथ शेष	1137.55		970.79	
कुल	995.02		166.76	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		995.02		166.76
प्रक्रियाधीन कार्य संस्थापन :				
इति शेष	0.00		0.00	
घटाएं : अथ शेष	0.00		0.00	
कुल	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप/ संस्थापन में प्रभाव	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)				
व्यापार में स्टॉक:				
इति शेष	2167.11		1830.98	
घटाएं : अथ शेष	1830.98		2172.71	
कुल	336.13		(341.73)	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		70.67	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		336.13		(271.06)
रद्दी का स्टॉक				
इति शेष	0.00		0.00	
घटाएं : अथ शेष	0.00		0.00	
जोड़े : पूर्व अवधि समायोजन	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल योग		854.95		4029.07

टिप्पणी संख्या 27

कर्मचारि हित पर व्यय:

i) वेतन और मजदूरी :				
वेतन और मजदूरी	17124.26		16798.71	
घटाएं : अन्य राजस्व लेखा	0.00		0.00	
कुल	17124.26		16798.71	
बोनस	9.23		1.87	
वेतन संशोधन बकाया भुगतान	0.00		0.00	
प्रोत्साहन	10.85		48.55	
कुल		17144.34		16849.13
ii) भविष्य निधि और अन्य निधियों को कंपनी का अंशदान :				
भविष्यि निधि और पेंशन निधि	1912.01		2074.80	
कर्मचारी राज्य बीमा	12.75		7.99	

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
उपदान न्यास निधि	900.38		1077.44	
छुट्टी वेतन - पीएल	(554.05)		1162.24	
रुग्णी अवकास	(0.85)		(5.91)	
जमा बद्ध बीमा / ग्रुप बीमा	33.01		9.12	
कुल		2303.25		4325.68
iii) कर्मकार और कर्मचारी कल्याण व्यय				
कल्याण व्यय कैंटीन	286.25		343.37	
कल्याण व्यय शिक्षा	39.86		38.81	
चिकित्सा व्यय	496.27		576.59	
एलटीसी / एलएलटीसी	(20.17)		(24.91)	
वर्दी	3.08		0.36	
अन्य	134.28		156.45	
कुल		939.58		1090.66
iv) स्वच्छिक सेवानिवृत्ति योजना				
वीआरएस भुगतान		6697.07		443.49
v) बीमांकिक लाभ / (हानि)		1959.56		391.77
कुल योग		29043.80		23100.74

संबंधित पार्टी लेनदेन

प्रमुख प्रबंधकीय कमियों - वेतन और परिलब्धियाँ

नाम	2020-21	2019-20
श्री आर एम अग्रवाल - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	35.63	32.96
श्री शशि प्रकाश गुता निदेशक (मानव संसाधन)	31.32	30.15
श्री राजीव श्रीवास्त व निदेशक-वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी (06.01.2020 से प्रभावी)	15.88	5.60
श्री वेंकटेश्वीरलू निदेशक (उत्पादन)	17.84	6.59
श्री राकेश चंद्र तिवारी निदेशक विपणन (07.01.2021 से प्रभावी)	3.03	0.00
श्रीमती शनमुगा प्रिया कंपनी सचिव	11.60	10.73
श्री अलगेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	43.75
श्रीमती मालत्ती एम भूतपूर्व मुख्य वित्त अधिकारी	-	15.92

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट

परिभाषित लाभ योजना

ट्रस्ट द्वारा कर्मचारियों की उपदान निधि योजना परिभाषित लाभ योजना है । दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है । अवकाश नकदीकरण का दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है जो कि अपव्ययी है ।

i. **परिणाम का सारांश**

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्ण अवकाश	
क्र.सं.	**परिसंपत्ति / देयता**	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,148	21,655	7,277	9,056	58	59
(ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5,701	10,899	--	--	0	--
(ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति / (देयता)	11,446	10,756	7,277	9,056	-58	-59

ii. **बीमांकिक और जनसांख्यिकीय धारणा**

क्र.सं.	**विवरण**	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	छूट दर	6.15	6.31	6.15	6.31	6.15	6.31
(ख)	भविष्य में वेतन वृद्धि	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
(ग)	उम्र के संघर्षण	2.45	0.50	2.45	0.81	2.45	0.50

iii. **योजना दायित्व**

समाप्त तिथि	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,148	21,655	7,277	9,056	58	56

iv. **सेवा लागत**

क्र.सं	**विवरण**	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	वर्तमान सेवा लागत	536	673	296	316	2	2
(ख)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	--	--	--	--	0	--
(ग)	गैर दिनचर्या निपटान पर लाभ या हानि	--	--	--	--	0	--
(घ)	कुल सेवा लागत	536	673	296	316	2	2

v. **निवल ब्याज लागत**

क्र.सं	**विवरण**	3/31/2021	3/31/2020	3/31/2021	3/31/2020	3/31/2021	3/31/2020
(क)	परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	1,366	1,502	571	631	4	5
(ख)	योजना परिसंपत्ति पर ब्याज आय	688	774	--	--	0	--
(ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	679	728	571	631	4	5

vi. **लाभ दायित्व में परिवर्तन**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	अवधि की प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,655	20,525	90,056	8,619	59	65
(ख)	अधिग्रहण समायोजन	--	--	--	--	0	0
(ग)	ब्याज लागत	1,366	1,502	571	631	4	5
(घ)	सेवा लागत	536	673	296	316	2	2
(ड़)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	--	--	--	--	0	--
(च)	लाभ का भुगतान	- 7,171	- 344	-1,008	- 721	0	--
(छ)	दायितत्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	761	- 702	-1,638	211	- 7	- 13
(ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,148	21,655	7,277	9,056	58	59

vii. **दायित्व पर वास्तविक लाभ / हानि का विभाजन**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	130	- 215	65	-84	0.6	-1
(ख)	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	77	- 1,265	36	-640	0.3	-4
(ग)	अनुभव समायोजन होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	554	778	-1740	935	-7.8	-8

viii. **परिसंपत्ति योजना पर बीमांकिक लाभ/हानि**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	अपेक्षित ब्याज आय	688	774	--	--	--	--
(ख)	योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	1764	663	--	--	--	--
(ग)	वर्ष के संपत्ति पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	1076	-112	--	--	--	--

ix. **तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,148	21,655	7,277	9,056	58	59
(ख)	योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	5,701	10,899	--	--	--	--
(ग)	तुलन पत्र में अपव्यी दायित्व / प्रावधान	-11,446	-10,756	-7,277	-9,056	-58	-59

x. **आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	कुल सेवा लागत	536	673	296	316	2	2
(ख)	निवल ब्याज लागत	679	728	571	631	4	5
(ग)	अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	0	0	-1,638	211	-7	-13
(घ)	आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,215	1,401	-771	1,158	-1	-6

xi. **अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	निवल संचयी न पहचाना गया लाभ/(हानि) खोलना	--	--	--	--
(ख)	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-761	702	--	--
(ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	1076	-112	--	--
(घ)	वर्ष में न पहचाना गया बीमांकिक लाभ/(हानि)	315	590	--	--

xii. **परिसंपत्ति योजना में परिवर्तन**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	10,899	10,581	--	--	--	--
(ख)	योजना संपत्ति पर वास्तविक वापसी	1,764	663	--	--	--	--
(ग)	नियोक्ता योगदान	210	--	--	--	--	--
(घ)	लाभ का भुगतान	-7,171	-344	--	--	--	--
(ड़)	अवधि के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	5,701	10,899	--	--	--	--

xiii. **योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों का प्रतिशत)**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	भारत सरकार की प्रतिभूतियों	--	--	--	--	--	--
(ख)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों	--	--	--	--	--	--
(ग)	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड	--	--	--	--	--	--
(घ)	सूचीबद्ध कँम्पनियों के इकिटी शेयर	--	--	--	--	--	--
(ड़)	परिसंपत्ति	--	--	--	--	--	--
(च)	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित धन	100%	100%	--	--	--	--
(छ)	बैंक शेष	--	--	--	--	--	--
	कुल	100%	100%	--	--	--	--

xiv. **निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन योजना**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	10,756	9,945	9,056	8,619	59	65
(ख)	अधिग्रहण समायोजन	--	--	--	--	0	--
(ग)	कुल सेवा लागत	536	673	296	316	2	2
(घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	679	728	571	631	4	5
(ड़)	पुनः माप	-315	-590	-1,638	211	-7	-13
(च)	निधि के लिए योगदान का भुगतान	-210	--	--		0	--
(छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान लाभ	--	--	-1,008	-721	0	--
(ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	11,446	10,756	7,277	9,056	58	59

xv. **चालू और गैर-चालू वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	4,754	4,010	2,008	1,677	1	4
(ख)	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	12,394	17,645	5,269	7,379	56	55
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	17,148	21,655	7,277	9,056	58	59

xvi. **अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
(क)	सेवा लागत	490	637	246	284	15	6
(ख)	निवल ब्याज लागत	704	679	448	571	4	4
(ग)	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	1,194	1,316	694	855	19	10

xvii. **परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण।**

क) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर		31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021
क्र.सं.	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,148	7,277	58
(क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	- 228	- 109	- 1
(ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	235	111	1
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर				
क्र.सं.	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,148	7,277	58
(क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	234	116	1
(ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	-231	-113	-1

xviii. **परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल।**

क्र.सं.	वर्ष	राशि	वर्ष	राशि
(क)	0 से 1 वर्ष	4,754	2,008	1
(ख)	1 से 2 वर्ष	3,382	1,435	10
(ग)	2 से 3 वर्ष	2,640	1,061	10
(घ)	3 से 4 वर्ष	1,765	705	9
(ड़)	4 से 5 वर्ष	1,477	634	8
(च)	5 से 6 वर्ष	1,153	478	9
(छ)	6 साल बाद	1,976	955	9

xix. **परिणाम का सारांश** **छुट्टी यात्रा रियायत**

क्र.सं.	परिसंपत्ति / दायित्व	31/03/2021	31/03/2020
(क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	209	267
(ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	--	--
(ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्तियाँ / (दायित्व)	-209	-267

xx. **बीमांकिक एवं जनसांख्यिकीय धारणाएँ**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020
(क)	छूट दर	6.15	6.31
(ख)	भविष्य में वेतन वृद्धि	2.00	2.00
(ग)	उम्र के संघर्षण	2.45	0.50

xxi. **बीमांकिक मूल्य**

अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य (31.03.2019)	209	267

xxii. **कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन**

क्र.सं.	विवरण	31/03/2021	31/03/2020
(क)	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	54	47
(ख)	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	155	221
(ग)	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	209	267

टिप्पणी संख्या 28

वित्तपोषण लागत

i) व्याज व्यय				
नकद ऋण	11965.69		10655.11	
सार्वजनिक जमा	0.00		0.00	
बांड	0.00		0.00	
अवधि ऋण	0.00		0.00	
अन्य	2456.06		1984.02	
ii) बैंक प्रभार	1537.42		1356.02	
iii) सरकारी गारंटी शुल्क	0.00		0.00	
iv) बांड / ऋण जारी करने में व्यय	0.00		0.00	
v) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेनदेन से निवल लाभ/हानि	0.00		70.74	
कुल		15959.18		14065.89

पीएफ से ट्रस्ट में विलंबित भुगतान पर ब्याज सहित अन्य ब्याज व्यय

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 29				
मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति व्यय :				
स्थाई परिसंपत्ति	4183.50		4189.16	
औजर और गेज	1.34		0.04	
कुल	4184.84		4189.20	
घटाएं : पूनर्मूल्यांकन आरक्षित से स्थानांतरण	-		0.00	
निवल मूल्य ह्रास		4184.84		4189.20
टिप्पणी संख्या 30				
अन्य व्यय				
डीआरई बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
वीआरएस व्यय	0.00		0.00	
विनिर्माण व्यय :				
भंडार और पुर्जों की खपत		126.58		241.14
पावर और लाइट		1512.63		1447.55
जल प्रभार		395.42		220.57
उत्पाद शुल्क		0.00		0.00
रखरखाव और मरमत :				
I) प्लांट मशीनरी और उपस्कर	214.23		221.83	
ii) वाहन	83.58		40.74	
iii) भवन	1128.65		678.66	
iv) अन्य उपस्कर	112.39		80.08	
		1538.85		1021.30
लागत और औजारों पर व्यय		-		0.00
प्रयोगात्मक कार्य और प्रशिक्षण पर व्यय		16.92		35.50
लघु उपस्कर और कार्य पर व्यय		13.23		2.53
रॉयल्टी		-		0.00
कबाड़ और रद्दी		-		0.11
फैक्ट्री व्यय		789.37		456.22
टीओटी प्रभार :				
i) तकनीकी सहायता	0.00		0.00	
ii) तकनीकी जानकारी शुल्क	0.00		0.00	
iii) प्रलेखन प्रभार	0.00		0.00	
iv) प्रशिक्षण सहायता	0.00		0.00	
v) अन्य	(5.05)	-5.05	(31.70)	
परिनिर्धारित नुकसानी		1388.93		1554.98
विलंब शुल्क प्रभार		-		10.85
विदेशी मुद्रा अनुवाद और संचालन में निवल लाभ / हानि (वित्त लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		-		0.00
कुल विनिर्माण व्यय		5776.88		4959.04

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रशासनिक व्यय :				
किराया	196.42		246.97	
दर और कर	1100.14		120.46	
बीमा	76.26		45.40	
यात्रा व्यय				
अंतर्देशीय	236.92		385.75	
विदेशी	0.00		0.10	
कानून शुल्क	167.67		214.30	
डाक, टेलीग्राम, टेलेक्स व्यय	30.50		29.11	
टेलीफोन और ट्रंक-कॉल देय	76.08		72.13	
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखापरीक्षा शुल्क	30.88		23.35	
कराधान मामले के लिए	0.15		0.76	
कंपनी कानून मामलों के लिए	0.00		0.00	
प्रबंधन सेवाओं के लिए	0.00		2.80	
प्रतिपूर्ति व्यय के लिए	0.16		0.27	
अन्य सेवाओं के लिए	0.82		1.49	
सीआईएसएफ / निजी सुरक्षा व्यय	916.19		1009.12	
मुद्रण और स्टेशनरी और नकल प्रभार	54.09		70.93	
परिवहन व्यय	268.02		480.44	
समाचार पत्र, पत्रिका और पत्र-पत्रिकाएं	19.15		21.42	
यंत्रीकृत लेखा व्यय	0.18		0.16	
पट्टा प्रभार	0.00		0.00	
लाइसेंस शुल्क / खण्ड प्रभार	1.04		2.86	
सीएसआर व्यय	6.36		64.00	
कार्यालय व्यय	749.22		607.79	
कच्चे माल भंडार के अप्रचलन के लिए प्रावधान	0.00		305.74	
अप्रचलित कच्चा माल और ऊत्पादन भंडार बट्टे खाते में डाले गए	0.00		40.44	
प्रक्रियाधीन कार्य के पूँजीगत बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
देनदार / अग्रिम के लिए प्रावधान	203.07		559.78	
अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डाले गए	8.70		242.60	
दावे एवं व्यय बंद प्रभारी	989.51		338.00	
परिसंपत्तियों की बिक्री के कारण हानि	0.00		0.00	
अवसूलीय उत्पादन शुल्क / विलंब शुल्क / जुर्माना / ब्याज	120.74		0.00	
रखरखाव हेतु राशि का समायोजन के लिए निवेश	0.00		0.00	
बिक्री के कारण होने वाली निवल हानि के लिए निवेश	0.00		0.00	
कुल प्रशासन व्यय		5252.26		4886.16
विक्रय व्यय				
विक्रय एजेंसी कमीशन	0.02		6.16	
विज्ञापन व्यय	25.56		24.69	
प्रदर्शनी और प्रचार व्यय	2.58		5.20	
पैकिंग व्यय	1.08		1.74	
अग्रेषण व्यय	26.04		154.04	
प्रदत्त छूट	0.00		0.00	
आश्वस्ति व्यय	1.96		1.02	
विक्रय बढ़ोतरी व्यय	4.25		38.29	
मनोरंजन व्यय	0.56		0.87	
निविदा प्रपत्र की लागत	0.38		1.60	
कुल विक्रय व्यय		62.43		233.61
कुल अन्य व्यय		11091.57		10078.81

सी-डॉट के पर्याप्त देय राशि को ध्यान में रखते हुए रॉयल्टी पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। (यह राशि रॉयल्टी की राशि से ज्यादा है) क्योंकि सी-डॉट द्वारा पट्टे पर लिए गए भवन का किराया लंबे समय से बकाया है।

बैक-टू-बैक व्यवस्था होने की दशा में, परिनिर्धारित नुकसान की गणना निवल आधार पर की जाएगी।

विदेशी मुद्रा में व्यय :				
रॉयलटी	0.00		0.00	
जानकारी	0.00		0.00	
वृत्तिक / परामर्श शुल्क	0.00		0.00	
ब्याज	0.00		0.00	
अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00

टिप्पणी संख्या : 31

निगमित सूचना :

1 आईटीआई लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है जो कि भारत की स्थायी और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समाविष्ट है। कंपनी मुख्य रूप से दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण, सेवा और बिक्री के कारोबार में लगी हुई है।

2 वर्ष 2003-04 के दौरान डीआरडीओ को 2600 लाख रु. की बेची गई परिसंपत्ति के लिए बिक्री नामे का निष्पादन एवं पंजीकरण पर कार्रवाई की जा रही है।

3 16500 करोड़ रुपये की राशि 2014-2015 के दौरान वेतन संशोधन बकाया राशि प्राप्त हुआ है। 15466.48 लाख रुपये का भुगतान वेतन संशोधन बकाया राशि के रुप में और शेष राशि 1033.52 लाख रुपये का मौजूदा देनदारियों के तहत रखा गया है।

4 लेनदारों, देनदारों के खातों में शेयर राशियाँ, ग्राहकों से अग्रिम, कुछ बैंक खाते, वसूली योग्य दावे, ऋण और अग्रिम, फैब्रिकेटरों, उप-ठेकेदार / अन्य के पास सामग्री, मार्गस्थ सामग्री, जमा राशियों, ऋण, जीएसटी, जमा और अन्य देनदारियाँ जो पुष्टि / समाधान के अधीन हैं। हालांकि प्रबंधन की राय में, यदि सामान्य व्यवसाय के दौरान महसूस किया गया हो, व्यापार प्राप्तियाँ, मौजूदा संपत्ति, ऋण और अग्रिम के रूप में व्यक्त किए गए है।

5 कंपनी मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और दूरसंचार उपकरणों की सर्विसिंग के कारोबार और सहायक सेवाओं के प्रतिपादन के व्यवसाय में लगी हुई है और अलग से रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है। कंपनी को मुख्य रूप से एक ही भौगोलिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जो भारत में काम कर रही है। कंपनी रक्षा परियोजनाओं में भी लगी हुई है। दिनांक 23.02.2018 को अधिसूचित के अनुसार एमसीए ने सेगमेंट रिपोर्टिंग की आवश्यकता से रक्षा उत्पादन में लगे कंपनियों की पहचान की है।

6 क) संबंधित पार्टी प्रकटीकरणों पर लेखाकरण मानक (इंड एएस)24 के अनुसार इंडिया सेटकॉम लि.(आईएसएल) इन संयुक्त उद्यम कँम्पनियों के साथ निम्न लेन-देन किए गए।

	2020-21	2019-20
माल सेवाओं का खरीद		
माल सेवाओं का विक्रय	0.00	0.00
बकाया रकम :	0.00	0.00
- संबंधित पार्टी से देय	0.00	0.00
- संबंधित पार्टी को देय	0.00	0.00
संबंधित पार्टी से संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	0.00	0.00
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	0.00	0.00

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
ख) कुंजी प्रबंधन कर्मियों को प्रतिपूर्ति भुगतान किया गया। (इंड एएस-24 यथा अपेक्षित)		
श्री आर एम अग्रवाल - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	35.63	32.96
श्री शशि प्रकाश गुप्ता - निदेशक (मानव संसाधन)	31.32	30.15
श्री राजीव श्रीवास्तव - निदेशक-वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी (06.01.2020 से प्रभावी)	15.88	5.60
श्री वेंकटेश्वरलू - निदेशक (उत्पादन)	17.84	6.59
श्री राकेश चंद्र तिवारी - निदेशक-विपणन (07.01.2021 से प्रभावी)	3.03	0.00
श्रीमती शनमुगा प्रिया - कंपनी सचिव	11.60	10.73
श्री अलगेसन के - भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0.00	43.75
श्रीमती मालती - भूतपूर्व मुख्य वित्त अधिकारी	0.00	15.92
7 आय प्रति शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए)		
कर पूर्व लाभ	1120.19	14747.84
(-) अधिमान लाभांश	0.00	0.00
लाभांश कर	0.00	0.00
इक्विटी शेयरधारकों को उपलब्ध लाभ	1120.19	14747.84
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	925119508	897000000
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	933522869	925119508
अवधि के दौरान शेयरों का भारित औसत संख्या	926293676	897616318
आय प्रति इक्विटी शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए) बेसिक और तनुकृत (रु. में)	0.12	1.64

8 चूँकि कंपनी की पर्याप्त भावी कर योग्य आय की कोई यथार्थ अवधारणा नहीं है, भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)-12 आयकरों के अंतर्गत अनवशोषित मूल्यह्रास और कंपनी के अग्रेषित हानि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को नहीं लिया जा रहा है।

9 **संयुक्त उद्यम;**

इंड एएस 28 के अनुसार संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

(क) इंडिया सैटकॉम लिमिटेड		
सं.2, काडुगोडी इंडस्ट्रियल एरिया, व्हाईट फिल्ड, बेंगलूरु-67		
कंपनी की इक्विटी भागीदारी	49%	49%
संयुक्त उद्यम के निगमीकरण का स्थान-जे.वी, भारत		
10 पूँजी खाते में निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की प्राक्कलित राशि		
जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल)	0.00	0.00
अन्य संविदाओं के संबंध में प्रतिबद्धता नहीं दी गई।	0.00	0.00
11 (क)इनके बारे में प्रासंगिक देयता		
- बकाया साखपत्र एवं गारंटी	158979.28	69168.64
- बिक्री कर मांग / सेवा कर / आय कर	14301.53	14618.63
- अप्राप्त सी/डी फार्म	19929.54	22150.80
- विवादित उत्पाद शुल्क माँग / सेनवेट अस्वीकृति	2225.78	2225.78
- ईएसआई माँग	0.00	0.00
- केवीएटी द्वारा ब्याज और जुर्माने की माँग ।	226.04	226.04
- ऋण के रूप में कंपनी के खिलाफ दावा स्वीकार नहीं।	20909.26	6395.02

i) वित्तीय संकट के कारण, भविष्य निधि में योगदान सहित कुछ वैधानिक बकाया राशि के प्रेषण में देरी हुई है। कँम्पनी ने अनुमानित आधार पर देरी के लिए ब्याज प्रदान किया है क्योंकि देय ब्याज/जुर्माने की वास्तविक राशि अनिश्चित है ।

ii) कंपनी ने अनुमानित आधार पर पिछले वर्ष के लिए सी/डी फॉर्म जमा नहीं करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बिक्री कर देयता के लिए 19,929.54 लाख रुपये की आकस्मिक देयता का खुलासा किया है । वास्तविक दायित्व वैधानिक रूप के संग्रह और प्रस्तुत करने और कर निर्धारण के समय लागू कर दर को अपनाने के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

iii) कंपनी के खिलाफ दावों में से 20909.26 लाख रुपये के ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया जिसमें 13700 लाख रुपये शामिल हैं। मेसर्स अल्फियन कॉरपोरेशन कंपनी को जीपॉन से संबंधित अनुबंध के आधार पर बीएसएनएल से 14025 लाख रुपये की वसूली करनी है ।

ख) लंबित मुकदमा :-

i) दावा वसूली- भूमि में 1049.41 लाख रूपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस से एलड़ी देय है। कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

ii) विक्रेताओं ने कुल राशि 100.00लाख रूपये कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया जो कि विभिन्न विभागों के समक्ष लंबित है।

iii) विवादित 16753.35 लाख रूपये की वैद्यानिक देनदारियां।

iv) एलईआरसी आईटीआई के अनुमति के बिना आईटीआई भूमि में 5310 वर्गफुट में अस्थायी सड़क उपयोग कर रहा है और यह मामला विचाराधीन है।

v) ब्रुहत बेंगलूरु महानगर पालिका का (बीबीएमपी) ने आईटीआई की अनुमति के बिना आईटीआई भूमि कृष्णाराजपुरम में सड़क का निर्माण, कर्नाटक हाइकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद किया गया जिसका उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता है।

vi) सभी अतिदेय सांविधिक देनदारियों (निर्विवाद सहित) के बकाया और दंड पर संबंधित अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन और निर्धारित किया जा सकता है।

vii) एक कर्मचारी ने कंपनी के खिलाफ 39 महीने के वेतन संशोधन बकाया पर 28.28 लाख रुपये के ब्याज का दावा करने के लिए मामला दर्ज किया है और मामला उच्च न्यायालय में लंबित है।

12 पिछले वर्षों देनदारियों से 2043.71 लाख रुपए वापस लिया गया, उसमें पालक्काड इकाई के 1.13 लाख रुपए, मनकापुर इकाई 2010.40 लाख रुपए और 32.18 लाख रुपए क्षेत्रीय कार्यालयों का शामिल हैं ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020

13. प्रयुक्त आयातित कच्चे माल, भंडार और अतिरिक्त पूर्जों का मूल्य तथा प्रयुक्त देशी सामग्री का मूल्य प्रत्येक की प्रतिशतता।

विवरण	2020-21	%	2019-20	%
आयातित	2093.87	11.84	3242.28	35.45
देशी	15597.18	88.16	5902.52	64.55
कुल	17691.05	100.00	9144.80	100.00

14 प्रारंभिक स्टॉक के संदर्भ में सीमा शुल्क तथ्य में देय विभिन्न समायोजनों को ध्यान में रखने के पश्चात प्राप्त स्टॉक में अभिवृद्धि / कमी।

15 रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एसआईसीए), 1985 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक रुग्ण कंपनी है। पुनर्व्यवस्था योजना के अंतर्गत सीसीईए द्वारा आईटीआई के पुनरुद्धार के लिए फरवरी, 2014 में 4156.79 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता के रुप में अनुमोदित की गई। अनुमोदित आर्थिक सहायता के एक हिस्से के रुप में 192 करोड़ रु. इक्विटी शेयर आवेदन के पैसे की दिशा में कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया है और वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान शेयरों को आवंटित किया गया और 2016-17 के वित्तीय वर्ष में शेयर पूंजी के मुकाबले अतिरिक्त रूप से 80 करोड़ रूपये प्राप्त किए गए । वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजी अनुदान सहायता के लिए 337 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, और इसमें से 200 करोड़ रुपए वर्ष 2017-18 के दौरान आबंटित किए गए हैं और वर्ष 2018-19 के दौरन 137 करोड़ रुपये शेष है। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को लंबित आबंटन के लिए 55 करोड़ रुपए प्राप्ते हुआ, जो शेयर आवेदन राशि के रुप में है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने 10500 लाख रुपये का पूँजीगत अनुदान प्राप्त किया है। आई.टी.आई. द्वारा प्राप्त 160 करोड़ रुपये (50 करोड़ रु. + 5 करोड़ रु. + 35 करोड़ रु. + 70 करोड़ रु.) की कुल कैपेक्स राशि के लिए, कंपनी ने भारत के राष्ट्रपति को 56.90 रुपये प्रति शेयर (46.90 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक 10 रु. पूर्ण चुकता शेयर) की दर से 2,81,19,508 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। यह आवंटन की तारीख से तीन महीने पहले के प्रचलित बाज़ार दर या औसत शेयर कीमत, इनमें से जो भी कम हो, पर संचार मंत्रालय के आदेश सं. 20-36/2012-एम.ए.सी.II(पी.टी.) दिनांक 06.09.2019 और दिनांक 14.01.2020 के अनुसार किया गया।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी को 10500 लाख रुपये का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ है और कंपनी ने 84,03,361 इक्विटी शेयरों को 124.95 रुपये प्रति शेयर (प्रत्येक 10 रुपये प्रति शेयर 114.95 रुपये के प्रीमियम पर पूरी तरह से भुगतान) आवंटित किया है।) भारत के राष्ट्रपति को आवंटन की तारीख से तीन 'हीने पहले, जो भी कम हो बीआईएफआर आदेश दिनांक 08.01.2013 के साथ संचार मंत्रालय के आदेश संख्या 20-86/2014-एफएसी. II दिनांक 02.08.2019 के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य या औसत शेयर मूल्य पर किया गया था।

कंपनी को वीआरएस व्यय के लिए 15500 लाख रुपये भी मिले, जिसमें से 3658.19 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान वीआरएस के लिए खर्च किए गए और वर्ष 2016-17 के दौरान 3350 लाख रुपये का खर्च परा करने के लिए इकाइयों / आरओ को स्थानांतरित कर दिया गया और शेष राशि 308.18 लाख वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्थानांतरित किया जाएगा । वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने वीआरएस खर्च का भुगतान नहीं किया है, और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी ने 439.33 लाख रुपये के वीआरएस व्यय का भुगतान किया । वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने वीआरएस लेने वालों को 6675.00 लाख रुपये दिए और शेष राशि खाते में पड़ी है ।

16 12.15 एकड़ भूमी में से जो बेंगलरु मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन(बीएमटीसी) को पट्टे के रुप में देना है (जिसका पुनर्मूल्यां कन नहीं किया गया है) 12.15 एकड़ भूमी जो पहले से ही बीएमटीसी के कब्जे में है, भारत सरकार के पट्टे के नियमों व शर्तानुसार अनुमोदन देना है। पट्टे को पहचानित कर किराए को शर्तो के अनुसार अंतिम रुप दिया जाएगा। 285 लाख रु. पूर्व में बीएमटीसी से प्राप्त हो चुकी है जिसको जमा किया गया है।

17 बेंगलूरु संयंत्र द्वारा दावा किए गए आपूर्तिकर्ता पर 1049.41 लाख रुपए के परिसमापन हर्जाना (एलडी), मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और मामला दिल्ली की उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

18 कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड के पास 5 एकड़ भूमि उसके कब्जे में है (जो पुर्नमूल्यांकन नहीं किया गया है) और कोई पट्टा समझौता उसके लिए दर्ज नहीं किया गया है।

19 ईएसआईसी के साथ पट्टा समझौता जुलाई 2016 के महीने में समाप्त हो गया है और पट्टे का नवीकरण समझौते नहीं किया गया है, क्योंकि संशोधित पट्टा किराया ईएसआईसी के साथ फैसला नहीं किया गया है।

20 77 एकड भूमि का मूल्य (लिए जाने वाले मूल्य) से 3850 लाख रुपये है केरल सरकार द्वारा फिर से शुरू और सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णयन के तहत किया गया है, जो तुलन पत्र में दिखाया गया है। भूमि का मूल्य केरल सरकार द्वारा फिर से ग्रहण करना, शीर्ष अदालत से निर्णय लंबित शामिल है ।

21 सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य

कच्चा माल और उत्पादन भंडार	1697.18	3183.51
घटक तथा अतिरिक्त पुर्जे	0.00	0.00
मार्गस्थ सामग्री	0.00	0.00
पूँजीगत माल	274.83	1214.87
कुल	**1972.01**	**4398.38**

22 सी-डॉट, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय से 2005-06 से 2010-11 तक 5847.90 लाख रुपये अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। उगाही/वसूली के अनिश्चितता के चलते, सकल किराया राजस्व की पहचान जिसकी कुल रकम 9979.92 लाख रुपये है जो प्रोद्भवन आधार पर वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए है, आस्थगित किया गया है और एएस-18 के अनुरूप है।

23 श्रीनगर यूनिट से संबंधित 7.04 लाख रुपये और 1.66 लाख रुपये क्षेत्रीय कार्यालयो की पूर्व प्राप्य वर्षों के व्यापार प्राप्य का बट्टे खाते ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण			31.03.2021	31.03.2020
24 निष्पादन सूचक – अनुपात				
– कुल परिसंपत्तियों की विक्रय	अवधि		0.29	0.31
विक्रय में कर /कुल परिसंपत्तियां शमिल है (निवल स्थाई परिसंपत्तियां+ निवेश+ सकल चालू परिसंपत्तियां)				
– प्रयुक्तं पूँजी से परिचालन लाभ	%		7.06%	12.50%
कर पूर्व लाभ/(शेयरधारकों की निधियाँ+ ऋण निधियाँ)				
– विक्रय से लाभ	%		0.43%	6.28%
(करोपरांत लाभ/शेयर धारकों की निधियां)				

25 वर्ष के दौरान कोविड –19 महामारी के प्रसार और उसके बाद के प्रतिबंधों ने दुनिया भर में कई व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। 31–03–2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के संचालन/प्रदर्शन पर सामान्य प्रभाव पड़ा। इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तिथि तक उपलब्ध सूचना (आंतरिक, साथ ही बाहरी) के आधार पर, कंपनी व्यापार प्राप्तियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की अपेक्षा करती है। कंपनी घटनाक्रम, भविष्य के आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण और कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन पर इसके प्रभाव की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

26 आईटीआई लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के आदेश द्वारा की जाती है। महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण निदेशक मंडल की संरचना सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। तथापि, कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय के पास प्रक्रियाधीन है।

27 पट्टे की शर्तों और समझौते को अंतिम रूप देने पर संबंधित मंत्रालय से लंबित अनुमोदन, रायबरेली इकाई द्वारा निफ्ट को पट्टे पर दिए गए नवनिर्मित भवन की भूमि पर किराये की आय को मान्यता नहीं दी गई है।

28 कंपनी को एक लाख रुपये का क्लेम मिला था। कंपनी द्वारा पूर्व में की गई आपूर्ति के खिलाफ एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, हैदराबाद द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च की वापसी के लिए 338 लाख। यह दावा वित्तीय वर्ष 2019–20 में गलती से उपलब्ध नहीं कराया गया था। त्रुटि को 2019–20 के लिए तुलनात्मक राशियों (प्रस्तुत पूर्व अवधि) को पुन: प्रस्तुत करके सुधारा गया है जिसमें लाइन आइटम 'अन्य व्यय' और 'अन्य वित्तीय देनदारियों' के तहत त्रुटि रु। 338 लाख। प्रति शेयर मूल और पतला आय पर प्रभाव नगण्य है।

29 वह ऑकड़े जो ब्रैकेट में दर्शाएं गए हैं, वह श्रणात्मक ऑकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।

30 पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत, फिर से वर्गीकृत और पुनर्कथित किया गया है।

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
एम.सं.208063
स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 22.06.2021

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक–वित्त/मुख्य वित्त अधिकारी

आर एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

32 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क. एसोशिएट/संयुक्त उद्यम

उद्यम का नाम	व्यवसाय का स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		गैर-नियंत्रण हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रमुख गतिविधियां
		मार्च 31, 2021 पर	मार्च 31, 2020 पर	मार्च 31, 2021 पर	मार्च 31, 2020 पर	
इंडिया सेटकॉम लिमिटेड	इंडिया	49%	49%	51%	51%	वीसेट विनिमार्ण एवं सर्वीसिंग

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

ख. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

लाख रुपए में

निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2090-20
श्री आर.एम. अग्रवाल - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	35.63	32.96
श्री शशि प्रकाश गुप्ता - निदेशक (मानव संसाधन)	31.32	30.15
श्री राजीव श्रीवास्तव - निदेशक-वित्त (15.10.2020 से प्रभावी) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (06.01.2020 से प्रभावी)*	15.88	5.60
श्री डी. वेंकटेश्वरलु - निदेशक (उत्पादन)	17.84	6.59
श्री राकेश चंद्र तिवारी - निदेशक (विपणन) (07.01.2021 से प्रभावी) *	3.03	0.00
श्रीमती शनमुगा प्रिया - कंपनी सचिव	11.60	10.73
श्री अलिगेशन के - भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.09.2019 तक) *	0.00	43.75
श्रीमती मालती एम - भूतपूर्व मुख्य वित्त अधिकारी(05.01.2020 तक)*	0.00	15.92
डॉ. अखिलेश दुबे - स्वतंत्र निदेशक	1.05	0.70
डॉ. के.आर. शनमुगम - स्वतंत्र निदेशक	1.35	1.00
श्री मयंक गुप्ता - स्वतंत्र निदेशक	1.25	0.85
श्री राजेन विद्यार्थी - स्वतंत्र निदेशक	1.35	0.90
श्रीमती आशा कुमारी जयशवाल - स्वतंत्र निदेशक*	0.00	1.35
श्री सदय कृष्ण कनोरिया - स्वतंत्र निदेशक*	0.00	0.75
श्री सुरेश चंद्र पांडा - स्वतंत्र निदेशक*	0.00	0.25

**वर्ष का अंश

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के इतर संबंधित परतियों के साथ लेनदेन निम्नानुसार है (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शित है) : -

विवरण	एसोशिएट/संयुक्त उद्यम
	इंडिया सैटकॉम लिमिटेड
माल का क्रय	शून्य
माल की बिक्री	
सेवाएँ प्रदान करना	
प्राप्त सेवाएँ	
प्राप्त किराया (लीज़)	
ब्याज आय	
निवेश पर लाभांश आय	
31.03.2021 पर बकाया ऋण (ब्याज सहित)	
31.03.2021 पर बकाया व्यापार देनदारियाँ	
31.03.2021 पर बकाया प्राप्य व्यापार	
31.03.2021 पर इक्विटी में निवेश	40.55 लाख रु.
31.03.2021 पर बकाया कराया के लिए अग्रिम	शून्य

घ. संबंधित पार्टियों के साथ निपटाए गए सभी लेनदेन सरल रूप में पहुँच के आधार पर है।

ङ. सभी बकाया शेष राशि (ऋण के इतर) असुरक्षित हैं और अगले 6 महीनों के अंदर नकद में प्रतिदेय है। ऋण के बकाया शेष राशि के लिए नीचे टिप्पणी ज का संदर्भ लें।

च. संबंधित पार्टियों को ऋण

शून्य

छ. कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त सहित प्रबंध अनुबंध:-

शून्य

ज. सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन :-

जैसा कि आईटीआई दूरसंचार मंत्रालय (डीओटी) के नियंत्रणाधीन एक सरकारी संस्था है, सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अुसार कंपनी ने विवरणात्मक प्रकटीकरण का प्रावधान किया है।

भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार, व्यक्तिगत रूप में महत्वपूर्ण लेनदेन नीचे दिये जाते हैं : -

1. शेयरों की पुनर्खरीद।
2. जारी बोनस।
3. प्रदत्त लाभांश।

झ. उपर्युक्त के अलावा, सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में कंपनी के कारोबार का लगभग 96.37%, प्राप्य व्यापार का लगभग 96.63% और ग्राहक के अग्रिम का लगभग 100% हैं।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य,

आईटीआई लिमिटेड

बेंगलूरु ।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने आईटीआई लिमिटेड, जिसे एतद्द्वारा (कंपनी) एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियों (धारक कम्पनी एवं इसकी एक सम्बद्ध कम्पनी को एक साथ (''समूह'') के नाम से संदर्भित किया गया है, के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के समेकित तुलन पत्र, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि के विवरण (अन्य वृहत आय सहित) समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार के साथ साथ समेकित वित्तीय विवरणों के नोट (एतद्द्वारा समेकित वित्तीय विवरण के नाम से संदर्भित) शामिल हैं।

हमारे मत और हमें प्रदान की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के अर्हक मत के आधार खंड में वर्णित मामले के प्रभाव के अलावा ऊपर उल्लिखित वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (इंड एएस) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 की अपेक्षाओं के अनुपालन तथा भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त स्थिति के संबंध में कंपनी के क्रियाकलापों एवं वर्ष में उक्त तिथि को समेकित लाभ एवं कुल समेकित आय, इक्विटी परिवर्तन एवं इसके नकदी प्रवाह के समेकित विवरण की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति उस विधि से करते हैं जिसकी अपेक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में की गई है।

अर्हक मत का आधार

1. कम्पनी द्वारा 5,847.90 लाख रुपए की राशि का वहन 31.3.2011 को समाप्त अवधि तक पट्टे पर दिए गए परिसरों के प्रति सी-डॉट से किराए के रूप में प्राप्य के रूप में किया जा रहा है। कम्पनी ने इस राशि की क्रेडिट हानि, जिसकी वसूली संदेहास्पद है, के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए हैं । वसूली के प्रति अनिश्चितता के कारण कम्पनी ने आगे की अवधि के देय किरायों के संबंध में भी कोई स्वीकृति नहीं दी है।

2. कम्पनी द्वारा चालू वित्तीय परिसम्पतियां - ऋण के अंतर्गत शामिल निम्नलिखित मदों, जिनकी वसूली भी संदेहास्पद है, के लिए भी क्रेडिट हानि के कोई प्रावधान नहीं किए हैं :

   I. आईटीआई, एचसीएल एवं एल्काटेल के मध्य किए गए अनुबंध के आधार पर कम्पनी की मनकापुर यूनिट की ओर से व्यय की गई अतिरिक्त राशि के प्रति एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड से प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्य 1690.20 लाख रुपए की राशि।

   ii. निर्णित हर्जाने के रूप में हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड से प्राप्य 1049.41 लाख रुपए ।

तदनुसार, कम्पनी द्वारा यदि उपर्युक्त के संबंध में क्रेडिट हानियों के प्रावधान किए जाते तो वर्ष के दौरान कम्पनी के लाभ एवं निवल चालू परिसम्पत्तियों में 8587.51 लाख रुपए की कमी आती ।

हमने समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा का निर्वाह, कम्पनी अधिनियम की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसरण में किया है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत वर्णन हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व में किया गया है। कॅम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों तथा उनके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत हमारे द्वारा की गई समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार, जिसके अंतर्गत हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, हमने अन्य आचार दायित्वों का अनुसरण इन अपेक्षाओं एवं आचार संहिता में की गई अपेक्षाओं की अनुरूपता में किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

मामले का प्रभाव

हम वित्तीय विवरणों के विभिन्न नोटों (प्रत्येक मद के प्रति संदर्भित) के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इन मामलों के संबंध में हमारे मत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

- व्यापार प्राप्यों, दावों की वसूली, ऋण एवं अग्रिम, व्यापार एवं अन्य देयताओं के शेष पुष्टि/समाधान की शर्त के अध्याधीन हैं। (नोट संख्या 31.4)
- रूग्न औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी एक रूग्न कम्पनी है। पुनर्वास योजना के अंतर्गत आईटीआई लिमिटेड के पुनरूद्धार के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा फरवरी, 2014 में 415679 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है। (नोट संख्या 31.15)
- पट्टा अनुबंध का अंतिमकरण न किए जाने एवं औपचारिक अनुबंध न किए जाने सहित अन्य अनेक विभिन्न कारणों से अंतत: संग्रहण के प्रति अनिश्चतता के विचार से राजस्व स्वीकृति स्थगित करनी पड़ी है।
  - बीएमटीसी - 12.15 एकड़, अतिरिक्त 1.85 एकड़ (नोट संख्या 31.16)
  - केपीटीसी - 5 एकड़ (नोट संख्या 31.18)
  - सी-डॉट - 24.46 एकड़ (नोट संख्या 31.22)
  - एनआईएफटी - नया भवन (नोट संख्या 31.27)
- कम्पनी ने महिला स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) सहित स्वतंत्र निदेशकों के विशिष्ट अनुपात / संख्या की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है। (नोट संख्या 31.26)
- कोविड-19 के प्रभाव के कारण सांविधिक देयताओं का विलंब से भुगतान करने के ब्याज / जुर्माने के लिए प्रावधान (नोट संख्या 31.25पी)
- भविष्य निधि अंशदान सहित सांविधिक बकाया राशि के विलम्ब से विप्रेषण पर ब्याज/जुर्माने का प्रावधान। (नोट संख्या 31.11)
- 3850 लाख रुपए के वहन मूल्य की 77 एकड़ माप की भूमि केरल

सरकार द्वारा पुन: प्राप्त की गई थी जिसका मामला सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है। (नोट संख्या 31.20)

* रायबरेली यूनिट में मालसूचियों के मूल्यांकन के सिद्धांतों की गलत उपयोज्यता भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार पट्टों के संबंध में किए गए प्रावधान एवं लेखांकन। (शाखा लेखापरीक्षक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)
* श्रीनगर यूनिट में जीएसटी तंत्रव्यवस्था के अंतर्गत 108.85 लाख रुपए के केन्द्रीय मूल्य संवर्धित कर जमा (कैनवैट) की प्रस्तुति के लिए उचित फार्मों का उपयोग न किया जाना ।(शाखा लेखापरीक्षक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)
* मालसूची सम्पतियों के संबंध में तुलन पत्र तिथि को उचित मूल्य का प्रकटीकरण न करना (नोट संख्या 3)

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो चालू अवधि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा से जुड़े हमारे व्यवसायिक निर्धारण के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में इन मामलों पर मत के निर्धारण के लिए हमने समग्र रूप से विचार किया है, तथा ऐसे मामलों के लिए हम अलग से अपनी कोई राय प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। हमारे द्वारा निर्धारित किए गए नीचे प्रस्तुत मामले हमारी रिपोर्ट में सूचित प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट व्यापार उत्तरदेयता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन एवं शेयरधारकों की सूचना से युक्त सूचना शामिल की जाती है, परन्तु इसमें एकल वित्तीय विवरण एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं होती है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
बिल न किया गया राजस्व : बिल न किए गए राजस्व के लेखांकन की स्वीकृति की प्रक्रिया उन लेखांकन नीतियों पर आधारित है जिसमें ग्राहक को आपूर्ति किए गए माल अथवा सेवाओं के संबंध में बीजक / प्रभार अभी निर्मित नहीं किए गए हैं। नियत मूल्य, नियत समय काल के अनुबंध जैसी परियोजनाओं (सेवा / निर्माण अनुबंध), जिनके निष्पादन दायित्वों के प्रति संतुष्टि की स्वीकृति बाद के काल में की जाती है, के संबंध में राजस्व की स्वीकृति कार्य सम्पादन के प्रतिशत की विधि के उपयोग से की जाती है। इनपुट एवं उत्पादकता के मध्य प्रत्यक्ष सम्बद्धता होने के विचार से कार्य निष्पादन की प्रगति का निर्धारण करने के लिए प्रयासों अथवा व्यय की गई लागतों का उपयोग किया जाता है। कार्य निष्पादन के प्रतिशत की विधि के उपयोग के लिए कम्पनी से कुल अनुमानित प्रयासों अथवा व्यय की जाने वाली लागतों के अनुपात में किसी तिथि को वास्तविक प्रयासों अथवा व्यय की गई लागतों का निर्धारण करने की अपेक्षा है। इनपुट एवं उत्पादकता के मध्य प्रत्यक्ष सम्बद्धता होने के विचार से कार्य निष्पादन की प्रगति का निर्धारण करने के लिए प्रयासों अथवा व्यय की गई लागतों का उपयोग किया गया है। कुल प्रयासों अथवा लागतों के अनुमान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं तथा अद्यतन उपलब्ध सूचना पर आधारित परिवर्तनों की पूर्ण अवधि के दौरान प्रस्तुति किए जाने के लिए इनका मूल्यांकन किया जाता है। हमने बिल न किए गए राजस्व की स्वीकृति को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में लिया है क्योंकि अनुबंध की पूर्ण अवधि के दौरान अनुबंध की प्रगति के साथ साथ इसमें प्रयासों अथवा लागतों के अनुमान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं तथा अद्यतन उपलब्ध सूचना के आधार पर ये संशोधन किए जाने के अध्याधीन होते हैं। ऐसे अनुमानों में अंतर्निहित अनिश्चितता होती है जिसके लिए अनुबंध, प्रयासों अथवा व्यय की लागतों की प्रगति एवं अनुबंध के काल के दौरान शेष अनुबंध निष्पादन दायित्वों की पूर्ति के लिए अपेक्षित प्रयासों एवं लागतों पर विचार किया जाना अपेक्षित होता है।	**प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, अन्यों के साथ साथ, निम्नलिखित सहित निर्धारित मूल्य के अनुबंधों की पूर्णता से संबंधित कुल संभावित लागतों अथवा प्रयासों के अनुमानों के संबंध में है : हमने (1) शेष अनुबंध निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों अथवा अपेक्षित प्रयासों अथवा लागतों की समीक्षा एवं (2) किए गए प्रयासों को रिकार्डबद्ध करने के अनाधिकृत परिवर्तनों से बचाव की रिकार्डिंग एवं निर्धारण प्रणालियों से संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए नियंत्रणों प्रभाव्यता की जांच की है। हमने नियत मूल्य अनुबंध के लेखांकन के लिए उपयोग में लाई गई निष्पादन प्रतिशत विधि के एक नमने का चयन किया है एवं निम्नानुसार निष्पादन किए है: * कम्पनी द्वारा व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों की तुलना कम्पनी द्वारा उन महत्वपूर्ण भिन्नताओं को संज्ञान में लेने के लिए व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों के अनुमान के साथ यह मूल्यांकन करने के लिए की है कि क्या अनुबंध की पूर्ति के उद्देश्य से शेष लागतों अथवा प्रयासों के अनुमान लगाने के लिए ऐसी भिन्नताओं पर यथोचित रूप में विचार किया गया है अथवा नहीं किया गया है। * बिल न किए गए राजस्व के संज्ञान के लिए तुलन पत्र तिथि तक की गई बिलिंग के साथ कुल राजस्व स्वीकार्य योग्यता एवं तुलनात्मकता की गणन विधि की समीक्षा की है।

हमारे मतानुसार, समेकित वित्तीय विवरणों में अन्य सूचना को शामिल नहीं होती है तथा इसके संबंध में किसी प्रकार की आश्वासन रूपी अभिव्यक्ति अथवा उसके किसी निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व अन्य सूचना को पढ़ना तथा ऐसा करते हुए अन्य सूचना में समेकित वित्तीय विवरणों अथवा लेखपरीक्षा के दौरान प्राप्त की गई जानकारियों अथवा अन्यथा स्वरूप में सामग्रीगत दुर्विवरण की प्रतीति होने पर अन्य सूचना से उसकी तारतम्यता होने अथवा न होने पर विचार करना है।

यदि हमारे निष्पादित कार्य के आधार पर, अन्य सूचना में हमारे निष्कर्ष के अनुसार कोई सामग्रीगत दुर्विवरण प्रतीत होता है तो हम से उसके तथ्य रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

समेकित वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले इन समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

यदि समूह सहित कम्पनियों के निदेशक मंडल की मंशा समूह का ऋणशोधन करने अथवा परिचालन बंद करने की नहीं है अथवा ऐसा करने के अलावा इसके पास अन्य कोई विकल्पक नहीं है तो समूह में शामिल कम्पनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की गोइंग कँसर्न के आधार पर क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कँसर्न के संबंध में यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कँसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

समूह सहित कम्पनियों के सम्बद्ध निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, समेकित वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि सँकित प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी । सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकती है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एकल के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, हमें व्यावसायिक तौर पर संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:-

* समेकित वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना है, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
* लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।
* प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
* प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कँसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिसे कंपनी की गोइंग कँसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कँसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
* प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन-देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है।
* समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए समूह के भीतर इकाईयों के व्यावसायिक क्रियाकलापों के संबंध में यथोचित पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी इकाईयों के वित्तीय विवरणों के संबंध में दिशानिर्देशन, पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के प्रति उत्तरदायी हैं।

वस्तुतः एकल वित्तीय विवरणों में अलग-अलग अथवा सामुच्य स्वरूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरणों की वस्तुपरकता की जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इनमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का औचित्यपरक ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन, एवं (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए गए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक प्रमात्रा के गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता सूचित करने के लिए, हमने स्वयं द्वारा समेकित विवरण भी दिया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण भी किया है, जो चालू अवधि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा जिनसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले प्रभावित हो सकते थे। अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है, जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप से प्रभाव पड़ सकता है।

अन्य मामले

1. समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एक सम्बद्ध कम्पनी से संबंधित समूह के अंशभाग की 172 लाख रुपए की निवल हानि भी शामिल है जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा उसके स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है। इस इकाई के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा हमारे मतानुसार जहां तक इनकी सम्द्धता इन इकाईयों के संबंध में शामिल राशियों एवं प्रकटीकरणों से है, वे केवल इन लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाएं उपर्युक्त पैराग्राफ में किए गए उल्लेख के अनुसार हैं।

2. हमने कम्पनी के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल मनकापुर, रायबरेली, श्रीनगर, नैनी एवं पालक्काड शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है तथा इन एकल वित्तीय विवरणों (अंतर-यूनिट शेषों एवं संव्यवहारों के अलावा) में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 304598.68 लाख रुपए की कुल परिसम्पतियां एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष की कुल आय 31144.32 लाख रुपए दशाई गई है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों ने की है एवं इनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारे मतानुसार, इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों एवं प्रकटीकरणों की सम्बद्धता केवल इन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ही है।

समेकित वित्तीय विवरणों एवं नीचे प्रस्तुत अन्य विधिक एवं विनियमक अपेक्षाओं की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हमारे मत, उपर्युक्त मामलों पर हमारे द्वारा किए गए कार्यों की विश्वसनीयता के संदर्भ में, परिवर्तित नहीं किए गए हैं तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों एवं वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना का प्रमाणन प्रबंधन द्वारा किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हमारी लेखापरीक्षा एवं ''अन्य मामलों'' के पैराग्राफ में संदर्भित सम्बद्ध कम्पनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि यथा विस्तारित :-

क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उक्तप समेकित इंड एएस वित्ती य विवरणों की लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी;

ख) हमारे मतानुसार, विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है, जो कि हमें उपर्युक्ति इंड एएस समेकित विवरणों के संबंध में लेखापरीक्षा के प्रयोजन से अपेक्षित इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है;

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) , समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के निर्माण के उद्देश्य से अनुरक्षित की गई लेखाबहियों से मेल खाते हैं;

घ) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

(ड.) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की अधिसूचना सूचना जीएसआर 463 (ई) के अनुसरण में निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान कम्पनी के लिए लागू नहीं हैं ।

(च) कम्पनी तथा इसकी सम्बद्ध कम्पनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता का विवरण अनुलग्नक-क में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दिया गया है;

(छ) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11, यथासंशोधित, के अनुसरण में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा ''अन्यं मामलों'' के पैराग्राफ में वर्णित सहायक कम्पनी एवं इसकी सम्बेद्ध कम्पनियों के अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की अन्य सूचना के आधार पर भी, हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:-

I. समेकित वित्तीय विवरणों में लम्बित न्यायाधीन मामलों से समूह की समेकित वित्तीय पर होने वाले प्रभाव का प्रकटीकरण किया गया है -संदर्भ समेकित वित्तीय विवरणों का नोट संख्या 31.11

ii. लागू कानून अथवा भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार समूह से सम्बद्ध उक्त मदों के के लिए दीर्घकालिक अनुबंधों के प्रति पूर्वानुमानित सामग्रीगत हानियों, यदि कोई हों, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधन किए गए हैं तथा

iii. धारक कंपनी एवं भारत में निगमित इसकी सम्बद्ध कम्पानियों द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित किन्हीं राशियों का अंतरण करने में किसी प्रकार की देरी नहीं की गई है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 22 जून, 2021

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000863एस

हस्ताक्षर/-
गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
सदस्यता संख्या 208063
यूडीआईएन : 21208063एएएजीएक्स1146

आईटीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के रूप में समेकित ईंड एएस पर सम तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक - अ

कॅम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 के उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के रूप में समेकित भारतीय लेखा मानक के हमारे ऑडिट के साथ, हमने आईटीआई लिमिटेड और उसके संयुक्त उद्यम इंडिया सैटकॉम लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया, जो उस तिथि के अनुसार भारत में शामिल की गई कंपनियाँ हैं (साथ में कंपनी कहा जाता है) ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कॅम्पनी के निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आधारित आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए जवाबदेह है। इस जवाबदेही में, कंपनी की आस्ति की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित अनुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जो कि कंपनी की नीतियों, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमिताओं का पता लगाना एवं रोकथाम, लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पर्याप्तता, विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय को विवेकपूर्ण एवं सशक्त रूप में संचालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय व्यक्त करनी है। हमने अपनी लेखापरीक्षा को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी (दिशानिर्देश टिप्पणी) तथा लेखापरीक्षा के मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होने के अनुसार किया है। उन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणियों की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाएँ और उचित आश्वासन/विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें चाहे वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हों तथा ऐसे नियंत्रण सभी यथार्थ मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हों।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्राभविकता प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, मौजूद भौतिक कमजोरियों की जोखिम का आकलन करना, आकलित जोखिम के आधार आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन एवं परिचालन प्रभाविकता को मूल्यांकित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के यथार्थ गलत अनुमान की जोखिम, चाहे वह धोखा या त्रुटि से हो, का आकलन करने सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है।

हमें विश्वास है कि हमारी द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कॅम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वी नीतियाँ और प्रक्रियाँ सम्मिलित हैं कि– (1)समुचित विवरणों के साथ सही अभिलेखों के अनुरक्षण को कंपनी की आस्तियों के लेनदेन तथा स्वभाव को यथार्थतः एवं प्रतिबिंबित करने के संबंधे में प्रदान करता है; (2) आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आवश्यक लेनदेन अभिलेखित किए जाए और प्रबंधन एवं कंपनी के निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय तैयार किए जाने का समुचित आश्वासन प्रदान करना; और (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डालनेवाले कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण के रोकथाम या समय पर पता लगाना, उपयोग, या स्वभाव के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की कपटसंधि या अनुचित प्रबंधन प्रत्यादिश्ती सहित त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और पता लगाया नहीं जाता। इसके अलावा, भावी समय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन के अनुमान उस जोखिम पर निर्भर होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन बिगड़ जाने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय आतंरिक नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता की पर्याप्तता के संबंध में अधिनियम की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्टों की सम्बद्धता हमारी एक सम्बद्ध कम्पनी, जो भारत में निगमित कम्पनी है,

से है तथा तदनुसार यह उनके लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने कम्पनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में शामिल मनकापुर, रायबरेली, श्रीनगर, नैनी तथा पालक्काड शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार एवं स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों (अंतर-यूनिट शेषों एवं संव्यवहारों के अलावा) में विचार में लिए गए अनुसार कुल परिसम्पतियां 304598.68 लाख रुपए तथा वर्ष की उक्त तिथि को समाप्त कुल आय 31144.32 लाख रुपए दर्शाई गई है। इन शाखाओं के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों ने की है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, तथा हमारे मतानुसार, इन शाखाओं के संबंध में शामिल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार प्रचालनात्मक प्रभाव्यता का जहां तक संबंध है, वह केवल इन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं किया गया है।

मत

हमारे मतानुसार, कम्पनी, इसकी एक सम्बद्ध कम्पनी, जो भारत में निगमित है, के पास प्रत्येक सामग्रीगत स्वरूप में वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंट्टेस ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के संबंध में जारी मार्गदर्शी नोट में किए गए उल्लेखनुसार कम्पनी द्वारा अनिवार्य घटकों पर विचार करके स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मापदंड 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 22 जून, 2021

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000863एस

हस्ताक्षर/-
गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
सदस्यता संख्या 208063
यूडीआईएन : 21208063एएएजीएक्स1146

अनुपालना प्रमाण-पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की और प्रमाणित किया कि हमें जारी सभी निर्देशों का अनुपालन किया है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 22 जून, 2021

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000863एस

हस्ताक्षर/-
गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
सदस्यता संख्या 208063
यूडीआईएन : 21208063एएएएजीडब्ल्यू4851

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के (एकल) वित्तीय विवरणों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालपेखापरीक्षक की टिप्पाणियां ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेम वर्क के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीयि विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपने मत की अभिव्यक्ति के प्रति उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 22 जून, 2021 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ऐसा कर लिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के वित्तीयि विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है । यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों तक किसी प्रकार की पहुंच के बिना की गई है तथा यह मुख्यत: सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी कार्मिकों से की गई पूछताछ एवं चयनित कुछ लेखांकन रिकार्डों की जांच किए जाने तक ही सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं, यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले आए हैं तथा ये मेरे मतानुसार, कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं:

क. लाभप्रदत्ता के संबंध में टिप्पणी

लाभ एवं हानि लेखा

IV **व्यय**

अन्य व्यय (नोट संख्या 30)- 11091.58 लाख रुपए

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 में शेयरों के निर्गम के लिए प्राप्त प्रीमियम धन की उपयोज्यता उन विशिष्ट उपयोगों के लिए विनिर्दिष्ट की गई है जिनके लिए प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है। खंड (ग) में ''कम्पनी के शेयरों या डिबेंचरों के किसी निर्गमन के व्ययों या संदत्त कमीशन या अनुज्ञात बट्टे को अपलिखित करने में;'' का उल्लेख किया गया है।

ऐसा देखने में आया है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 धारा 52 के प्रावधानों का उल्लंघन करके सिक्योरिटिज प्रीमियम लेखे के प्रति पब्लिक ऑफर प्रतिहार के लिए किए गए 1363.39 लाख रुपए के व्यय को सेट ऑफ किया है जबकि इसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाना चाहिए था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 1363.39 लाख रुपए की राशि में से अधिक व्यय के रूप में प्रभारित 165.51 लाख रुपए की राशि रिवर्स की गई थी तथा इस प्रकार एफ पीओ के लिए लेखे में प्रभारित अंतिम व्यय 1197.88 लाख रुपए है।

चूंकि एफ पीओ जारी नहीं किया गया था तथा इसका प्रतिहार किया गया था, अत: यह ''शेयरों का निर्गम'' नहीं था जिसके लिए शेयर प्रीमियम लेखे का उपयोग किया जा सकता हो। इसके अलावा, शेयर प्रीमियम शेष काफी पुराना है तथा कम्पनी के पूर्व जारी शेयरों का उपयोग किया जा चुका है, जबकि, कम्पनी अधिनियम के अनुसार केवल उन्हीं शेयरों पर किए गए व्यय को शेयर प्रीमियम लेखे में प्रभारित किया जा सकता है जो जारी किए गए हैं।

इसके परिणामस्वरूप, 1197.88 लाख रुपए की राशि के लिए लाभ का अतिकथन एवं सुरक्षा प्रीमियम लेखा की न्यूनोक्ति हुई है। कम्पनी, इसके संबंध में, इस व्यय को अपनी बहियों में एक परिभाषित काल की अवधि के लिए आस्थगित राजस्व व्यय माने जाने एवं प्रभारित किए जाने के लिए विचारित मत प्राप्त कर सकती है।

ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

तुलन पत्र

परिसम्पतियां

ख. परिसम्पतियां

(2) चालू परिसम्पतियां

ख वित्तीय परिसम्पतियां

(vi) बिल न किया गया राजस्व (नोट सं.9क) – 171118.91 लाख रुपए

आईटीआई लिमिटेड की चालू परिसम्पतियों में कम्पनी द्वारा वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान 9771 लाख रुपए की राशि ''बिल न किए गए राजस्व'' के रूप में किसी नियमित बीजक / बिल को जारी किए बिना प्रभारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान भी कम्पनी ने इसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है तथा इस प्रकार इस मद को वित्तीय / चालू परिसम्पति में सुरक्षित रूप से शामिल करने के लिए संप्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

ग. प्रकटीकरणों पर टिप्पणी (नोट सं.31)

उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकटीकरण शामिल नहीं हैं, जिनकी प्रस्तुति कम्पनी को लेखांकन नोट के रूप में उचित स्वरूप में करनी चाहिए थी:

I) भारत सरकार से प्राप्त 300 करोड़ रुपए के ऋण पर देय ब्याज के प्रति लेखा बहियों में प्रावधान नहीं किए गए हैं क्योंकि ऋण एवं उसके संबंधित ब्याज के पुनर्भुगतान के मामले पर मंत्रालय के साथ पत्रव्यवहार किया जा रहा है।

ii) गुजरात में भारत नेट चरण II के लिए आईटीआई के एक विक्रेता मैसर्स मिंडार्रे ने कम्पनी की ओर से जारी संदेहास्पद जाली पावती की प्रस्तुति करके 1207 रुपए की राशि के प्रोफार्म बीजक के प्रति आईटीआई की ओर से प्रदान की गई एलसी भुनवा ली गई थी। कम्पनी ने धन की वसूली के लिए मैसर्स मिंडार्रे के खिलाफ विधिक कार्रवाई के लिए न्यायालय में मामला दाखिल किया है तथा पुलिस प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज करवाई है।

iii) जीएसटी व्ययों पर इनपुट कर क्रेडिट के लेखे में 300.67 लाख रुपए की राशि के असंगत दावे हैं जिनके लिए कम्पनी ने अगले वित्तीय वर्ष में समीक्षा करके इनका पूजीयन किए जाने अथवा इन्हें लाभ एवं हानि में प्रभारित किए जाने की उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

iv) कम्पनी ने बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) को 2018–19 से 2020–21 के लिए देय सम्पति कर के लिए प्रावधान नहीं किए हैं। बीबीएमपी द्वारा की गई कुल 3375.88 लाख रुपए की मांग (लंबित सम्पति कर पर देय ब्याज एवं जुर्माने सहित) के प्रति कम्पनी ने विरोध के साथ 850.35 लाख रुपए चुकता किए हैं। प्रबंधन का यह दावा है कि वह इस मांग को काफी उच्च मानती है तथा सम्पति कर के स्व–मूल्यांकन के लिए उपाय कर रही है तथा इस लेखे में दी जाने वाली योग्य राशि का समायोजन किया जाएगा। कम्पनी को निगम की ओर से की गई मांग के आधार पर इस देयता का आकलन करना चाहिए और विशेषत: इससे संबंधित प्रकटीकरण लेखा बहियों में करना चाहिए।

भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक के निमित्त एवं उनकी ओर से

स्थान: दिल्ली
तिथि : 10-09-2021

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (लेखापरीक्षा)
(वित्त एवं संचार)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेम वर्क के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीयि विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपने मत की अभिव्यक्ति के प्रति उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 22 जून, 2021 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ऐसा कर लिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमारे द्वारा आईटीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई है परन्तु उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के संबंध में हमने सत्काम लिमिटेड (संयुक्त नियंत्रित इकाई) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अलावा, लागू सम्बद्ध कानूनों के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति किए जाने तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा किए जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 139(5) एवं 143(6)(क) के प्रावधान, एक निजी इकाई होने के कारण, सत्काम लिमिटेड के संबंध में लागू नहीं हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा न तो किसी सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई है और नही कम्पनी के संबंध में अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों तक किसी प्रकार की पहुंच के बिना की गई है तथा यह मुख्यत: सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी कार्मिकों से की गई पूछताछ एवं चयनित कुछ लेखांकन रिकार्डों की जांच किए जाने तक ही सीमित है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरे द्वारा किए गए कुछ लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रभाव से सांविधिक लेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधन किए हैं। इसके अलावा, मैं, यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले आए हैं तथा ये मेरे मतानुसार, कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं:

घ. लाभप्रदत्ता के संबंध में टिप्पणी

लाभ एवं हानि लेखा

IV **व्यय**

अन्य व्यय (नोट संख्या 30)- 11091.58 लाख रुपए

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 में शेयरों के निर्गम के लिए प्राप्त प्रीमियम धन की उपयोज्यता उन विशिष्ट उपयोगों के लिए विनिर्दिष्ट की गई है जिनके लिए प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है। खंड (ग) में ''कम्पनी के शेयरों या डिबेंचरों के किसी निर्गमन के व्ययों या संदत्त कमीशन या अनुज्ञात बट्टे को अपलिखित करने में;'' का उल्लेख किया गया है।

ऐसा देखने में आया है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 धारा 52 के प्रावधानों का उल्लंघन करके सिक्योरिटिज प्रीमियम लेखे के प्रति पब्लिक ऑफर प्रतिहार के लिए किए गए 1363.39 लाख रुपए के व्यय को सेट ऑफ किया है जबकि इसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाना चाहिए था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 1363.39 लाख रुपए की राशि में से अधिक व्यय के रूप में प्रभारित 165.51 लाख रुपए की राशि रिवर्स की गई थी तथा इस प्रकार एफ पीओ के लिए लेखे में प्रभारित अंतिम व्यय 1197.88 लाख रुपए है।

चूंकि एफ पीओ जारी नहीं किया गया था तथा इसका प्रतिहार किया गया था, अत: यह ''शेयरों का निर्गम'' नहीं था जिसके लिए शेयर प्रीमियम लेखे का उपयोग किया जा सकता हो। इसके अलावा, शेयर प्रीमियम शेष काफी पुराना है तथा कम्पनी के पूर्व जारी शेयरों का उपयोग किया जा चुका है, जबकि, कम्पनी अधिनियम के अनुसार केवल उन्हीं शेयरों पर किए गए व्यय को शेयर प्रीमियम लेखे में प्रभारित किया जा सकता है जो जारी किए गए हैं।

इसके परिणामस्वरूप, 1197.88 लाख रुपए की राशि के लिए लाभ का अतिकथन एवं सुरक्षा प्रीमियम लेखा की न्यूनोक्ति हुई है। कम्पनी, इसके संबंध में, इस व्यय को अपनी बहियों में एक परिभाषित काल की अवधि के लिए आस्थगित राजस्व व्यय माने जाने एवं प्रभारित किए जाने के लिए विचारित मत प्राप्त कर सकती है।

ङ. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

तुलन पत्र

परिसम्पतियां

i. **परिसम्पतियां**

(2) चालू परिसम्पतियां

ख. वित्तीय परिसम्पतियां

(vi) बिल न किया गया राजस्व (नोट सं.9क) – 171118.91 लाख रुपए

आईटीआई लिमिटेड की चालू परिसम्पतियों में कम्पनी द्वारा वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान 9771 लाख रुपए की राशि ''बिल न किए गए राजस्व'' के रूप में किसी नियमित बीजक / बिल को जारी किए बिना प्रभारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान भी कम्पनी ने इसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है तथा इस प्रकार इस मद को वित्तीय / चालू परिसम्पति में सुरक्षित रूप से शामिल करने के लिए संप्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

ग. प्रकटीकरणों पर टिप्पणी (नोट सं.31)

उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकटीकरण शामिल नहीं हैं, जिनकी प्रस्तुति कम्पनी को लेखांकन नोट के रूप में उचित स्वरूप में करनी चाहिए थी:

i) भारत सरकार से प्राप्त 300 करोड़ रुपए के ऋण पर देय ब्याज के प्रति लेखा बहियों में प्रावधान नहीं किए गए हैं क्योंकि ऋण एवं उसके संबंधित ब्याज के पुनर्भुगतान के मामले पर मंत्रालय के साथ पत्रव्यवहार किया जा रहा है।

ii) गुजरात में भारत नेट चरण II के लिए आईटीआई के एक विक्रेता मैसर्स मिंडार्रे ने कम्पनी की ओर से जारी संदेहास्पद जाली पावती की प्रस्तुति करके 1207 रुपए की राशि के प्रोफार्मा बीजक के प्रति आईटीआई की ओर से प्रदान की गई एलसी भुनवा ली गई थी। कम्पनी ने धन की वसूली के लिए मैसर्स मिंडार्रे के खिलाफ विधिक कार्रवाई के लिए न्यायालय में मामला दाखिल किया है तथा पुलिस प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज करवाई है।

iii) जीएसटी व्ययों पर इनपुट कर क्रेडिट के लेखे में 300.67 लाख रुपए की राशि के असंगत दावे हैं जिनके लिए कम्पनी ने अगले वित्तीय वर्ष में समीक्षा करके इनका पूंजीयन किए जाने अथवा इन्हें लाभ एवं हानि में प्रभारित किए जाने की उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

iv) कम्पनी ने बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) को 2018–19 से 2020–21 के लिए देय सम्पति कर के लिए प्रावधान नहीं किए हैं। बीबीएमपी द्वारा की गई कुल 3375.88 लाख रुपए की मांग (लंबित सम्पति कर पर देय ब्याज एवं जुर्माने सहित) के प्रति कम्पनी ने विरोध के साथ 850.35 लाख रुपए चुकता किए हैं। प्रबंधन का यह दावा है कि वह इस मांग को काफी उच्च मानती है तथा सम्पति कर के स्व–मूल्यांकन के लिए उपाय कर रही है तथा इस लेखे में दी जाने वाली योग्य राशि का समायोजन किया जाएगा। कम्पनी को निगम की ओर से की गई मांग के आधार पर इस देयता का आकलन करना चाहिए और विशेषत: इससे संबंधित प्रकटीकरण लेखा बहियों में करना चाहिए।

भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक के निमित्त एवं उनकी ओर से

स्थान: दिल्ली
तिथि : 10-09-2021

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (लेखापरीक्षा)
(वित्त एवं संचार)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालपेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर।

नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	कम्पनी के उत्तर
लाभप्रदत्ता के संबंध में टिप्पणी : 1. अन्य व्यय (नोट सं.30)- 11091.58 लाख रुपए ऐसा देखने में आया है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 धारा 52 के प्रावधानों का उल्लंघन करके सिक्योरिटिज प्रीमियम लेखे के प्रति पब्लिक ऑफर प्रतिहार के लिए किए गए 1363.39 लाख रुपए के व्यय को सेट ऑफ किया है जबकि इसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाना चाहिए था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 1363.39 लाख रुपए की राशि में से अधिक व्यय के रूप में प्रभारित 165.51 लाख रुपए की राशि रिवर्स की गई थी तथा इस प्रकार एफ पीओ के लिए लेखे में प्रभारित अंतिम व्यय 1197.88 लाख रुपए है। चूंकि एफ पीओ जारी नहीं किया गया था तथा इसका प्रतिहार किया गया था, अत: यह ''शेयरों का निर्गम'' नहीं था जिसके लिए शेयर प्रीमियम लेखे का उपयोग किया जा सकता हो। इसके अलावा, शेयर प्रीमियम शेष काफी पुराना है तथा कम्पनी के पूर्व जारी शेयरों का उपयोग किया जा चुका है, जबकि, कम्पनी अधिनियम के अनुसार केवल उन्हीं शेयरों पर किए गए व्यय को शेयर प्रीमियम लेखे में प्रभारित किया जा सकता है जो जारी किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, 1197.88 लाख रुपए की राशि के लिए लाभ का अतिकथन एवं सुरक्षा प्रीमियम लेखा की न्यूनोक्ति हुई है। कम्पनी, इसके संबंध में, इस व्यय को अपनी बहियों में एक परिभाषित काल की अवधि के लिए आस्थगित राजस्व व्यय माने जाने एवं प्रभारित किए जाने के लिए विचारित मत प्राप्त कर सकती है।	कम्पनी ने इस मामले पर दो स्वतंत्र व्यावसायिकों से प्राप्त मतों के आधार पर कार्रवाई की है। प्राप्त मतों के अनुसार, सिक्योरिटी प्रीमियम लेखे के शेष का उपयोग एफ पीओ व्ययों के प्रति किए जाने के संबंध में कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं हैं। इसके अलावा, धारा में सिक्योरिटी प्रीमियम लेखे के शेष का उपयोग केवल शेयर अथवा लाभांशों के सफल निर्गम के लिए ही किया जाना सीमाबद्ध नहीं है। कम्पनी यह मामला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ परामर्श समिति के सम्मुख प्रस्तुत कर रही है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में एफ पीओ के संबंध में तदनुसार उपचार किया जाएगा।
वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी : 2. बिल न किया गया राजस्व (नोट संख्या 9क)- 171118.91 रुपए आईटीआई लिमिटेड की चालू परिसम्पतियों में कम्पनी द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान 9771 लाख रुपए की राशि ''बिल न किए गए राजस्व'' के रूप में किसी नियमित बीजक / बिल को जारी किए बिना प्रभारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भी कम्पनी ने इसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है तथा इस प्रकार इस मद को वित्तीय / चालू परिसम्पति में सुरक्षित रूप से शामिल करने के लिए संप्रमाणित नहीं किया जा सकता है।	बिल न किए गए राजस्व के अंतर्गत दर्शाई गई 9771 लाख रुपए की राशि में से 6151 लाख रुपए की राशि एकल परियोजना से संबंधित है जिसके लिए वर्तमान में प्रौद्योगिकी साझेदार के खिलाफ विवाचन का एक मामला चल रहा है। पिछली सुनवाई दिनांक 8.9.2021 को हुई थी जिसमें दोनों पक्षकारों की मौखिक सुनवाई हुई थी तथा यह मामला अब दोनों पक्षकारों की ओर से सुनवाई के पश्चात की लिखित प्रस्तुति एवं उनके संबंधित लागतों की बिलिंग किए जाने के पश्चात निर्धारण एवं न्यायनिर्णय के लिए लंबित है। बिल न किए गए राजस्व की शेष 221 लाख रुपए के बिल जारी कर दिए गए थे तथा कम्पनी वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बिल न किए गए राजस्व को नियमित करने के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया कर रही है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	कम्पनी के उत्तर
प्रकटीकरणों के बारे में टिप्पणियां :	
3. भारत सरकार से प्राप्त 300 करोड़ रुपए के ऋण पर देय ब्याज के प्रति लेखा बहियों में प्रावधान नहीं किए गए हैं क्योंकि ऋण एवं उसके संबंधित ब्याज के पुनर्भुगतान के मामले पर मंत्रालय के साथ पत्रव्यवहार किया जा रहा है।	कम्पनी द्वारा उस काल में व्याप्त स्थिति पर विचार करके आगामी वित्तीय वर्षों के वित्तीय विवरणों में इसके बारे में उचित प्रकटीकरण किए जाएंगे।
4. गुजरात में भारत नेट चरण II के लिए आईटीआई के एक विक्रेता मैसर्स मिंडार्रे ने कम्पनी की ओर से जारी संदेहास्पद जाली पावती की प्रस्तुति करके 1207 रुपए की राशि के प्रोफार्मा बीजक के प्रति आईटीआई की ओर से प्रदान की गई एलसी भुनवा ली गई थी। कम्पनी ने धन की वसूली के लिए मैसर्स मिंडार्रे के खिलाफ विधिक कार्रवाई के लिए न्यायालय में मामला दाखिल किया है तथा पुलिस प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज करवाई है।	एफआईआर दर्ज करवाई गई थी तथा पुलिस अधिकारी को आगामी जांच के लिए संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए थे। कम्पनी की ओर से इसके संबंध में वाणिज्यिक मुकदमा दायर करने से पूर्व मध्यस्थता की प्रक्रिया प्रारंभ की है। कम्पनी द्वारा उस काल में व्याप्त स्थिति पर विचार करके आगामी वित्तीय वर्षों के वित्तीय विवरणों में इसके बारे में उचित प्रकटीकरण किए जाएंगे।
5. जीएसटी व्यय पर इनपुट कर क्रेडिट के लेखे में 300.67 लाख रुपए की राशि के असंगत दावे हैं जिनके लिए कम्पनी ने अगले वित्तीय वर्ष में समीक्षा करके इनका पूंजीयन किए जाने अथवा इन्हें लाभ एवं हानि में प्रभारित किए जाने की उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था।	समाधान प्रक्रिया की जा रही है जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक पूरी कर ली जाएगी तथा ओपन मदों को समाप्त करने के लिए कम्पनी यथोचित प्रविष्टियां करना चाहती है। समाधान न किए गए शेष के संबंध में कम्पनी द्वारा वित्तीय विवरणों में यथोचित प्रकटीकरण शामिल किया जाएगा।
6. कम्पनी ने बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) को 2018-19 से 2020-21 के लिए देय सम्पति कर के लिए प्रावधान नहीं किए हैं। बीबीएमपी द्वारा की गई कुल 3375.88 लाख रुपए की मांग (लंबित सम्पति कर पर देय ब्याज एवं जुर्माने सहित) के प्रति कम्पनी ने विरोध के साथ 850.35 लाख रुपए चुकता किए हैं। प्रबंधन का यह दावा है कि वह इस मांग को काफी उच्च मानती है तथा सम्पति कर के स्व-मूल्यांकन के लिए उपाय कर रही है तथा इस लेखे में दी जाने वाली योग्य राशि का समायोजन किया जाएगा। कम्पनी को निगम की ओर से की गई मांग के आधार पर इस देयता का आकलन करना चाहिए और विशेषत: इससे संबंधित प्रकटीकरण लेखा बहियों में करना चाहिए।	कम्पनी द्वारा आगामी वर्षों के वित्तीय विवरणों में सम्पति कर के बकायों के लिए प्रकटीकरण किया जाएगा। कम्पनी ने एक परामर्शदाता के माध्यम से सम्पति कर के स्व-मूल्यांकन की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ कर दी है। स्व-मूल्यांकन से कम्पनी वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 की अवधि की देयता का आकलन कर सकेगी तथा इससे कम्पनी को संभावित बचत, यदि कोई हो, भी ज्ञात हो सकेगी।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालपेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	कम्पनी के उत्तर
लाभप्रदत्ता के संबंध में टिप्पणी : 1. अन्य व्यय (नोट सं.30)- 11091.58 लाख रुपए ऐसा देखने में आया है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 धारा 52 के प्रावधानों का उल्लंघन करके सिक्योरिटिज प्रीमियम लेखे के प्रति पब्लिक ऑफर प्रतिहार के लिए किए गए 1363.39 लाख रुपए के व्यय को सेट ऑफ किया है जबकि इसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाना चाहिए था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 1363.39 लाख रुपए की राशि में से अधिक व्यय के रूप में प्रभारित 165.51 लाख रुपए की राशि रिवर्स की गई थी तथा इस प्रकार एफ पीओ के लिए लेखे में प्रभारित अंतिम व्यय 1197.88 लाख रुपए है। चूंकि एफ पीओ जारी नहीं किया गया था तथा इसका प्रतिहार किया गया था, अत: यह ''शेयरों का निर्गम'' नहीं था जिसके लिए शेयर प्रीमियम लेखे का उपयोग किया जा सकता हो। इसके अलावा, शेयर प्रीमियम शेष काफी पुराना है तथा कम्पनी के पूर्व जारी शेयरों का उपयोग किया जा चुका है, जबकि, कम्पनी अधिनियम के अनुसार केवल उन्हीं शेयरों पर किए गए व्यय को शेयर प्रीमियम लेखे में प्रभारित किया जा सकता है जो जारी किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, 1197.88 लाख रुपए की राशि के लिए लाभ का अतिकथन एवं सुरक्षा प्रीमियम लेखा की न्यूनोक्ति हुई है। कम्पनी, इसके संबंध में, इस व्यय को अपनी बहियों में एक परिभाषित काल की अवधि के लिए आस्थगित राजस्व व्यय माने जाने एवं प्रभारित किए जाने के लिए विचारित मत प्राप्त कर सकती है।	कम्पनी ने इस मामले पर दो स्वतंत्र व्यावसायिकों से प्राप्त मतों के आधार पर कार्रवाई की है। प्राप्त मतों के अनुसार, सिक्योरिटी प्रीमियम लेखे के शेष का उपयोग एफ पीओ व्ययों के प्रति किए जाने के संबंध में कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं हैं। इसके अलावा, धारा में सिक्योरिटी प्रीमियम लेखे के शेष का उपयोग केवल शेयर अथवा लाभांशों के सफल निर्गम के लिए ही किया जाना सीमाबद्ध नहीं है। कम्पनी यह मामला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ परामर्श समिति के सम्मुख प्रस्तुत कर रही है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में एफ पीओ के संबंध में तदनुसार उपचार किया जाएगा।
वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी : 2. बिल न किया गया राजस्व (नोट संख्या 9क)- 171118.91 रुपए आईटीआई लिमिटेड की चालू परिसम्पतियों में कम्पनी द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान 9771 लाख रुपए की राशि ''बिल न किए गए राजस्व'' के रूप में किसी नियमित बीजक / बिल को जारी किए बिना प्रभारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भी कम्पनी ने इसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है तथा इस प्रकार इस मद को वित्तीय / चालू परिसम्पति में सुरक्षित रूप से शामिल करने के लिए संप्रमाणित नहीं किया जा सकता है।	बिल न किए गए राजस्व के अंतर्गत दर्शाई गई 9771 लाख रुपए की राशि में से 6151 लाख रुपए की राशि एकल परियोजना से संबंधित है जिसके लिए वर्तमान में प्रौद्योगिकी साझेदार के खिलाफ विवाचन का एक मामला चल रहा है। पिछली सुनवाई दिनांक 8.9.2021 को हुई थी जिसमें दोनों पक्षकारों की मौखिक सुनवाई हुई थी तथा यह मामला अब दोनों पक्षकारों की ओर से सुनवाई के पश्चात की लिखित प्रस्तुति एवं उनके संबंधित लागतों की बिलिंग किए जाने के पश्चात निर्धारण एवं न्यायनिर्णय के लिए लंबित है। बिल न किए गए राजस्व की शेष 221 लाख रुपए के बिल जारी कर दिए गए थे तथा कम्पनी वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बिल न किए गए राजस्व को नियमित करने के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया कर रही है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	कम्पनी के उत्तर
प्रकटीकरणों के बारे में टिप्पणियां :	
3. भारत सरकार से प्राप्त 300 करोड़ रुपए के ऋण पर देय ब्याज के प्रति लेखा बहियों में प्रावधान नहीं किए गए हैं क्योंकि ऋण एवं उसके संबंधित ब्याज के पुनर्भुगतान के मामले पर मंत्रालय के साथ पत्रव्यवहार किया जा रहा है।	कम्पनी द्वारा उस काल में व्याप्त स्थिति पर विचार करके आगामी वित्तीय वर्षों के वित्तीय विवरणों में इसके बारे में उचित प्रकटीकरण किए जाएंगे।
4. गुजरात में भारत नेट चरण II के लिए आईटीआई के एक विक्रेता मैसर्स मिंडार्रे ने कम्पनी की ओर से जारी संदेहास्पद जाली पावती की प्रस्तुति करके 1207 रुपए की राशि के प्रोफार्मा बीजक के प्रति आईटीआई की ओर से प्रदान की गई एलसी भुनवा ली गई थी। कम्पनी ने धन की वसूली के लिए मैसर्स मिंडार्रे के खिलाफ विधिक कार्रवाई के लिए न्यायालय में मामला दाखिल किया है तथा पुलिस प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज करवाई है।	एम आईआर दर्ज करवाई गई थी तथा पुलिस अधिकारी को आगामी जांच के लिए संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए थे। कम्पनी की ओर से इसके संबंध में वाणिज्यिक मुकदमा दायर करने से पूर्व मध्यस्थता की प्रक्रिया प्रारंभ की है। कम्पनी द्वारा उस काल में व्याप्त स्थिति पर विचार करके आगामी वित्तीय वर्षों के वित्तीय विवरणों में इसके बारे में उचित प्रकटीकरण किए जाएंगे।
5. जीएसटी व्ययों पर इनपुट कर क्रेडिट के लेखे में 300.67 लाख रुपए की राशि के असंगत दावे हैं जिनके लिए कम्पनी ने अगले वित्तीय वर्ष में समीक्षा करके इनका पंजीयन किए जाने अथवा इन्हें लाभ एवं हानि में प्रभारित किए जाने की उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था।	समाधान प्रक्रिया की जा रही है जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक पूरी कर ली जाएगी तथा ओपन मदों को समाप्त करने के लिए कम्पनी यथोचित प्रविष्टियां करना चाहती है। समाधान न किए गए शेष के संबंध में कम्पनी द्वारा वित्तीय विवरणों में यथोचित प्रकटीकरण शामिल किया जाएगा।
6. कम्पनी ने बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) को 2018-19 से 2020-21 के लिए देय सम्पति कर के लिए प्रावधान नहीं किए हैं। बीबीएमपी द्वारा की गई कुल 3375.88 लाख रुपए की मांग (लंबित सम्पति कर पर देय ब्याज एवं जुर्माने सहित) के प्रति कम्पनी ने विरोध के साथ 850.35 लाख रुपए चुकता किए हैं। प्रबंधन का यह दावा है कि वह इस मांग को काफी उच्च मानती है तथा सम्पति कर के स्व-मूल्यांकन के लिए उपाय कर रही है तथा इस लेखे में दी जाने वाली योग्य राशि का समायोजन किया जाएगा। कम्पनी को निगम की ओर से की गई मांग के आधार पर इस देयता का आकलन करना चाहिए और विशेषत: इससे संबंधित प्रकटीकरण लेखा बहियों में करना चाहिए।	कम्पनी द्वारा आगामी वर्षों के वित्तीय विवरणों में सम्पति कर के बकायों के लिए प्रकटीकरण किया जाएगा। कम्पनी ने एक परामर्शदाता के माध्यम से सम्पति कर के स्व-मूल्यांकन की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ कर दी है। स्व-मूल्यांकन से कम्पनी वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 की अवधि की देयता का आकलन कर सकेगी तथा इससे कम्पनी को संभावित बचत, यदि कोई हो, भी ज्ञात हो सकेगी।

आईटीआई के उत्पाद और सेवाएं

स्मार्ट एनर्जी मीटर
Smart Energy Meter

ओएफसी मैन्युफैक्चरिंग
OFC Manufacturing

डाटा सेंटर
Data Center

मिनी पीसी स्मैश
Mini PC SMAASH

Smart Card Manufacturing
स्मार्ट कार्ड मैन्युफैक्चरिंग

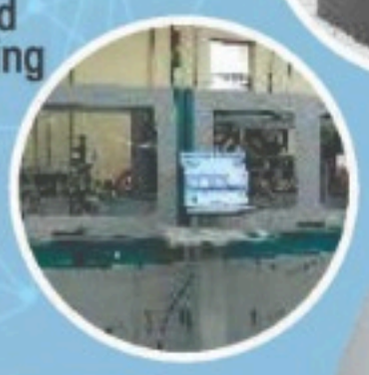

कौशल विकास केंद्र
Skill Development Center

HDPE Manufacturing
एचडीपीई मैन्युफैक्चरिंग

Solar Panel Manufacturing
सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग

Encryption Products
इन्क्रिप्शन उत्पाद

Surface Mount Technology Assembly
सर्फेस मांउट टेक्नॉलजी एसेंबली

Startup Hub VINYAS
स्टार्टअप हब विन्यास

Telecom Testing Center
दूरसंचार परीक्षण केंद्र

3D Printing
3डी प्रिंटिंग

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

AATMA NIRBHAR BHARAT

MAKE IN INDIA

Digital India
Power To Empower

Azadi Ka Amrit Mahotsav

विश्वव्यापी संचार के लिए संपूर्ण समाधान

आईटीआई लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर, बेंगलूरु-560 016,
फोन : +91(80) 2561 4466, फैक्सं : +91(80) 2561 7525
वेबसाइट: www.itiltd.in

itilimitedindia ITILTDINDIA itilimited ITI Limited itiltdindia